अगस्त के महान विप्लव
के अलौकिक सेनानी
महात्मा गान्धी को
सविनय समर्पण

चरण रज,
दीनानाथ व्यास

SALUTE TO THE FIGHTERS.

I want to take this opportunity of saluting the grand Fighters for India's Freedom. To the long suffering and brave Indian people and their revered leaders Mahatma Gandhi and Jawahar Lall Nehru, I say, "Good Luck!" and, "Good Wishes!!"

James Maxton, M. P.

श्री जयप्रकाश नारायण

गस्त क्रान्ति के सर्वोपरि सेनापति, आज भारत का युवक समुदाय आपको हृदय सम्राट् मानता है।

अगस्त सन् '४२ का महान विप्लव

जन्म

भारतवर्ष के इतिहास में अगस्त क्रान्ति एक महान चिरस्मरणीय घटना है। इस क्रान्ति ने ब्रिटिश भारत के इतिहास में ऐसी भयंकर सामूहिक उथल-पुथल पैदा की कि ब्रिटिश सिंहासन ही डोलायमान हो गया। भारत के कुछ प्रान्त मसलन बिहार, युक्तप्रान्त, आन्ध्र एवं सतारा तो कुछ समय के लिये पूर्ण स्वतंत्र ही हो गये थे। इन प्रान्तों में उन दिनों अंग्रेजी शासन का नामो निशान ही नहीं रह गया था। इन प्रान्तों की सर्वोपरि सत्ता जनता के ही हाथों में थी। समस्त भारत की जनता ही इस आन्दोलन में कन्धे से कन्धा भिड़ाकर डट जाती तो हमारा भारत आज पराधीन नहीं रह जाता। पर यह देश वासियों के भाग्य में बदा नहीं था।

सन् १९४२ की जन क्रान्ति में भारतीयों ने कई नये प्रयोग किये। सतारा और कर्नाटक में छोटे पैमाने पर ही सही, आरजी सरकार कायम की गई और उसने सफलता पूर्वक अपना कार्य कर दिखाया। हमारी जन क्रान्ति में हमने युद्ध की गोरिल्ला पद्धति का भी सफल प्रयोग किया। इस पद्धति के द्वारा शत्रु को काफी हैरान और परेशान किया गया। भूमिगत या गुप्त कार्य तो समस्त भारत में विशाल पैमाने पर हुए।

कुछ विचारक कहते हैं कि इस जन क्रान्ति में हिंसा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया या अहिंसा को? इसमें गांधी जी के आदेश का पालन हुआ या नहीं? इस क्रान्ति के लिये हमारा संगठन पर्याप्त रहा या नहीं? पर ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिन पर विचार करना निरुद्देश्य ही कहा जायेगा

क्योंकि जनक्रान्ति में हिंसा और अहिंसा आगे चलकर प्रायः एक हो हो जाती हैं। ऐसे आन्दोलनों में जनता की सच्ची लगन, जोश और सर्वोपरि देश की पराधीनता को दूर करने को अडिग भावना सर्वोपरि रहती है। रहा साधन का प्रश्न, तो वह समयानुसार परिवर्तित होते ही रहते हैं।

इस जन-क्रान्ति की उत्पत्ति का इतिहास भारतीय राजनीति का एक दिलचस्प अध्याय है। इसके उत्पादकों की मनोवृत्ति को भली भांति समझ लेने से ही उत्पत्ति का इतिहास स्पष्ट हो जाता है।

यह निर्विवाद है कि पिछले २५ वर्षों से गांधी जी भारतीय राजनीति के बेताज बादशाह हैं। हमेशा से कांग्रेस की नीति को वे ही संभालते रहे हैं और जो भी स्वतंत्रता के आन्दोलन प्रचारित हुए, उन्हीं के नेतृत्व में हुए। गांधी जी की अहिंसा का तात्पर्य है शत्रु को प्रेम से जीतना। शत्रु के हृदय में परिवर्तन पैदा करके अपने उद्देश्य की प्रगति करना यही उनकी अहिंसा का वास्तविक लक्ष्य है। हृदय परिवर्तन कराने का गांधी जी का एक मात्र साधन है—अगाध कष्टों को सहन करना, महान त्याग करना और आवश्यकतानुसार बलिदान के पथ पर हँसते हँसते अग्रसर हो जाना। गांधी जी के सत्याग्रह की यही नींव है और इसी के आधार पर गांधी जी ने सभी आन्दोलन प्रचारित किये हैं। सन् १६३६ में जब द्वितीय महायुद्ध छिड़ा तब हजार भारतीय नेताओं के दबाव पड़ने पर भी गांधी जी ने आन्दोलन नहीं छेड़ा। उन्होंने 'हरिजन' में स्पष्ट ही कह दिया कि जब दुश्मन पर जान की आ पड़ी है तब उसको इस दुरावस्था से फायदा उठा जाना मेरे द्वारा संचालित सत्याग्रह की नीति नहीं हो सकती। उन्होंने लुई फिशर के प्रश्नों के जवाब में स्पष्ट ही कह दिया कि विपत्ति में फँसे हुए ब्रिटेन को यदि हम आन्दोलन से दबाने की चेष्टा करेंगे तो हृदय परिवर्तन तो दूर, बल्कि हृदय में विष की जड़ जम जायेगी। परिणाम यह होगा कि उसका रुख हमारे प्रति बहुत ही कठोर हो जायेगा और उसकी और हमारी दुश्मनी बहुत ही बढ़ जायेगी। फलतः फिर हमारा और उसका समझौता असंभव ही हो जायेगा। कहने का सारांश यह कि गांधी जी ने आन्दोलन छेड़ने से साफ ही इन्कार कर दिया। आगे चल कर सरकार के

भयंकर दमन और मित्रता के नाम पर विरोधी नीति के कारण गाँधी जी महज एक ही कदम आगे बढ़े। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ कर दिया पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट ही कर दिया कि इस सत्याग्रह को आरम्भ करने का मेरा मतलब ब्रिटिश सरकार को इस मुसीबत में परेशान करने का हर्गिज नहीं है। यह सत्याग्रह तो महज़ मेरा पहिला कदम है। इस आन्दोलन के द्वारा गाँधी जी यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि वर्तमान सरकार का रुख जो बहुत ही सख्त एवं अन्याय पूर्ण है इस साधारण से सत्याग्रह द्वारा उस सरकार को यह प्रतीत हो जायेगा कि कि भारतवासी उसके इस रुख से असन्तुष्ट हैं। साथ ही भारतवासी इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा यह साफ साफ सूचित कर देना चाहते थे कि भारतवर्ष इस युद्ध में ब्रिटेन के साथ शामिल नहीं हैं बल्कि कतई विरोधी हैं।

यह कहना तो कठिन नहीं है कि गाँधी जी को अपनी जीवन भर की नीति में एकाएक परिवर्तन करने का क्या कारण पैदा हुआ? हो सकता है कि उन्हें ब्रिटिश सरकार की वास्तविक तात्कालिक नीति की गंध मिल गई। चाहे कारण कुछ भी क्यों न रहा हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि क्रिप्स मिशन के कुछ पहिले से, तथा क्रिप्स से घन्टों खुली बातचीत करके वे इस नतीजे पर अवश्य पहुँच गये कि अँग्रेज लोग चाहे जितने वायदे करें पर उनका कुछ भी देने का इरादा नहीं है। उन दिनों की गाँधी जी की विचार धारा से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि अँग्रेज़ महायुद्ध में जीत गये तो भारतीय स्वतंत्रता का सवाल ५० वर्ष तक रुक जायेगा और फिर जो भी उनसे इस सम्बन्ध में कहेगा या सामूहिक आन्दोलन करेगा वह जड़ मूल से कुचल दिया जायेगा। गाँधी जी ने निरन्तर उठने वाले अपने ये विचार अपने अन्तरङ्ग सहयोगियों से साफ़ साफ़ कहे। विचार विनिमय से उनके विचारों में काफी परिवर्तन भी हुए, यहाँ तक कि आरम्भ के विचारों और बाद के विचारों में जमीन आसमान का अन्तर हो गया। आगे चल कर गाँधी जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि अंगरेज़ों का हृदय परिवर्तन इस समय प्रेम से हो ही नहीं सकता। तभी उन्होंने व्यक्तिगत

सत्याग्रह जारी किया। देखा जाय तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भी मूलतः किसी न किसी अंश में अंगरेजों को परेशान करने का ही तरीका था। विरोधी को परेशान न करने की भावना के साथ सत्याग्रह करना इसके तो कुछ भी माने नहीं हो सकते। गाँधी जी की राय में विरोधी पर बेहद दबाव जब डाला जाय जब वह परम सुख में हो। पर अँग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति विरोधी के दोनों दृष्टि कोणों को नजर अन्दाज करके ही चलती रही है। गाँधी जी जब अपनी नीति की इस कमजोरी को पहिचान गये तभी उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का मार्ग ग्रहण किया। विरोधी की परेशानियों से ही तो विपरीत पक्ष लाभान्वित हो सकता है।

गाँधी जी ने काफी विचार विनिमय के बाद ही अपनी नीति में परिवर्त्तन किया। और १९४१ में कांग्रेस के महासमिति के इलाहाबाद अधिवेशन के समय से ही उनका रुख विरोधियों के प्रति सख्त होता चला गया। समाजवादियों और गाँधी जी की १९३९ से अर्थात् महायुद्ध के आरम्भ के साथ ही, रस्साकशी इसी बात को लेकर हो रही थी कि गाँधी जी अँग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में कुछ भी करना नहीं चाहते थे। इसके विरुद्ध समाजवादियों का कहना था कि इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा। १९३९ से लेकर १९४२ तक यह मतभेद बराबर चलता रहा। १९४२ के अगस्त प्रस्ताव के साथ ही यह मतभेद खत्म हो गया। फलतः समाजवादी और गाँधी जी एक हो गये।

गाँधी जी ने अगस्त आन्दोलन को इतनी जल्दी आरम्भ क्यों किया? इस मामले में उनका स्वतः का विचार था कि अब आन्दोलन शीघ्र ही आरम्भ हो जाना चाहिये क्योंकि सम्भव है देर करने से आन्दोलन सफल ही न हो। सफलता और असफलता यह दोनों ऐसी चीजें हैं जिनकी गारन्टी कोई भी नहीं ले सकता। गाँधी जी का दृढ़ विश्वास हो गया था कि फिर भारतवर्ष को ऐसा अवसर नहीं मिल सकता क्योंकि यदि अँग्रेज जीत गये तो ये हमारी सुनने वाले नहीं। फिर हमें कई वर्षों लड़ना पड़ेगा इसलिये चाहे हम जीतें या हारें, अवसर का लाभ तो अवश्य ही लेना चाहिये। यह दृढ़

निश्चय करके उन्हों जो ऐतिहासिक आन्दोलन छेड़ा; कि भारतवर्ष के इतिहास में उसका नाम "अगस्त का आन्दोलन" होगया।

पृष्ठ भूमि और प्रसार

क्रान्तियाँ यकायक पैदा नहीं हो जातीं। क्रान्तियाँ घनघोर घटाओं में से यकायक बिजली की तरह नहीं टूट पड़तीं। क्रान्तियाँ कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो जादू के ज़ोर से अपना असर दिखा दे। क्रान्तियाँ पैदा होती हैं निरन्तर जनता की भावनाओं के कुचले जाने से। जनता की आकांक्षाओं के निरन्तर दमन से ही क्रान्तियाँ जन्म लेती हैं। शान्ति की बनावटी बातों की धरातल के नीचे ज्वालामुखी की तरह जनता की विरोध की आग धीरे धीरे सुलगती रहती है। ज़रा सी ठेस पहुँचने के साथ ही इस आग में एक विस्फोट हो जाता है और वह धरातल को फोड़कर ऊपर आ जाती है और बग़ावत का रूप धारण कर लेती है। धरातल के नीचे की आग में जितना भी जोर होता है विस्फोट या आन्दोलन उतना ही तीव्र रूप धारण कर लेता है। इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आन्दोलन हिंसात्मक ही होगा या अहिंसात्मक; संगठित होगा या असंगठित, सफल होगा या असफल। आन्दोलन के रूप व प्रसार के लिये तत्कालीन देश की स्थिति, संस्कृति नेताओं के विचार व उनकी संगठन शक्ति पर ही निर्भर रहना होगा। जैसा उस समय देश के नेताओं का संगठित प्रोग्राम होगा जनता उतने ही प्रमाण में आन्दोलन को उग्र रूप देने में समर्थ होगी।

१९४२ में जनता की कुचली हुई देश व्यापी भावनाएँ अपने चरम पर पहुँच चुकी थीं। जनता की बढ़ी हुई बेचैनी, परेशानी और असन्तोष सभी ने एक साथ मिलकर उग्रतम रूप धारण कर लिया था। आन्दोलन के नारे के साथ ही भारतीय आकांक्षाएँ और आशाएँ अंकुरित हो चुकी थीं। उन्हें जनता के दिल के अन्तरतम भाग से सरकारी दमन निकाल नहीं सकता था। आर्थिक कठिनाइयाँ बेहद बढ़ रही थीं, चीजों के दाम द्रुतगति से, सीमोल्लंघन करते जा रहे थे। खाने की चीज़ों का बिलकुल ही अभाव हो गया था। प्रचलित सिक्का चाँदी का लोप होकर काग़ज़ी नोटों का बाहुल्य

सामने आ रहा था। हांगकांग से लेकर बर्मा तक की जापानी जीत ने अँग्रेज़ों के प्रति जनता के दिल में अविश्वास पैदा कर दिया था। जनता के दिल में यह बात गहरा असर कर गई थी कि अँग्रेज़ जब अपनी ही रक्षा करने में असमर्थ हैं तो जनता की क्या रक्षा कर सकेंगे। जनता ताड़ चुकी थी कि अँग्रेज़ों की सैनिक शक्ति कमजोर है। इतना ही नहीं बर्मा से भागी हुई जनता की करुण कहानियों ने भारतीय जनता के दिल में उनके प्रति घृणा के भाव भरे ह नहीं मज़बूत कर दिये। समय पर ये घृणा के भाव एवं जातीय द्वेष भारतीयों के दिल में उग्र रूप धारण करते चले गये। अँग्रेज़ सैनिकों द्वारा रंगून की जनता की सम्पत्ति को निर्लज्जता पूर्ण लूट एवं अग्नि काण्डों ने जनता को बहुत ही उत्तेजित कर दिया था। पूर्वी बंगाल व आसाम के हवाई अड्डों व अन्य फौजी कामों के लिये जनता की जमीन की ज़ब्ती आदि कामों ने जनता के दिल में घृणा को बहुत ही मज़बूत कर दिया था। अँग्रेज़ों के सत्य, न्याय और मानवता की रक्षा के नाम पर किये गये कुकृत्यों से जनता आतंक, भय और बेचैनी से आहें भर रही थी। जनता में भय ने जोश उत्पन्न कर दिया और जोश से भर कर जनता अपने तपे हुए नेताओं की ओर देखने लगी। निराशा, घृणा, बेचैनी, अविश्वास और असन्तोष दिन प्रति दिन लोगों के दिलों में बढ़ता ही जा रहा था। इधर सरकार उनकी भावनाओं की रत्ती भर भी परवाह न करके दमन किये ही जा रही थी क्योंकि उसे अपनी सैनिक शक्ति पर नाज़ था। वह अपनी बर्मा की हार की झेंप को भारतीय आकांक्षाओं के दमन द्वारा छिपाना चाहती थी।

समय तथा जनता की नब्ज़ को ठीक पहिचाननेवाले भारतीयों के अद्वितीय नेता गांधी जी के दिल में इसी समय तूफ़ान उठा और उनकी अपार शान्ति क्रान्ति की हिलोरें लेने लगी। गांधी जी ने जनता के हृदय को पहिचान लिया और जनता पिछले २५ वर्षों से गांधी जी को खूब पहिचानती आ रही है। जनता का नारा था - "अँग्रेज़ निश्चय हारे", गांधीजी ने आवाज़ दी—'अँग्रेज़, निकल जाओ"—जनता और गांधी के दिल मिल गये। दोनों ने दोनों को पहिचान लिया। इसी वातावरण के बीच में ७ और ८

अगस्त १६४२ को कांग्रेस महासमिति की बैठकें हुईं। ८ अगस्त को गाँधी जी ने देश की महान क्रान्ति का सेनापतित्व स्वीकार करते हुए भारतीय जनता को आदेश दिया—"करो या मरो"। ६ अगस्त को सरकार ने अचानक ही नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी करके जनता की कुचली हुई आकांक्षाओं के ज्वालामुखी में स्वयं ही चिन्गारी बन कर विस्फोट हो जाने का शुभ अवसर प्रदान किया। जनता जोश में पागल हो चुकी थी। सरकार के इस वार को जनता ने अपने ऊपर आक्रमण समझा। जनता अपने होशोहवास एक साथ ही खो बैठी। और यह अदम्य जोश जिस रूप के जनता ने प्रकट किया वह आपको अगले पृष्ठों में पढ़ने को मिलेगा।

८ अगस्त के साथ ही एक जबरदस्त तूफान आया, बहुत ही जोर से आगे बढ़ा और अन्त में शान्ति-सा हो गया। लाखों आदमी इसके वेग में बह गये, करोड़ों ने किसी न किसी रूप में इसमें सहयोग दिया। ५-६ माह तक यही रहा, क्रान्ति में थोड़ी बहुत शान्ति के दर्शन हुए। देश में सैनिकों द्वारा शान्ति स्थापित करने का आयोजन हुआ। सरकार ने आकड़ों द्वारा अपनी नीति को न्याय बताने का खूब ही प्रयत्न किया। कांग्रेस, गाँधी जी व जनता को सरकार ने हर तरह दोषी बताया। गाँधी जी ने सरकार को चुनौती दी कि वे कांग्रेस तथा उन पर लगाये गये आरोप या तो सिद्ध करें और नहीं तो खुली अदालत में उन पर मुकदमा चलायें[१] सोचनीय बात यह थी कि कांग्रेस के सभी जिम्मेदार नेता जेलों में थे इसलिये जनता के पक्ष का समर्थन करने वाला उस समय कोई भी नहीं था। इसके बाद गाँधी जी के अनशन के समाचार सुनाई दिये और इसके साथ ही देश में एक अनोखी चर्चा चल निकली। फरवरी १६४३ में यह चर्चा बहुत ही जोर पकड़ गई कि इस आन्दोलन में जनता ने हिंसा का सहारा लिया! यह चर्चा उस समय बिलकुल ही व्यर्थ थी जब कि आन्दोलन अपने पूरे जोश में था। क्रान्ति

१—देखिये— गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया द्वारा प्रकाशित पुस्तकें—

1—Congress Responsibility for the Disturbances 1942-43 By R. Tottenham.

2—Correspondence with Mr. Gandhi.

शास्त्र का जानकार ऐसी चर्चा को मूर्खता ही कहेगा ! आन्दोलन पैदा नहीं किये जाते। ये स्वयं ही पैदा होते हैं । वे किन कारणवश आप ही आप पैदा होते हैं, यह हम ऊपर देश की उस समय की स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए लिख चुके हैं। हाँ, यह कहना बहुत कुछ न्याय संगत हो सकता है कि गाँधी जी जिस तरह आन्दोलन को चलाना चाहते थे, वह उस प्रकार नहीं चल सका। इसका भी कारण था। गाँधी जी ज्योंही आन्दोलन के सूत्रधार बने त्योंही ४ घन्टे के अन्दर वे गिरफ्तार कर लिये गये। इसलिये वे आन्दोलन की गतिविधि पर नियंत्रण भी कैसे रख सकते थे ? दुनिया के किसी भी महान नेता के विषय में यह कहना न्याय संगत नहीं होगा कि युद्ध में वह एक ही सिद्धान्त या आधार पर अन्त तक डटा रहे। एक पत्रकार ने गाँधी जी से पूछा कि यदि आन्दोलन के साथ ही नेताओं की गिरफ्तारी हो जाय तो आन्दोलन का क्या होगा ? गाँधी जी ने उत्तर दिया कि आन्दोलन में शक्ति होगी तो वह बिना लीडरों के भी चलता रहेगा। अतः जनता नेताओं की गिरफ्तारी के बाद स्वयं ही लीडर बन कर आन्दोलन को संचालित करती रही तो यह स्वाभाविक ही था।

इस महान आन्दोलन का नारा था "अँग्रेजों, भारत से निकल जाओ" और कार्य के साधन के लिये नारा था "करो या मरो"। इन्हीं नारों से स्पष्ट है कि इस आन्दोलन का ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना और उसकी प्राप्ति के लिये अपना बलिदान तक दे देना था। इस आन्दोलन के ये नारे वास्तव में समयोचित और बहुत ही उपयोगी थे। इन नारों के पीछे एक जबरदस्त कल्पना और भावना छिपी हुई थी जो सदैव ही भारतवासियों के अन्दर एक स्फूर्ति, जागृति, आशा और तड़पन बनाये रही।

इस आन्दोलन का उद्देश्य एकांगी नहीं था। इसका असली उद्देश्य था—हर सरकार को जनता से शक्ति हासिल करना चाहिये। जो सरकार इस सर्वमान्य सिद्धान्त के खिलाफ कानों में तेल डाल कर पशु बल के आधार पर अपनी शक्ति बनाये रखती है, जनता को उसका खुला विरोध करने का पूरा अधिकार है। उस सरकार की पूरी सत्ता और संस्थाओं पर अधिकार करने का उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अतः अब तक जनता

ने जितने भी आन्दोलन किये वे सरकार के विरुद्ध एक संगठित अहिंसात्मक आधार पर चलाया गया। महान् प्रयोग था और ऐसा सामूहिक विरोध भारतीय जनता का जन्म सिद्ध अधिकार था।

६ अगस्त के बाद देश में क्रान्ति प्रज्वलित हो गई। यह क्रान्ति, यदि सच कहा जाय तो आकार, विस्तार, त्याग, बलिदान, संगठन शक्ति, उत्साह एवं ध्येय के प्रति अदम्य लगन में पिछली भारतीय क्रान्तियों से कहीं बढ़ चढ़ कर ही रही। इस महान क्रान्ति के सामने, वास्तव में; फ्रांस की राज्य क्रान्ति, १८५७ का गदर, १९१७ की रूसी राज्य क्रान्ति सभी नगण्य थीं। इस क्रान्ति में प्रायः ६-७ हज़ार आदमी मरे, १ लाख से ज्यादा जेलों में गये, एक करोड़ से भी ज्यादा सामूहिक जुर्माने किये गये। पचासो गाँव वीरान कर दिये गये। इस क्रान्ति में प्रायः ४ करोड़ व्यक्तियों ने खुले रूप से भाग लिया। आन्दोलन का विशेष नारे—सामूहिक और संगठित रूप में—कर्नाटक, सतारा जिला, पूर्वी और उत्तरी बिहार, मिदनापुर जिला, बलिया जिला, बालासोर तथा यू० पी० के पूर्वी जिलों में रहा। इन जिलों में जनता ने सामूहिक और गुरिल्लायुद्ध दोनों प्रकार से लड़ाई लड़ी। आश्चर्य की बात है कि उक्त जिलों में ही १८५७ में भी विद्रोह की आग सबसे ज्यादा भड़की थी। तब और अब, इन्हीं जिलों की जनता अन्त तक लड़ती रही। ऐसा क्यों हुआ? इसके भी भौगोलिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण हैं आन्दोलन का संगठित व सामूहिक रूप दो या तीन महीने रहा। इसके बाद अकथनीय दमन हुआ। नेताओं का अभाव तो आन्दोलन के श्री गणेश में ही था। इसलिये आन्दोलन ने आगे चल कर भूमिगत रूप धारण कर लिया। ऐसा परिवर्तन न तो आश्चर्य जनक ही है और न अस्वाभाविक ही था। क्योंकि १९४२ की क्रान्ति मशीनों की साया में ही आरंभ हुई थी। इसमें अनेक जलियों वाला काण्ड हुए, लगभग १५०० स्थानों से ज्यादा जगहों पर जलियाँ चलीं और जनता ने सरकारी सत्ताओं पर आधिपत्य करने के लिये खुले प्रयत्न किये! बिहार में तो सरकारी डाकखानों, थानों, सरकारी इमारतों पर कब्जे भी कर लिये गये। सरकार ने स्वयं अपनी सत्ताओं को शहरों में तब्दील कर लिया। इस महान क्रान्ति में विद्यार्थियों ने सर्व प्रथम लाखों की तादाद

में भाग लिया। लीडरों की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जनता का नेतृत्व किया। जिन्ना साहब का अनेक धमकियों के बाद भी कहीं हिन्दू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। इस समय मुस्लिम भारत ने भी यह साबित कर दिया कि वह भी साम्राज्य शाही विरोधी है। चाहे मुस्लिम भारत के नेतृत्व की यह मंशा नहीं रही हो। हिन्दू जनता ने बिहार तथा यू० पी० के पूर्वी ज़िलों में और कहीं कहीं मुस्लिम जनता ने भी सैकड़ों की तादाद में इसमें भाग लिया। इसके अलावा राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रचण्ड लपटें देशी राज्यों में भी फैलीं और इस प्रकार रियासतों में पहिली बार आन्दोलन का आरम्भ हुआ और भारतीय तथा रियासती आन्दोलन का गठ बन्धन हो गया।

इस महान क्रान्ति से देश को अपूर्व लाभ हुए। जनता सरकारी शक्ति छीनने की कला में सिद्ध हस्त हो गई और गोलियों की बारिश में उसने उठना सीखा। स्वदेश तथा विदेश में कांग्रेस की इज़्ज़त बढ़ी और दुनिया अच्छी तरह मान गई कि कांग्रेस अब भी करोड़ों की तादाद में गोलियों की बौछारों के नीचे अपना सर्वस्व स्वाहा कर देने को तैयार है। इस प्रकार हमारा इस क्रान्ति ने दुनिया के सामने देश का मस्तक गर्वोन्नत किया। इसके अलावा इस क्रान्ति का दुनिया के दबे, कुचले, तथा त्रस्त लोगों पर भी गहरा असर पड़ा। उनमें नवीन स्फूर्ति और बिजली की लहरें व्याप्त हो गईं और नवीन आशा संचारित हो गई। हमारे अनोखे नारे "भारत छोड़ो" और "अहिंसात्मक क्रान्ति" ने दुनिया को विस्मय विमुग्ध कर दिया। हम स्वयं बहुत ऊपर उठ गये और दूसरों को भी उठने की स्फूर्ति मिली। बाहर की दुनिया में जर्मनी और जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्म समर्पण कर दिया, पर हमारा मामला सबों से भिन्न रहा। अंग्रेज़ों को एक के बाद दूसरे कांग्रेसी लीडरों को छोड़ना पड़ा और समझौते की चर्चा चलानी पड़ी। अंग्रेज़ों को भारतीय मामले में इस क्रान्ति के कारण अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और दमन और हिंसा का एक दम परित्याग करना पड़ा। इसका मतलब यह न समझा जाय कि हमारा संघर्ष—हमारी लड़ाई—खत्म हो चुकी है।

स्वर्गीय राष्ट्रमाता कस्तूरबा

१९४२ में अगस्त आंदोलन के सिलसिले में आप नौकरशाही द्वारा बंदी बनाई गई और बंदीगृह में आप शहीद हुई।

सभाओं का सभापतित्व व जुलूसों का शानदार नेतृत्व किया। इसके अलावा उन्होंने भूमिगत रूप से आन्दोलन का सफलता पूर्वक संचालन एवं साहित्य निर्माण करने की पुरुषों के साथ कंधे से कंधा लगाकर काम किया। भारतीय महिलाओं ने आन्दोलन की नीति का निर्माण एवं पथ प्रदर्शन में पूर्णरूप से भाग लिया।

आसाम प्रान्त में ताजपुर ग्राम की कनक लता बरुआ नाम की एक १४ वर्ष की लड़की जूलूस का नेतृत्व किया। उसे सरकारी अधिकारी ने रोका पर उसने किसी की भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। इस पर पुलिस अफसर ने गोली से उसे मार दिया। उस वीर बालिका का नाम भारतीय जनता के हृदय में अंकित हो गया है। बम्बई,की कुमारी उषा मेहता ने कांग्रेस गुप्त रेडियो को जिस कुशलता एवं साहस पूर्वक चलाया उसकी प्रशंसा सारा भारतवर्ष कर रहा है। उषा मेहता ने प्रेस वक्तव्य देते हुए स्वयं ही कहा है कि—

"मैंने तथा मेरे साथियों ने रेडियो से कांग्रेस प्रोग्राम को जन समूह तक पहुँचाने का निश्चय किया। पहिला ब्राडकास्ट भाषण २० अगस्त १९४२ को किया गया। डाक्टर राममनोहर लोहिया उस समय बम्बई में गुप्त रूप से रहते थे। कभी कभी श्री अच्युत पटवर्धन तथा मैं स्वयं भाषण लिखा करते थे। एक उद्घोषक कुमारी कुमो कस्तूर भी थी, लेकिन वे शहादत के अभाव में गिरफ्तार नहीं की जा सकीं। पहिले भाषण मौलिक रूप से दिये जाते थे, लेकिन बाद में रिकार्ड भर कर ब्राडकास्ट किये जाने लगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में दिये गये भाषण तथा वन्देमातरम् गान के रिकार्ड सुनाये जाते थे। पहिले एक ब्राडकास्ट होता था फिर दो होने लगे। किसी प्रकार पुलिस को इसका पता लग गया और मैं गिरफ्तार कर ली गई। मुझे पहिले ही पता चल गया था और मित्रों ने मुझे ब्राडकास्ट भाषण देने को न जाने की सलाह भी दी थी लेकिन डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने जाने की सम्मति दे दी। मैं गयी और ब्राडकास्ट भी किया। मैं भाषण समाप्त करने ही वाली थी कि पुलिस आ गई और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।

जेल में मुझे डाक्टर लोहिया का पत्र मिला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि इतिहास इस बात का निर्णय करेगा कि मैंने गिरफ्तारी के दिन तुम्हें ब्राडकास्ट के लिये भेज कर उचित किया था या अनुचित ?"

··· यूनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया—६ अप्रैल १९४६

श्रीमती अरुणा आसफ अली की वीरता तो अलौकिक ही है। श्रीमती अरुणा देवी के हृदय की जलती हुई ज्वाला को देश ने अगस्त की क्रान्ति में ही देखा समझा और पहिचाना। नेताओं के बन्दी होने के उपरान्त ६ अगस्त को चौपाटी के मैदान में बम्बई की जनता की सभा का नेतृत्व करने के लिये पहिले देश की पूज्य स्वर्गीया माता कस्तूरबा बुलाई गई थीं; पर वे गिरफ्तार कर ली गईं। इसके बाद श्रीमती अरुणा देवी ने ही उस महान सभा का नेतृत्व किया इस सभा के समाप्त होते ही, पुलिस और गुप्तचर विभाग की अपूर्व सतर्कता के बाद भी वे लुप्त हो गईं और सरकार अन्त तक उनका पता लगाने में सफलता प्राप्त न कर सकी। कौन कह सकता है कि वे छिप कर बैठी रहीं, नहीं इस अज्ञात वास में उन्होंने देश भर का दौरा किया और कार्य कर्त्ताओं से मिल कर आन्दोलन के संगठन कार्य को बराबर आगे बढ़ाने में प्रयत्न शील रहीं। अरुणा देवी की गुप्त कार्रवाइयों से त्रस्त होकर वायसराय लार्डलिन लिथगो ने गाँधी जी को जेल में जो पत्र लिखा था[1] उसमें भी अरुणा देवी के हिंसात्मक कार्यों की ओर संकेत किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अण्डर सेक्रेटरी रिचर्ड टाटन हैम ने भी अपनी पुस्तक "Congress Responsibility For the Disturbances—1942-43 में अरुणा देवी के कार्यों का जिक्र किया है। अरुणा देवी के प्रति वायसराय के इन आक्षेपों

1—"And that even now and undergrоund Congress Organization exists, in which, among others, the wife of a member of the Congress working Committee plays a prominent part, and which is actively engaged in planning the Bomb outrages and other acts of terrorism that have disgusted the whole country"

—Lord Linlithgo's letter to Gandhiji Dated 5th February 1943.

के उत्तर में गाँधी जी ने भी उन्हें नजर बन्दी कैम्प आगाखाँ महल से मुंह तोड़ जवाब दिया था।[1] अपने अज्ञात वास की अवधि समाप्त होने पर भी अगस्त आन्दोलन की परम्परा को अरुणा देवी ने बनाये रखा और एक राजनीतिक सन्यासिनी का वेश धारण किये हुए वे क्रान्ति की भावना को बुझने न देने के लिये आज ही प्रयत्न शील है। उन पर केवल देश की आजादी की धुन सवार है। वे न जेलखाने से भय खाती हैं न उन्हें किसी प्रकार का रंच भी भय है। नौ सैनिकों के विद्रोह के अवसर पर बम्बई में दफा १४४ लगे रहने पर भी वे प्रत्यक्ष रूप में निधड़क सभाओं में भाषण देती रहीं।

अगस्त आन्दोलन में भारतीय स्त्रियों को अनगिनत कष्ट सहने पड़े। आष्टी, चिमूर, बलिया तथा दूसरे कई स्थानों पर भारतीय महिलाओं के साथ सरकारी अमानवों ने पशुओं जैसे अत्याचार किये, क्या उन्हें देश वासी कभी भूल सकते हैं? सभी प्रकार की विपत्तियों के झेलने के बाद भी भारतीय वीरांगनाओं ने अगस्त आन्दोलन में जिस साहस के साथ वीरता का परिचय दिया है, उसे पढ़कर भारत तो क्या विश्व की महिलाएँ भी गर्व से मस्तक ऊँचा कर सकती हैं।

असफलता के बीज

सन् १९४२ की महान क्रान्ति एक बड़ी समुद्री लहर की भाँति आई थी और चली गई। किन्तु अपने पीछे, इतिहास के पृष्ठों पर एक जबरदस्त चिन्ह अवश्य ही छोड़ गई। यह क्रान्ति अब इतिहास की एक वस्तु बन गई है।

1.—"If the wife of a member of the working Committee is actively engaged in "planning the bomb out rages and other acts of terrorism" she should be tried before a court of law and punished if found guilty. The lady you refer to could only have done the things attributed to her after the wholesale arrest of 9th August last which I have dared to describe as bonine violence."

Gandhiji's reply

The 7th Feb. 1943 to the Viceroy's letter Dated 5th Feb. 1943.

१९४२ के अगस्त विद्रोह की कुशल सेनानी
श्रीमती अरुणा

भारतीय ज़ोन आफ़ आर्क

यह माना कि वह भूतकाल के इतने नजदीक की चीज़ है कि बहुतों को तो उसकी याद अभी ताज़ी हो है। क्रान्ति की आत्मा अभी सजीव है जाग्रत है फिर भी वह अब इतिहास के दायरे में जा चुकी है और अब उसका मूल्यांकन ऐतिहासिक दृष्टि से ही होगा। ऊपर लिखा जा चुका है कि इस महान क्रान्ति का उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता को हटाकर स्वतंत्र भारतीय राज्य सत्ता स्थापित करने का था, और इसमें वह असफल रही। इस असफलता का असर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर अलग अलग पड़ा है। कुछ लोगों की दृष्टि में क्रान्ति का यह मार्ग ही गलत था, कुछ लोगों को उसके समय का चुनाव गलत जान पड़ा। कुछ लोगों की दृष्टि में तैयारियों की कमी बुरी तरह खटकती रही और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि हम हज़ार कोशिश करने पर भी अँग्रेज़ी हुकूमत से कभी भी पार नहीं पा सकते। हम यहाँ इन्हीं मतभेदों का विवेचना करना चाहते हैं।

भारतवर्ष प्रायः दो सौ वर्षों से अँग्रेज़ों का गुलाम है। इस गुलामी का प्रभाव महज हमारे शरीर और आर्थिक साधनों पर ही नहीं, बल्कि ६० वर्ष पूर्व तो वह हमारे नैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर भी व्याप्त था। ६० वर्ष पूर्व प्रायः समस्त एशिया वासियों ने मन ही मन यह मान लिया था कि पश्चिमी गोलार्ध के राष्ट्रों की संगीन व्यवस्था की निपुणता के सामने हम बिलकुल ही निर्बल हैं और उन राष्ट्रों के मुकाबले में हम कभी जीत नहीं सकते। इस तरह पश्चिमीय राष्ट्रों की सैनिक शक्ति का सिक्का हमारे दिलों पर बैठ जाने से समस्त एशिया में विदेशी शासकों के विरुद्ध कोई भारी विप्लव नहीं हो सकता था। यह माना कि बीच में ऐसे भी प्रसंग आये हैं जब हमारी इन भावनाओं को ठेस भी लगी है फिर भी इससे तो कोई भी भारतीय इन्कार नहीं कर सकता कि भारतवर्ष में इतनी थोड़ी सी गोरी फौज, इतने विशाल देश की ४० करोड़ जनता पर सत्ता जमाये बैठी है। १८५७ के गदर के बाद से आज तक लगातार अँग्रेज़ों की सैनिक अवस्था भारतवर्ष में बहुत ही दृढ़ रही है। पिछले महायुद्ध में भी अँग्रेज़ों की सैनिक प्रधानता को कोई खतरा नहीं उठाना पड़ा था। लेकिन सन् १९४२ में भारतवर्ष और अँग्रेज़ों के सम्बन्ध के इतिहास में, बल्कि इससे भी आगे

तेइस

ब्रिटेन और एशिया के सम्बन्धों के इतिहास में पहली बार यह अवसर आया जब अँग्रेज़ी सैनिक शक्ति की प्रधानता को लोगों ने शक नज़र से देखा। देखा ही नहीं बल्कि उस पर से उनका विश्वास भी उठ गया। वास्तव में उनको सैनिक शक्ति की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आने लगीं। उस समय हिटलर अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर था और रूस को बहुत कुछ पराजित कर स्टेलिनग्रेड को घूर घूर कर देख रहा था। रोमेल ने सिकन्दरिया तक अँग्रेज़ों को खदेड़ दिया था। जापान अँग्रेज़ी फौजों को तहस-नहस करता हुआ आसाम की सीमा तक पहुँच गया था। अँग्रेजी सत्ता की इमारत की नींव डगमगा रही थी। साधारण लोगों में यह विश्वास जम गया था कि अब अँग्रेज भागे। इस समय भारतवर्ष के निवासियों ने जाना कि जो शेर उनकी गर्दनों को दबाये बैठा हुआ था वह अब मरणासन्न है। जो अँग्रेज़ी फौजें थोड़ी बहुत भारत में रह गयी थीं वे भी ईरान या मिश्र में बचाव के लिये भेजी जाने की संभावना, लोगों में थी।

लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य ही था कि सारी बाजी ही उलट गयी। इसमें किसी का दोष नहीं, हमारे समय का ही दोष था कि समस्त बाहरी परिस्थितियाँ नाटक के दृश्यों की तरह एकाएक बदल गयीं। थोड़े ही समय में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ऐसी बिगड़ीं कि हिटलर को एकाएक स्टेलिनग्रेड से पीछे हटना पड़ा, इधर रोमेल को भी पीछे हटना पड़ा। जापान भी पीछे हटने लगा। और उसी समय देश में एकाएक विद्रोह की आग भड़क उठी। अँग्रेज़ सतर्क हो गये। जो सेना वे ईरान और मिश्र में भेजने वाले थे, वह यहीं रोक ली गई और भारतवासियों के दमन के लिये काम में लाई गई। इस असाधारण अवस्था में साधारण जनता की क्रान्तिकारी भावना बहुत ही उत्तेजित हो उठी थी। जनता मर मिटने को तैयार हो गई थी। जनता ने असाधारण शक्ति का परिचय दिया—अनोखी युद्ध कुशलता प्रदर्शित की। साधारण देहाती नवयुवकों में वह जोश और उत्साह पैदा हो गया था कि वे "करो या मरो" के सजीव प्रतीक हो गये थे। उन्होंने कई जगह जमकर मोर्चे लिये। उस समय देश में

अपार जोश था। पर समय के साथ साथ हमारा जोश कम पड़ा और हमारी लड़ाई भी शिथिल होती गई।

इस महान क्रान्ति की असफलता का मुख्य कारण है—संगठन की कमजोरियाँ। श्री जयप्रकाश नारायण ने अक्टूबर १९४२ में हजारी बाग जेल से निकल भागने के बाद 'स्वतंत्रता के सैनिकों के नाम" से एक पत्र लिखा था। इस पत्र का मूल्य राज नीति के साहित्य में विशेष है। उस पत्र मे उन्होंने क्रान्ति की असफलता की विवेचना करते हुए दो मुख्य कारण दिये थे। पहिला यह कि इतने बड़े आन्दोलन को जिसका इतना बड़ा विस्तृत एवं व्यापक स्वरूप था ठीक तौर से संचालित करने के लिये अनुशासित संगठन न था। दूसरा कारण यह बताया कि इस आन्दोलन का क्या स्वरूप होगा और हर एक व्यक्ति के सिपुर्द क्या काम होगा इसकी रूप रेखा तक नहीं बन पाई थी। हम स्वयं इस पूरे पत्र को यहाँ उद्धृत करते परस्थाना भाव के कारण विवश हैं। इन बातों से यह स्पष्ट ही है कि भारतीयों ने बड़े पैमाने पर खुला विद्रोह तो कर दिया पर उसके पूर्व उसकी व्यवस्था के बारे में लेश मात्र भी सोचा नहीं था। अभी तक हमारे किसी चोटी के नेता द्वारा ही आन्दोलन सचालित होते रहे और उनमें सक्रिय भाग लेने वालों की संख्या भी सीमित ही रही। उन आन्दोलनों के प्रधानतः उद्देश्य भी किसी कानून को तोड़कर जेल जाने तक ही सीमित रहे। किन्तु इस क्रान्ति मे आन्दोलन का वह रूप नहीं था। आन्दोलन ने इस बार जो रूप धारण किया उसकी कल्पना न तो सूत्र धार को ही थी न क्रान्ति में भाग लेने वालों को ही। भावी संघर्ष और उसके कार्य क्रम की अव्यवस्था हमारी गैर जिम्मेदारी की प्रवृत्ति का पूर्ण परिचय दे रही है। जब मनुष्य को अपना लक्ष्य हा न मालूम हो तो वह अपने सफ़र की तीव्रता आदि के विषय में भी अनभिज्ञ ही रहेगा। जब संचालकों और महारथियों के दिमाग ही क्रान्ति के विषय में अस्पष्ट थे तो क्रान्ति के विषय में अस्पष्ट थे तो क्रान्ति का असफल होना अनिवार्य ही था। इसके अलावा हमारी अनभिज्ञता से एक आश्चर्यजनक बात और भी घटी। जब हमारे विद्रोह का कदम बहुत ही आगे बढ़ चुका था और हम हर जगह जीत रहे थे तब

अपनी जीत से चकित हमारे ही कई भारतीय यह सोचने लगे कि यह क्या होगया ? हमने तो इतने जबरदस्त परिणामों की कल्पना तक न की थी ? यह जो कुछ हो रहा है उचित है या अनुचित ? लक्ष्य की अस्पष्टता और अनुशासन हीनता से ही क्रान्ति की तीव्रता में कभी नहीं पैदा हुई वरन् इसके और कारण हैं। ६ अगस्त को जब सभी चोटी के नेता गिरफ्तार कर लिये गये तो बचे हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने बम्बई में एक सभा बुलाई और उसमें एक समिति कायम की गई। इस समिति द्वारा एक प्रोग्राम बनाया गया। इस प्रोग्राम के अनुसार हर प्रान्त में कांग्रेसी के प्रतिनिधि रूप में भेजा गया। इन लोगों ने प्रान्तों में पहुँचकर बम्बई की घटनाएँ सुनाईं। पूर्व निश्चित कार्य क्रम के अभाव में इन प्रतिनिधियों ने बम्बई अधिवेशन में दिये गये गाँधी जी व चोटी के नेताओं के भाषणों पर से भावी विद्रोह की रूप रेखा बनाकर अपने अपने प्रान्तों में क्रान्ति की आग प्रज्वलित की। जब आन्दोलन हर प्रान्त में भड़क उठा तब तब बम्बई में बनी हुई समिति (काउन्सिल ऑफ एक्शन) का रूप केन्द्रीय संचालक मण्डल (सेन्ट्रल डायरेक्टोरेट) का हो गया। श्रीमती सुचिता कृपलानी (धर्म पत्नी श्री कृपलानी) तत्कालीन महा मंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस महा समिति—ने एक तरह से अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति का दफ्तर ही चलाना आरम्भ कर दिया और उसकी वह स्वयं जनरल सेक्रेटरी थीं। "केन्द्रीय संचालक मण्डल" में श्रीमती कृपलानी, डाक्टर राममनोहर लोहिया, श्री अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा देवी, श्रीआनन्द प्रसाद चौधरी आदि कई नेता थे। बाद में जेल से निकल भागने के बाद श्रीजय प्रकाश नारायण भी उसके सदस्य हो गये। थोड़े दिनों तक तो यह संचालक मण्डल चलता रहा किन्तु कई मसलों पर एक मत न होने तथा संघर्ष के साधनों के विषय में भिन्न मत होने के कारण केन्द्रीय संचालक मण्डल टूट गया। इसके बाद पुराने सदस्यों के मण्डल का नाम तो केन्द्रीय संचालक मण्डल ही रहा और दूसरे मण्डल का नाम सत्याग्रह काउन्सिल होगया। इस प्रकार एक ही कार्य के लिये दो मण्डलों के निर्माण ने क्रान्ति में प्रगति पैदा नहीं की, बल्कि मतभेदों के कारण उसकी प्रगति बिलकुल

भी टप हो गई। आपस में दोनों दलों के सदस्यों में मन मुटाव भी बहुत बढ़ गया।

दूसरा कारण है आन्तरिक ढीलापन। इस क्रान्ति में १८५७ के विद्रोह की तरह ही कुछ जिलों, गाँवों तथा व्यक्तियों ने भाग लिया। इसका परिणाम भी स्पष्ट ही था कि क्रान्ति की शक्ति तो बिखरी रही और अँग्रेजों को क्रान्ति के दबाने के लिये काफी अवसर मिल गया। सारे देश की क्रान्ति को अँग्रेज कभी भी दबा न सकते किन्तु छुटपुट आन्दोलनों को दबाने में उन्हें उतनी मेहनत व शक्ति नहीं इस्तेमाल करनी पड़ी। इसके अलावा देश के सभी वर्गों ने इसमें पूरा भाग नहीं लिया छात्रों, किसानों व महिलाओं ने तो इसमें अपने जीवन तक की बलि दे दी। पर मजदूर वर्ग अपने भाग दर्शकों के फेर में पड़ कर प्रायः उदासीन ही रहा। इन कारणों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण गद्दारी हमारे देश के पूँजीपतियों ने भी जब सम्पूर्ण देश में विद्रोह की लपटें उठ रही थीं, समाचार पत्रों ने अपना प्रकाशन रोक दिया था, उस समय इन कारखाने दार पूँजीपतियों ने गुप्त रूप से विदेशी हुकूमत को दिल खोल कर सहायता की। इन पूँजीपतियों ने अपने लाभ के लिये सरकारी लम्बे लम्बे ठेकों को पाने के लिये नौकरशाही की खुशामदें कीं। जब महात्मा गाँधी १९४३ की फरवरी में अनशन कर रहे थे—उनकी जान आगाखाँ महल की नजर बन्दी में खतरे में झूल रही थी और सारा देश इन सनसनी पूर्ण समाचारों से अवाक होकर क्षोभ के कारण अत्यन्त ही त्रस्त हो रहा था उस समय इन पूँजीपतियों ने जो शान्ति काल में कांग्रेसी बने रहते हैं और गाँधी जी के आगे पीछे लगे रहते हैं—करवट तक न ली। इन लोगों ने एक दिन को भी अपने कारखाने बन्द नहीं किये बल्कि सच तो यह है कि विद्रोहियों की सहायता से भी अपना मुँह मोड़ लिया। यदि इन लोगों ने एक हफ्ता तो क्या दो दिन को भी काम बन्द कर दिया होता तो सरकार निश्चय पूर्वक गाँधी जी को मुक्त करने के लिये बाध्य हो जाती।

तीसरा कारण है विद्रोहियों में कुशलता का अभाव। यह स्पष्ट है कि यह हमारी स्वयं की ही कमजोरी थी। भारतीयों को क्रान्ति तो व्यापक करनी थी—ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के तो इरादे थे परन्तु इसके लिये उनके

पास तैयारी था नाम भी नहीं था। उसके पूर्व ही हमें जिस कार्य कुशलता का परिचय देना चाहिये था उसका हमने लेशमात्र भी परिचय नहीं दिया। हमारी इस कमजोरी से देशवासी कभी भी इन्कार नहीं कर सकते। हम यहां बड़े और महत्व पूर्ण कार्यों का तो दिग्दर्शन कराना ही नहीं चाहते पर साधारण सी बात से ही पता चल जावेगा। उन दिनों कई समाचार पत्र लोगों ने स्वयं बन्द कर दिये थे, कुछ सरकार ने भी बन्द कर दिये। हमारे समाचारों के भेजने, संदेश पहुँचाने आदि के कार्य रुक गये। भारतीयों ने उस समय इतनी भी कुशलता का परिचय नहीं दिया कि इस कार्य की पूर्ति किस प्रकार की जाय। हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपना गला काट कर सामने रखने को तैयार हैं, पर ऐसे पोलिटिकल भारतवासियों के पास नहीं हैं जो एक गाँव को खबर फौरन दूसरे गाँव पहुँचा दें। कहने का सारांश यह कि उस समय भारतीयों ने अपनी कार्य कुशलता का रत्ती भर भी परिचय नहीं दिया। हमें यह कहने में अफसोस नहीं है कि ट्रेनिंग और अभ्यास के महत्व को हम बहुत ही नगण्य कार्य समझते हैं।

क्रान्ति से शिक्षा

अगस्त १९४२ की महान क्रान्ति अपनी पूरी ताकत से आई थी और चली भी गई। लेकिन वह अपने पीछे कुछ ऐसी बातें छोड़ गया है जिनसे भारतीयों को बहुत कुछ सीखना है। अगस्त की क्राति एक समुद्र की लहर नहीं थी जो जोरों से आई और सम्पूर्ण देश को अपने में बहाकर ले गई। यह भी कहना अन्याय है कि वह क्रान्ति समस्त भारतीय जनता का एक मात्र पागल पन था। १८५७ और १९४२ की क्रान्तियों में कई बातों की समानता थी किन्तु कुछ बातें ऐसी अवश्य थीं जिनसे दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है। १८५७ व १९४२ की दोनों क्रान्तियों की सामाजिक रचना व सामाजिक आधार एवं जनता के समर्थन आदि में इतना अन्तर है कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि १८५७ की क्रान्ति १९४२ की क्रान्ति की भूमिका थी। या १९४२ की क्रान्ति १८५७ की क्रान्ति का पूरिका थी। दोनों क्रान्तियों का उद्देश्य अवश्य ही एक था लेकिन दोनों का सामाजिक आधार, दृष्टि कोण तथा साधन एक दम विपरीत थे। १८५७ के विद्रोहियों

की वीरता, त्याग तथा देश भक्ति किसी प्रकार भी कम नहीं मानी जा सकती लेकिन १८५७ की क्रान्ति के सामाजिक आधार से ही उसका रूप स्पष्ट व्यक्त हो जायेगा। १८५७ की क्रान्ति के संचालक सैनिक और सेना थी। उस क्रान्ति में जनता प्रायः अलग ही रही। कहा जा सकता है कि जनता की सहानुभूति उससे थी। उस क्रान्ति का विस्तार भी बिलकुल ही सीमित था। उत्तर भारत के कुछ जिलों तक ही वह सीमित रही। इसके सिवाय पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में उसकी आँच बिलकुल भी नहीं पहुँची। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि गुलामी की जंजीरों से भारत अवश्य ही मुक्त होना चाहता था किन्तु उसका यह प्रयास बहुत ही सीमित था। समस्त भारत की साधारण जनता तक उसकी हवा तक नहीं फैल पायी थी। इसका भी कारण है कि १८५७ के भारत में सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से यही संभव भी था। १८५७ के बाद से भारत के राजनीतिक जीवन में भी घोर परिवर्तन हुए।

१९४२ की क्रांति की विशेषता यही है कि वह जनता की क्रांति थी। जनता ने विद्रोह का झण्डा खड़ा किया और स्वतंत्र होने के लिये तड़प उठी। साधारण नागरिक, किसान, छात्र, महिलाएँ सभी ने विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया। १९४२ का आन्दोलन केवल सैनिकों और सेनाओं का आन्दोलन नहीं था। बल्कि जन साधारण का विद्रोह था। और जन साधारण का आंदोलन ही सफल हो सकता है। जनता के विद्रोह से ही देश आजाद होता है। किसी समुदाय, वर्ग या व्यक्ति विशेष का प्रयास देश को आजादी नहीं दिला सकता। अगस्त की क्रान्ति के असफल होने का भी यही कारण है कि देश जन साधारण को विद्रोह के लिये सम्यक् रूप से अनुप्राणित नहीं कर सका। अगस्त की क्रान्ति में पूर्ण देश के किसान, मजदूर तथा नंगे भूखे सम्मिलित नहीं थे। यह ठीक है कि देश के लाखों व्यक्तियों ने आंदोलन में भाग लिया लेकिन अन्त तक पूरे लोगों ने साथ नहीं दिया। क्रांति के नियमों के विषय में पहिले ही लिखा जा चुका है कि यह क्षणिक आवेश नहीं है बल्कि क्रांति धीरे धीरे सुलग कर सम्पूर्ण देश में व्याप्त होती है। अतः जब तक पहिले सम्पूर्ण देश को उसके लिये

तैयार नहीं किया जाय वह अन्त तक उसी रूप में कायम नहीं और न सफल ही हो सकती।

इसके लिये कांग्रेस को सबसे पहिले जन साधारण में ! चाहिये था, उनमें वक्त पर पूरा सहयोग देने की भावना जाग्रत जन साधारण के अन्दर यह विश्वास बैठाना चाहिये था कि राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतन्त्रता दे सकती है। जनता में पैदा कराना चाहिये था कि कांग्रेस उनकी है और वे कांग्रेस हैं। जनता को यह मालूम होना चाहिये था कि कांग्रेस पूँ दोस्त नहीं है बल्कि मजदूर और किसानों की दोस्त है। क बनाने के लिये सब को खुश रखने की नीति, समझौते के तत्परता आदि बिलकुल निरर्थक नीति है। ऐसी नीति से महान त्याग बेकार ही हो जाता है जो १६४२ में हँसते हँ भूल गये या जो अभी भी जेलों की हवा खा रहे हैं। या जि सर्वनाश होगया।

अगस्त की क्रान्ति में कांग्रेस अपने जीवन भर में पहिली लेकर सामने आई कि किसानों और मजदूरों के हाथों में रहना चाहिये। इस क्रांति की यह सबसे बड़ी विशेषता थी और घोषणा के बल पर ही हजारों किसानों ने आंदोलन में लिया और लाखों मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित कर लि हो इस क्रांति द्वारा कांग्रेस ने भारत की सामाजिक क्रान्ति बीजारोपण कर दिया।

इसके सिवाय कांग्रेस ने यह भी महसूस किया कि अन्तर में उसे अवश्य ही महत्वपूर्ण भाग लेना चाहिये। इस का दृष्टिकोण एकांगी ही नहीं रहा बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय थ कांग्रेस को अपने देश की स्वतन्त्रता के साथ बर्मा, मला तथा अन्य एशियाई राष्ट्रों की स्वतंत्रता भी प्रिय थी। ग्रेस राष्ट्रीयता की इमारत से हट कर अन्तर्राष्ट्रीयता के गई।

अगस्त क्रान्ति ने हमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी है—आगे बढ़ो! लोकतन्त्र एवं समाजवादी शक्तियाँ तेजी से विजय के पथ पर अग्रसर हैं। फासिस्ट वाद और नात्सीवाद दुनिया से मिट चुके हैं। साम्राज्यवाद भी अपनी आखरी साँसें ले रहा है। विश्व की तमाम शक्तियों का केवल एक ही नारा है—आगे बढ़ो! यही अगस्त की क्रान्ति की सर्वोपरि शिक्षा है।

९ अक्टूबर १९४६]

दीना नाथ व्यास
काव्यालंकार.

इकतिस

कांग्रेस कार्य समिति में अन्तिम भाषण

अगस्त १९४२ को ७ तारीख को काँग्रेस की कार्य समिति ने बम्बई में प्रस्ताव पास किया—

" ...इसलिये कार्य समिति निश्चयात्मक रूप से भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये वृहद रूप से अहिंसात्मक प्रणाली पर सामूहिक संग्राम छेड़ने की स्वीकृति देती है। इससे यह होगा कि देश ने पिछले बीस वर्षों में जो अहिंसात्मक एवं शान्ति पूर्ण संग्राम द्वारा शक्ति का सम्पादन किया है, उसका सदुपयोग हो सकेगा। और ऐसा संग्राम बिना किसी हिचकिचाहट के गाँधी जी के नेतृत्व में ही होगा। इसलिये कार्य समिति गाँधी से प्रार्थना करती है कि वे राष्ट्र का नेतृत्व संभाले और जो कदम वे उठाना चाहते हैं उसमें हमारा पथ प्रदर्शन करें।"

इस प्रकार गाँधी जी उस परम ऐतिहासिक संग्राम के, जिसका आगे चलकर नाम "अगस्त आन्दोलन" या "भारत की स्वतंत्रता का द्वितीय महायुद्ध" हुआ महान सेनापति नियुक्त हुए। ८ अगस्त १९४२ की रात को इस अलौकिक सेनापति ने समस्त देश के सैनिकों के समक्ष बम्बई में अपना कार्य क्रम बताते हुए, अगले प्रोग्राम पर प्रकाश डाला -

"इस आन्दोलन का नेतृत्व मैं आपके सेनापति या नियामक की हैसियत से नहीं कर रहा हूँ बल्कि देश के एक विनम्र सेवक की हैसियत से जो सबसे अच्छी तरह सेवा करता है वही उसका प्रधान सेवक बन जाता है। मैं राष्ट्र का प्रधान सेवक हूँ। मैं अपने आपको इसी दृष्टि से देखता हूँ।"

"मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ सप्ताहों में भारत और विदेशों में मेरे बहुत से मित्र मुझसे नाराज हो गये हैं। और वे न केवल मेरी बुद्धिमानी

पर बल्कि ईमानदारी पर भी सन्देह करने लगे हैं। मैं बुद्धिमानी को इतना महत्व नहीं देता जितना ईमानदारी को देता हूँ। मेरे लिये ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है।

"उनके लिये वास्तव में यह बड़ा ही कठिन कार्य है कि उन्हें एक ऐसे वायसराय का विरोध करना पड़ेगा जो उनका मित्र रहा है। इस समय एन्ड्रयूज की आत्मा मुझे प्रेरणा दे रही है। जितने अंग्रेजों को मैं जानता हूँ, उनमें एन्ड्रयूज सबसे महान आत्मा थे। एन्ड्रयूज के साथ मेरा इतनी गहरी मैत्री थी जितनी किसी भारतीय से भी नहीं रही। हमारे बीच कोई गुप्त भेद, कोई गुप्त बात नहीं थी। जो कुछ उनके हृदय में होता था वे निस्संकोच मुझसे कह दिया करते थे। यह सच है कि वे गुरुदेव के भी मित्र थे परन्तु वे गुरुदेव—रवीन्द्र नाथ टैगोर की महानता से सहम जाते थे।"

"इस पृष्ठ भूमि के साथ मैं दुनिया के सामने घोषित करना चाहता हूँ कि आज चाहे पाश्चात्य देशों के कुछ मित्रों का आदर भाव और विश्वास मुझ पर से उठ गया हो, चाहे मैंने उनका प्रेम व मैत्री खो भी दी हो, मैं अपने अन्तःकरण की आवाज को दबा नहीं सकता। आप उसे हृदय की वाणी कहें अथवा कुछ भी कहें परन्तु वह कुछ है जरूर, और चाहे मैं शब्दों में उसकी व्याख्या न कर सकूँ, पर मैंने उसे समझा जरूर है। यह आवाज मुझे कह रही है कि मुझे अकेले दुनिया से लड़ना पड़ेगा। वह मुझे यह भी बता रही है कि तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक कि तुम दुनिया की आँखों में आँखें मिलाये हुए हो, चाहे वह आँखें खूनी ही क्यों न हों। यही चीज़ मेरे हृदय में है। मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी पत्नी, मित्रों और सबको छोड़ना पड़ेगा। मैं अपनी जिन्दगी का पूरा दौर बिताना चाहता हूँ। परन्तु मैं नहीं समझता कि इतने दिन जिन्दा भी रहूँगा। जब मैं नहीं रहूँगा, भारत आजाद होगा और भारत ही नहीं सारी दुनिया आजाद होगी। मैं नहीं समझता कि अमेरिका आज़ाद है या इग्लैंड आजाद है। वे अपने विचार के अनुसार भले ही आजाद हों पर मेरी राय में नहीं। मैं जानता हूँ कि आजादी क्या चीज़ है? अंग्रेज शिक्षकों ने ही मुझे आजादी के अर्थ

तैयार

समझाये हैं। मैं इस शब्द के अर्थ उसी के अनुसार लगाता हूँ जो मैंने समझा है और अनुभव किया है।"

"कॉंग्रेस हमेशा से ही अहिंसा की नीति को अपना रही है। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक कांग्रेसी नेता, बिना किसी अपवाद के अहिंसा की नीति स्वीकार करता है। मैं जानता हूँ कि बहुत से नेता अहिंसा में विश्वास नहीं करते परन्तु मैं उन पर विश्वास रखता हूँ क्योंकि यही सिद्धान्त मेरे जीवन पर लागू रहा है। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक अंग्रेज और प्रत्येक मित्र राष्ट्र अपने हृदय को टटोले कि आजादी की मांग करके कॉंग्रेस क्या गुनाह कर रही है? क्या यह करना बुरा है? क्या इस संस्था पर अविश्वास करना उचित है? मैं आशा करता हूँ कि अंग्रेज ऐसा नहीं सोचते। मैं आशा करता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र के प्रेसीडेन्ट और जापान के साथ अपने अस्तित्व के लिये युद्ध करने वाले जनरल चाँगकाई शेक भी ऐसा नहीं सोचते।"

"जवाहरलाल नेहरू को एक साथी स्वीकार करने के बाद मुझे आशा है कि वह ऐसा नहीं करेंगे। मैं श्रीमती चांगकाई शेक से प्रेम करने लगा था। वह मेरे दुभाषिये का काम कर रही थीं और मुझे उन पर अविश्वास नहीं है अभी तक मैडम चियांग ने यह नहीं कहा कि हमने अपनी आजादी की मांग करके कोई गलती की है। अंग्रेज़ों की उस कूटनीतिज्ञता के लिये मेरे हृदय में प्रशंसा के भाव हैं जिनके द्वारा उन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा है। परन्तु अब उस कूटनीति को दूसरों ने भी सीख लिया है और वे उस पर अमल कर रहे हैं।"

"यदि सारे मित्र राष्ट्र मेरा विरोध भी करें, अथवा यदि सारा भारत भी मुझे यह समझाने की कोशिश करे कि मैं गलती पर हूँ - मैं आगे बढ़ता रहूँगा न केवल भारत के लिये बल्कि सारी दुनिया के [illegible]ये। ब्रिटेन ने भारत को अनेकों बार अपमानित किया है परन्तु इसके बावजूद हम बगल में छुरी नहीं भोंकेंगे। हम बहुत अधिक शराफत दिखला रहे हैं। अब भी हम कोई नीच काम नहीं करेंगे सरकार को परेशान करने का उनकी पिछली नीति और प्रस्तुत नीति, उनकी पिछली माग और प्रस्तुत मांग में कोई अन्तर नहीं है।"

"इस समय अँग्रेजों व मित्र राष्ट्रों के सामने उनकी जिन्दगी का सबसे बड़ा सवाल है पर इसके साथ ही यह सबसे बड़ा अवसर है जबकि वे भारत को आजाद करके अपने इरादों का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं। उनके सामने इस समय ऐसा अवसर है कि जो जीवन में दूसरी बार नहीं आता। इतिहास यह कहेगा कि उन्होंने अवसर आने पर भारत के प्रति ऋण चुकाने का प्रयत्न नहीं किया। मैं इस समय सारे संसार के आशीर्वाद की इच्छा करता हूँ और मित्र राष्ट्रों से सहयोग की माँग करता हूँ। उनके प्रति मैं इससे अधिक और क्या कहूँ? मैंने तानाशाहों और प्रजातंत्रों को बावजूद उनकी निर्बलताओं के सदैव ही अलग अलग समझा है और फासिज्म तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बीच भी अन्तर स्वीकार किया है।"

Gandhiji's Speech in English Date 8/8/42

इसके बाद ही उपस्थित जनता को सम्बोधन करके महान सेनापति गांधी ने कहा—"प्रस्ताव पास करने के लिये मैं आपको बधाई देता हूँ। जिन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया उनको भी उनके विश्वास और साहस के लिये बधाई। प्रस्ताव का विरोध करने में शर्म की कोई बात नहीं थी। हमने १६२० से ही यह सबक सीख रखा है। यदि हम सचाई पर दृढ़ रहें तो अल्पमत में रहने पर भी श्रेष्ठ कहलायेंगे। मैंने यह सब बहुत दिन हुए सीखा था मैंने अब विरोधी सदस्यों से एक और सबक सीखा है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि उन्होंने इसमें मेरा अनुकरण किया है। मैं यह कहना चाहूँगा कि विरोधियों की ओर से जो प्रस्ताव रखे गये वह ठीक नहीं थे। प्रत्येक में कोई न कोई खामी थी। दुनिया में कोई चीज़ भी पूर्ण नहीं है। मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू ने आपको प्रस्ताव की विशेषताएँ समझा दी हैं। एक समय था जब प्रत्येक मुसलमान भारत को अपनी मातृ-भूमि समझता था। अलीबन्धु ऐसा ही समझते थे। मैं यह विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ कि उनका ऐसा कहना मिथ्या अथवा धोखे बाजी था। मैं अपने सहयोगियों पर अविश्वास करने के बजाय अपने को अज्ञात रखना बेहतर समझता हूँ। हजारों हिन्दुओं और मुसलमानों ने मुझसे कहा है कि यदि साम्प्रदायिक एकता स्थापित हो सकती है तो यह मेरे ही जीवन काल

में। बचपन से ही हिन्दू और मुस्लिम एकता में मेरा प्रेम और विश्वास रहा है। स्कूल के दिनों में ही मेरा भारत की एकता में विश्वास रहा है। जब मैं अफ्रीका गया तो मैंने एक मुसलमान मुवक्किल के लिये पैरवी की। मैंने वहाँ मुसलमानों के लिये कार्य किया। मैं उन पर कभी अविश्वास नहीं करता। अफ्रीका से मैं निराश या विजित होकर नहीं लौटा। मैं उस निन्दा की परवाह नहीं करता जो कुछ मुसलमान मित्र मुझ पर थोप रहे हैं। मैं नहीं मानता कि मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो वे मुझसे नाराज हैं। निस्संदेह मैं गाय की पूजा करता हूँ। मेरा विश्वास है कि हर एक प्राणी ईश्वर की सृष्टि है। मेरे मुसलमान मित्र विशेषकर मौलाना बारी और मौलाना आजाद इसका समर्थन कर सकते हैं। मैं मुसलमानों के साथ खाना खाता हूँ। मैं बिना जाति धर्म का ख्याल किये सबके साथ खाना खाता हूँ।"

"मैं अपने दिल में घृणा रखने से अधिक घृणित और कुछ नहीं समझता। लखनऊ के स्वर्गीय मौलाना बारी मेरे में अमान थे। वह एक पूरे सज्जन थे। वह समय था जबकि आपसी अविश्वास और सन्देह नहीं था। ओजिला गृहाल में कांग्रेसी रह चुके हैं। इस समय वे गलत रास्ते पर हैं। मैं उनके लिये लम्बी आयु की प्रार्थना करता हूँ और चाहता हूँ कि वह मुझसे अधिक जीवित रहें। एक दिन आयेगा जब वे समझेंगे कि मैंने उनका या मुसलमानों का कभी अहित नहीं किया। मैं मुसलमानों की ईमानदारी में पूरा यकीन करता हूँ। मैं भी उनका बुरा नहीं चाहूँगा चाहे वे मुझे मार ही क्यों न डालें। वे मेरे बारे में कुछ भी ख्याल कर सकते हैं परन्तु मैं आज भी वही हूँ जो पहिले था। आज तर्क का नशा गरमी में मुसलमान मेरी निन्दा कर सकते हैं पर इस्लाम निन्दा करना नहीं सिखाता। यदि मुसलमान पैगम्बर के सच्चे अनुयायी हैं तो उन्हें पैगम्बर की आज्ञा का सच्चा पालन करना चाहिये। निन्दा मुझ पर गोलियों से भी तेज वार करती है फिर भी मैं उसका स्वागत करने को तैयार हूँ।"

"कोई भी आदमी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पाकिस्तान की योजना केवल जिन्ना साहब के

हत्तिम

खेद में है। वह गलतफहमी फैला रहे हैं। वह सचाई को छिपाकर नहीं रख सकते। मैं पाकिस्तान के औचित्य अथवा अनौचित्य के बारे में बहस करना नहीं चाहता। मैं श्री जिन्ना को उनके वक्तव्य के लिये बधाई देता हूँ। अरब में अकेले पैगम्बर ने इस्लाम का प्रचार किया था। शुरू में उनके कोई अनुयायी नहीं थे। कांग्रेस भी किसी गलत सिद्धान्त का समर्थन नहीं कर सकती। श्री जिन्ना मुसलमानों के नेता होने का दावा कर सकते हैं। यदि इसी से जिन्ना साहब को सन्तोष हो जाता है तो मुझे और कुछ भी नहीं कहना है। परन्तु मुझे भय है कि इसमें घमण्ड बहुत अधिक है और वही उन्हें नष्ट कर देगा। अनेकों मुसलमानों ने मुझसे कहा है कि पाकिस्तान देश के लिये बड़ा हानिकारक है। मैं स्वयं समझता हूँ कि पाकिस्तान देश के लिये हानिकारक है। परन्तु यदि सारे देश के मुसलमान पाकिस्तान लेना चाहें तो उन्हें कौन रोक सकता है? हिन्दू मुसलमानों पर अनुचित दबाव नहीं डाल सकते।"

"विश्वव्यापी संघ आपसी समझौते से ही स्थापित हो सकता है। मैं मुसलमान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि वे विकार रहित भाव से उचित और अनुचित में अन्तर समझने का प्रयत्न करें। इस मामले को एक पंचायत के सिपुर्द कर दिया जाय और पञ्चायत का निर्णय हम सबको स्वीकार हो। यदि मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती तो वह दूसरों पर अपनी योजना को जबरदस्ती कैसे लाद सकती है? उन्हें पहिले सारे देश को पाकिस्तान का समर्थक बनाना चाहिये। यदि वे लोगों की राय बदलने में असफल रहते हैं तो जबरदस्ती पाकिस्तान लादने से गृह कलह फैलेगा। मैं ऐसी दुखद घटना को देखने के लिये जीवित नहीं रहना चाहता हिन्दू मुस्लिम एकता मुझे प्रिय है। हम सबको भारत की आजादी प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। श्री जिन्ना, कांग्रेस प्रोग्राम में विश्वास नहीं रखते। मैं श्री जिन्ना की राय बदलने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं बहुत ही अधीर हो चुका हूँ। देश के लिये आजादी प्राप्त करना कहीं अधिक जरूरी है। मैं मौलाना आजाद के इस कथन से सर्वथा सहमत हूँ कि अंग्रेज शासन सत्ता किसी भी जाति को सौंप दे। यदि मुसलमानों को

सैनिक

शासन सत्ता सौंप दी गई तो मुझे दुख नहीं होगा। भारत मुसलमानों का भी देश है।"

"मैंने प्रण किया है कि कांग्रेस या तो आजादी लेकर रहेगी या मर मिटेगी।"

"आज से प्रत्येक भारतीय अपने को स्वतंत्र समझे। और उसके सिपुर्द जो कार्य हो उसको ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिये तैयार हो जावे। इस समय महज जेल में जाकर बैठ जाने से ही काम नहीं चलेगा। अब की बार कोई सौदा नहीं किया जा रहा है। इसमें दफ्तरों में कार्य करते रहने की गुञ्जाइश नहीं है। न इस बार स्वतन्त्रता की मांग पर कोई समझौता हो सकेगा। हमें सबसे पहिले स्वतंत्रता चाहिये, इसके बाद और कुछ होगा। कायर मत बनो, क्योंकि कायरों के लिये विश्व में कोई स्थान ही नहीं। आजादी ही इस समय से तुम्हारा मंत्र है और इसी समय से उसका जप आरम्भ कर दो।"

"प्रेसों को अपना कर्तव्य निर्भीकता एवं स्वतंत्रता से पूरा करना चाहिये प्रेसों को भयभीत होने और सरकार के लालच में आ जाने की जरूरत नहीं। प्रेसों को सभी के प्रति निष्पक्ष राय रखनी चाहिये। मैं प्रेसों की आजादी के लिये भी लड़ रहा हूँ। सरकार के हाथ की कठपुतली बन जाने के बजाय प्रेसों को यदि बन्द भी कर दिया जाय तो फिक्र नहीं करनी चाहिये। प्रेसों के साथ हो बड़ी बड़ी रकमें आ लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कीमती मशीनरी है, पर इस महायुद्ध में प्रेसों को सब कुछ हँसते हुए बलिदान कर देना होगा। वे यदि जब्त कर लिये जायँ तो स्वतन्त्र भारत में वे फिर प्रेसों को स्वतंत्रता पूर्वक चलायेंगे। मैंने अपने "नव जीवन" पत्र को बन्द कर दिया। उसकी वजह से कई आदमी बेकार हो गये पर मुझे उसका रत्ती भर भी दुख नहीं क्योंकि मैंने ऐसा एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही किया है। यदि सरकार प्रेस को कोई कार्य सौंपे तो प्रेस अपनी स्टैंडिंग कमेटी द्वारा उसे अस्वीकार कर दें। प्रेस भूल करके भी

पूज्य बापू

"अंग्रेजो भारत छोड़ो" प्रस्ताव के जन्मदाता।

अपने स्वाभिमान को नष्ट न करें। उनको आज़ाद भारत तक शान्ति से बैठे रहना होगा।"

"राजाओं को जानना चाहिए कि मैं हृदय से उनका शुभ चिन्तक हूँ। मेरे पिता एक रियासत के दीवान थे। मैं स्वयं रियासत की उपज हूँ। मैंने नरेशों का ही नमक खाया है। मैं नमक खाकर उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। राजाओं को समय को पहिचानना चाहिये। राजाओं को अपनी प्रजा की जिम्मेदारी पहिचानना ही होगा। यदि वे अपनी जिम्मेदारी को नहीं पहिचानना चाहते तो स्वतंत्र भारत में उनके लिये कोई भी स्थान नहीं होगा। राजाओं को निरंकुशता भूल ही जाना होगा।"

"मैं राजाओं से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे भारत की आज़ादी नहीं चाहते ?"

"मैं इस बात को जोर देकर कह देना चाहता हूँ कि इस महायुद्ध में भूमिगत आन्दोलन (Underground activity)—बिलकुल ही नहीं होना चाहिये। यह एक पाप है। विद्यार्थियों और प्रोफेसरों को स्वतंत्रता की शक्ति पहिनना चाहिये। उनको काँग्रेस के पक्ष में रहना चाहिये। उनमें यह साहस होना चाहिये कि वे कह सकें कि हम काँग्रेस के पक्ष में हैं। यदि समय आ जाय तो उनमें नौकरी छोड़ देने का भी साहस होना चाहिये।" गाँधी जी का हिन्दी भाषण—ता० ८-८-४२

इस प्रकार गाँधी जी ने इस आन्दोलन को "खुला विद्रोह" बताया। और हमारी स्वाधीनता की लड़ाई के महान सेनापति का यह अन्तिम भाषण था हमने इसे ज्यों का त्यों इसी लिये उद्धृत किया है कि इसके चार घंटे बाद ही गाँधी जी तथा अन्य चोटी के नेता चुन चुन कर अचानक ही अनिश्चित काल के लिये जेलों में ठूंस दिये गये। साथ ही इस भाषण से उस समय के देश की वास्तविक परिस्थिति का भी यथार्थ ज्ञान हो जाता है। इन दृष्टियों से ये भाषण और भी महत्वपूर्ण होकर ऐतिहासिक हो गये हैं।

८ अगस्त की रात को १२ बजे "भारत छोड़ो" प्रस्ताव पास हुआ और कार्य समिति के सदस्य, जनता तथा देश विदेश के रिपोर्टर अपने

अपने मकानों व ठहरने के स्थानों पर गये। सम्वाद दाता अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रेसों में भेजकर सोये ही होंगे कि खतरे की घन्टी की आवाज़ सुनाई दो। एसोसियेटेड प्रेस के सम्वाद दाता का नई दिल्ली से समाचार आया जो वायसराय की कौंसिल में कुछ घंटों पहिले ही पास हुआ था। यह वास्तव में अशुभ प्रस्ताव था। एक सम्वाद दाता ने टेलीफोन से सरदार पटेल को सूचना दी कि "आपको सोने के बजाय अब जेल की तैयारी कर लेना चाहिये।" सरदार ने हंसकर उत्तर दिया "मगर यह तो सोचना भी कठिन है कि तैयारी इतनी शीघ्र हो जायेगी।"

इसके बाद तो टेलीफोन पर टेलीफोन खटखटाये गये पर सभी के कनेक्शन्स तोड़ दिये गये थे। उस समय मुश्किल से रात के २ बजे थे। इस प्रकार सरकार ने नेताओं की गिरफ्तारी का पहिले से ही तथा बहुत ही गुप्त एवं व्यवस्थित प्रबन्ध कर लिया था। जिस जिस जगह से भी टेलीफोन के कनेक्शन्स मिलाये गये, सभी कनेक्शन्स टूटे हुए पाये गये।

इसके साथ ही पुलिस ने बम्बई के हर स्टेशन पर कड़ा प्रबन्ध कर दिया। इन सब बातों से लोगों में सनसनी फैल गई कि शायद गांधी जी गिरफ्तार हो गये पर पता लगाने पर मालूम हुआ कि गांधी जी दो बजे सोने गये और फौरन ही जाग गये। सम्वाददाताओं ने बिड़ला हाउस में प्रात काल तड़ाके की टाइम में जांच पड़ताल करके ज्यों ही लौटने की सोची कि बिड़ला हाउस के गेट पर पुलिस की लारियां दिखाई पड़ीं। चौकीदार को दरवाजा खोलने का हुक्म हुआ पर उसने कहा कि तालियां खो गई हैं, मैं ढूँढ़ रहा हूँ। पुलिस को सब्र तो था ही नहीं, वह फाटक पर चढ़कर अन्दर कूद गई। १० मिनिट बाद तालियां मिल गई और दरवाजा खुल गया।

गांधी जी इन संकेतों को पहिले ही ताड़ गये थे। ५ बजे जब पुलिस दरवाजा फाँद कर भीतर घुसी वे बकरी के दूध और सन्तरे के रस का नाश्ता कर रहे थे। उन्हें कायदे से पुलिस ने सूचना दी। उन्होंने उसके बाद अपना प्यारा भजन "वैष्णव जन तो तेने कहिये" सुना और उसके बाद कुरान-

शरीफ

की आयतें सुनीं। प्रार्थना खत्म होते ही उन्होंने अपना बिस्तर सँभाला और उसमें गीता, कुरान, कवायद उर्दू और एक भजन की पुस्तक भी रख लीं।

इन्तजाम इतना गुप्त था कि पुलिस कानों कान खबर फैल जाने के भय से सम्वाददाताओं को भी घेरने लगी पर कुछ रिपोर्टर खिसक गये और उन्होंने प्रेसों में समाचार पहुँचा ही दिये।

इसके पूर्व ही कार्य समिति के एक सदस्य श्री शंकर राव देव गिरफ़्तार हो चुके थे। इसके बाद प्रगट हुआ कि पाँच बजे तक प्रायः पूरी कार्य समिति के सदस्य गिरफ़्तार हो चुके थे। पौने सात बजे सुबह बम्बई के तमाम दैनिकों में कार्य समिति के सदस्यों की गिरफ़्तारी के समाचार छप चुके थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जब पुलिस की लारियाँ बन्दी नेताओं को लारियों में भर कर ७ बजे सुबह विक्टोरिया टरमिनस के स्टेशन पर पहुँचीं, वहाँ "इन्कलाब जिन्दाबाद" के नारे बुलन्द हो रहे थे। लोगों ने पहिले ही पता लगा लिया था और वे अपने नेताओं का अन्तिम स्वागत करने के लिये स्टेशन पर दाखिल हो गये थे।

विक्टोरिया टरमिनस पर गांधी जी समेत सभी नेता मोटर बसों द्वारा लाये गये। मौलाना आजाद और पट्टाभि सीतारमैया ऊँचे कद के हैं। बसकी छत नीची होने से उन्हें गर्दन झुका कर बैठना पड़ा।

"इन्कलाब ज़िन्दाबाद" के गगन भेदी नारों के बीच नेताओं को बस में से उतार कर रेलगाड़ी में बैठाया गया। गांधी जी का अगला डब्बा था। अन्य नेताओं को गांधी जी के डब्बे में जाने से रोका गया। गाड़ी के स्टेशन से छूटते ही तमाम नेताओं को नाश्ता कराया गया। नाश्ते से ही पता चला कि प्रायः ३० नेता गिरफ्तार करके इसी गाड़ी से ले जाये जा रहे हैं।

नाश्ते के बाद जब सब अपने अपने डब्बे में जा रहे थे, यूसुफमेहर अली पट्टाभि से बातचीत करने के लिये उनके डब्बे में रुक गये। इतने में ही एक अंग्रेज सी० आई० डी० के इन्स्पेक्टर जनरल मि० शार्पर ने डब्बे में झाँक कर पूछा कि यदि इस डब्बे में कोई बम्बई के सज्जन हों तो वे अपने

एकतालिस

डब्बे में चले जायें। यूसुफमेहरअली ने बात खत्म करके जाने को कहा। इस पर मि० शार्पर जरा गरम होकर बोले—"अभी नाश्ते में आप साथ ही थे, इसके बाद भोजन के समय भी मुलाकात होगी ही।" इस पर यूसुफ मेहर अली ने उत्तर दिया—"जरा नम्रता से बोलिये, मैं दो मिनिट बाद ही चला जाऊँगा।" थोड़ी देर बाद ही उस आफिसर ने यूसुफमेहर अली से कहा—'दाँत बाँय ! अब चलो।" इस पर बात बढ़ गई। मि० शार्पर लम्बे तड़ङ्गे व्यक्ति हैं और यूसुफमेहर अली नाटे कद के। यूसुफमेहर अली ने गरदन ऊँची करके कहा—"तुम जानते हो मैं कौन हूँ?" अफसर ने उलट कर कहा—"तुम जानते हो मैं कौन हूं?"

मेहर अली बोले—मैं बम्बई का मेयर हूं। मि० शार्पर ने जवाब दिया—"मैं तुमको यहीं बैठा सकता हूँ।" इतना कह कर उस अँग्रज ने मेहर अली के कन्धे पर हाथ रख कर धीरे से दबा दिया और उनको बैठा दिया। इस पर तो सारे डब्बे में गरमा गरम वातावरण हो गया। अन्त में अफसर ठंडा पड़ा और उसने नम्र शब्दों में कहा कि "मैंने दाँय बाय" का प्रयोग अच्छे अर्थ में किया था। पर मेहर अली का गुस्सा फिर भी शान्त नहीं हुआ। आखिर डब्बे के अन्य नेताओं के समझाने पर वे शान्त हुए। पर मि० शार्पर ने मेहर अली से कहा था कि भोजन के समय आप फिर आपस में मिल सकेंगे, यह कथन सत्य नहीं था क्योंकि थोड़ी देर बाद ही कुछ लोग गाड़ी में से उतार लिये गये। यह सोचना नितान्त ही असत्य है कि मि० शार्पर को उनके उतारे जाने की पूर्व सूचना नहीं होगी।

गाड़ी रास्ते में चिंदवद मुकाम पर खड़ा करके गाँधी जी का दल उतार लिया गया। इसके बाद किरकी में बम्बई वाला दल उतार लिया गया। बम्बई वाले दल में से एक सज्जन ने डब्बे में से उतरने से ही इन्कार कर दिया था। इसलिये पुलिस उनको कन्धे पर लाद कर ले गयी। शेष सब पूना में उतार लिये गये। पूना में पता तथा रेडियो के द्वारा सुबह ही पता लग गया था इसलिये गाड़ी के पहुँचते ही राष्ट्रीय नारों से नेताओं का अपूर्व स्वागत किया गया। इस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। भला जवाहरलाल नेहरू यह कब बरदास्त कर सकते थे। वे अपना जगह से उठे,

पर डब्बे से बाहर जाने वाले दरवाजे एक पर भारतीय पुलिस अफसर अच ल पहाड़ की तरह खड़ा था। जवाहरलालजी ने चिल्ला कर कहा—"छिः बच्चों पर लाठी चार्ज!" और वे उसी हाथ हार में डब्बे की खिड़की पर आये और धम्म से प्लेटफार्म पर कूद गये। और ज्योंही कि वे लाठी चार्ज करने वाले पुलिस अफसर के पास पहुँचे, उन्हें मि० शार्पर ने पकड़ लिया। परिणाम यह हुआ कि इस भूमा भटकी में एक पुलिस के सिपाही को घूंसों और थप्पड़ों का नेहरू जी का आवेश पूर्ण स्वागत स्वीकार करना पड़ा।

इस परिस्थिति को देखकर शंकर राव देव एक दम डब्बे से कूदे और लपक कर नेहरू जी के पास जाने को उद्यत हुए किन्तु एक पुलिस के आदमी ने उनकी लंगोटी पकड़ कर उन्हें कन्धे पर लाद कर फिर डब्बे में रख दिया। इसके बाद इसी तरह कन्धे पर उठा कर नेहरू जी को भी डब्बे में डाला गया। इसके बाद पूना से दूसरी ट्रेन आगे बढ़ी। अन्त में गाड़ी अहमद नगर फोर्ट पर जाकर रुकी और नेता उतार कर किले में पहुँचा दिये गये। गाँधी जी को आगा खाँ पैलेस में बम्बई के नेताओं को यरवदा जेल में भेज दिया गया।

हम यहाँ मौलाना आज़ाद के उस पत्र को उद्धृत करने का लोभ नहीं संवरण कर सकते जो उन्होंने बम्बई आने पर लिखा था पर कार्य में बुरी तरह व्यस्त हो जाने के कारण उसे भेज न सके थे। वह पत्र जेल से फिर बाहर डाक द्वारा भेजा गया। इस पत्र उन चार पाँच दिनों की जानकारी के अलावा गिरफ्तारी के यथार्थ तत्वों पर भी प्रमाणिक प्रकाश पड़ता है।

पत्र

"कल सुबह तक बम्बई शहर की दूरी और फैलाव में मुझे दो चार मिनिट की फुरसत ही नहीं मिली कि मैं अपने सफर के दौरान में लिखे हुए खत को अजमल खाँ से डाक में छुड़वा सकूँ।"

"मगर आज अहमद नगर की ऊँची दीवारों से घिरी हुई इस छोटी सी दुनिया में इतना अपनापन है कि मुझे लगता है कि मैं मजमूनों के ढेर लगा दूँ।"

"नौ महीने से पहिले दिसम्बर सन् १९४१ में नैनी सेन्ट्रल जेल के दरवाजे खोल कर मुझे बाहर निकाल दिया गया था। कल ९ अगस्त १९४२ को अहमद नगर के किले के फाटकों ने फिर मुझे अन्दर कैद कर लिया। दुनिया के इस रङ्ग रूप से भरे हुए स्टेज पर न जाने कितने दरवाजे बन्द होने के लिये खुलते और न जाने कितने खुलने के लिये बन्द होते रहते हैं। यूँ ऊपरी तौर से नौ महीने का वक्त बहुत लम्बा नहीं है। सपनों की दुनिया में दो चार करवटें बदलने में ही इतना वक्त कट जाता है। मगर जब मैं खयाल करता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि तवारीख का एक पूरा जमाना गुजर गया है। कोई नहीं कह सकता कि यह कहानी जो आज शुरू हुई है, कब और कैसे खत्म होगी ?"

"५ अगस्त को जब मैं बम्बई पहुँचा तो मुझे हल्का बुखार और सिर दर्द था। फिर आते ही मुझे काम में जुट जाना पड़ा। मेरी तबीयत चाहे जितनी खराब हो मगर मैं रोजाना के कार्य क्रम में रद्दोबदल नापसन्द करता हूँ। ५ अगस्त से ७ अगस्त तक वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ७ अगस्त को दोपहर से शुरू हुई। घटनाओं की सरगर्मी कुछ ऐसी थी कि तीन दिन तक लगातार बैठकें चल सकती थीं। सच तो यह है कि लोगों का इरादा तीन दिन तक मीटिंग करने का था। मगर मैंने कोशिश की कि वह दो दिन से ज्यादा न बढ़े। ८ अगस्त को मैंने २ बजे से ११ बजे रात तक लगातार मीटिंग की और काम खत्म कर दिया।"

"थका हुआ मैं घर पहुँचा। मैंने देखा मेरे मेजवान कुछ परेशान से हैं। और मेरा इन्तजार कर रहे हैं। जनाब मेजवान साहब कुछ दिनों से बीमार थे और उन्हें कुछ दिमागी तकलीफें थीं। मैं उनसे सियासी बहस इसलिये नहीं करता था कि वे कहीं और परेशान न हो जायँ। उन्होंने वर्किंग कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया था। मगर मैंने इस्तीफे की मंजूरी अभी नहीं दी थी। साथ ही साथ उन्हें शामिल होने का न्यौता भी नहीं दिया था। उन्होंने बताया कि कुछ लोग आकर मेरा इन्तजार कर रहे थे और खबर छोड़ गये हैं कि गिरफ्तारी की खबर झूटी नहीं है। कुछ विश्वस्त

सूत्रों से पता चला कि गिरफ्तारी की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और इसी व्यान को किसी वक्त भी गिरफ्तारी हो सकती है।"

"मगर पिछले दो महीनों से गिरफ्तारियों की अफवाहें इतना फैल रही थीं कि मैं उन्हें सुनते सुनते ऊब गया था।"

"मैंने यह ठीक समझा कि उनकी परेशानी दूर कर दी जाय। इसलिये मैंने कहा—आजकल के जमाने में ऐसी अफवाहें तो फैलाना साधारण सी बात है। कैसे उन पर यकीन किया जाय? फिर अगर यही होने वाला है तो उस पर बहस ही क्यों की जाय? लाइये कुछ खाने को दीजिये, फिर कम से कम बचे हुए वक्त में आराम से सोया जाय।"

मैं ठीक चार बजे उठ गया, मगर बदन भारी था और सर में कुछ दर्द भी था। मैंने जेनस्थान की दो टिकियाएँ लीं और चाय पाली। कुछ महत्वपूर्ण खतों को लिखने के लिये मैंने कलम उठाई थी। ये खत प्रेसीडेन्ट रूजवेल्ट वगैरह को भेजे जाने वाले थे। सामने के आस्मान में अँधेरे की धुँधली रोशनी साफ नज़र आती थी। ठंडी और नरम हवा सुबह की सोंधी खुशबू बिखेर रही थी। सुबह की ताजगी ने मेरी नसों की थकावट को खींच लिया।"

"धीमे-धीमे कुछ आलस सा आने लगा। मैंने कलम रख दी और पलंग पर लेट रहा। एकाएक मालूम हुआ कि सड़क पर मोटरें आ रही हैं। मैंने देखा कि कुछ मोटर अहाते में आई और धोरू के बगले की ओर बढ़ीं। मैंने समझा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ और मैं फिर सो गया। मुश्किल से १५ मिनट बाद किसी ने मेरा पैर दबाया। मैंने देखा धीरू खड़ा है। "पुलिस कमिश्नर के साथ दो फौजी अफसर आये हैं और उन्होंने यह कागज भेजा है"—वह बोला। यही खबर काफी थी, मगर फिर भी मैं कागज पलटने लगा।"

"मैंने धीरू से कहा कि मुझे तैयार होने में डेढ़ घंटे लगेंगे; तब तक उनसे रुकने को कहो।" मैं नहाया, मैंने कपड़े बदले और कुछ खत लिखे। मुझे सवा छः बज गये।"

"मोटर जब सड़क पर आई तो सुबह खिलखिला कर हँस रही थी। समुद्र की लहरें अठखेलियाँ कर रही थीं। सुबह की हवा फूलों से खुशबू चुराकर लहरों पर छितरा रही थी। एक झोंका मोटर से गुजरा और मेरी याददाश्त में हफ़ीज़ का एक शेर जिन्दा हो उठा।"

"जब मोटर विक्टोरिया टरमिनस पर पहुँची तो पीछे से मिलिटरी ने उसे घेर लिया। और हालांकि रेल का समय गुजरा जा रहा था मगर मुसाफिरों को स्टेशन पर आने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ एक प्लेटफार्म पर कुछ चहल-पहल थी। एक इंजिन एक रेस्टोराँ के डब्बे को घसीट कर ला रहा था जो हम कैदियों के लिये था।"

"भीतर जाने पर मैंने देखा कि गिरफ्तारियाँ बड़े पैमाने पर हुई हैं। बहुत लोग आ गये थे और जो बचे थे वे भी धीरे-धीरे लाये जा रहे थे। कुछ लोग तो मुझसे पहले आये थे, उनके चेहरे से जागने की थकावट झलक रही थी। कुछ की शिकायत थी कि दो बजे सोने गये और चार बजे जगा लिये गये। मैंने पूछा—"सोई हुई किस्मत का क्या हाल है? कोई उसे भी जगाने गया है या नहीं?"

"एकरात में दुनिया कितनी बदल गई थी। शाम को लोगों के दिलों में उमगों की रंगीनियाँ थीं; हसरतों की हलचल थी, कहकहों के फूल थे। और अब कफ़स था, बेड़ियाँ थीं—गुलामी थी।"

"काश कि हम अपने गुस्से को जाहिर कर पाते। इन बैठकों में फँसे रहने के बजाय इन रिवाजों में बँधे रहने के बजाय, अगर अब तक हम गदर की आवाज उठा देते।"

"अब सबकी जबान पर अहमदनगर का नाम था। क्योंकि हम पूना में उतारे गये और आगे सिर्फ अहमदनगर था। अहमदनगर ज्यादा दूर नहीं था। वह बहुत जल्दी आ जायेगा—मगर हमारे सफर की मंजिल अहमदनगर तो नहीं है।"

"करीब दो बजे हम अहमदनगर पहुँचे। प्लेटफार्म पर कुछ मिलिटरी अफसर थे। स्टेशन से किले तक सीधी सड़क है। हमको बीच में कोई भीड़

मौलाना अब्दुलक़लाम आज़ाद

"काश कि हम अपने गुस्से को ज़ाहिर कर पाते ! इन बैठकों में फँसे रहने के बजाय इन रिवाज़ों में बँधे रहने के बजाय और अब तक ग़दर की आवाज़ उठा देते……"

नहीं मिली। मैं सोचने लगा, हमारी मंजिल की राह भी इतनी सीधी है। जब एक बार चल पड़े तो मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता।"

'हमसे उतरने के लिये कहा गया। इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस ने हमारे नामों की सूची मिलिटरी अफसर को दे दी। अब हमारी जिम्मेदारी पुलिस से हटकर फौज के पास चली गई और एक नई दुनिया की शुरूआत हुई।"

"आँगन के बीच में एक झंडे का बाँस लगा था। जब मैंने उसकी ऊँचाई देखने के लिये सर उठाया तो निगाहें सूने आसमान से टकरा गईं। आँगन के उत्तरी कोने में एक कब्र है। उस पर कुछ पेड़ों की डालें उदासी से सर झुकाये हुए थीं। उसके सरहाने पर एक पत्थर लगा है जिसके ऊपर की कालिख से मालूम होता था कि यहां कोई चिराग जला करता था।"

"यह नहीं मालूम था कि यह कब्र किसकी थी। चाँदबीबी की तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मकबरा बाहर पहाड़ी पर था। हो सकता है कब्र में जिन्दगी सो रही हो। मुझे डर था कि कहीं हम कैदियों के शोरोगुल से उसका मुर्दा उठ खड़ा न हो।"

—मौलाना अब्दुल कलाम आजाद

६ अगस्त के सुबह ५ बजे से लेकर ७ बजे तक की गिरफ्तारियों में २ ही प्रमुख व्यक्ति गिरफ्तार होने से बच गये थे। श्रीगोविन्द वल्लभपंत ने रात को हारे थके ५ बजे गिरफ्तार होने से अस्वीकार कर दिया था इसलिये वे श्री हरे कृष्ण मेहताब उस सामूहिक गिरफ्तारी में सम्मिलित न हो सके। ये दोनों नेता राज शिवलाल गोविन्दलाल के मकान दबोलकर रोड पर ठहरे हुए थे। वे ६ अगस्त को दिन में गिरफ्तार किये गये और आर्थर रोड जेल में रखे गये और बाद में पूना से मोटर द्वारा अहमद नगर लाये गये। इसलिये ये दोनों सज्जन दूसरे दिन अहमद नगर के किले में दाखिल हुए।

× × ×

स्वाधीनता के इस अद्वितीय महायुद्ध का आरम्भ कांग्रेस द्वारा हुआ और अहिंसा के अवतार गाँधी जी उसके कमान्डर इनचीफ नियत हुये।

लोगों को अक्सर यह सन्देह हुआ करता है कि कांग्रेस तथा गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुसार यह संग्राम अहिंसात्मक होना चाहिये था पर यह तो अधिकांश में हिंसात्मक रहा। इसके समाधान के लिये हम यहाँ पण्डित जवाहर लाल नेहरू के ये अवतरण पेश करते हैं—

"Those were the days of the crisis. In the crisis the people of an organisation cannot be judged by the emotional acts done by it during the period of crisis. The policy of the organisation is judged only by its actions in peaceful atmosphere. So if during August 1942 some people deviated from the policy of Nonviolence, it was because under a crisis their emotions misled them. The Congress as an organisation has never deviated from the policy of Nonviolence, which it had adopted after a mature consideration to be the policy to attain the independence of the country."

—Jawaharlal Nehru's Speech on Independence day 27-1-46.

"वे भयंकर संकट के दिन थे। संकट काल में किसी भी संगठन या संघ के लोगों की परीक्षा आवेश पूर्ण कार्यों से नहीं होती। किसी भी संगठन की नीति परीक्षा उसके शान्त वातावरण के कार्यों द्वारा ही होती है। इस लिये यदि अगस्त १९४२ में कुछ लोग अहिंसात्मक प्रणाली से पीछे हट गये तो उसका यही कारण था कि उनके आवेश ने उन्हें विपथ कर दिया। कांग्रेस, एक संगठित दल की तरह अहिंसा की नीति से जिसे उसने बहुत विचार करने के बाद देश की स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये अपनाया है, कभी भी विपथ नहीं हुई।"

—जवाहरलाल नेहरू का भाषण—स्वाधीनता दिवस
२७—१—४६

अँग्रेजों ने

वैसे देखा जाय तो अँग्रेजों की वर्तमान युद्ध प्रणाली एवं तैयारी इतनी वैज्ञानिक एवं सम्पन्न है कि हम मदह्न लट्ठ, भाला, बरछी तथा पिस्तौलों से उसका कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिये मामूली सी अक्ल के साथ सोचने वाला भी यह जानता है कि इस तरह साधारण हथियारों से प्रचण्ड वैज्ञानिक अस्त्रों का मुकाबला करना स्वयं का एवं सम्पूर्ण देश के लिये भी घातक है। फिर भी हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम में ऐसी घटनाएँ घटी तो उसके दो ही जबरदस्त कारण हैं १—यह कि काँग्रेस कमेटी की कार्य समिति की बैठक के समाप्त होते ही सरकार ने इतनी शीघ्रता से गिरफ्तारियाँ कीं कि लोगों को आवेश भरे हृदय को इतना भी सोचने का समय नहीं मिला कि सही रास्ता कौन सा है ? इसका परिणाम यह हुआ कि क्षणिक आवेश में उन्हें जो सूझा सो करने लगे।

२ इन गिरफ्तारियों के साथ ही सरकार ने ग्वालिया टैंक की सभा में अश्रु गैस का प्रयोग करके अपना निर्दयता पूर्ण दमन आरम्भ करके लोगों को बहुत ही क्रोधित कर दिया। ज्यों ज्यों जोश के दबाने को सरकार ने अमानवी कठोरता एवं नृशंसता का सहारा लिया त्यों त्यों लोगों के दिलों में उनके प्रति घृणा जमती चली गई और लोग ढीठ होकर दुगने उत्साह से जो सूझा सो करने लगे।

सचाई तो यह है कि सरकार यदि आरम्भ में ही शान्ति से काम लेती तो देश का इतना भयँकर दमन न होता और न अँग्रेज़ी शासन का १६४२ अगस्त का इतिहास इतना कालिमामय होता। आन्दोलन में लाखों निरपराध घरों की तबाही, जमीन जायदाद की बर्बादी, दस लाख व्यक्तियों का अन्न बिना जान दे देना तथा हजारों बच्चों, लड़कों और स्त्री पुरुषों का वीरता पूर्ण बलिदान आदि की पूरी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी हर तरह अँग्रेज़ी शासन पर ही है और सरकार का यह काला धब्बा भारत के अँग्रेजी शासन के इतिहास से कभी नष्ट नहीं होगा।

ग्वालिया टैंक बम्बई से इस संग्राम का आरम्भ हुआ और यह आग इतनी शीघ्र समस्त भारत में व्याप्त हुई कि २-३ दिन में ही समस्त भारत में अँग्रेजों ने जिस बर्बरता, नृशंसता, अन्याय, जुल्म और ज्यादतियों का

परिचय दिया वह किसी भी सभ्यदेश के इतिहास में कलंक रूप ही माना जायेगा। किन्तु अहिंसावादी भारत ने जुल्मों, अत्याचारों, जन, धन और जायदाद की पूर्ण बरबादी के बाद भी जिस साहस, वीरता और सर्वोपरि सहनशीलता का अभूत पूर्व परिचय दिया है वह संसार के इतिहास में सुवर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। वैसे तो समस्त भारत में ही आन्दोलन जारी था किन्तु बङ्गाल, संयुक्त प्रान्त एवं मध्य भारत के कुछ जिले तो दमन नीति के चक्र में बुरी तरह पिसे। भारतीयों ने कई जगह तो पँचायती राज्य भी सफलता पूर्वक प्रचारित किये जो प्रायः साल भर कायम रहे। इस आन्दोलन की यह महत्व पूर्ण बात है कि इसमें स्त्रियों ने भी वह साहस और वीरता दिखाई जो किसी भी सभ्य देश के लिये गौरव की बात है। भारत की स्त्री जाति किसी भी बात में किसी देश की स्त्री जाति से पीछे नहीं है।

अगले पृष्ठों में आप स्वयं अपनी दर्द भी कहानी पढ़िये और देखिये कि भारत ने आज़ादी की लड़ाई में क्या नहीं कुरबान किया! माता और बहिनों ने अपने सर्वस्व पतियों, पुत्रों, और भाइयों को हँसते हँसते आज़ादी की वेदी पर कुरबान होते देखा और दिल थाम कर रह गयीं।

क्या देशवासियों के अमूल्य बलिदान अकारथ चले जायेंगे? परिणाम समय के हाथ में है।

—दीनानाथ व्यास

ता० १६-६-४६

दीनानाथ व्यास

लेखक

प्रसिद्ध निबंध लेखक व कवि। जन्म सन् १६०६ उज्जैन। लेखन १६२६ से आरम्भ। प्रधान सम्पादक—मासिक सिनेमा सीरीज़ बम्बई १६३६। रचयिता—गल्प विज्ञान, प्रतिन्यास लेखन, कामविज्ञान, टालस्टाय और गांधी, हृदय का भार, अरमानों की चिता, धर्माचार्य, जीवन की झलक। इत्यादि।

"हिंदी सेवी संसार"—ग्रंथ से—

आत्म-निवेदन

मैं अपने अग्रजवत् बाबू राजकिशोरजी अग्रवाल मालिक विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा को हार्दिक धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिनकी विद्याभिरुचि, अद्भुत उत्साह, परिश्रम तथा प्रकाशन सम्बन्धी गहरी सूझ एवँ सर्वोपरि उनके अपूर्व साहस के परिणाम स्वरूप ही यह पुस्तक आपके समक्ष पेश की जा सकी। यदि वे इस विशाल कार्य में मुक्त हाथों से तन मन और धन से न कूद पड़ते, तो यह कार्य असम्भव ही था।

"साथ ही मैं अपने आत्मीय, हिन्दी भाषा के ख्याति प्राप्त प्रमुख *कहानीकार पण्डित लक्ष्मीचन्द जी बाजपेयी कानपुर का भी* हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने बार बार मुझे तङ्ग करके इस कठिन कार्य को मुझसे करवा ही लिया। वरना मैं इस कार्य से प्रायः उदासीन ही हो चुका था। यह उनका अधिकार था अतः उनके प्रति आभार प्रदर्शन करना कुछ कुछ बेढँगा सा लगता है। उनके हर बार तङ्ग करते रहने में ही एक मजा है—एक अनोखा आनन्द है।"

कवि कुटीर उज्जैन
विजया दशमी
२ अक्टूबर १९४६

दीनानाथ व्यास

———

कृतज्ञता ज्ञापन

निम्नलिखित पुस्तकों, रिपोर्टों, हिन्दी अँग्रेजी के दैनिकों, साप्ताहिकों के आधार पर ही यह ग्रन्थ सम्पादित हुआ है। अतः सम्पादक इनके विद्वान लेखकों एवँ सम्पादकों का हृदय से आभारी है। साथ ही इतना निवेदन कर देना भी परमावश्यक है कि निम्नलिखित मैटर के अलावा भी जितना मैटर तत्सम्बन्धी उपलब्ध हुआ है, सभी का उपयोग करके पुस्तक को सर्वाङ्ग पूर्ण बनाने की भरसक चेष्टा की गई है।

१—India Unreconcilled–Hindustan Times Press Delhi

२—Congress Respons bility for the Disturbances, 1942–43 } Government of India Publication

३—Correspondence with Mr. Gandhi—Government of India Publication.

४—Feathers and Stones—Dr. Pattabhi Sitaramaiya.

५—अगस्त १९४२—पाटलिपुत्र प्रकाशन

६—Voice of India

७—Articles in "Bharat Jyoti" Weekly–Bharatan Kumarappa.

८—Proceedings of A. I. C. C. upto 8th August, 1942.

९—Reports of Inquiry Committees appointed by the Provincial and District Congress Committees and Provincial Governments.

१०—Amrit Bazar Patrika-Daily-Allahabad 1945-46
११—Free Press Journal Daily Bombay 1945-46.
१२—Bharat Jyoti—Weekly Bombay 1945-46.
१३—Disconery of India Jawoharlal Nenhru 1946.
१४—National Herald—Daily Lucknow 1946.
१५—Hindustan Times—Daily Delhi 1945-46.
१६—Forum—Weekly Bombay 1945-46.
१७—हिन्दुस्तान—दैनिक—दिल्ली १९४५-४६
१८—विश्वमित्र—दैनिक—बम्बई ,,
१९—विश्वमित्र—साप्ताहिक—कलकत्ता ,,
२०—आज—दैनिक—काशी ,,
२१—आज—साप्ताहिक—काशी ,,
२२—संसार—साप्ताहिक—काशी ,,
२३—अभ्युदय—साप्ताहिक—इलाहाबाद ,,
२४—योगी—साप्ताहिक—पटना ,,
२५—आदर्श—साप्ताहिक—कलकत्ता ,,
२६—नवशक्ति—मराठी दैनिक—बम्बई ,,

—x—

पण्डित दीनानाथ व्यास काव्यालङ्कार की कृतियाँ

प्रकाशित

१—गल्प विज्ञान	१)
२—काम विज्ञान	२)
३—उपन्यास लेखन	१)
४—टॉलस्टॉय और गांधी	४॥)
५—हृदय का भार [पुरस्कृत काव्य]	१)
६—अरमानों की चिता [पुरस्कृत काव्य]	१)
७—धर्माचार्य [नाटक]	१॥)
८—जीवन की झलक [कहानी संग्रह]	१॥)
९—अगस्त १९४२ का विप्लव [आपके हाथ में है]	४॥)

अप्रकाशित

१०—तू और मैं [काव्य प्रेस में]

११—सपनों के दीप [काव्य प्रेस में]

१२—पथिक [नाटक प्रेस में]

—:०:—

ग्रन्थ की रूपरेखा

पण्डित दीनानाथ व्यास काव्यालङ्कार की कृतियाँ

प्रकाशित

१—गल्प विज्ञान	१)
२—काम विज्ञान	२)
३—प्रतिन्यास लेखन	१)
४—टॉलस्टॉय और गाँधी	४॥)
५—हृदय का भार [पुरस्कृत काव्य]	१)
६—अरमानों की चिता [पुरस्कृत काव्य]	१)
७—धर्माचार्य [नाटक]	१॥)
८—जीवन की झलक [कहानी संग्रह]	१॥)
९—अगस्त १९४२ का विप्लव [आपके हाथ में है]	४॥)

अप्रकाशित

१०—तू और मैं [काव्य प्रेस में]

११—सपनों के दीप [काव्य प्रेस मे]

१२—पथिक [नाटक प्रेस में]

—: ० :—

विषय पृष्ठ

विषय पृष्ठ

पं० जवाहरलाल नेहरू

"सन् १९४२ में पुलिस और फ़ौज की तरफ से जो कुछ हुआ उसे हम न भूलेंगे, जिन लोगों ने अमानुषिक अत्याचार किये हैं उसकी उन्हें सज़ा दी जायेगी।"

अगस्त सन् '४२ का विप्लव

बम्बई प्रान्त

९ अगस्त को ग्वालिया मैदान बम्बई का दृश्य अपूर्व था। १९४२ के आन्दोलन में यह स्थान अमरता प्राप्त कर चुका है। ९ तारीख की सुबह यह चर्चा तमाम बम्बई नगर में फैल चुकी थी कि जो नेतागण नेशनल वालेन्टीयर्स का पैरेड देखने आने वाले हैं वे तमाम सुबह ही गिरफ्तार करके अनिश्चित जगह पर ले जाये गये हैं। जनता में चारो ओर सनसनी छाई हुई थी। तमाम वालेण्टियर्स और देश सेविकायें आकर्षक नारंगी रंग के ड्रेस में पैरेड के लिये पंक्तियों में जमा हो गयीं। पुलिस भी पहले से ही ग्वालिया मैदान पर तैनात थी। इतने में ही एक मोटर धीरे से आई जिसमें भूलाभाई देसाई के पुत्र थे। उन्होंने आकर तिरंगे झण्डेवाले एक दक्षिणी कांग्रेसी को छुट्टी दी और झण्डा अपने हाथ में ले लिया। उस समय तिरंगे झंडे के आसपास कोई भी नेता नहीं था। उस समय जो प्रमुख व्यक्ति वहाँ थे उनमें से कुछ के नाम ये हैं—श्री टी० एस० अविनाश लिंगम्, एम० एल० ए० (कोयम्बटूर) श्री सी० के० गोविन्दन नैयर, एम० एल० ए० (केरल) और उन्हीं के दो मित्र थे जो झण्डे के पास ही बैठे हुए थे।

झपट कर एक यूरोपियन सार्जेण्ट उपरोक्त चारों में से एक प्रमुख के पास पहुँच कर बोला—इस ग्वालिया मैदान पर पुलिस और मिलिटरी ने कब्जा कर लिया है इसलिये आप अपने तमाम वालेण्टियर्स को यहाँ से हटा लें वरना [illegible] अश्रु गैस का प्रयोग किया जावेगा। कोचीन रियासत के प्रजामण्डल के प्रेसीडेण्ट मि० नीलकण्ठ ऐयर ने सार्जेण्ट से कहा कि इस मजमे का जिम्मेदार व्यक्ति मैं नहीं हूँ इसलिये आपको उस व्यक्ति से जाकर कहना चाहिये जो इसका संचालन कार्य कर रहा हो। सार्जेण्ट ने इस बात पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया और एकदम पुलिस को आदेश दे दिया। मि० ऐयर ने श्रीमती अरुणा आसफअली से सार्जेण्ट की तमाम बातें कहीं और यह भी कहा कि लड़के

ते केरल पहुंचे और वहां उन्होंने बम्बई की परिस्थिति का हाल मलाबार और केरल के लोगों को सुनाया। उनके आने का समाचार सारे केरल प्रान्त में बिजली की तरह व्याप्त हो गया। कोचीन केरल के लोग कांग्रेस का सन्देश अपने प्रेसीडेण्ट के मुँह से ही सुनना चाहते थे इसलिए वे विराट संख्या में ट्रिचूर के सुप्रसिद्ध मैदान में एकत्रित हुए। उस दिन १५ अगस्त था। इस सनसनी पूर्ण वातावरण को देख कर पुलिस भी आ गई। मि० ऐयर के मुँह के दो चार शब्द निकले ही थे कि वे गिरफ्तार कर लिए गए। भीड़ में से एक पत्थर फेंका गया जिससे उनकी बायीं आंख के ऊपर की पलक में गहरी चोट आई और बहुत खून बहा। इस तरह मि० ऐयर दूसरी बार जख्मी हुए। इसी से सिद्ध है कि ग्वालिया मैदान की अपेक्षा पुलिस का केरल में निहायत ही सख्त बर्ताव था।

कुल मिलाकर १४० व्यक्ति गिरफ्तार हुए और कई लोगों पर मुकदमे भी ले। १४ लाख जनता की रियासत के लिए यह जागृति कम नहीं थी। कोचीन दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिनका भाग कोचीन में ही नहीं वरना मलाबार, ट्रावनर और बम्बई तक था। उसमें पहले व्यक्ति थे डा० के० बी० मेनन जो इस ान्दोलन में पथ प्रदर्शक और दार्शनिक के रूप में थे। दूसरे श्री मिथुराई मंजूरान े अपनी लगन और उत्साह के कारण इस आन्दोलन में युवकों के सर्वस्व थे।

मध्यान्ह में प्रायः दो बजे प्रार्थना समाज के पास ही गोली से एक नवयुवक ारा गया। परिणाम स्वरूप जनता ने क्रुद्ध होकर कई जगह आन्दोलन किये। स संघर्ष के परिणाम स्वरूप कई जगह गोलिया चलीं जिससे प्रायः ३५ आदमी शहीद हो गये।

इसके बाद तो सारे बम्बई नगर में फौजी शासन का आरंभ हो गया। ुलिस और फौज ने जिस नृशंसता और अत्याचारों का परिचय बम्बई नगर में दिया वह अंग्रेजी राज्य के इतिहास में काले हरफों में ही लिखा जायगा। निरपराध लोगों, बच्चों और स्त्रियों को घरों में से खींच खींच कर पीटा गया, कलंकित किया गया। कई स्थानों पर भले घर की स्त्रियों से गटरें तक साफ करवाई गईं।

"हमें ऐसे अनेक मिसाल मिले हैं जहां अनुचित रूप से गोलियां चलाई गईं। भीड़ ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों पर भी गोलियां दागी गईं जिनका भीड़ से कोई

भी सम्बन्ध नहीं था। बम्बई के एक बड़े अस्पताल और मेडिकल कालेज के प्रधान तथा प्रसिद्ध डाक्टर जीवराज मेहता ने अखबारों में छपाया था कि किस प्रकार एक मासूम बच्चे को गोलियों से भून दिया गया। बच्चा भीड़ में नहीं था। उसका कुसूर यही था कि वह "गांधी जी की जय" बोल रहा था। लोग घसीट-घसीट कर अपने कमरों से बाहर निकाले गये, ऐसे लोग जो अपने घरों से एक बार भी बाहर नहीं निकले थे, उन पर लाठियां बरसाई गईं और कई प्रकार के अत्याचार किए गए" ।

—Report of Enquiry Committee
by "Civil Liberties Union

बम्बई के आसपास

नृशंसता का नंगा नृत्य !

बम्बई के धुलिया जिले में नन्दरवर नामक एक शहर में ६ अगस्त को जब विद्यार्थियों ने सुना कि देश के नेता गिरफ़ार हो चुके हैं तो उन्होंने एक छोटा सा जुलूस निकाला। जुलूस मे ५ वर्ष की उम्र से लेकर १५ वर्ष तक के लड़के व लड़कियाँ थीं। जुलूस जिस समय बाजार में से गुजर रहा था पुलिस के थानेदार को किसी ने एक ढेला मार दिया। वास्तव में बात यह थी कि उस थानेदार की किसी व्यक्ति से दुश्मनी थी और उस दुश्मन ने यह वक्त उचित जान भीड़ में घुसकर ढेला मार दिया। इसमें लड़कों का रत्ती भर भी हाथ नहीं था। लेकिन थानेदार आग बबूला हो गया और शक्ति के नशे में आकर उसने बच्चों पर गोलियाँ छोड़ने की इजाजत दे दी। बच्चे भागने लगे। एक चौदह वर्षीय बच्चे ने काँग्रेस का तिरंगा झण्डा हाथ में ले लिया। गिरफ़ार करना तो दूर, पुलिस ने उस बच्चे पर गोलियाँ दागीं। भूल से पहली गोली बच्चे के पैर में लगी। बच्चा गिर गया। पर पुलिस उस बच्चे पर तब तक गोलियाँ छोड़ती रही जब तक कि बच्चे का शरीर चलनी नहीं हो गया।

इस भगदड़ मे जहाँ भी जगह मिली, बच्चे भागे। पर सिपाहियों ने भागते हुए बच्चों पर पीछे से गोलियों के वार किये।

इस हत्या-काण्ड में ५ बच्चे मारे गये और बारह बुरी तरह घायल हुए जिनमें एक लड़की भी थी।

पूना में पुलिस ने घर घर में घुसकर स्त्रियों को बेइज्ज़त किया। बच्चों और मर्दों को घर से बाहर निकाल कर गोलियाँ दागी गईं।

कैरा जिले के चन्द विद्यार्थी सत्याग्रह का पाठ पढ़ा कर नजदीकी स्टेशन

गुजरात प्रान्त में राक्षसी कृत्य।

छात्रों को बैठाकर गोलियों का निशाना बनाया ?

ज्यों ही नेताओं की ९ अगस्त को सुबह गिरफ्तारी हुई त्योंही सरकार ने सभी प्रकार की सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबन्ध लगा दिये। जनता तो क्रोध में थी ही इन प्रतिबन्धों के कारण और भी आग बबूला हो गई। उसने जहाँ भी हुआ सरकार के लगाये हुए प्रतिबन्धों को तोड़ने का ही निश्चय किया। बदले में सरकार ने लाठी चार्ज, गोली चार्ज और अश्रु गैस का प्रयोग आरंभ कर दिया। यहां तक कि गोलियों की बौछार तो जनता के लिए दैनिक कार्य क्रम ही बन गयी।

सूरत और खेड़ा जिले तथा अहमदाबाद शहर के पुलिस आफीसरों ने तो गोलियाँ चलवाने में वह कमाल दिखाया कि उनका नाम गुजरात भर में बच्चों की जुबान पर आ गया। गुप्त विध्वंसक कार्यों के मारे पुलिस परेशान हो गई, पर किसी का भी पता न लगा सकी।

गावों में पुलिस ने इतना आतंक जमा रखा था कि कोई भी इन सत्याग्रहियों को मदद नहीं कर सकता था। गाँव के लोगों को आतंकित करने के लिए उनसे जबरदस्ती और बिना कारण ही सामूहिक जुर्माने वसूल किये गये और कहीं जनता लगान देना बन्द न कर दे इसलिए पहिले से ही किरचों की नोकों के बल पर लगान वसूल किये गये। लगान वसूली के लिए पुलिस सुबह से ही गाँव को घेर लेती जिससे कोई खेतों में न खिसक जाय और फिर निर्दयता पूर्वक लगान वसूल करती। सरकार ऐसे जुल्म इसलिए कर रही थी कि एक तो उसे यह भय था कि गांववाले सत्याग्रहियों के फेर में पड़कर लगान नहीं देंगे दूसरे उसे यह भी भय था कि सत्याग्रही कहीं सत्याग्रह जारी रखने के लिए इन लोगों से पैसे न ले जायं।

इसमें शक नहीं कि संयुक्त प्रांत तथा बंगाल में आन्दोलन समस्त भारतवर्ष की अपेक्षा बहुत ही उग्र रहा किन्तु वहां के आन्दोलनकारियों ने ऐसे कार्य नहीं किये जो वास्तव में सत्याग्रहियों को लाके सरकार के चक्र को अहिंसात्मक ढंग से ठप्प कर दिया जाय। यह कार्य गुजरात ने ही किया। इसका यह आशय नहीं कि गुजरात में तोड़-फोड़ हुई ही नहीं पर मतलब यह है कि ज्यादातर कार्य ठोस ही किये गये। गुजरात में आन्दोलन आम हड़ताल तथा कामबन्दी से ही आरंभ हुआ। इसकी मियाद तीन दिन से लेकर तीन महीने तक रही। नड़ियाद में एक मास और अहमदाबाद में साढ़े तीन महीने तक आम हड़ताल रह और सब काम रुक गये। अहमदाबाद की इस सुदीर्घ हड़ताल समस्त भारत के इतिहास में अपना विशेष स्थान रखती है। पूरे साढ़े तीन मास तक कुल बाजार, कारखानें, मिलें आदि सभी बिलकुल बन्द रहे। सरकार ने लोगों को साम, दाम, दण्ड तथा भेद नीति द्वारा तोड़ने की काफी चेष्टा की पर कारगर न हो सकी। यह हड़ताल मजदूरों की थी और वे ही इसकी सफलता के भागीदार हैं। अन्त में इतने लम्बे समय तक कष्ट उठा लेने के बाद भी हड़ताली मोर्चे पर अड़े थे किन्तु कुछ सरकार के पिट्ठू मिल मालिकों ने शरारतें करके हड़ताल खुलवा दी वरना पूरे-दो माह और जारी रहने वाली थी। हड़ताल के दिनों में समस्त अहमदाबाद ने कांग्रेसी अनुशासन का अक्षरशः पालन किया।

वास्तव में देखा जाय तो १९४२ का अगस्त आन्दोलन विद्यार्थियों का ही आन्दोलन था। भला गुजरात में विद्यार्थी इस आन्दोलन से दूर कैसे रह सकते थे? आम हड़ताल के बाद का सारा कार्यक्रम यदि विद्यार्थियों का ही प्रोग्राम कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। विद्यार्थियों ने आन्दोलन का आरंभ स्कूल और कालेजों के बहिष्कार से किया। अहमदाबाद, बड़ौदा तथा सूरत में कालेजों का बहिष्कार पूरे ६ माह तक जारी रहा। कालेजों का बहिष्कार करनेवाले विद्यार्थियों ने सभाओं और जुलूसों में पूर्ण रूप में भाग लिया और सरकार के अत्याचारी कार्यों का विरोध करके आज्ञाओं का बारबार उल्लंघन करके अपने देश प्रेम का परिचय दिया। यहाँ तक कि विद्यार्थियों के आन्दोलन ने सारे गुजरात पर अपनी छाप जमा ली। सरकार जो भी हुक्म जारी करे विद्यार्थी उसका उल्लंघन करके सरकारी शासन को कुंठित कर देते

थे। इन कार्यों में कई विद्यार्थी हंसते हुए बलिवेदी पर चढ़ गये, कितनों को गोलियों और लाठी की मारों से जानें चली गईं। श्री विनोद किनारीवाले राष्ट्रीय झण्डे को अपमानित न होने देने के लिए ही पुलिस द्वारा गोली से शहीद हुए। श्री रसिक जानी, श्री गोवर्धन शाह, श्री पुष्पवदन तथा श्री हिम्मतलाल केडिया देश की स्वतंत्रता की वेदी पर होम दिये गये। इसके साथ ही कई ऐसे अज्ञात विद्यार्थी एवं विद्यार्थिनियां शहीद हो गईं जिनके बारे में सरकारी रिपोर्टों तथा गैर सरकारी रिपोर्टों मे कुछ नहीं लिखा गया। पर उनका देश की स्वतंत्रता की खातिर किया गया बलिदान साधारण नहीं है।

उन दिनों सरकार ने भी खोज खोज कर अत्याचारों की प्रणालियों का आविष्कार किया और मनुष्यता को भुलाकर उनका स्वेच्छाचारिता के साथ उपयोग भी किया।

लगभग सौ विद्यार्थियों का एक दल बड़ौदा से बम्बई जानेवाली रेल-गाड़ी में सवार हुआ। वे महज प्रचार कार्य करने जा रहे थे। वे रेल के डब्बों, दीवारों व स्टेशनों पर पोस्टर चिपकाना चाहते थे। उन पोस्टरों में और कुछ नहीं गांधी जी का महत्वपूर्ण सूत्र "करो या मरो" लिखा था। वे न तो रेल के तार काटना चाहते थे न किसी हिंसात्मक कार्यों के करने का इरादा ही रखते थे। किन्तु इन अहिंसात्मक सत्याग्रहियों को भड़ौच स्टेशन पर उतार लिया गया। उनके उतारने के लिये २०० पुलिस के जवानों का दल पहिले से ही तैयार था। उन्हें २४ घन्टे तक उसी हालत में रोक रखा गया। उसके बाद उन्हें उसी जगह छोड़ आने को कहा गया जहां से वे सवार हुए थे। यह भी तब किया गया जब उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जो काम वे करने जा रहे हैं उसके अलावा दूसरा कोई कार्य वे नहीं करेंगे। यह घटना १५ अगस्त की है।

भड़ौच की घटना के दो ही दिन बाद २४ छात्रों का एक दल बड़ौदा से आनन्द की ओर उसी कार्य को करने के लिए रवाना हुआ जिस काम के लिये पहिला दल गया था। आनन्द में अपना कार्य पूरा करने के बाद यह दल बड़ौदा लौटने के लिये आनन्द स्टेशन पर आना चाहता था पर रास्ते की एक संकरी गली में रायफलों से लैस ६ कान्स्टेबिलों ने दल को रोक लिया और सभी

को बैठ जाने की आज्ञा दी। उन लोगों ने पुलिस की आज्ञा मान ली और बैठ गये। उन विद्यार्थियों के दिल में यही विचार आ रहे थे कि दूसरी जगहों की घटनाओं की तरह उन पर भी बैठा कर लाठी चार्ज होगा या गिरफ्तारी की जायेगी। पर यहाँ तो वह नारकीय कार्य हुए जिनकी समानता हिटलर के कार्यों से भी नहीं की जा सकती। पुलिसवालों ने उन बैठे हुए विद्यार्थियों के छोने से रायफलें अड़ाकर गोलियाँ दाग दीं। पांच छात्र तो वहीं भूमिसात् हो गये। १२ बुरी तरह घायल हुए। घायलों में से एक अस्पताल में जाकर मर गया। इतना ही नहीं कि पुलिसवालों ने इन पांचों आदमियों को मार कर ही अपनी राक्षसी प्यास बुझा ली हो 'पर वे तो पूरे राक्षस ही थे। उन्होंने उन तड़पते हुए छात्रों को पानी तक भी पीने को नहीं दिया। ये छात्र इसी तरह ७ बजे शाम से लेकर १२ बजे रात तक वहीं पड़े तड़पते रहे। रात को १ बजे थानेदार आया और उसने मृतकों की लाशें उनके घरवालों को सौंप दीं और घायलों को आड़ास स्टेशन पहुंचाया।

गुजरात की म्यूनिसिपैलिटियां और ज़िला बोर्ड भी इस संग्राम में किसी से पीछे न रहे। इन संस्थाओं ने अगस्त प्रस्ताव को अपने बोर्डों में पास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सूरत की कई म्यूनिसिपैलिटियां तथा कई ज़िला और स्कूल बोर्ड आज तक इसी अपराध में मुअत्तिल हैं। इसके अलावा अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के कई हाकिम बाहर निकल आये और उन्होंने काम करने से भी इनकार कर दिया। बाद में कई हाकिमों को इसी अपराध में बरखास्त कर दिया गया, तथा कई कर्मचारियों और अध्यापकों ने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया।

हमने पहिले ही लिखा है कि गुजरात में उतने विध्वंसात्मक कार्य नहीं हुए जितने बंगाल व संयुक्त प्रान्त में हुए हैं। किन्तु यहां जितनी भी तोड़-फोड़ हुई वह सभी सफलतापूर्वक आयोजित एवं सख़्ती के साथ नियंत्रित रही।

सूरत और बड़ौदा के बीच के मीलों तक तार काट दिये गये और काठियावाड़ में तीन जगह रेलें पटरी से गिरा दी गईं। एक तो कालोल आर० एम० रेलवे पर पालधर के पास, दूसरी टी० बी० लाइन पर टिम्बारसी के पास और तीसरी बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे पर आमलसाड़ के पास गिराई गई।

एक बार १६ मई १९४४ को तथा दूसरी बार ६ मई १९४५ को रेलगाड़ियाँ रोक कर डाक के डब्बे लूट लिये गये और डाक को जला दिया गया।

खेड़ा जिले में ३० से ज्यादा पोस्टमैनों को लूट लिया गया और डाक जला दी गई। एक बार तो खेड़ा और अहमदाबाद के बीच डाक ले जानेवाली गाड़ी लूट ली गई और जला कर राख कर दी गई। इन कार्यों का उद्देश्य डाक विभाग को हानि पहुँचाना ही था।

नड़ियाद में इनकमटैक्स का दफ्तर, अहमदाबाद में डास्कोई के मामलतदार का दफ्तर और भड़ोच जिले में वागड़ा ताल्लुके के सरमान गांव का सरकारी गल्लेका स्टोर फूंक दिया गया। गुजरात के प्रायः सभी जिलों में विशेष कर सूरत जिले के जलालाबाद ताल्लुके में बहुत सी चावड़ियाँ जला दी गईं। इन जगहों पर शराब बिका करती थी।

जलालपुर ताल्लुके के सतभाइ कराड़ी गाव में एक जुलूस और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मूर्खतापूर्ण कार्यों द्वारा जनता को व्यर्थ ही उत्तेजित कर दिया। इस मुठभेड़ में पुलिस ने ८ या ६ ग्रामीणों को मार डाला। इस पर जनता ने पुलिस को अपने काबू में कर ४ रायफलें छीन लीं। यह अगस्त के तीसरे हफ्ते की घटना है।

इस प्रकार के हमलों में सब से भयानक हमला १६ सितम्बर १९४२ को जम्बूसार ताल्लुके के वेड्च थाने पर, १९४२ की दिसम्बर में भड़ौच जिले के वागड़ा ताल्लुके के सारमान थाने पर और मई १९४३ में पचमहाल ताल्लुके के अम्बाली थाने पर हुए थे। इन सभी हमलों में थानों में जितनी बन्दूकें और रायफलें थीं लूट ली गईं। इन हमलों में किसी की भी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर हाथ नहीं डाला गया। परिणाम यह हुआ कि भंड़ौच जिले के तमाम थाने एक महीने के लिए हटा दिये गये।

बंगाल में दमन नीति का चक्र

मि० विनय रंजन सेन फूड के डायरेक्टर जनरल ने केन्द्रीय सरकार के १९४३-४४ में फेमीनकोड का बंगाल में उपयोग करने के लिये यह कहते हुए मना किया कि "यह अकाल वस्तुतः भिन्न प्रकार का अकाल है" पर अंग्रेजों ने तो बर्मा में जापानियों द्वारा परास्त हो जाने के बाद भय के कारण १९४२ के आरंभ में ही अकाल का बीज बो दिया था। १९४२ और १९४३ की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

१—बंगाली सरकार विरोधी थे।

२—बंगालियों को जापानियों की मदद नहीं करने देने की इजाजत थी।

३—इसका विश्वास करने के लिए अंग्रेज सरकार ने Denial Policy प्रचारित कर दी जिसके अनुसार तटवर्ती प्रदेशों से अन्न, नाव, सायकिलें तथा अन्य आवागमन के साधन जब्त कर दिये गये।

४—जनता का मुंह बन्द करने के लिये यह कहा गया कि युद्ध के लिए "अतिरिक्त" संग्रह की सख्त जरूरत है। यह बात विश्वास दिलाने के लिए सरकार ने आंकड़ों से भी सिद्ध कर दी, जैसा कि फूड सेक्रेटरी मेजर जनरल वूड ने सिद्ध किया।

५—सरकार ने जितना भी हो सका नाज भरने की चेष्टा की। और ग्राहक के लिए सभी साधन रोक दिये गये।

६—बंगालियों को बगावत करने व दूसरे किस्म के नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिये अन्न ही रोक दिया। सरकार ने सोचा कि यदि भोजन ही नहीं मिलेगा तो बागीपन कैसे हो सकेगा।

बंगाल के लिये लिनलिथगो सरकार की यह पालिसी थी। जनता के सन्तोष के लिए "आवश्यकता" की आड़ थी ही। सरकार की बदनामी न

बम्बई के धुलिया ज़िले में थानेदार ने विद्यार्थियों के जलूस पर गोलियाँ छोड़ने की इज़ाज़त दे दी। १४ वर्ष के एक बच्चे को जो तिरंगा झंडा लिये था गोलियों से उसका शरीर चलनी कर दिया।

पुलिस वालों ने बड़ौदा के छात्रों के सीने से रायफलें अड़ाकर गोलियाँ दाग दीं

हो जाय इसलिए पहिले ही यह प्रचार आरम्भ कर दिया गया कि सरकार के दुश्मन सरकार को बदनाम कर देना चाहते हैं। नतीजा यह हुआ कि भयङ्कर अकाल से बंगाल में त्राहि-त्राहि मच गई। लेकिन जब सरकार ने अकाल को रोकने का इरादा किया, अकाल फौरन ही बन्द हो गया। यह कार्य लिनलिथगो के उत्तराधिकारी ने किया।

१९४१ का वर्ष पश्चिमीय राष्ट्रों को जबरदस्त आघात पहुँचाता हुआ खतम हो गया। जापानियों ने अमेरिका और इङ्गलैण्ड पर धावा बोल दिया। जापानियों ने नाटकीय ढंग से पर्ल बन्दरगाह को नष्ट कर दिया। साथ ही जबरदस्त दो जहाज भी ब्रिटेन के समुद्रसात् कर दिये। इसके बाद उन्होंने जमीन और सामुद्रिक दोनों हमले जारी किये। अंग्रेजों और अमेरिकन लोगों से कुछ भी न बन पड़ा। जापानियों ने मलाया से लेकर रंगून तक बम बाज़ी शुरू कर दी। जापानियों ने ७ दिसम्बर १९४१ को हमला आरंभ किया और दिसम्बर के अन्त होने तक वे रंगून पर जा धमके। उनके रंगून में दाखिल होते ही वहाँ के लोग भाग कर बंगाल में घुसने लगे।

बंगाल हमेशा से ही क्रान्तिकारी आन्दोलन की जन्मभूमि माना जाता है इसीलिये सरकार प्रायः एक शताब्दी से बंगाल से बहुत ही सावधान और सतर्क रहती आयी है और हर प्रयत्न द्वारा बंगाल से क्रान्तिकारी आन्दोलन का नामोनिशान मिटाने पर आमादा रहती है। महायुद्ध के सिलसिले में बर्मा से लोगों के भागकर बंगाल में शरण लेने के कारण बंगाल की स्थिति सरकार की नजर में और भी भयानक हो गई। श्री सुभाष चन्द्रबोस बंगाल की जनता के सर्वप्रिय नेता और देश के महान पुजारी थे। वे इसी बीच अपने मकान से, जहां वे नजरबन्द रक्खे गये थे, एकाएक गायब हो गये। वे १९४१ की जनवरी में भागे थे। उस समय न तो सरकार को और न जनता को ही यह पता चला कि सुभाष बाबू कहां गुम हो गये हैं लेकिन १९४२ में सरकार ने यह प्रोपेगेन्डा करना आरंभ कर दिया कि सुभाष बाबू दुश्मनों से जा मिले हैं। बर्मा पर हमला होने के बाद सरकार के लिये इस बात पर नजर रखना लाजिम भी हो गया कि जापान यदि बंगाल पर हमला करे तो बंगाल का क्या रुख रहेगा। सुभाष बाबू का भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए जापानियों से

मुहायदा करना आदि बातों को देखते हुए सरकार को भारतवर्ष को मिलिटरी द्वारा सुरक्षित रखने का प्रश्न सामने आया।

बंगाल के नवयुवकों ने यह स्पष्ट ही कर दिया कि वे अब ब्रिटिश सरकार से हर प्रकार त्रस्त हो चुके हैं। नवयुवकों में विशेषकर उदार व्यक्तियों ने तो कांग्रेस के अहिंसा सिद्धान्त का पूर्णतया पालन किया किन्तु ज्यादातर जनता ने गांधीवादी अहिंसा की अपेक्षा कांग्रेस की अहिंसा नीति का ही पालन किया। कहने का तात्पर्य यह कि जिस प्रकार गांधीवादी अहिंसा में बारीकियाँ हैं उन पर से लोगों की नजर प्रायः उठ गई थी और एक सिद्धान्त के रूप में ही अहिंसा का पालन किया जा सका। कांग्रेस की अहिंसा कमजोर की अहिंसा के रूप में स्वीकार किये जाने के कारण स्वाधीनता के संग्राम के प्रश्न उठने पर वह हिंसा का रूप भी धारण कर सकती थी। इस तरह की अहिंसा के पालन करने के कारण अधिकारियों को बंगाल की जनता इस युद्ध में किस करवट बैठेगी इसका रत्ती भर भी अन्दाज नहीं था। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि बर्मा के उदाहरण ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी थीं—वे बहुत ही सतर्क हो उठे थे। अंग्रेजों के दिल में यह भी विश्वास घर कर गया था कि जापानी आखिर एशिया निवासी और बंगालियों की तरह ही चावल खानेवाली कौम है। इसलिये विदेशी शासन से त्रस्त यह कौम फौरन जापानियों से घुल मिल सकती है।

"ज्योंही जापानी उत्तर की ओर मुड़े कि दक्खिनी बर्मा में भी स्वाधीनता का धुआँ व्याप्त हो गया और तमाम बर्मा एक इशारे में जैसे अंग्रेजों से बदला लेने पर उतारू हो गया।......अगणित बर्मी जापानियों के पक्ष में हो गये। जापानियों ने इनका एक नया दल ही बना दिया। इसकी वर्दी नीली नियत की गई। यह विश्वास किया जाता है कि बर्मी भी हमारे खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। इसमें शक नहीं कि ये बर्मी लूट-मार तो खूब ही मचा रहे थे। सर्वसाधारण जनता भी प्रायः अंग्रेजों के विरोध में ही थी।" (डेलीमेल, लन्दन २८ मार्च १९४२)

बर्मा के ४ शहरों पर चक्कर काटने के बाद एक वायुयान चालक ने अमेरिका के सम्वाददाता से कहा—

"कई जिले के बर्मी अंग्रेजों को जान से मार रहे और बगावत कर रहे हैं। बर्मी लोग जापानियों को आगे बढ़ने में हर प्रकार की मदद पहुँचा रहे

हैं। रंगून बहुत ही खतरनाक जगह हो चुकी है।...यूरोपीयनों को तो रंगून में घूमना फिरना भी कठिन हो चुका है।" (डेलीमेल, लन्दन १४ मार्च १९४२)

"सबसे पहिले हमने राजनीतिक भूल की है। हमारा बर्मा में कोई भी युद्ध का उद्देश्य नहीं था। जो जनता स्वाधीनता का पक्ष ग्रहण किये हुए थी वह पहिले से ही सरकार से नाराज थी। जब जापानियों को हमसे में कामयाबी मिलने लगी तो जनता उत्साहित होकर एकदम सरकार के खिलाफ हो गई। जनता के खुले विद्रोह के कारण ही हमें अन्धों की तरह लड़ना पड़ा। बुद्धिमानी लड़ाई में से कतई गायब हो चुकी थी। हर बार बर्मा के लोग जापानियों को जंगलों, झाड़ियों तथा गुप्त रास्ते से निकाल कर हमारी सेना के पीछे पहुँचा देते रहे और हमारे रास्तों को रोकते, साधन और खाद्य सामग्री के आवागमन में बेहद तकलीफें पैदा करते रहे। तार, रेल, डाकखाने आदि तोड़-फोड़ दिये गये इससे हमारे मनों मे जनता के विरुद्ध एक खास प्रकार की मनोवैज्ञानिक घृणा और शत्रुता पैदा हो गई।...रेल के रास्ते और मोटर बसों को तहस नहस कर दिया गया...इसी वजह से जापानियों और उनके साथी बर्मी हम पर पूरी तरह हावी हो गये। हमारे आवागमन या खबर पहुँचाने के जरिए एकदम अनिश्चित हो चुके थे। रेलें बराबर चलती नहीं थीं क्योंकि रेल के आदमियों को बर्मी लोगों ने फुसला लिया था।"

"सारांश यह कि बर्मी लोगों की मदद के आधार पर जापानियों ने हमसे सिद्धान्त से तथा प्रोपेगेन्डा से ही लड़ाई में कामयाबी हासिल की। जापानियों ने जीते हुए मुल्क के कच्चे माल और मजदूरों से बेहद फायदा उठाया और इस मदद से वे लड़ाई को आगे भी जारी रख सके। इस लड़ाई की किस्म को रूस और जर्मनी भली भाँति समझ गया था। चीनी लोगों ने भी इस फंडे से थोड़ा बहुत फायदा अवश्य उठाया लेकिन अंग्रेज और अमेरिकन इस चाल को फायदा उठाना तो दूर, समझ भी नहीं पाये"

"बर्मा का हर घर मशीनगन का घोंसला बना हुआ था इसीलिए अंग्रेजों को बर्मा में पानी, अन्न, ठहरने आदि का महान् कष्ट रहा क्योंकि जापानी और बर्मी बागी लोग हमें हर तरह खदेड़ रहे थे।" (टाइम्स वीकली, न्यूयार्क)

अखबारों में प्रकाशित होने के बहुत पहिले ही दिल्ली और लन्दन के महायुद्ध के अधिकारी व्यक्तियों को यह बातें मालूम हो गई थीं। तो क्या उस पर से अधिकारी गण अन्दाजा नहीं लगा सकते थे कि यदि हिन्दुस्तान पर जापानियों का हमला हुआ तो हिन्दुस्तान में कैसी स्थिति होगी! जापानियों ने यदि ३००-४०० मील के भयानक जङ्गल को पार कर चिटगांव, मनीपुर और सादिया की तरफ रुख किया तो बर्मा की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने की ओर तो उनकी नजर अवश्य थी।

जनता के दिलों में घोर अविश्वास, असन्तोष, और भयानक आततायीपन व्याप्त हो गया है यह बात अंग्रेजी शासकों से छिपी नहीं है। बर्मा के किनारे पर रहनेवाले बंगालियों को यह खयाल था कि गोरी सेना निहत्थे भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव न करेगी। लेकिन जब उन्हें मजबूत जापानियों के साथ पाला पड़ा तो वे अवाक रह गये। जापानियों ने भारतीयों पर जो जुल्म किये इसके अलावा जापानियों से भारतीयों के मिल जाने के सन्देह के कारण अंग्रेज़ों ने जो जुल्म भारतीयों पर किये इससे भारतीयों के दिलों में न तो अंग्रेज़ों और न जापानियों के प्रति तनिक भी विश्वास रह गया था। अंग्रेज लोगों से यह भावना भी छिपी नहीं थी। किन्तु इतना जान लेने के बाद भी वे अपने बर्ताव में अन्तर नहीं ला सके बल्कि इस अवसर का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने और भारतीयों के बीच जितनी भी गहरी खाई खोदी जा सकती है, खोदी। उदाहरणार्थ, पूरे गांवों पर सामूहिक जुर्माने किये गये और वे भी बिना पूर्व सूचना के ही और उनकी वसूली में जितनी निर्दयता काम में लायी जा सकती थी, उपयोग में लाई गई। वसूली के तरीके वास्तव में अमानविक थे। जनता को पता तक नहीं दिया गया कि उनसे कोई जबरदस्त रकम वसूल की जाने वाली है। इसके अलावा जनता को जुल्म और ज्यादतियों के कारण अपने उन घरबारों को भी त्याग देना पड़ा जिनमें वे सैकड़ों वर्षों से रहते थे। इन्हीं मनोवैज्ञानिक कारणों से भारतीयों का दिल सरकार के प्रति एकदम अविश्वासी हो गया था।

यह तो था ही, सरकार ने समस्त ग्रामों को एकदम सूचना दी कि वहां पुलिस और मिलिटरी के लिए स्थान चाहिए अतएव समस्त ग्राम खाली कर

मार्च-अप्रेल १६४२ में दोनों तरफ से मोर्चाबन्दी का समय आ गया। बंगाल को मिलिटरी की प्रत्येक सुविधा के लिए नष्ट भ्रष्ट करना आवश्यक ही था और गवर्नर भी यही चाहता था। इसलिए हमारे सामने यह सवाल पैदा हो गया कि मार्च १६४२ से लेकर अगस्त १६४२ तक की घटनाओं पर विचार किया जाय क्योंकि जिस अस्वीकृति की पालिसी का सरकार ने सहारा लिया उसका परिणाम ही यह था कि जनता बुरी तरह धन, घरबार और अन्नहीन हो जाय तो फिर किसी भी प्रकार जापानियों का साथ नहीं दे सकेगी। उस समय जनता और सरकार के सामने जो स्पष्ट परिस्थितियां थीं वे निम्नलिखित हैं—

१—एशियावासियों के दिल में गोरों का कुछ भी सम्मान नहीं रह गया था बल्कि वे उनसे पूरी घृणा करने लगे थे।

२—अंग्रेजों ने बर्मा में जनता की हालत आंखों देख ली थी कि किस प्रकार जनता ने जापानियों की मदद करके इन्हें खदेड़ दिया था।

३—इसी बीच श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस अन्तर्हित हो गये। इसके बाद वे रेडियो द्वारा सीधे बंगाल से कहने लगे कि उन्होंने एक भारतीय सेना का निर्माण कर लिया है और वे शीघ्र ही भारत की सीमा को पार करके भारतवर्ष पर हमला करना चाहते हैं और सरकार को भारतवर्ष से निकाल देना चाहते हैं। उनको अपने इरादे में पूर्ण विश्वास था। इन बातों को सुन-सुन कर बंगाल की जनता की सरकार के प्रति घृणा दिन दिन बढ़ती चली जा रही थी।

४—इसी बीच सरकार ने अत्याचार, जुल्म और जनता के घर-बार तक छीन लेने की परिस्थितयां पैदा कर दी। इससे तो जनता का अंग्रेजों पर रहा सहा विश्वास भी उठ गया।

इस "अस्वीकृति की पालिसी" को गांधी जी ने भी पसन्द नहीं किया। उनके अहिंसात्मक दिमाग में जो नीति कार्य कर रही थी उसके मुताबिक तो यह चाहिए था कि सरकार जिन भी दुश्मनों के नगरों को हार कर छोड़े उनका पानी, अन्न और घरबार की व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट नहीं की जाना चाहिए और मानवीय सिद्धान्तों के यह अनुकूल भी है। किन्तु देहली और लन्दन के युद्ध के महारथियों का सिद्धान्त इसके बिलकुल ही विपरीत था।

लेकिन इस मामले का यहीं अन्त नहीं हुआ। गांधी जी की अन्तरात्मा इससे बेचैन हो गई किन्तु वे हृदय से इंग्लैण्ड का बुरा नहीं चाहते थे इसलिये उन्होंने अंग्रेजों से अपील की कि वे चुपचाप भारत से चले जायें और देश को जापानियों से मुकाबला करने के लिये अपने भाग्य के भरोसे पर छोड़ दें। केन्द्रीय सरकार भला इस बात के लिये कैसे राजी हो सकती थी। सरकार ने गांधी जी की बात न मान कर गांधी जी को अपने सिद्धान्त का प्रचार करने और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिये मजबूर कर देने के लिये खामोश रह कर काफी अवसर दिया। गांधी जी का उद्देश्य एकदम पवित्र था, स्पष्ट भी था किन्तु लिनलिथगो की सरकार ने उसे जिस रूप में ग्रहण किया वह फरवरी १९४३ में प्रकाशित एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया मि० टोटनहेम की पुस्तक "Congress responsibility for the Disturbances" से प्रकट हो जाता है।

गांधी जी के लेखों से यह स्पष्ट था कि वे चाहते थे कि अंग्रेज भारतवर्ष को त्याग दें और यदि वे रहें तो महज इस शर्त पर कि जापान यदि हमला करे तो रुकावट न डालें। इसका सर्व साधारण में यह अर्थ लगाया गया कि वास्तव में गांधी जी जापानियों के भारतवर्ष के हमले के खिलाफ नहीं हैं।

आगे चल कर सचमुच ही जापान ने भारतवर्ष पर हमला किया। एसोसियेटेड प्रेस आफ अमेरिका के सम्वाददाता ने लिखा था—

"इम्फाल और कोहिमा पर बची हुई भारतीय सेनाओं के विरुद्ध जापानियों के हमले का यदि सम्वाददाता समाचार दें तो निश्चय ही अंग्रेजों के विरुद्ध पूर्वी बंगाल में जबरदस्त प्रतिक्रिया हो जाय।"

इन परिस्थितियों और चालू पृष्ठभूमि के साथ केन्द्रीय सरकार ने जनता की बरबादी की पालिसी अख्तियार की। यह पालिसी इस लिए अख्तियार की गई कि जो परिस्थिति जापानियों के कारण बर्मा में हुई है कहीं वही दशा बंगालियों के जापानियों के साथ देने के कारण अंग्रेजों की न हो जाय। सरकार बंगाल की जनता को ऐसी कर देना चाहती थी कि कहीं जापानी भारतवर्ष पर हमला कर दें तो बंगाली जापानियों को अन्न का एक कण भी न दे सकें। सरकार ने इसके लिए सर्वोत्तम तरीका यही अख्तियार किया कि बंगाल से तमाम अन्न

दिये जावें मुआविजा साधारणतया व बराएनाम का ही था। इस नृशंस हुक्मों का अमल भी बेरहमी से कराया गया। हुक्म निश्चित तारीख तक मानने व पालन करने की सूरत में जनता पर हद दर्जे की सख्तियाँ की गईं और उदूलहुक्मी के लिये या तो उन्हें मुआविजा न दिया गया या उनका इज्जत खराब की गई। नेताओं ने इस मुसीबत के लिये गवर्नर से मिलना चाहा पर कोई भी इलाज न हो सका।

"ज़ेकोस्लोवेकिया में हिटलर क्या कर रहा है?"

"इसलिये तुम भी एक लोकप्रिय मिनिस्टर होकर अपनी जनता के प्रति वही कर रहे हो जो दुश्मन देशों की जनता के प्रति हिटलर ने किया।"

"यह नरम नहीं हुआ—"मिलिटरी की आवश्यकता के लिये यही लाजिमी था" लेकिन मिलिटरी को भी उचित समय की मियाद का नोटिस तो देना ही था जिससे बेचारी निर्वासित जनता अपने आश्रय के लिये तो प्रबन्ध कर लेती। इसके अलावा उसका मुआविजा तथा इस मुसीबत का सामना करने के लिये उन्हें खर्च भी दिया जाना चाहिये था।"

"हमारे पास इन सब बातों के लिये पैसा नहीं है।"

"लेकिन यह खर्च तो महायुद्ध के खर्च में सम्मिलित है। यह खर्च तो केन्द्रीय फण्ड से प्राप्त होगा, कोई बंगाल की मालगुजारी से तो आवेगा नहीं। फिर आप सर्वनाश पर क्यों जिद पकड़ रहे हैं।"

"गवर्नर इसकी स्वीकृति नहीं देंगे।"

"यदि आप यह समझ रहे हों कि यह मसला इतना ही दुर्गम है जितना कि इसे आप मान रहे हैं तो आप इसमें हाथ डालिये और यदि गवर्नर न माने तो आप इस्तीफा दे दीजिये।"

इसका उत्तर भी अजब ही किस्म का मिला—आप लोगों ने (कांग्रेस मिनिस्ट्री) तो इस्तीफा दे दिया अब आप हमारे पास आये हैं।

उपरोक्त जवाब जिन मिनिस्टरों ने दिये थे वे भी थोड़े समय बाद ही गवर्नर से मतभेद हो जाने के कारण इस्तीफा देने को बाध्य हुए।

जब ऐसी बातें सेक्रेटेरियट में हो रही थीं, उस समय हजारों बे-घरबार व्यक्ति अपने भाग्य को लेकर कह रहे थे—

"हमारे ग्रन्थों का आदेश है कि जब सरकार के पापों का भण्डार पूरा भर जाता है तो वह सरकार नष्ट ही हो जाती है। क्या अब भी भी वह समय नहीं आया है?" ऐसी बातें उस समय पब्लिक में खुल कर कही जाती थीं। सरकल आफीसर और सी० आई० डी० के आफीसरों के जरिए तमाम सरकारी अफसर इन बातों को सुन रहे थे। लेकिन सरकार और भी सख्त हो गई और परिणामतः जनता और भी ज्यादा सरकार से घृणा करने लगी।

सर्वोच्च सत्ता जनता की मनःस्थिति समझ गई। इस बात को जानकर व बरमा में हुई परिस्थितियों पर विचार करके जनता एक ही परिणाम पर पहुँची कि यदि जापानियों ने बंगाल पर हमला किया तो बंगाल से अपनी रक्षा भी न बन पड़ेगी। इसकी पूर्ति के लिए एक ही मार्ग था और सरकार ने उसीका उपयोग किया भी। वह यह कि सरकार बंगाल को ऊजड़ देश बना देने पर तुल गई।

गवर्नर ने इस पालिसी का नाम रखा "अस्वीकृति की पालिसी"। यह पालिसी सर हर्बर्ट द्वारा बंगाल एसेम्बली में २ अप्रैल १९४२ को स्पष्ट भी कर दी गई। इससे मिनिस्टरों को सन्तोष नहीं हुआ। आखिर रेवेन्यू मिनिस्टर को इसके विरोध के लिये दूसरा ही मार्ग अख्तियार करना पड़ा, क्योंकि गवर्नर के रुख को तो आखिर कुछ न कुछ रोक करना ही आवश्यक थी।

इस प्रकार मिनिस्टरों और गवर्नर में तनातनी बढ़ती ही चली गई। श्याम प्रसाद मुकर्जी ने यह सोचा कि इस परिस्थिति में वे मिनिस्टर रह कर जनता के विशेष शोषण में और भी ज्यादा सहायक हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। दूसरों ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन गवर्नर यह भली भांति जानता था कि वह अपनी सत्यानाशी पलिसी का उपयोग तबतक सफलता पूर्वक नहीं कर सकता जबतक कि मिनिस्टरों में विरोध मूत्र रह रहा है। ऐसा वातावरण कब तक चल सकता था आखिर मार्च १९४२ में ऐसा समय आ ही गया जबकि सरकार और मिनिस्टरों के रास्ते भिन्न भिन्न हो गये। अन्त में मिनिस्टरी को एक मामूली से झूठे मामले में ही इस्तीफा देने को बाध्य कर दिया गया।

१६४१-२३० हजार टन चावल आया और ६० हजार टन और १२६ हजार टन चावल बाहर गया।

१६४२—१०० हजार टन चावल आया और २३२ हजार टन—जिसमें १२६ हजार टन कमी में आया, बाहर गया।

१६४२ में बंगाल में निश्चित चावल की कमी के कारण साल के पहिले ४ महीनों में २३२ हजार टन चावल बंगाल से बाहर भेज दिया गया। १६४१ के ६० हजार टन चावलों के मुकाबले यह संख्या विचारणीय अवश्य है। जबकि बाहर से आनेवाले माल का आंकड़ा २३० हजार टन से १०६ हजार टन ही रह गया। १६४२ के साल में जबकि माल का आवक वैसे ही भयानक रूप से कम थी इसके बाद १६४१ में ही सरकार ने जावक में १२६ हजार टन और १४० हजार टन विशेष खर्च करके वैसे ही जबरदस्त कमी कर दी थी जिसका १६४२ में पूरा करना आवश्यक था और यही कारण था कि १६४१ के अंत में ही लोगों को अकाल की शंका हो चुकी थी। इसके बाद भी सरकार ने १६४२ में पहिले चार महीनों में गत वर्ष की कमी पूर्ति की ओर ध्यान न देकर १२६ हजार टन चावल और भी बाहर भेज दिया। इस प्रकार बंगाल में १६४२ में १४० हजार टन और १२६ हजार टन अर्थात् कुल मिलाकर २६६ हजार टन चावल को बाहर भेज कर बंगाल को भूखों मरने के लिये जान बूझ कर छोड़ दिया।

यह गवर्नमेन्ट द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का ही दिग्दर्शन है। इस प्रकार सरकार ने "आवश्यकता और विशेष अनाज के एकत्रीकरण की आवश्यकता" का नाटक करके बंगाल के "सरकार के विरुद्ध" तत्वों को जापानी मदद करने की आशंका से भी निर्माल्य बना दिया।

फैमिन कमीशन ने जांच के बाद प्रकाशित कर दिया कि १६४२ का वर्ष विशेष उत्पादन का वर्ष नहीं है इसका कारण यह है कि १६४१ में ही इतनी कमी थी जो बंगाल के लिए ६ हफ्ते तक काम में आती।

फूड मेम्बर मि० एन० आर० सरकार के केंद्रीय सरकार में आंकड़ों द्वारा सिद्ध कर दिया कि बंगाल के पास इस समय ११॥ लाख टन चावल ज्यादा है। सरकार इसके उत्तर देने में चुप रही और धीरे धीरे माल की निकासी करती

रही जब कि आवक का नाम भी नहीं था। नतीजा यह हुआ कि जुलाई १६४२ में सरकार ने बता दिया कि ४८०००० हजार टन चावल का जबरदस्त घाटा है जिसे सरकार किसी भी प्रकार पूरा नहीं कर सकती।

सरकार के लिए आवश्यक ही था कि बंगाल की ऐसी बुरी हालत कर देने में मिलिटरी की सहायता लिये बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता था। किन्तु इसके बाद भी सरकार तो एकदम पाक और साफ ही थी कि अभी भी इसके पास सभी मिनिस्टर्स जनता द्वारा चुने हुए ही थे और सरकार भी सर्व साधारण की प्रतिनिधि थी।

सरकार उस समय के मिनिस्टरों को, एग्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बरों को खूब जानती थी और यह भी जानती थी कि वे क्या कर सकते हैं। वह यह भी जानती थी कि एग्जीक्यूटिव के मेम्बर्स तथा मिनिस्टर्स पदवियों और सम्मान के लिये कैसे फुसलाये जा सकते हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सरकार बराबर गुप्त आर्डरों द्वारा अपना काम धड़ाके से करती रही।

सर जान हरबर्ट अपने काम को पहिचाननेवाला व्यक्ति था। वह भी वायसराय के आर्डर से सभी कुछ कर रहा था। वह यह नहीं चाहता था कि सरकारी चालों के परिणाम स्वरूप उसका ही प्रान्त बदनाम हो जिसका कि वह सर्वोच्च शासक था। साम्राज्यवादी नीति ही उससे यह घृणित एव निन्द-नीय कार्य करवा रही थी।

हटा दिया जाय और पुलिस और उसके तमाम साधन सर्वोत्तम रीति से बगाल में उपलब्ध कर दिये जायं !

इसी सरकारी नीति का नाम "अस्वीकृति की पालिसी" Denial policy है। इसके द्वारा सरकार ने जनता को अन्न देने से इन्कार कर दिया। इस आधार पर कि यह अन्न हमले के समय जापानियों के काम न आवे। यदि इस पालिसी से बंगाल में अकाल पड़ जावे तो भले ही पड़ जाय। सरकार को इसकी कोई चिन्ता नहीं थी। सरकार ने यह स्पष्ट ही कर दिया कि Denial Policy से यदि लाखों और करोड़ों व्यक्ति भूखों मर भी जायं तो कोई चिन्ता नहीं क्योंकि युद्ध के लिये यह policy अनिवार्य है।

ज्यूं ही Denial policy प्रचारित हुई त्योंही सरकार ने जनता को २५००० नावें जब्त कर लीं इस प्रकार ढाई लाख लोगों की रोज़ी साफ मार दी गई। मिदनपुर जिले से १०,००० सायकिलें हटा दी गईं। इसके बाद चावल के हजारों खेतों पर कब्जा करके सरकार ने अस्सी हजार टन चावल लोगों से छीन लिये और जनता को भूखों मरने के लिये छोड़ दिया।

"इस पालिसी को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने विशेष अनाज को समुद्री किनारे के जिलों से हटा कर "विशेष सुरक्षित और जहां - अनाज की कमी है उन स्थानों" पर भेज दिया" Annual Register Vol 1943

मिनिस्टरों की इच्छाओं को ठुकराते हुए सर जार्ज हरबर्ट ने अनाज तथा अन्य उपज को हस्तगत करने के लिए तमाम काम पहिले तो इसाहानी एण्ड कम्पनी के सिपुर्द कर दिया इसके बाद एच० दत्त, ए० भट्टाचार्य, बी० एन० पोद्दार और अहमद खान आदि लोगों में बांट दिया।

पहिले ठेकेदार इस्पाहानी एण्ड कम्पनी ने ३ लाख मन चावल और धान खरीदा। दूसरे ने ४ लाख मन चावल और तीसरे ने ६०,००० हजार मन चावल, चौथे ने १ लाख मन और पांचवें ने १ लाख दस हजार मन चावल समुद्री किनारों से खरीदा।

—Annual Register-Vol 1043

इतना धान एक साथ खरीदने तथा उसे अनिश्चित और गुप्त स्थान पर

पहुँचा देने से एक दम अनाज की कीमत बढ़ गई और लोगों का भूखों मरना आरंभ हो गया।

१९४२ के अप्रैल जून महीनों और उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने जापानी हमले का मुकाबला करने के लिए बंगालियों को भोजन के लिये अन्न देने से कतई इन्कार कर दिया था। रंगून ७ मार्च १९४२ को खाली हुआ। उस समय युद्ध के अफसरों का यह निश्चित मत था कि बंगाल पर जापानियों का हमला कुछ ही दिनों की बात है। इसलिये प्रत्येक आनेवाली मुसीबत का प्रबन्ध करना उन्होंने सख्ती और शीघ्रता से आरम्भ कर दिया। सरकार ने उस समय तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया।

१—बंगाल की पूर्वी सीमा पर सेना सगठन।

२—बंगाल सरकार के दफ्तरों को हटा देना।

३—अनाज को बंगाल से खींच कर एक गुप्त स्थान में एकत्रित कर देना।

अप्रैल १९४२ में सरकार की यह नीति स्पष्ट ही दिखाई देने लगी कि बंगाल को यदि भूखों नहीं मारा जायेगा तो वह अवश्य ही जापानियों का खुल कर साथ देगा। पर दिखावे के लिये सरकारी पालिसी इस प्रकार स्पष्ट की गई—

"बंगाल हमेशा ही ऐसा प्रान्त रहा है जहां जनता के लिये हरवक्त बर्मा से चावल और भारत के दूसरे प्रान्तों से गेहूँ मंगाना पड़ता है। यही वजह है कि बंगाल हमेशा ही अन्न के मामले में दूसरों का मुंह ताकता रहा है"

जापानियों के बर्मा-प्रवेश के साथ ही, रंगून के द्वारा बंगाल, मद्रास और लंका में चावल की आयात बन्द हो गई। बंगाल की जनता तो १९४२ में ही यह बात ताड़ गई थी कि आगे चल कर बंगाल के सिर पर आपत्ति मंडरा रही है।

सरकार ने चावल की निकासी पर का प्रतिबन्ध भी उठा लिया इसका परिणाम यह हुआ कि अगस्त मन चावल यहीं का कुल्ली में पिछले सालों की अपेक्षा बहुत ज्यादा तादाद में बाहर निकल गया।

जनवरी से अप्रैल तक के चावल की निकासी का हिसाब इस प्रकार था—

करने के लिए रवाना हुए। वे रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिए गये। इस सत्याग्रह और गिरफ्तारियों से जनता में काफी जागृति और उत्साह फैल चुका था।

जापानियों के हमले के भय से मिदनापुर जिला और तामलुक सब डिवीजन आवश्यकीय क्षेत्र-Emergency area—घोषित कर दिया गया था। सब डिवीजन में प्रवास करनेवाली मोटरों को हटा दिये जाने की आज्ञा दे दी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट ने आज्ञा जारी करते हुए कोन्टाई, नन्दी ग्राम और मोयना ताल्लुकों को यह आदेश दिया कि वे अपने क्षेत्र से ३० से लेकर ६० मील दूर पर जितने भी किस्म की नौकाएं हैं, बाहर रखें। यह आज्ञा एक दम अव्यावहारिक थी। बजाय आज्ञा पालन के इससे रिश्वतखोर हाकिमों को घूस खाने का अवसर मिल गया। नतीजा यह हुआ कि आदेश का पालन न होने पर सैकड़ों बोटें जला दी गईं और सैकड़ों को तादाद में नीलाम कर दी गईं। मालिकों का हजारों रुपया पानी में बरबाद हो गया। यह समझना कठिन ही है कि ऐसे हुक्म से सरकार ने क्या फायदा सोचा था? सिवाय इसके कि जनता में सनसनी फैले और बिला वजह लोगों के दिल उत्तेजनापूर्ण हो गये। प्रत्यक्षतः इससे जबरदस्त हानि यही हुई कि जनता के पास जो आवागमन के साधन थे वे भी निर्दयता पूर्वक बरबाद कर दिये गये। ऐसे समय बंगाल सरकार के एक मिनिस्टर श्री सन्तोष कुमार बसु ने सरकार की इस कार्यवाही का तीव्र विरोध किया और जनता की हानि की पूर्ति कराने पर जोर डाला। किन्तु न तो करों में ही किसी किस्म की रियायत की गई और न हानि की पूर्ति ही। जो भी सहूलियत दी गई वह भी दस पांच व्यक्तियों को ही। अधिकांश जनता कोरी ही रह गई।

इसके बाद ही सरकार ने दूसरा हुक्म सुनाया कि तमाम जिले की सायकिलें हटा दी जावें। तमाम ताल्लुकों से अर्थात् पूरे जिले भर की सायकिलें छीन ली गईं। सायकिलवालों को बिलकुल ही मामूली पैसे दिये गये। सायकिल के मालिकों को ५) रु० पीछे आठ आने मिले और पचास फी सदी जनता को उनकी सायकिलों पर १०) रु० पीछे ५) रु० दिये गये। कहने का सारांश यह कि प्रत्येक सायकिल के मालिक को एक सायकिल पर सरकार ने १२) से ज्यादा एक पाई भी नहीं दी। कई व्यक्तियों ने इस रकम को लेने से इन्कार कर दिया।

इन विवेकहीन कृत्यों से फायदा होने के बजाय विशेष हानियाँ ही हुईं। इसने जनता का उत्साह और अत्याचारों से पीड़ित दिल एकदम आन्दोलित हो उठे। और फिर ये मुसीबतें भी किसने आरंभ कीं? सरकार ने ही। इन तमाम कष्टों और अत्याचारों की सौ फी सदी जिम्मेवार भी तो सरकार ही थी गैर जिम्मेवार हाकिम जापानियों के हमले से स्तब्ध एवं विशेष आतंकित हो गये थे। इसीलिये जनता की सुविधा, हानि एवं भयंकर कष्टों की तरफ से एकदम बेपरवाह होकर इस तरह के अव्यावहारिक हुक्मों को देकर वे सोचने लगे कि इस से जनता दब जायेगी और सोलहों आने उनके काबू में आ जायेगी। इधर ऐसे बेहूदे हुक्मों से जनता को यह विश्वास हो गया कि यदि जापानी हमला हुआ तो आरंभ होने के पहिले ही सरकार जनता को उसके भाग्य पर छोड़ कर भाग खड़ी होगी। इसीलिये जनता ने यह निश्चय कर लिया कि इस समय सरकार का जो भी रुख है वह हमारी सहायता करने का नहीं है अतः जनता ने स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिशें आरंभ कर दीं। उन्होंने वालेन्टीयर्स का संगठन करना आरंभ कर दिया। इस कार्य में सुताहटा और महिषादल ताल्लुकों ने प्रमुख स्थान ग्रहण किया। इन दोनों ताल्लुकों के वालेन्टीयर्स की टुकड़ियों के नाम रखे गये—विद्युत वाहिनी। एक महीने में ही ३००० वालेन्टियर्स भरती हो गये शीघ्र ही इनकी संख्या ५००० तक हो गई। ५० महिला वालेन्टीयर्स भी भरती हुईं। इन वालेन्टीयर्स की शिक्षा के लिये कई कैम्प निर्मित हुए। सुताहटा में "भगिनी सेना शिविर" की स्थापना भी हुई। इन कैम्पों में पूरे समय तक ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई थी। कई प्रमुख नेताओं ने, जिनमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य डाक्टर प्रफुल्ल चन्द्र घोष, ड..टर सुरेशचन्द्र बैनर्जी, श्रीयुत आनन्द प्रसाद चौधरी, श्रीयुत पंचानन वसु आदि ने इन शिविरों का निरीक्षण भी किया और जनता को प्रोत्साहित भी किया। इसके साथ ही साथ धन, चावल आदि का भी खूब ही संग्रह कर लिया गया। कार्य कर्ताओं ने जनता से अपीलें भी कीं कि "उन्हें आनेवाले खतरे से भग खाने की कोई भी आवश्यकता नहीं न सरकार की दमन नीति से डरने ही की आवश्यकता है। उन्हें भलीभांति संगठन एवं रचनात्मक कार्यक्रम में जुट जाना चाहिये और जितना भी हो धन और अन्न का संग्रह करना चाहिये। जिले की पैदावार को बाहर

१९४२ के आन्दोलन में मिदनापुर

जुल्म, अत्याचार, दमन, गुण्डागिरी, बलात्कार की रोमांचक कहानी ॥

तामलुक मिदनापुर जिले का एक सब डिवीजन है। यह छः थानों में विभाजित है—१ सुताहटा २ नंदीग्राम ३ महिषादल ४ तामलुक ५ मोयना और ६ पशकुरा। तमाम सब डिवीजन में तामलुक में ही म्युनिसिपैलिटी है। तामलुक की आबादी १२००० है। कुल सब डिवीजन में ७६ संघ हैं जिनमें १२४६ गांव हैं और तमाम सब डिवीजन की आबादी ७५३१५२ है। कुल परिवार १४२२०० रहते हैं।

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व से ही तामलुक सब डिवीजन में मिदनापुर जिला कांग्रेस कमेटी की शाखा है और छः केन्द्रों में थाना कांग्रेस कमेटियां हैं। सभी कांग्रेस कमेटियां तामलुक कांग्रेस कमेटी के अन्तर्गत कार्यशील हैं। थाना कांग्रेस कमेटी की मातहती में ५२ छोटी कांग्रेस कमेटियां हैं। अर्थात् प्रत्येक संघ में कांग्रेस कमेटी की एक शाखा है। ४ थाना कांग्रेस कमेटियों के निजी मकान हैं शेष दो के किराये के मकान हैं।

द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होते ही इस जिले में भी डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट लागू कर दिया गया। इसके अनुसार सभाओं और जुलूस पर प्रतिबन्ध स्थापित हो गये। कांग्रेस जैसा दल, जिसका प्रत्येक कार्य सामूहिक रूप से ही होता है, को इस प्रतिबन्ध से सक्रिय कार्य करने में बड़ी रुकावट पैदा हो गई। करों के पुनर्विचार जैसे अराजनीतिक मामलों में भी जब जिला कांग्रेस कमेटी ने मीटिंग करने की आज्ञा मांगी तो इनकार कर दिया गया। इस प्रकार डिफेंस

कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने क्रियात्मक कार्यक्रम पर जोर देना आरंभ कर दिया। कुछ कार्यकर्त्ता काम सीखने के लिये वर्धा भेजे गये कुछ अन्यस्थानों पर जाकर खादी और कागज बनाने का कार्य सीखने लगे। महिलाओं की शिक्षा के लिए दो माह को सुताहटा थाना कांग्रेस कमेटी ने महिला ट्रेनिंग कैम्प जारी किया जिससे कि महिलाओं को भी कार्य करने के ढंग मालूम हो जांय। कांग्रेस कमेटियों का इस ट्रेनिंग में प्रधान लक्ष्य था खादी। भिन्न-भिन्न थानों में इसके बाद खादी के केन्द्र कायम किये गये और उन पर शिक्षित कार्यकर्त्ताओं की निगरानी कायम की गई। ३० मन कपास के बीज लाकर बांटे गये। ४०० मन कपास लाकर बेचा गया। ३५०० जुलाहों ने खादी तैयार करके अपने व देहातों के परिवारों में वितरित कर दी। इसके सिवाय ४००० जुलाहों ने चरखों पर कार्य आरंभ कर दिया और मजदूरी में सिर्फ आधा थान लेना स्वीकार किया। खादी के इस कार्य में महिलाओं का ही ज्यादा हाथ था।

इस सब डिवीजन में ६ हरिजन स्कूल थे। महात्मा गांधी के हरिजन संघ से इनमें से कुछ को कार्य संचालन के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। प्रौढ़ शिक्षा के लिए दो रात्रि पाठशालाएँ भी थीं। हिन्दी की शिक्षा के लिये दो स्कूल खोले गये थे जहां मर्द और स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। कांग्रेस कार्यकर्त्ता ही इन स्कूलों में शिक्षण देने का कार्य करते थे।

जब महायुद्ध के खिलाफ नैतिक प्रतिरोध के रूप में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया तो डाक्टर प्रफुल्ल चन्द्र घोष ने वसुदेवपुर के गांधी आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह में सर्वप्रथम सत्याग्रही के रूप में भाग लिया। वे आरंभ करते ही गिरफ्तार कर लिये गये। उनके गिरफ्तार होते ही मिदनापुर कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट बाबू कुमार चन्द्र ने उनकी रिक्त जगह की पूर्ति की और वे भी चन्द मिनटों में ही गिरफ्तार कर लिये गये। दोनों को एक एक वर्ष का सपरिश्रम कारावास हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह में मिदनापुर जिले के ३६ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और जेल भेजे गये। कई ऐसे भी थे जिन्होंने सत्याग्रह किया पर पकड़े नहीं गये। कई ऐसे भी थे जो जेल से लौटे और बाहर आते ही फिर सत्याग्रह में शामिल हो गये। दो सत्याग्रही सत्याग्रह करते हुए दिल्ली को कूच

मिदनापुर का नक्शा

दीनापुर के ढाई हजार देहातियों ने चावल बाहर भेजे जाने का, विरोध किया इसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने शीघ्र ही गोलियाँ चला दीं जिससे ३ आदमियों की मृत्यु हो गई।

कर अनाज की निकासी के बन्द कर देने का दूसरा हुक्म १६ अक्टूबर १९४२ को जारी किया। सरकार जनता को बताने के लिये अनाज की निकासी को बन्द करने के लिये दो दो बार हुक्म दे चुकी थी किन्तु भीतर ही भीतर उसकी गुप्त कार्यवाहियाँ बदस्तूर जारी ही थीं। इस बात से जनता का पारा और भी बढ़ रहा था। कांग्रेस ने तमाम आँकड़ों से यह देख लिया कि यदि अनाज का बाहर भेजा जाना इसी प्रकार चालू रहा तो निश्चित ही जिले भर में लोग भूखों मर जायेंगे। इसलिये कांग्रेस को मजबूरन निकासी की कतई रोक व गल्ले के बाहर से जिले में आने के लिये सचेष्ट होना ही पड़ा। उन्होंने गल्लेवालों से प्रार्थना करके काफी गल्ला एकत्रित किया और वह भी सस्ते भाव में!

वास्तव में सरकार के विवेकहीन हुक्मों के परिणामस्वरूप जनता तो पहले से ही दिल ही दिल में उबल रही थी इधर अगस्त आन्दोलन भी आरम्भ हो चुका था। उन दिनों वास्तव में सम्पूर्ण जिला एक जाग्रत बारूदखाना ही तो रहा था। नेताओं की अचानक गिरफ्तारी और "भारत छोड़ो" मन्त्र ने जैसे बारूदखाने में बत्ती ही बतादी। सरकार की अत्याचारपूर्ण दमन प्रणाली ने आग भड़काने में जो कसर थी वह भी पूर्ण कर दी। सरकार ने दमन करने के लिए फिर अविवेक पूर्ण रास्ता अख्तियार किया। सरकार ने करों को फिर जाँच करके अंधाधुन्ध टैक्स कायम कर दिये और जनता की आवाज को एकदम अनसुनी कर दी। यदि जनता विरोध प्रदर्शन करे तो उसके पहिले ही सरकार ने भीड़, जुलूस आदि पर प्रतिबन्ध लगा दिया। चीजों के भाव, इधर उत्तरोत्तर बढ़ते ही गये। वार बोण्ड्स जनता पर जबरदस्ती लादे गये। सरकारी नौकरों से लेकर गरीब जनता तक व श्रीमान से लेकर दरिद्रा तक, सभी पर बेहद जुल्म और ज्यादतियाँ की गईं कि वे बॉण्ड्स खरीदें। इसके बाद युद्ध की सहायता के लिए गरीबों के जबरदस्ती चूले चक्की तक नीलाम पर चढ़ा दिये गये। इन जुल्म और ज्यादतियों की खबरें बाहर न जाने पायें इसके लिए नाव, बाइसिकलें, गाड़ियाँ आदि सभी जब्त करली गईं। नतीजा यह हुआ कि जनता एकदम दरिद्री हो गई और भूखों मरने लगी। इससे जनता ब्रिटिश हुकूमत को सिर से हटा कर फेंक देने के लिए एकदम कटिबद्ध

हो गई। सरकार के अनावश्यक दबाव एवं अत्याचारों ने ही जनता को स्वाधीनता द्वारा मुक्ति का मार्ग सुझा दिया।

अब क्या था ? बारूदखाने में बत्ती तो बता ही दी गई थी। सैकड़ों की तादाद में मीटिंग हुई। अहिंसात्मक आन्दोलन, बम्बई ठहराव तथा युद्ध की स्थिति पर गम्भीर विचार आरम्भ हो गये। पाँच हजार से लेकर दस दस हजार जनता जिसमें हिन्दू व मुसलमान तथा अन्य जातियाँ भी शरीक थीं, ने सरकारी दफ़्तरों, अदालतों, और पुलिस स्टेशनों पर अपना प्रदर्शन किया। सरकारी दफ़्तरों और अदालतों सामने जनता के भाषण हुए जिस में प्रत्येक नागरिक ने अपने को पूर्ण स्वतन्त्र घोषित किया और खुल्लमखुल्ला अंग्रेज सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इन मीटिंगों का संचालन बड़े ही शान्ति पूर्ण ढङ्ग से कांग्रेस के वालेन्टियर्स ही करते थे। महिषादल ताल्लुके के वालेन्टियर्स ने अपने ताल्लुके में मीटिंगें कीं। महिषादल की जनता ने पुलिस थाने के मैदान में ही सभा की और पुलिस के सामने ही ताल्लुके भर को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उस समय मि० शेख आय० सी० एस० जो तामलुक ताल्लुके का S. D. O. था वहाँ अपने कुछ सिपाहियों के साथ मौजूद था। उसने भाषण देनेवाले ४ नेताओं को गिरफ़्तारी का हुक्म दिया किन्तु जनता ने उसके हुक्म की कोई परवाह नहीं की और नेताओं को गिरफ़्तारी से साफ इन्कार कर दिया। इसपर S. D. O. ने सिपाहियों को लाठी चलाने की आज्ञा दी किन्तु जनता का जोश देखकर सिपाही टस से मस न हुए। आखिर जनता के क्रोध के आगे मि० शेख मय सिपाहियों के यहाँ से खिसक गये। २६६४२ व्यक्तियों की मीटिंग में से पुलिस आफसर का खिसक जाना—भारतीय इतिहास में पहिली ही अपूर्व घटना है। इसके बाद तो सैकड़ों की तादाद में मीटिंग हुई पर कहीं भी सरकारी खुफिया या पुलिस नहीं दिखाई दी।

महात्मा जी तथा अन्य नेताओं की गिरफ़्तारी पर सारे सब डिवीजन में हड़ताल मनाई गई। जब स्थानीय नेताओं की गिरफ़्तारी हुई तथा जब दानीपुर में गोलियाँ चलाई गईं तब भी पूर्ण हड़ताल हुई थी। इसके बाद २९-९-४२ को जबकि जिले भर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर गोलियाँ चलाई गईं तथा जब स्वाधीनता दिवस मनाने की योजना कार्यान्वित की गई तब भी हड़तालें पूर्ण

जाने देने के विरुद्ध आवाज उठाना चाहिये।"

यह आकड़ों से सिद्ध हो चुका है कि १६४१ का वर्ष अन्न की स्थिति एवं उपज को देखते हुए मिदनापुर जिले के अकाल का साल था। जनता के नेता इसका प्रबन्ध कराने के लिये जिला मजिस्ट्रेट के पास गये किन्तु साम्राज्यवादी यह के छोटे से अंग उस मजिस्ट्रेट ने जनता के चुने हुए बुद्धिमान नेताओं की बात अनसुनी करदी। नेताओं का यह कहना था कि सरकार को चावल और धान का बाहर भेजना रोक देना चाहिये और भविष्य के खतरे को मद्देनज़र रखते हुए इस जिले की पैदावार को यहीं संग्रह करना चाहिये। किन्तु इस सलाह को ठुकराते हुए मजिस्ट्रेट ने चावल व धान की पूर्णतया निकासी का आदेश जारी कर दिया। जिन नेताओं ने इस बात का विरोध किया उन्हें किसी भी बहाने से जेलों के सीकचों के भीतर पहुँचा दिया गया। जिला जज के इजलास में अपील करने पर अधिकांश मुक्त कर दिये गये। किन्तु इसके बाद निरंकुश कानूनों का समूह डिफेन्स ऑफ इंडिया जोर शोर से अमल में लाया जाना आरंभ हो गया। इसके आधार पर जिले के तीन प्रमुख नेता बिना मुकदमा चलाये जेल में रख दिये गये। सरकार और जनता के बीच का यह विग्रह, जिसका मूल अनाज को बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगाना था, बहुत ही तीव्र हो गया और इसकी तीव्रता अन्य ताल्लुकों को अपेक्षा महिषादल ताल्लुके के दानीपुर नामक थाने पर विशेष नज़र आई।

१६४२ की ८ सितम्बर को मि० सुधीर कुमार सरकार पुलिस आफीसर अपने साथ कई सिपाहियों को लेकर दानीपुर गये और चावलों की मिलों के मालिकों को चावल बाहर भेजने में सहायता देने लगे। प्रायः ढाई हज़ार देहातियों ने चावल के बाहर भेजे जाने का विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने शीघ्र ही गोलियाँ चलादीं जिससे तीन आदमियों की मृत्यु हो गई। इस सब हिंसाजन में यह पहिली घटना थी। इस घटना में यह सोचनीय है कि जिस समय गोलियाँ चलीं उस समय कांग्रेस का एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं था। यह विरोध महज़ देहातियों का था जो अपनी उपज को बाहर जाने देने का विरोध कर रहे थे। गोली चलने के साथ ही कांग्रेस आफिस को जो घटना स्थल से ८ मील दूर था, इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही

४० वालेंटियर्स और उनके साथ प्रायः ६००० देहाती लोग मिल के पा
आ गये। इस भीड़ को देखकर तामलुक के कस्बे से घटनास्थल पर ४० कान्स्टे
बिल्स के साथ पुलिस के तीसरे अफसर आये। कांग्रेस के वालेन्टीयर्स ने
चावल के बाहर भेजे जाने का विरोध किया और साथ ही तीनों मृतकों
शवों की मांग की। बहुत देर की बहस के बाद यह तय हुआ कि तामलुक में तीन
लाशों के पोस्ट मारटम के बाद वे लौटा दी जायेंगी। किन्तु अफसरों
अपने इस वचन का भी पालन नहीं किया। वे मृत शरीर जनता को नहीं दि
गये बल्कि उनको नदी में फेंक दिया गया। गाँव के कुछ लोगों ने उन मृ
शरीरों को नदी में से बाद में निकाला किन्तु पुलिस ने उन्हें फिर जनता
छीन लिया और सशस्त्र पुलिस की निगरानी में एक ही चिता पर तीनों शव
को जला दिया गया।

दूसरे ही दिन तामलुक ताल्लुके के आसपास के छः गाँवों पर धावा बोल
दिया और प्रायः २०० निरपराध देहातियों को गिरफ़ार कर लिया गया
सारे दिन उन्हें चिलचिलाती धूप में बैठाया गया। उनको न खाने को औ
न पीने को पानी तक ही दिया गया। उनमें से सिर्फ १३ आदमियों पर मुकदम
चला और उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की सजाएँ १॥ साल से २ साल तक दं
गई। अन्त में मिल मालिकों को जनता की आवाज को सुनना ही पड़ा
उन पर इसके परिणामस्वरूप २०००) रु० जुर्माना किया गया जिसे उन्होंने
उसी समय दाखिल कर दिया। इसमें से १५००) गरीब देहातियों के परिवारों
को जनता ने उसी समय वितरित कर दिया। और मिल मालिकों ने आगे
के लिये धान और चावल को बाहर न भेजने का वचन दिया।

तामलुक ताल्लुके के बाहर अर्थात् सम्पूर्ण मिदनापुर जिले में भी कांग्रेस
ने अन्न के बाहर न जाने देने की कोशिश की। उस कोशिश में कांग्रेस को काफी
सफलता भी मिली। अन्त में घबराकर सरकार को धान की निकासी का हुक्म
वापस लेना पड़ा। यह हुक्म उस समय वापस लिया गया था जिस समय कि
देश में सुप्रसिद्ध अगस्त आन्दोलन आरम्भ हो गया था। कांग्रेस ने दिसंबर
और अन्य प्रकार का सत्याग्रह आरम्भ कर दिया था। चावल आदि की
निकासी भी बन्द कराने के लिये आन्दोलन जारी ही था। सरकार ने पहले

रूप से सफल रही। इनके अलावा झण्डा फहराने का उत्सव भी सैकड़ों बार भिन्न-भिन्न स्थानों पर सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ।

भला जब तमाम जनता का यह हाल था तो जिले के विद्यार्थी गण उस हवा से कैसे दूर रह सकते थे! उन्होंने भी हड़तालें कीं, जलसे किये और खूब भाषण दिये। इसमें तामलुक हैमिल्टन M. E. स्कूल ने नेतृत्व ग्रहण किया। कई स्कूल्स अनिश्चित काल के लिये बन्द हो गये। प्रायः ५०० विद्यार्थियों और हाईस्कूल के शिक्षकों ने, इस जिले से अगस्त आन्दोलन में भाग लिया। सरकार ने खाली स्कूलों पर कब्जा करके वहाँ मिलिटरी की स्थापना की और महीनों वहीं अपना केन्द्र रक्खा।

सेन्सर की अव्यवस्था और सरकारी आवागमन के जरियों की पूर्ण अव्यवस्था तथा अधिकांश में डाक के साधनों के नष्ट हो जाने के कारण कांग्रेस ने तमाम जिले में अपने पोस्ट आफिस कायम कर लिये और उनका सम्बन्ध दूसरे सब डिवीजन के पोस्ट आफिसेज़ से भी हो गया। इस प्रकार कांग्रेस ने तमाम जिले में सुचारु रूप से डाक विभाग का प्रबन्ध अपने हाथों में ले लिया।

इसके उपरान्त तामलुक ताल्लुके से नियमित रूप से सायक्लोस्टाइल द्वारा "विप्लवी" पत्र प्रकाशित होने लगा। सुताहटा, महिपादल, नन्दीग्राम आदि भी अपने बुलेटिन के अंक प्रकाशित करने लगे। सरकार से युद्ध घोषणा होने के पूर्व से ही जिले में वालेंटीयर्स के शिविर कायम हो चुके थे किन्तु आन्दोलन आरंभ होने के बाद तो शिविरों की तादाद सैकड़ों पर पहुँच गई। सरकार ने कई शिविरों को जला भी डाला और निरपराध लोगों पर काफी जुल्म भी किये। ये जुल्म सिर्फ इसलिये किये गये कि उनके गाँव में शिविर कायम किया गया है। किन्तु जनता में उस समय इतना जोश था कि अपनी व दूसरे गाँवों की सहायता से सरकार द्वारा जलाये जाने पर दूसरे शिविर आनन फानन स्थापित कर लिये गये। कई दिनों तक जनता और सरकार के बीच इसी प्रकार संघर्ष होता रहा। सरकार खीझकर शिविरों को जलाती रही और जनता उनकी जगह दूसरे शिविर कायम करती चली गई। आखिर कुछ ही समय में सरकार ने यह युद्ध भी बन्द कर दिया किन्तु तब तक काफी जनता बे घरबार हो चुकी थी।

इसके बाद तमाम सत्र डिवीजन में प्रतिरोध की कई आज्ञाएँ जारी हुईं। किन्तु जनता ने सरकार की किसी भी आज्ञा का पालन नहीं किया। यदि सरकार की किसी आज्ञा का पालन थोड़ा बहुत हुआ तो एक मात्र करफ्यू आर्डर का।

लोगों ने तमाम सरकारी आफिसों के बायकाट का आरंभ किया। तमाम अदालतें महीनों तक खाली पड़ी रहीं। दफ्तर में लोगों को काम न होने से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना पड़ा। रजिस्ट्रेशन आफिस का भी बायकाट कर दिया गया।

मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व दीगर स्थानीय जिले के बोर्डों पर सरकार के जबरदस्त क्रोध था क्योंकि इन बोर्डों को कांग्रेस ने सफलता पूर्वक अपने हाथों में ले लिया था। १९३० के अवज्ञा आन्दोलन के बाद ही सरकार ने इन्हें अपने कब्जे में लिया था। व्यावहारिक रूप से १९४० तक ये बोर्डस सरकारी अफसरों वगैर सरकारी सरकार परस्तों के हाथ में थे। १९४० के चुनाव में कांग्रेसी लोगों ने अधिकांश में इन बोर्डों पर फिर से कब्जा कर लिया था। ता० ८। ११।४ को तो तमाम बोर्ड कांग्रेस ने अपने हाथों में ले लिये। इसके अलावा क यूनियन बोर्ड्स भी कांग्रेस के कब्जे में आ गये थे। जब आन्दोलन आरंभ हो गया तो इन यूनियनों ने पैसा एकत्रित करना बन्द कर दिया और अपना सम्बन्ध केन्द्रीय आफीसरों से तोड़ दिया। चौकीदारों और दफेदारों की वर्दियाँ उनसे संग्रह करके जला दी गईं। जिन यूनियन बोर्ड्स ने कांग्रेसी प्रभुत्व नहीं माना कांग्रेस ने अपने कब्जे में कर लिये और उनके तमाम कागज पत्र जला दा गये। बाद में इनमें से तीन यूनियनों को सरकार ने स्वाधीनता संग्राम सम्मिलित होने के कारण जब्त करार दिया।

इतना करने के बाद जनता से अपील की गई कि वह सरकार को कि भी किस्म का टैक्स न कर न दे।

जनता इतना उत्तेजित और व्यग्र हो रही थी कि तमाम सरकारी दफ्तरों प अपना कब्जा करना चाहती थी। काम करने वाले मजदूरों की एक सभा

तारीख के पाँच दिन पहले ही हमलों का ठीक कार्य-क्रम मजदूरों ने तै कर लिया था। इस हमले में प्रायः १ लाख आदमियों—हिन्दू और मुसलमान—दोनों ने एक दिल से भाग लिया था। किसी खास कारणों से पन्सकुरा और मोयना नामक ताल्लुकों ने इस हमले में भाग नहीं लिया था।

२८ सितम्बर १६४२ की रात को, तामलुक से पन्सकुरा, तामलुक से महिषादल, तामलुक से नरघाट, कुकराहाटी से बालूघाट जैसी महत्वपूर्ण सड़कों तथा अन्य सड़कों को कतई बन्द कर देने के लिये दरख्त काटे गये। सड़कों की ३० नालियाँ तोड़ दी गई और २० बड़े-बड़े गड्ढे सड़कों पर खोदे गये। २७ मील लम्बी टेलीग्राफ और टेलीफोन की लाइनें काट दी गई और १६४ टेलीग्राफ के खम्बे नष्ट कर दिये गये। कोसे और हुगली के बीच की आने जाने वाली नावें डुबा दी गई। इतना करने पर भी सरकार को उसी रात को समस्त घटनाओं का पता किसी न किसी तरह लग ही गया। सरकार ने मिलिटरी की सहायता ली और देहातियों को पकड़ा। बन्दूक की नोकें उनके सीनों पर अड़ाकर उनसे तामलुक—पन्सकुरा सड़क साफ करवाई गई और २६ सितम्बर को ही वह सड़क इस कदर साफ करा दी गई कि उस पर से आसानी से मोटरें चलने लगीं। दूसरी सड़कों की सुधराई में सरकार को १०-१२ दिन लग गये। नावों का आवागमन जारी करने में सरकार के पूरे दिन व्यतीत करने पड़े। किन्तु उसी रात को तामलुक सब डिवीजन के तीन पुलिस थानों पर हमला किया गया। उसके दूसरे ही दिन नन्दी ग्राम थाने पर हमला हुआ। उन हमलों मे जो मरे और जो घायल हुए उन सबके शरीरों के सामने के भागों पर ही गोलियाँ और जखम लगे थे। तमाम सरकारी दफ्तर और प्रधानतया पुलिस के थाने ही जनता के हमले के प्रधान लक्ष्य थे। इसी दिन और इसके बाद के सात दिनों के भीतर ही निम्न लिखित स्थानों को जलाकर खाक कर दिया गया—१ पुलिसस्टेशन २ पुलिस की चौकियाँ, २ सब, रजिस्ट्रार के दफ्तर, १३ पोस्ट आफिस, ६ यूनियन आफिस मय उनके कागज पत्रों के, १० शराबघर और ४ डाक बंगले। महिषादल ताल्लुके में महिषादल राज्य के १३ आफिस जलाकर खाक कर दिये गये। ३५० चौकीदारों की वर्दियाँ एकत्रित करके खाक कर दी गई १३ सरकारी अफसर भी शामिल हैं, जनता द्वारा

गिरफ्तार कर लिये गये। उनके सरकारी नौकरी छोड़ देने के वायदे पर बाद में वे रिहा कर दिये गये। जनता ने उनके साथ कोई भी अनुचित बर्ताव नहीं किया। ६ रायफलें और कुछ तलवारें मात्र ही उनसे छीन ली गईं।

पूर्व निश्चियानुसार तामलुक ताल्लुके में दोपहरी में ३ बजे के करीब ५ जुलूस पांच भिन्न भिन्न दिशाओं से रवाना होकर एकत्रित हुए। पांचों जुलूसों में हिन्दू और मुसलमान तथा विशेषतया स्त्रियां सम्मिलित थीं। उस समय सारा शहर गोरी और काली सेना से पूर्ण रूप से घिरा हुआ था। तमाम सड़कों पर जो शहर को आती थीं, पुलिस लाठियों के साथ खड़ी थी और उसके पीछे मिलिटरी शस्त्रों से सुसज्जित थी। जुलूस की भीड़ इतने पर भी अहिंसात्मक शान्ति से अपनी कार्यवाई करने में दत्तचित्त थी।

इतने में ही पीछे पश्चिम की तरफ से ८००० आदमियों का एक जुलूस आया। ज्यों ही वह पुलिस थाने के करीब पहुंचा कि मि० महेन्द्र नाथ बेनर्जी की आज्ञा से पुलिस ने भयङ्कर लाठी चार्ज आरम्भ कर दिया। किन्तु जनता भी उस समय वास्तव में लोहे की बन गई थी। भयङ्कर से भयङ्कर लाठी चार्ज की भी उसने रत्ती भर परवाह नहीं की और इस नृशंस मार के बीच भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ती ही चली गई। आखिर को पुलिस को गोलियाँ चलाने का हुक्म हुआ। इसमें ५ व्यक्ति गोलियों की मार से मर गये। आखिर जनता तितर-बितर हो गई। इस गोलीबारी में कितने घायल हुए इसका पता नहीं चलता। कुछ ऐसे भी क्रान्तिकारी थे जिन्होंने गोलियों की कतई परवाह न करते हुए पुलिस थाने में प्रवेश कर दिया। पुलिस बराबर उन पर गोलियां दागती रही। फिर भी ये क्रान्तिकारी आगे बढ़ते ही गये। इस पर पुलिस डर कर थाने के भीतर घुस गई और वहाँ से गोलियाँ चलाती रही। परिणाम यह हुआ कि एक बहादुर क्रान्तिकारी गोली की मार से उसी जगह धराशायी हो गया। उसके गिरते ही भीड़ पीछे हट गई। जख्मियों को उनके साथियों ने उठा लिया और उन्हें रामकृष्ण सेवाश्रम पर ले आये। किन्तु पुलिस ने उनमें से एक घायल श्री० रामचन्द्र बेरा को जबरदस्ती जनता के हाथों में से छीन लिया और उसे ढोर की तरह उसी हालत में सड़क से [illegible] थाने [illegible] आये। [illegible] से बहुत खून जा रहा

था। किन्तु पुलिस ने थाने के मैदान में उसे वैसा ही पटक दिया। जब रामचन्द्र को कुछ होश आया तो वह अपने जख्मों की तकलीफों को एकदम भूल गया और बड़ी ही कठिनाई से अपने शरीर को जो गोलियों के कारण बिलकुल ही बेकार हो चुका था घसीटता हुआ थाने के दरवाजे तक ले गया। वहां उसका चेहरा जीत के उल्लास से एकदम लाल-गुलाल हो गया। वह एकदम चिल्लाया—"मैं यहाँ हूँ। थाने पर मैंने कब्जा कर लिया है"—इन शब्दों को कहते कहते उसकी चेतना नष्ट हो गई और वहीं गिर कर मर गया।

उत्तर की तरफ से दूसरा जुलूस रवाना हुआ जिसका नेतृत्व कांग्रेस की बहुत ही पुरानी कार्यकर्त्री श्रीमती मातंगिनी हाजरा जिनकी उम्र ७३ वर्ष की थी कर रही थीं। इस जुलूस को पुलिस आफीसर श्री अनिल कुमार भट्टाचार्य ने अपने दल के साथ रोक दिया। पुलिस ने इस जुलूस को एक तंग रास्ते पर जिसे "बनपुकुर" कहते हैं हमला किया। उसी समय भीड़ में से एक छोटे से लड़के ने निकल कर पुलिस के एक आदमी से एक बन्दूक छीन ली। इस लड़के का नाम लक्ष्मीनारायण दास था। इस पर पुलिस ने उसे बहुत ही निर्दयता के साथ पीटा। इस पर मातंगिनी देवी के नेतृत्व में भीड़ फिर आगे बढ़ी। पुलिस ने काफी अरसे तक गोलियाँ चलाईं। मातंगिनी देवी के हाथ में राष्ट्रीय ध्वजा थी। वे उसे मजबूती से थामे हुए आगे बढ़ती ही गईं। सरकार के बेरहम और असभ्य सेना ने उन्हें कई लठ मारे। मार से उनके दोनों हाथ शून्य हो गये फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथों से गिरने नहीं दिया। वे बराबर आगे ही बढ़ती ही गईं और पुलिस को उपदेश देती रहीं कि "स्वाधीनता के इस संग्राम में निहत्थी जनता पर गोलियाँ चलाने से बाज आओ"। पुलिस ने इन अमर शब्दों का उत्तर एक गोली से दिया जो मातंगिनी देवी के कपाल को चीर कर पार कर गई और वह वीर वृद्ध महिला वहीं धराशायी हो गई। वह धूल में बहुत देर तक पड़ी रही पर फिर भी उसकी पकड़ से राष्ट्रीय झण्डा अभी भी छूटा नहीं था। एक सरकारी आफीसर ने यह देखा तो वह लपक कर आया और राष्ट्रीय झण्डे को ठोकर मार कर उन मृतक हाथों से छीन कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। उसके पास ही लक्ष्मीनारायण दास नामक छोटे से बच्चे की लाश पड़ी थी।

उसके पास पुरिमा प्रामाणिक, नगेन्द्र नाथ सामन्त, और जीवन चन्द्र बेरा आदि की लाशें पड़ी थीं। पचासों व्यक्ति घायल कराह रहे थे। उनमें से कुछ को भीड़ के लोग उठा कर अस्पताल ले गये। यहाँ भी पुलिस ने जख्मियों को उठा कर ले जाने में रुकावटें डालीं। एक जख्मी पानी के लिये बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था। एक महिला ने उसकी सहायता की। वह सीधे तालाब पर गई, अपनी साड़ी भिगो कर लाई और उस जख्मी वीर के पास आकर उसके मुँह में साड़ी का छोर निचोड़ दिया। एक बेरहम सिपाही ने यह देखकर उस महिला की ओर बन्दूक तान कर उसे पानी देने से मना किया। इस पर महिला ने जोर से कहा—"तुम मुझे मार सकते हो, पर मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ" इस पर पुलिस के आदमी को उसे मारने का साहस नहीं हुआ।

इसी तरह दक्षिण की ओर से भी एक जुलूस रवाना हुआ। जब वह शकरशर पुल के पास पहुँचा तो सरकार की पुलिस ने उसपर भी गोलियाँ चलाना आरंभ कर दिया। इसमें निरंजन जाना की मृत्यु हो गई और पूरनचन्द्र मैत्री बुरी तरह घायल हुआ। मैत्री की दो दिन बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई। कई अन्य व्यक्ति भी बुरी तरह घायल हुए। कुछ जंगली सिपाहियों ने सेवा करने वाली महिलाओं का पीछा किया। वे महिलाएँ भी वीर रमणियाँ थीं जिन्होंने सामना करने के लिये घास काटने की थांठी और पानी की बाल्टियाँ हाथ में लीं और जोर से चिल्लाना आरंभ किया—"यदि तुम हमें जख्मियों की सेवा करने से रोकोगे तो हम तुम्हें इन थाठियों से काट कर फेंक देंगी" पुलिस ने फिर इनका पीछा नहीं किया। जो विशेष घायल हो गये थे, भीड़ के लोग उन्हें उठाकर अस्पताल ले गये।

दक्षिण पश्चिम की तरफ से इसी प्रकार एक जुलूस रवाना हुआ और वह लकड़ी के पुल को पार करता हुआ शहर में घुसा। उस समय मिलिटरी अफसर मि० शापूरं मौजूद थे। उसने जोर से जुलूस को लक्ष्य करके कहा—"जो गोलियों के सामने आना चाहता हो वह आगे बढ़े"। उस जुलूस का संचालन एक वीर महिला कर रही थी। सिर ऊँचा करके दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ी

तमाम लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया गया। गिरफ्तार किये हुए व्यक्तियों को खूब पीटा गया और बाद में ७ व्यक्ति के सिवाय सभी छोड़ दिये गये। इन सातों में एक महिला भी थी। इन सभी को २-२ साल की सख्त कैद की सजाएँ दी गईं।

पश्चिम से भी इसी तरह एक और जुलूस रवाना हुआ। उन पर बड़ी ही बेरहमी के साथ लाठी चार्ज किया गया और भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया।

इस प्रकार प्रायः २०,००० व्यक्तियों ने कतई अहिंसात्मक ढंग से निहत्थे होते हुए भी सरकारी सशस्त्र सेना का बहादुरी के साथ सामना किया। यद्यपि कई लोग गोलियों की बौछार से पीछे भी हटे फिर भी १०,००० से ऊपर व्यक्ति रात भर वहीं डटे रहे कि मौका आने पर फिर संग्राम छेड़ देंगे। लेकिन जब सरकार की सेना दल पर दल चढ़ती ही चली आई तो वे धीरे धीरे पीछे हट गये।

जिन परिवारों के व्यक्ति मर चुके थे, वे परिवार सरकार के पास अपने शहीदों के शव को मांगने के लिए पहुंचे परन्तु वहाँ उनका बुरी तरह अपमान हुआ और मारपीट कर भगा दिये गये।

गोलियों की बौछार के दिन तथा इसके बाद तमाम जिले भर में पूर्ण हड़ताल मनायी गई। इसके बाद सब्जी, मछली, दूध आदि का बेचना भी कतई बन्द कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार तामलुक-पन्सकुरा सड़क पर आ धमकी और स्वतः ही लोगों के बकरों, मुर्गियों आदि को पकड़ कर ले गई। शहर में दूध लाने वालों से दूध के घड़े और कुजड़ों से सब्जी की टोपलियाँ छीन लेना तो साधारण ही बात सरकार के लिये हो गई थी।

महिषादल ताल्लुके में भिन्न-भिन्न संगठनों ने जुलूसों का प्रबन्ध किया। ५,००० व्यक्तियों का एक जुलूस पूर्वी दिशा से आगे बढ़ा। महिषादल के पुलिस अफसर ने एक सिपाही जिसका नाम "G. Saheb" था उस दल को रोकने की चेष्टा की। यह "जी. साहब" महिषादल के जमींदार के शरीर रक्षक थे। जी. साहब ने अन्धाधुंध गोली चलाना आरंभ कर दिया जिससे

२ व्यक्ति मारे गये और प्रायः १८ व्यक्ति घायल हुए। इससे जुलूस थोड़ी दूर पर ही रुक गया।

दूसरा दल जिसका नाम "विद्युत वाहिनी" था, सुन्दा के कांग्रेस दफ्तर से रवाना हुआ तीसरा जुलूस पश्चिमीय दिशा से रवाना होकर दूसरे दल में शामिल हो गया। दोनों दलों में प्रायः २५००० व्यक्ति थे। यह दल थाने की ओर बढ़ा। जी. साहब, थानेदार व अन्य सिपाहियों ने मिलकर जुलूस पर गोलाबारी आरंभ कर दी। भीड़ थोड़ी देर को रुक गयी किन्तु फिर आगे बढ़ी। इस पर फिर गोली की वर्षा आरंभ हो गयी। इस पर भी जुलूस ने थाने पर चार हमले किये। थाने में घुसकर जनता ने थानेदार के मकान में आग लगादी। थाना प्रसिद्ध हिजली तिदल नहर के पूर्व में स्थित है। पुलिस बराबर गोलियाँ दागती ही रही। गोलीबारी महज एक ही दिशा में नहीं सर्वत्र ही हो रही थी। इसमें और दो व्यक्ति मारे गये।

नहर के पश्चिमीय भाग में १५० गज के फासले पर एक व्यक्ति मरा हुआ पाया गया। जहाँ वह पड़ा था वह स्थान मछली बाजार में ही था। कुल मिलाकर इसदिन २० व्यक्ति गोलियों के शिकार हुए और कितने जख्मी हुए इसका ठीक पता नहीं चल सका है। इसमें जी. साहब का प्रमुख हाथ था। उसे लोगों ने जमीदार के घर भागते जाते हुए देखा और वहाँ से वह सैकड़ों कारतूस लाया और पुलिस को दिये।

जब गोलियों की दनादन मार चल रही थी उसी समय बहादुर महिलाओं ने जख्मियों को उठाकर उन्हें उचित स्थान पर पहुँचाने में जबरदस्त वीरता का परिचय दिया। स्ट्रेचरों में रखकर घायल लोग कांग्रेस के अस्पताल में पहुँचाये गये। पुलिस इतनी नृशंसता पर उतारू हो रही थी कि उसने घायलों की सेवा करने वाली सेविकाओं तक पर गोलियाँ दागना जारी रखा। घायलों में ३ व्यक्ति ऐसे थे जो सख्त घायल हो गये थे। २ मरण प्राय हो रहे थे। सुभाषचन्द्र सामन्त और खुदीराम बेरा गिरफ्तार कर लिये गये थे। खुदीराम को बाद में छोड़ दिया गया। अन्य ५० व्यक्तियों के साथ सुभाषचन्द पर उन अरसे बाद मुकदमा चलाया गया। आखिर को सेशन अदालत से उनको रिहाई हो गयी।

पूर्व निश्चयानुसार २६-६-४२ को ४०,००० आदमियों का एक जुलूस पूर्व और पश्चिम से आकर सुताहटा थाने पर एकत्रित हो गया। इस जुलूस में विद्युत वाहिनी एवं भगिनी सेना शिविर शामिल थे। पुलिस आफीसर ने जुलूस को तितर-बितर हो जाने का हुक्म सुनाया। हुक्म सुनाना ही था कि लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जुलूस थाने पर झपटा। थाने की तमाम बन्दूक, गोलियाँ, बारूद आदि पर कब्जा कर लिया गया। तमाम थाने के सिपाहियों से वर्दी उतरवाकर उन्हें बाँध दिया गया। इतना कर चुकने के बाद तमाम थाने की चीजों को एकत्रित करके उन्हें आग लगादी और उसके बाद थाना भी जला दिया गया। जब थाना जल रहा था उस समय दो हवाई-जहाज नीची ऊंचाई पर उड़ते दिखाई दिये। उनमें से एक ने भीड़ पर एक बम गिराया किन्तु वह भूल से पास के तालाब में जा गिरा जिससे कोई हानि नहीं हो पायी। सेशन अदालत में बयानों के सिलसिले में पुलिस ने बताया था कि हवाई जहाज से बम नहीं वरन् आग पैदा करने वाला कोई तरल पदार्थ गिराया गया था।

विजयी दल फिर थाने के चारों ओर फैल गया और उसने खास महल आफिस, सब रजिस्ट्रार का दफ्तर, यूनियन बोर्ड आफिस आदि कई सरकारी दफ्तर, जला कर खाक कर दिये।

भीड़ ने जिन सरकारी व्यक्तियों को पकड़ा था, उनके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया गया। उनको दो चार दिन रोक कर उनके घर जाने का किराया देकर रवाना कर दिया गया।

३०-६-४२ को प्रायः दस हजार व्यक्तियों ने नन्दीग्राम पुलिस थाने को घेर लिया जिस समय वे थाने मे घुस रहे थे उस समय एक तंग रास्ते पर पुलिस ने उन पर गोलियाँ चला दीं। ४ व्यक्ति उसी जगह धराशायी हो गये और पाँचवाँ तामलुक ताल्लुके के अस्पताल मे मर गया। १६ व्यक्ति घायल हुए थे। वहाँ उन्होंने अफीम की दूकान, कर्ज सेटलमैन्ट आफिस, कचेहरी आफिस और पोस्टआफिस जलाकर खाक कर दिये।

इन हमलों का नतीजा यह हुआ कि सरकार ने बाहर से गोरी और काली काफी सेना मिदनापुर जिले में बुला ली। और मोर्चों के स्थानों पर मिलिटरी शिविर

—Statement of Dr. Mooker jee in the Bengal Legis latic Assembly on 12-2-43

तमाम समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध था इसलिये मिदनापुर जिले के जुल्मों की कहानी न तो बाहर छाप सकती थी न लोगों के जरिये बाहर जाही सकती थी। तूफान और बाढ़ के १७ दिन बाद एक छोटा सा नोट पत्रों में प्रकाशित हुआ। इस पर डाक्टर मुकर्जी बंगाल सरकार के मिनिस्टर की हैसियत से जांच के लिये आगे। जिन जननायकों ने उनके शुभागमन का स्वागत किया और जिन्होंने उनकी जांच में उन्हें मदद दी उन पर मुकर्जी के चले जाने के बाद रोज थाने पर हाजरी देते रहने का हुक्म जारी कर दिया गया। तूफान और बाढ़ के बाद भी लूट और मकानों का निरपराध जलाया जाना जारी ही रहा। डाक्टर मुकर्जी ने खुद मकान जलते हुए देखे जब कि वे जांच कर रहे थे।

जनता को भयानक विपत्ति में देख कर जिले के लोगों ने अपने क्रान्तिकारी प्रोग्राम एकदम बन्द कर दिये और सहायता के कार्य में दत्तचित्त हो गये। लाशों को जलाना, घायलों को प्राथमिक सहायता देना, तालाबों और सड़कों को साफ कराना, तथा अन्न और दवाइयों का प्रबन्ध करना आदि कार्य कांग्रेस ने अपने जिम्मे लिये। मृतक चौपाये नदी में डाल दिये गये और कुछ जमीन के अन्दर गाड़ दिये गये। लोगों को उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी गई। वाणिकों से ज्यादा जमा किया हुआ गल्ला लेकर भूखी जनता में वितरित किया गया। चावल और धान बाहर से लेकर सरकार कर्ज के देहातियों में तक्सीम किया गया।

जनता के दबाव के बाद, सरकार को भी इस ओर ध्यान देने को बाध्य होना पड़ा। और कुछ सहायक केन्द्र कायम हुए। ये केन्द्र शुद्ध सरकार द्वारा कायम हुए थे इसलिये इनके कार्यकर्त्ताओं के दिलों में जनता के प्रति कोई हमदर्दी तो थी ही नहीं। सहायता केवल उन्हीं लोगों को उदारतापूर्वक प्रदान की गई जिन्होंने आन्दोलन के समय, तूफान और बाढ़ के समय दिल खोलकर जनता पर जुल्म किये थे।

इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्त्ता सरकार के बेहद और मूर्खता और जंगली पन से पूर्ण जुल्मों से त्रस्त आकर इसको बिलकुल ही बन्द कर देने के लिये

कोई रास्ता सोच रहे थे। इसके परिणामस्वरूप ताम्र लिप्त जातीय सरकार की स्थापना की गई। यह सरकार भारतीय फिडरेशन के ढंग पर ही कायम हुई थी। इसका उद्देश्य भी यही था कि जब भारत में फिडरेशन कायम हो तो यह सरकार भी उसमें बिना किसी असुविधा के उसमें शामिल हो सके।

उस समय की विकटतम परिस्थितियों को मद्दे नज़र रखते हुए, चुनाव तो हो ही नहीं सकते थे फिर भी राष्ट्रीय सरकार के संचालन के लिए सरवधि-नायक (Director) कायम किया गया सरवधि-नायक की तैनाती कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्दर ही उसे अपने अधिकारों का उपयोग करना आवश्यक था। इसके लिए कांग्रेस ने उसके अधिकारों की रूपरेखा निश्चित कर दी थी। सरवधि-नायक को सबडिवीजनल कांग्रेस कमेटी की अनुमति से भिन्न-भिन्न विभागों के सचालन के लिये मिनिस्टरों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। सरवधि-नायक स्वयं युद्ध मंत्री बनाया गया। अन्य दूसरे महत्वपूर्ण विभाग कानून और प्रबन्ध, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, कृषि एवं प्रचार थे जो एकएक मिनिस्टर को सौंप दिये गये।

ताम्रलिप्त जातीय सरकार की स्थापना १७-१२-४२ को हुई और २६-१-४३ को सुताहटा, नन्दीग्राम, महिषादल और तामलुक नामक स्थानों पर जातीय सरकार का एक एक शाखा स्थापित किया गया जिससे कि जातीय सरकार जनता का नियंत्रण कर सके व अनुशासन कायम कर सके।

सर्वप्रथम "विद्युत वाहिनी" दल महिषादल में स्थापित हुआ था। इसके बाद तामलुक और नन्दीग्राम ने अपनी "विद्युत वाहिनी अलग स्थापित की। प्रत्येक विद्युत वाहिनी में एक G. O. C. तथा एक सेनापति कायम किया गया। विद्युत वाहिनी के निम्नलिखित विभाग किये गये—युद्ध दल, गुप्तचर विभाग, तीसरा एम्बुलेन्स। एम्बुलेन्स विभाग में शिक्षित डाक्टर, कम्पाउन्डर तथा स्ट्रेचर उठाने वाले नियुक्त किये गये। धायें भी शिक्षित ही रखी गई।

"मिदनापुर में जनता द्वारा स्थापित सरकार का कार्य विशेष सावधानी और सुव्यवस्थित रूप से संगठित था। प्रभावात्मक सूचना विभाग अपने कार्य में बहुत ही दक्ष था। शासन की प्रारंभिक सभी इकाइयाँ सुचारु रूप से काम में लाई जाती थीं रास्तारर घेरा डालना और मोर्चा बाधना इस कार्य पर अंग्रेजों

करता था और उस फैसले पर दोनों ही पार्टियाँ फौरन ही अमल करने लगती थीं। मुवाहटा जातीय सरकार अदालत में ८३६ मामले दायर हुए थे, नन्दीग्राम में २२२ महिषादल में १०५५ और तामलुक में ७६४ दायर हुए। कुल मिलाकर २६०७ मामले जातीय सरकार में लड़े गये। इनमें से १६८१ मामले आरम्भिक अदालतों में ही फैसले हो गए। थोड़े से ही मामले सबडिवीजनल जातीय सरकार अदालत में फैसला होने को पहुँचे। दस पाँच ही मामले स्पेशल ट्रिब्यूनल तक जा पाये।

जातीय सरकार के भंग होने के पूर्व ही उन मुकदमे वालों की फीसें लौटा दी गईं जिन्होंने अपने मुकदमे की दायरा फीस दाखिल करके मुकदमा कायम कराया था। अर्थात् जातीय सरकार के भंग होने के पहिले जितने मामले फीस दाखिल की जाकर जारी थे उन सभी के मुकदमे वालों को जातीय सरकार ने फीस वापस लौटा दी। जातीय सरकार का सम्मान इतना बढ़ा हुआ था कि कई मुकदमे वालों ने फीस वापस लेने से ही इन्कार कर दिया और यहाँ तक उन्होंने घोषणा कर दी कि फिर जब कभी जातीय सरकार कायम हो, उस समय हमारे मामलों के फैसले कर दिये जावें।

युद्ध विभाग—यह विभाग सिर्फ बदमाशों तथा जातीय सरकार की सुरक्षा के लिए ही जारी किया गया था। तूफान और मौसमी बाढ़ से चूँकि बेहद नुकसान हो चुका था और सरकार ने गरीब और असहाय जनता की रत्ती भर की मदद नहीं की थी इसलिये इस विभाग ने ज्यादातर अपने जिम्मे जनता की तकलीफों को निवारण का ही कार्य अपने हाथों में लिया।

स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग—इस विभाग ने अकाल और उससे होने वाले परिणामों पर विशेष जोर दिया। चावल, कपड़ा, धान और पैसा चारों ओर से संग्रह करके गरीबों की सहायता की गई। जातीय सरकार ने घूसखोरों और ब्लैकमारकेट करने वालों को नोटिस देकर इस कार्य से रोका और उन्हीं से हर जगह असहायों को सहायता करवाई। अकाल के भयंकर काल में जातीय सरकार के सेना शिविरों ने सिर्फ एक समय चावल और एक समय धान पर ही गुजर किया। सुबह वे २ छटाँक चावल और शाम को १/२ पाव भुने हुए चनों पर ही गुजर कर लेते थे। कई किस्म की दवाइयाँ भी वितरित की

जाती थीं। कुल मिलाकर ७६००० रुपयों के कपड़े, चावल, धान और दवाइयां बाँटी गईं।

न्याय और शासन विभाग—इस विभाग में गुप्तचर विभाग भी शामिल था। इस विभाग का मुख्य कार्य सबडिवीजन में शान्ति कायम करना था। इस विभाग ने कई आवारा और बदमाशों, चोरों और डाकुओं को गिरफ़्तार किया। मशहूर डाकू छोड़ दिये गए और उन्हें अपने अपराधों को करते रहने के लिये जोर भी दिया गया और थानों पर शिकायतें आने पर लोगों को सहायता देने से जातीय सरकार ने इन्कार भी कर दिया। जातीय सरकार ने इन अपराधियों को इस तरह स्वतन्त्र कर दिया कि उन्होंने स्वयं शरम के मारे ही इन गुनाहों से तोबा कर ली। इसका परिणाम यह हुआ कि मुश्किल से ही ५ फी सदी चोरी, बदमाशी और डाकों के मुकदमे अदालत में कायम हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जातीय सरकार का प्रत्येक कदम दृढ़ता ईमानदारी और मितव्ययिता के साथ ही उठता था जिससे जनता का उस पर गहरा विश्वास होता चला जाता था।

शिक्षा विभाग—कई स्कूलों को स्थायी मदद दी जाती थी। स्कूलों का योग्य इन्सपेक्टरों द्वारा हमेशा ही निरीक्षण करवाया जाता था।

इनके अलावा प्रचार और फायनेन्स विभाग भी थे। दोनों पर दो मिनिस्टर तैनात थे।

अत्याचारों और जुल्मों की कहानी—

महिषादल में ६ स्थानों पर पुलिस ने ६ बार गोलीबारी की। तामलुक में ४ स्थानों पर ४ बार गोलीबारी की गई। सुताहटा में २ स्थानों पर २ बार और नन्दी ग्राम में ४ स्थानों पर ४ बार गोलियाँ चलाई गईं। इन गोलियों की मार से महिषादल में १६ तामलुक में १२ नन्दी ग्राम में १४ और सुताहटा में २ यानी कुल ४४ आदमी घटनास्थलों पर ही मर गये। महिषादल में ५२ तामलुक में १५ नन्दी ग्राम में २४ और सुताहटा में ६ घायल हुए। यह स्पष्ट ही है कि घायलों की ठीक संख्या ज्ञात होना कठिन ही है। महिलाओं में सिर्फ एक ही स्त्री इस संग्राम में वीरगति को प्राप्त हुई। उसकी उम्र ७३ वर्ष

की थी। इनके अलावा ६ लड़के भी मारे गये जिनकी उम्र १३ से १६ वर्ष तक थी। जुलूसों और भीड़ों पर लाठी चार्जों की संख्या बेशुमार है। लाठी चार्जों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह थी कि लोग उसमें तनिक भी उत्तेजित नहीं हुए बल्कि शान्ति के साथ लाठियों का सामना किया। यह प्रमाणित हो चुका है कि लाटियों द्वारा या गोलियों द्वारा जो मनुष्य घायल हुए उनकी पुलिस ने रत्ती भर भी सहायता नहीं की। कई घायलों को पुलिस ने पकड़ लिया पर उन्हें अस्पताल न भेजकर थाने में ही उसी दशा में मरने दिया। जो लोग जनता के गहरे विरोध के परिणाम स्वरूप अस्पताल भेजे गये उनको बराबर डाक्टरी सहायता नहीं मिलने दी गई। कुछ अपरिचित व्यक्तियों ने जो सरकार के ही मुलाजिम थे ७४ स्त्रियों के साथ जिनाबिलजब्र किया। एक ऐसी भी अभागी स्त्री थी जो उस समय गर्भवती थी। व्यभिचार के परिणाम स्वरूप एक स्त्री वहीं मर भी गई।

जिनाबिलजब्र के लिए कई कोशिशें अमल में लाई गईं। कुछ घटनाएँ ऐसी भी हुईं जिनमें स्त्रियों ने बचने के लिए भागने की भी चेष्टा की। और कुछ घटनाओं में आततायियों के जुल्म से बचने के लिए स्त्रियों ने दल बन्दी करके अपना बचाव भी किया। कुछ स्त्रियों ने छुरियों से आततायियों को डरा कर अपना बचाव किया।

९ जनवरी १९४३ को ६०० सिपाहियों ने मसूरिया दिलो मूसरिया और चाँदी पुर नामक ग्रामों को जो महिषादल सब डिवीजन में हैं घेर लिया। उन्होंने देहातियों के मकानों को बरबाद कर दिया। ये आततायी सिर्फ लूट और बरबादी से ही सन्तुष्ट न हुए, वरन् उन्होंने एक ही दिन में ४६ स्त्रियों के साथ बलात्कार किया। बाद में ऐसा ज्ञात हुआ था कि मि० बी० आर० सेन० आय० सी० एस० जांच करने आये थे। लेकिन उनकी जांच का कोई भी परिणाम प्रकट नहीं हुआ।

ये तो स्त्रियों के साथ हुई बलात्कार की घटनाएँ पर स्त्रियों को छेड़ छाड़ और बेइज्जती के तो सैकड़ों वाके हुए। सिपाहियों ने असंख्यों स्त्रियों के शरीरों पर के गहने उतार लिये। कान के कर्ण फूल या बालियों को खींचने में कई स्त्रियों के कान के निचले भाग फट गये। बूढ़ी से लेकर १६ वर्ष

की लड़कियों तक को कोड़े मारे गये। छोटे छोटे बच्चों को भी बुरी तरह कोड़े लगाये गये। जब सिपाही किसी खास व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करते और उसका गांव भर में भी पता नहीं चल पाता था तो ये सिपाही जो सामने आ जाय उसी को कोड़े मारे चलते थे। विशेष कर बच्चों को निरपराध पीटा गया।

बे जवान चौपायों तक को मिलिटरी और सिपाहियों ने बहुत दुख दिया। ३०-१०-४२ को मिलिटरी ने डा० जनार्दन हाजरा का मकान जला डाला। हाजरा सुताहटा के पुराने कांग्रेस नेता थे। घर के लोगों ने चौपायों को बचा लेने के लिए उन्हें घर से बाहर निकालने की चेष्टा की। पुलिस ने, इस पर, घर वालों को भगा दिया और चौपायों को बाहर नहीं निकालने दिया। डाक्टर हाजरा के मकान में मकान के साथ ही पांच गाय, पांच बकरी, एक मुर्गी और एक बिल्ली जलकर राख हो गईं।

जनता को कई तरीकों द्वारा कष्ट पहुँचाया गया। सैकड़ों देहातियों को बिना भोजन दिये मीलों पैदल घसीटा गया और फिर उन्हें कड़ाके की सरदी में या तो वहीं छोड़ दिया गया या फिर उनसे ठन्डे पानी के तालाबों में डुबकियां लगवाई गईं। कई व्यक्तियों को बिलकुल नंगे करके उन पर सैकड़ों बाल्टी पानी उँड़ेला गया। हजारों आदमी निर्दयता पूर्वक पीटे गये यहाँ तक कि वे बेहोश होकर लुढ़क गये। मन्मथ नास्कर (रामनगर सुताहटा सब डिवीजन) और सुधीर दास (हाटीबेरिया ग्राम सुताहटा सब डिवीजन) को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनके मूत्र-स्थानों से खून बह निकला।

एक यूरोपीयन पुलिस अफसर ने लोगों को कष्ट देने का एक नया ही तरीका ईजाद किया। लोगों को पीटते पीटते बेहोश कर देना भी उस जुलम के आगे फीका पड़ गया। वह लोगों की गुदाओं में लकड़ी का रूल डालकर उसे घुमाता जिसे मजलूम को बहुत ही भयानक कष्ट होता। २७-३-४४ को पुलीलाल बेरा (हाटबेरिया सुताहटा सब डिवीजन) को सत्याग्रह करते हुए पकड़ा गया। एक आम० बी० आफीसर ने पहले तो उसे खूब ही पीटा और फिर उसकी मूत्र नली पर सोडा और नीबू का घोल पोत दिया। वह बेचारा उस कष्ट को सहन नहीं कर सका और उसने मुक्ति के प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तखत कर दिये। बाद में उसका महीनों इलाज होता रहा।

सुताहटा सब-डिवीजन में प्रायः २ हजार आदमी गिरफ्तार हुए थे। इनमें से महीनों हवालात में रखे जाकर उनको मुक्त कर दिया गया। कभी कभी हवालात १ वर्ष तक हो जाती थी। कई व्यक्तियों पर झूठे इल्जाम लगा कर उन्हें नजरबन्द कर दिया गया।

कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया, कितनों को नजरबन्द रखा गया, इसके सही आंकड़े दुष्प्राप्य हैं। प्रायः ५०० व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिये गये। सब से ज्यादा सजा साढ़े सात साल कठोर कारावास की हुई। कई स्त्रियों और बच्चों को भी साढ़े चार साल की सख्त सजाएँ दी गईं।

इस सब डिवीजन के कई व्यक्ति बिना मुकदमा चलाये ही नजरबन्द रखे गये। इसमें जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट, तामलुक स्थानीय बोर्ड के चेयरमैन, तामलुक बार के एक सदस्य, सुताहटा ग्राम के यूनियन के प्रेसीडेन्ट, सुताहटा थाना कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और महिषादल थाना कांग्रेस कमेटी के मंत्री थे।

कई व्यक्तियों को इसलिए भी सताया गया कि वे जातीय सरकार में ऊंचे दरजे के पुलिस आफीसर नियुक्त हुए थे। उनको रोजाना पुलिस थाना पर हाजिरी देने की आज्ञाएँ दी गईं। कइयों ने इन आज्ञाओं का उल्लंघन किया। उन पर मुकदमें चले और उनको सख्त सजाएँ दी गईं।

सुताहटा सब डिवीजन में १२४ मकान जलाकर खाक कर दिये गये जिनकी हानि प्रायः १,३६,०००) रु० होते हैं। राष्ट्रीय सैनिकों, खादीकेंद्रों और स्कूली इमारतों को जलाकर खाक कर दिया गया। कई मकानों को जलाने में पेट्रोल और घासलेट का तेल भी उपयोग में लाया गया।

४६ मकानों को खंडित कर दिया गया जिसमें प्राय ८०७५) रु० की हानि हुई। तूफान के बाद भी कई मकान जलाये गये।

१०४४ मकान लूटे गये जिनमें प्रायः २१२७६५) रु० की हानि हुई। पुलिस तलाशी लेने के बहाने मकानों में घुस जाती थी और फिर उन्हें लूट लेती थी। सोने और चांदी के जेवर, बेश कीमती कपड़े, सामान, नगद, सन्दूक आदि लूटी गईं।

२३ मकानों पर सरकार ने जबरन कब्जा कर लिया। इनमें हाई स्कूल M. E. स्कूल्स और शिक्षकों का ट्रेनिंग स्कूल भी शामिल है।

५७३० मकानों की तलाशियाँ ली गईं। तलाशी लेने में सशस्त्र १५ से लेकर ८० सिपाही तक घर में घुसते थे। उनके साथ बेशुमार गुण्डे भी रहते थे। मकानों के मालिकों को तलासी का वारन्ट नहीं बताया जाता था। कोई न कोई तो गुण्डई कर ही रहा है इसी बहाने पर जायदादें जब्त कर ली जाती थीं। कई जेवर जो तलाशी में लिए जाते थे उन्हें फेहरिस्त पर नहीं लिखा जाता था और मकान मालिक के सामने ही वे जेबों में रखलिये जाते थे। डरा धमका कर मकान वालों से तलाशी की चीजों की लिस्ट पर दस्तखत करवा लिये जाते थे।

सब डिवीजन का इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप नगदी नुक्सान प्रायः १०,००,०००, रु० का हुआ। यह जेवर छीन लेने, सायकिलें जब्त कर लेने, मोटरें और नावें जब्त कर लेने, मकानों और चीजों को मामूली कीमत पर बेच देने तथा मकानों और फसल को जलाकर खाक कर देने के रूप में हुआ। इस नुक्सान से कई घर बार हमेशा को ही नष्ट हो गये।

सब डिवीजन पर सामूहिक रूप में १,६०,०००) रु०, सरकारी जुर्माना हुआ। सुताहटा थाना के ११ यूनियनों पर ५०,०००) रु०, नन्दीग्राम थाने के ५, ८, १४ नम्बर के यूनियनों को छोड़कर शेष पर ५०,००० रु०, महिषादल थाने के १, २, ३ नम्बर के यूनियनों को छोड़कर ५०,०००, रु०, तामलुक थाने के १, २, ३,४, ११ नम्बर के थानों को छोड़कर शेष पर २५,००० रु०, व पन्सकुरा थाने के १६, १७, व १३, नम्बर के थानों को छोड़कर शेष पर १५,००० रु० सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया।

हिन्दुओं के धर्म का अपमान किया गया। हिन्दुओं के पवित्र ग्रन्थों को फाड़कर उन्हें जूतों से ठुकराया व कुचला गया। मूर्तियाँ मय जेवरों के सुराई व मन्दिरों को अपवित्र किया गया।

इनके सिवाय निम्नलिखित संगठनों को नाजायज करार दे दिया गया—

१—तामलुक थाना कांग्रेस कमेटी।

२—तामलुक सबडिवीजन कांग्रेस कमेटी।

३—वासुदेवपुर कांग्रेस आफिस।

४—फ्रेन्ड्स क्लब।

५—विद्युत वाहिनी।
६—सुताहटा कांग्रेस वालेन्टीयर दल।
७—महिषादल कांग्रेस वालेन्टीयर दल।
८—खेदाम चारी थाना कांग्रेस शिविर।
९—तेरा पेखिया बाजार कांग्रेस शिविर।
१०—खेकूटिया बाजार कांग्रेस शिविर।
११—चाँदी पुर कांग्रेस शिविर।
१२—के शापथ कांग्रेस आफिस।
१३—कोला घाट कांग्रेस आफिस।
१४—मोयना थाना कांग्रेस कमेटी।
१५—श्रीरामपुर वालेन्टीयर दल।
१६—ग्राम दल।
१७—ताम्र लिप्त जातीय सरकार।

५ नवम्बर १९४२ के सरकारी नोटिफिकेशन से मिदनापुर जिला कांग्रेस व उससे सम्बन्धित सभी कांग्रेस संगठन नाजायज करार दे दिये गये।

२९-९-४२ के क्रान्तिकारी आक्रमण के बाद तमाम सब डिवीजन की बन्दूकें छीन ली गईं। सिर्फ "राजभक्तों" को ही वे वापस कर दी गईं कईयों को तो आज तक भी नहीं लौटाई गई हैं।

सरकार तो आज भी अपने एजेन्टों के कुकृत्यों को दबाने की कोशिश कर रही है। १५-२-४३ बंगाल लेजिस्लेटिव असेम्बली में मिदनापुर जिले के कुकृत्यों के विषय में सरकार के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव रखा गया। उसके उत्तर में प्रधान मंत्री मि० फजलुलहक ने कहा कि "मिदनापुर में सरकार के अलावा और उसके बराबरी की दूसरी सरकार कायम है उसकी खुद की मिलिटरी और पुलिस भी है गुप्तचर शाखा भी है। उसकी जेलें भी हैं जहाँ लोगों को कैद किया जाता है। और कई तो ऐसे मामले हैं जिनमें वास्तव में ब्रिटिश सरकार का नामो निशान ही मिटा दिया गया है।"

वास्तव में यह उत्तर मिदनापुर जिले की जनता की बहादुरी, साहस और

राजनीति का जबरदस्त प्रमाण पत्र है। लेकिन इसमें वास्तविकता पर काला परदा ढक दिया गया है।

तामलुक सब डिवीजन ने भी भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में जबरदस्त भाग लिया था। यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है यह प्रामाणिक है। लोगों ने सरकार से जांच करने के लिये काफी दबाव डाला, विरोध किया किन्तु सरकार के कान की जूं तक नहीं रेंगी।

सरकारी एजेन्टों के भयंकर जुल्मों के कुछ प्रमाण पत्र

(१)

"मैं श्रीमती सिन्धु बाला मैत्री, अधरचन्द्र मैत्री की पत्नी हूं। मैं चाँदीपुर ग्राम (महिषादल सब डिवीजन) की रहने वाली हूं। मेरी उम्र १६ साल है। मेरा एक बच्चा भी है। ६-१-४३ को सुबह ६॥ बजे पुलिस अफसर मेरे मकान पर आया उसके साथ बहुत सी फौज भी थी। पुलिस सशस्त्र थी। वे मेरे पति को पकड़ कर ले गये। इसके बाद उन्होंने मुझ पर खूब बलात्कार किया। मैं बेहोश हो गई......। यह दूसरी मरतबा मुझपर बलात्कार हुआ।"

—इस स्त्री पर २७-१०-४२ को बलात्कार हुआ। दूसरी बार के बलात्कार के बाद यह स्त्री गरमी की भयंकर बीमारी के कारण मर गई।

(२)

"मैं श्रीमती खुदीबाला पण्डित श्री हरिपद की पत्नी हूँ। मैं चांदपुर (*महिषादल सब डिव जन*) की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र २१ साल है। मेरे तीन बच्चे हैं। ६-१-४३ को सुबह ६ बजे कुछ सैनिकों के साथ एक पुलिस आफीसर मेरे घर आया। मेरे पति को गिरफ्तार करके ले गये। पुलिस फिर मेरे मकान में घुस आई। और उस आफीसर के इशारे पर उन्होंने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और कसकर मुंह बाँध दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे धमकाया कि यदि चिल्लायेगी तो जान से मार दी जायेगी। फिर दो सिपाहियों ने क्रमशः मुझ पर बलात्कार किया। मैं बेहोश हो गई।

जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा पति खून से लथपथ वापस आ गया है"

यह स्त्री बलात्कार के समय गर्भावस्था में थी।

(३)

"मैं श्रीमती सुभाषिनी दास हूँ। मेरे पति मन्मथनाथ दास चांदीपुर ग्राम (महिषादल सब-डिवीजन) के हैं। मैं निस्संतान हूँ। मेरी उम्र २० वर्ष की है। ९-१-४३ को एक पुलिस आफीसर हमारे मकान पर आया। उसके साथ कई सिपाही थे। उन्होंने मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया और उसे ले गये। नलिनी राहा के इशारे पर मुझे दो सिपाहियों ने पकड़ कर मुंह बांध दिया और मुझे कहा कि यदि तुम चिल्लाई तो तुम्हें गोली मार दी जावेगी। इसके बाद उन दोनों सिपाहियों ने मुझपर बलात्कार किया। मैं शर्म और घृणा के मारे बेहोश हो गई......। मुझे आशा है कि आप मेरी इज्जत का खयाल करेंगे"

इस स्त्री ने तीन दिन के हैजे के बाद उसी दिन थोड़ा बहुत अन्न पेट में डाला था।

(४)

मेरा नाम बसन्त बाला मायरू है। मैं गिरीशचन्द्र मायरू की पत्नी हूँ। मैं दिहीमसूरिया ग्राम (महिषादल सब डिवीजन) की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र २५ वर्ष की है। मेरे एक बच्चा है।

९-१-४३ को O. C (बड़ा दरोगा महिषादल) अपनी सेना के साथ हमारे यहां आया। उसने मेरे पति को पकड़ लिया और उसे न जाने कहाँ ले गये। बड़े दरोगा के इशारे पर तीन सिपाही मेरे मकान में घुसे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया। उन तीनों सिपाहियों ने मुझ पर बलात्कार किया। मैं बेहोश हो गई.. होश में आने पर मुझे इतनी घृणा हुई कि मैं फिर बेहोश हो गई।

(५)

"मेरा नाम स्नेहबाला है। मेरे पति स्वर्गीय सुशील मुखोपाध्याय थे। चाँदीपुर (महिषादल) की रहनेवाली हूँ। मेरी उम्र २८ वर्ष है। मेरे

दो सिपाहियों ने चाँदीपुर ग्राम की एक स्त्री को पकड़कर उसका मुँह बाँध दिया और फिर उस पर बलात्कार किया !

४ बच्चे हैं। ६-१-४३ को एक पुलिस आफीसर मय सिपाहियों के मेरे मकान पर आया। कुछ सिपाहियों ने मेरे बड़े लड़के को पकड़ लिया और उसे कहीं बाहर ले गये। नलिनीदास के इशारे पर सिपाहियों ने मेरा मुंह बांध दिया और उन्होंने क्रमशः मुझ पर जोरों के साथ बलात्कार किया। मैं कुछ देर बाद बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने अपने लड़के को खून से लथपथ देखा।"

(६)

"मेरा नाम रायमणी परिया है। मैं सुवन परिया की स्त्री हूँ। मैं मसूरिया (महिषादल) की हूँ। मेरी उम्र ३० वर्ष की है। मेरे एक लड़का भी है। ६-१-४३ को ११ बजे एक पुलिस अफसर कुछ सिपाहियों के साथ मेरे मकान पर आया। उन्होंने मेरे पति को पकड़ लिया। मैं डरके मारे वहाँ से भागी और एक बाँसों की झाड़ी में जाकर छिप गयी। दो सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे घर पर ले आये। जब मैं जोर से चिल्लाने लगी तो उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे बन्दूक के कुन्दे से खूब मारा और जब मैं गिर पड़ी तो सभी ने मेरे साथ बलात्कार किया।"

भयंकर यातनाओं के प्रमाणों की कहानियाँ

(१)

"मैं बालूघाट बाजार में सत्याग्रह करने गया था। मुझे वहाँ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सुताहटा थाना पर ले गई। शाम हो जाने के बाद सिपाहियों ने उठाकर मुझे जमीन पर पटक दिया। मेरे कपड़े उतार कर मुझे नंगा कर दिया। इसके बाद उन्होंने मेरी मूत्र नली पर सोडा और चूना मिलाकर चुपड़ दिया। वह भयंकर वेदना मैं बरदाश्त नहीं कर सका। इसके बाद मुझ से एक प्रतिज्ञापत्र पर दस्तखत कराये गये और मैं मुक्त करा दिया गया। इसके उपरान्त मुझे महीनों अपनी डाक्टरी चिकित्सा करानी पड़ी। मुझे कई महीनों दुख उठाना पड़ा।"

दस्तखत—छबिलाल बेरा
हाटबेरिया ग्राम यूनियन नं० ११
सुताहटा ता: १-४-४४

(२)

"मैं शतीश चन्द्र मैती हूँ। बालूघाट बाजार में दूसरे ७ सत्याग्रहियों के साथ सत्याग्रह करता हुआ मैं गिरफ्तार हुआ। हम महिषादल थाने पर लाये गये। एक पुलिस अफसर मुझे थाने के एक कमरे में ले गया और मुझे खूब पीटा गया। इसके बाद मुझे तामलुक पहुँचा दिया गया। तामलुक थानेदार ने मुझे कतई नङ्गा कर दिया और बेशुमार कोड़े लगाये। मेरे चूतड़ों से खून बहने लगा। फिर उसने मेरे नाखूनों के नीचे उंगली में पिन चुभाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद उसने मेरी टांगों पर लकड़ी की टांगों के सहारे वजन लादना आरंभ किया। इस पर भी उसे सन्तोष नहीं हो सका। इसलिए उसने मुझे औंधा लेटाया और बूटों के सहारे मेरी छाती दबाना शुरू किया इस पर मेरे मुंह से खून जारी हो गया और खून की एक कै भी हुई। मेरे कानों में से भी खून जारी हो गया। उसने मुझे एक कागज पर दस्तखत करने को कहा। मैंने इन्कार किया तो उसने वही कृत्य फिर शुरू कर दिये। उसने सारे दिन मुझे अन्न नहीं दिया। इसके बाद उसने मुझे फिर सुताहटा थाने पर भेज दिया। वहाँ भी मुझे प्रतिज्ञापत्र पर दस्तखत करने के लिये बाध्य किया गया। मेरे इन्कार करने पर मुझे फिर बुरी तरह पीटा गया। इससे मेरे सीने में भयंकर वेदना होती है और मुझे सांस लेने में भी बेहद कष्ट होता है।"

दस्तखत—सतीश चन्द्र मैती
मछलन्दपुर—यूनियन नं० ८ महिषादल
ता: १ -५-४४

"ता: १३-४-४४ को मैं तामलुक थाने के रामतारक हाट ग्राम यूनियन नं० ४ में सत्याग्रह करने गया। ७ बजे सुबह पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और एक झोपड़ी में बन्द कर दिया। उन्होंने उस झोपड़ी में हमें कई किस्म की यातनाएँ दीं। ५ बजे शाम को हमें तामलुक ले गये। वहाँ एक पुलिस अधिकारी मुझे एक कमरे में ले गया। उसने मुझे बिलकुल नङ्गा कर दिया। उसके बाद मुझे खूब पीटा गया। उसके बाद उसने मुझे चौड़ी टांगें करके खड़ा किया और उसने उसकी उंगली मेरे गुदा स्थान में डालकर घुमाना शुरू

किया। इस वेदना से मैं तड़प उठा। १५ मिनिट तक इस वेदना को देने के बाद वह ठहर गया। इसके बाद ६ घंटे तक मुझे भोजन नहीं दिया गया। ३४ घन्टों बाद मुझे थोड़ा सा चाँवल दिया गया।"

दस्तखत सुधीराम कूला
बिरिंची बासान महिषादल
ता: १८-५-४४

ये हैं वे वास्तविक आंकड़े

जो गोलियों से मरे

दानीपुर—महिषादल सबडिवीजन

३ मृत—घटना की तारीख ४-६-४२

क्रम संख्या	नाम	उम्र	ग्राम
१	शशिभूषण माना	१८	बार अमृतबेरिया
२	सुरेन्द्र नाथ कर	२८	,,
३	धीरेन्द्र नाथ दीगर	३२	तिरकरमपुर
	ईश्वरपुर—नन्दीग्राम—सबडिवीजन		
	४ मृत—१ जख्मी घटना की तारीख २७-६-४२		
४	तारेन्द्र नाथ मण्डल	३२	गौरचक
५	बनू राणा	५४	बामूनारा
६	भूटा नाथ साहू	३५	,,
७	गोविन्द चन्द्र दास	४०	कुदुप
	बिन्दरावनपुर—नंदीग्राम सबडिवीजन		
	२ मृत ३ जख्मी		
८	गौरहारी कामला	१६	आजबरिया
६	गुणाधर साहू	३५	धन्यश्री

महिषादल पुलिस स्टेशन

१३ मृत—४१ घायल घटना की तारीख २६-६-४२

क्रम संख्या	नाम	उम्र	ग्राम
१०	भोला नाथ मैत्री	३६	बद्दीचक
११	श्रीहरि चरण दास	३२	,,
१२	आशुतोष कूला	१८	माधवपुर
१३	सुधीर चन्द्र हाजरा	२७	करक
१४	प्रसन्न कुमार भूनिया	४४	राजारामपुर
१५	पंचानन दास	३६	हरीखाली
१६	द्वारका नाथ साहू	५७	वाजपुर
१७	गुणाधर हन्टेल	४०	खकड़ा
१८	सुरेन्द्रनाथ मैत्री	२७	नाईगोपालपुर
१९	जोगेन्द्रनाथ मैत्री	३५	सुन्द्रा
२०	राखालचन्द सामन्त	२८	घामा
२१	खुदीराम बेरा	३०	निन्मीमारी
२२	सुरेन्द्रनाथ मैत्री	१६	सुन्द्रा

तामलुक शहर—शंकरारा पुल

पुलिस स्टेशन और दीवानी अदालत

१० मृत—२२ जखमी घटना का दिन २६-६-४२

२३	उपेन्द्रनाथ जाना	२८	स्वांची
२४	पूर्णचन्द्र मैत्री	२४	घाटोनाल
२५	रामेश्वर बेरा	४५	फर्द खाली
२६	विष्णुपद चक्रवर्ती	२५	निफारी
२७	श्रीमती मतंगिनी हाजरा	७३	अलीनन
२८	नागेन्द्रनाथ सामन्त	११	,,
२९	लक्ष्मीनारायणदास	१२	मापुरी
३०	जीवन कृष्ण बेरा	१८	,,

क्रम संख्या	नाम	उम्र	ग्राम
३१	पुरी माधव प्रामाणिक	१३	धरीबेरा
३२	भूषणचन्द्र जाना	३२	पाइकपारी

नंदीग्राम पुलिस स्टेशन

५ मृत १६ घायल घटना की तारीख ३०-६-४२

३३	बिहारीलाल करण	२२	अमृताला
३४	एस० के० अलाउद्दीन	४०	महम्मदपुर
३५	पुलिनबिहारी प्रधान	२५	सोधरवाली
३६	बहारीलाल हाज़रा	२४	हरिपुर
३७	परेशचन्द्र गिरि	३०	बहादुरपुर

वासुदेव पुर—सुताहटा सब डिवीजन

१ मृत ६ घायल घटना की तारीख १-१०-४२

३८	बृजगोपाल दास	१७	पाना

पूर्वी लद्‌धा—तामलुक सब डिवीजन

२ मृत ४ घायल घटना की तारीख ६-१०-४२

३९	विपिन बिहारी मण्डल	३२	किस्मत पुटपुटिया
४०	चन्द्र मोहन छीडा	१६	,,

घोल पुकुर—नन्दीग्राम सबडिवीजन

१ मृत ३ घायल घटना की तारीख ८-१०-४२

४१	सुधीराम दास	४०	चीरुलिया

श्री कृष्ण पुर—महिषादल ताल्लुका

४२ × (जख्मी) × घटना की तारीख १६-२-४३

इनमें से नम्बर ३२, ३७ अस्पताल में मर गये (*तामलुक ताल्लुका*)

कुल संख्या मृतकों की—४१ घायलों की तादाद—६६

जिन स्त्रियों पर बलात्कार हुआ

सुताहटा सबडिवीजन

				घटना की तारीख	तादाद बलात्कार करने वालों की
१	कमला बाला दलाल	१६	देवलपोटा		
२	(नाम नहीं बताना चाहती)	×	×	६-१-४३	२
३	,, ,,	×	×	×	×
४	,, ,,	×	×	×	×
५	,, ,,	×	×	×	×
६	,, ,,	×	×	×	×

तामलुक सबडिवीजन

७	जनाने पैसेन्जर ट्रेन की एक स्त्री	१३	मेचेड़ा स्टेशन	६-१०-४२	१
८	,, ,,	३०	,,	,,	१
६	एक कुलीन स्त्री	३६	बरगेचिया	६-१०-४२	१

नन्दीग्राम सब डिवीजन

१०	श्यामा चन्द दास की स्त्री	२५	पुरुषोत्तम पुर	१-१०-४२	२ गर्भवती
११	बिनोदिनी दास	२८	दिही कासिमपुर	११-१०-४२	
१२	मानिन्द्र जन की स्त्री	२२	भगवान खाली	११-१०-४२	
१३	एक सभ्य स्त्री	२६	रानी चाक	१३-१२-४२	
१४	शैलबाला दासी	२०	खाएडा पसरा	१६-१-४३	
१५	(जो नाम नहीं बताना चाहती)				
१६	,, ,,				
१७	,, ,,				
१८	,, ,,				

महिषादल सबडिवीजन

१९	चारु बा** करन	५०	लदुआ	२६-१०-४२	१

२१	चारु वाला हाजरा	२५	चाँदपुर	२७-१०-४२	१
२२	कुसुम कुमारी हाजरा		,,	,,	१
२३	सिन्धु वाला मैत्री	२१	,,	,,	२ इसके

पहिले भी बलात्कार हुआ। यह अत्याचार से मर गई

२४	एक स्त्री	२०	चूनार वाली	१-१-४३	१
२५	एक विधवा	२५	तेतुलवेरा	३-१-४३	१
२६	गंगाधर माजी की स्त्री		पूर्वा श्रीरामपुर	२१-४-४३	
२७	काननवाला मैती	+	मसूरिया	६-१-४२	१
२८	किशोरवाला कूला	१६	,,	,,	२
२९	हिरनवाला कूला	१७	,,	,,	३
३०	दिवानी वेरा	२४	,,	,,	२
३१	चारु वाला दास	१४	,,	,,	२
३२	अम्बिकावाला मैती	१६	,,	,,	१
३३	राजवाला बेरा	१५	,,	,,	१
३४	कुसुम कुमारी बेरा	३२	,,	,,	१
३५	भागवाला देई	१६	,,	,,	२ विधवा
३६	तुकूवाला वेरा	१६	मसूरिया	६-१-४३	३
३७	रासमणी पाल	१५	,,	,,	१
३८	किरनवाला कूला	२६	,,	,,	१
३९	शैलवाला	२२	,,	,,	१
४०	चिकनवाला मण्डल	१६	,,	,,	२
४१	किरनवाला गयान	१६	,,	,,	२
४२	स्नेहलता दींडा	१६	,,	,,	१
४३	पन्नीवाला घर	२६	,,	,,	१
४४	रायमणि परिया	३०	,,	,,	१
४५	किरन बाला सीय	३२	,,	,,	२
४६	सुशीलवाला पाल	२२	,,	,,	२
४७	द्रौपदी माजी	२४	,,	,,	१

४८	नीरदबाला देवी	३५	मसूरिया,,	६-१-४३	२
४६	शैलबाला मैती	२२	,,	,,	३ विधवा
५०	प्रमदाबाला भौमिक	२५	चांदीपुर	,,	३
५१	चारुबाला हाजरा	२४	,,	,,	२
५२	सत्यवति भौमिक	२४	,,	,,	३
५३	प्रभावती भौमिक	२१	,,	,,	३
५४	करुणाबाला भौमिक	२१	,,	,,	२
५५	प्रमिलाबाला भौमिक	२०	,,	,,	३
५६	राजबाला भौमिक	२५	,,	,,	२
५७	स्नेहलता मुकर्जी	२५	,,	,,	१
५८	सुवासिनी दास	२०	,,	,,	२ विधवा
५६	सुधीबाला पण्डित	२४	,,	,,	२
६०	जसुमति मैती	२८	,,	,,	२ गर्भवती
६१	सत्यबाला सामन्त	४१	दिही मसूरिया	,,	२
६२	विमला सामन्त	२४	,,	,,	२
६३	शानदा बार	२८	,,	,,	२
६४	गुणबाला बार	३१	,,	,,	४
६५	कमलाबाला मैती	१७	,,	,,	२
६६	रामकिशोरी बार	२२	,,	,,	३
६७	नीरदबाला पाल	२२	,,	,,	१
६८	पन्तीबाला पार	२७	,,	,,	२
६	गंगाबालादेई	१६	दिहोमसूरिया	६-१-४३	२
०	अहिल्याबाला	१६	,,	,,	×
१	बसन्तबाला	+	,,	,,	×
२	सिन्धुबाला मैती	१६	चांदीपुर	,,	१ इस स्त्री

पर पहिले भी बलात्कार किया गया था और गरमी की बीमारी से मरगयी

३	सत्यबालादेई	१८	फटाटीकिरी	५-२-४४	२

मकान जलाये गये और धन हानि

मौसूमी तूफान (Cyclone) के पहिले पुलिस ने ५२ मकान जलाकर खाक कर दिये। ६४ मकान तूफान के बाद जलाये गये। कुल ११६ मकान जला कर राख कर दिये गये।

क्रमांक	मकान मालिक का नाम	ग्राम	तारीख घटना	तादाद धन हानि
१	डा० जनार्दन हाजरा	सीतावरिया	३-१०-४२	३०००)
२	अमूल्य चरन खटुआ	अनन्तपुर	"	६०००)
३	अनिल कुमार खटुआ	"	"	६०००)
४	जतीन्द्रनाथ खटुआ	"	"	६०००)
५	अश्विनी कुमार खटुआ	"	"	६०००)
६	जीतीन्द्र नाथ मैती	राजारामपुर	"	१०००)
७	आर्य मिशन हाउस (भुवन बेरा का मकान)	रामगोपाल	×	१५०)
८	कन्हाई लाल जन (खादी की दूकान)	चैतंद्मपुर	६-१०-४२	२०००)
९	भुवन बेरा	रामगोपालचक	"	२००)
१०	कौकिल दास चन्द	पन	७-१०४२	२००)
११	सुरेन्द्रनाथदास	"	"	२००)
१२	तारक चन्द्रप्रामाणिक	विरची बेरिया	८-१०-४२	५००)
१०	धैर्य प्रामाणिक	"	"	७००)
१४	क्षेत्र प्रामाणिक	"	"	३५०)
१५	गोरवा प्रामाणिक	"	"	८५५)
१६	रामहरि प्रामाणिक	"	"	३२५)
१७	तारिनी कुमार तुन्गा	भुनियारायचक	"	१४०००)
१८	नानी गोपाई सामन्त	"	"	८००)
१९	छपोकेष धंर	यूनिया रायचक	८-१०-४२	४००)
२०	जामिनी कान्त माजी	जय नगर	९-१०-४२	९५०)
२१	उपेन्द्र नाथ बेरा	"	"	८००)
२२	अम्बिका चरन घेरा	"	"	७०००)

२३	बसन्त कुमार घोरा	"	"	५५०)
२४	भूषण चन्द्र घोरा	"	"	५५०)
२५	शरत चन्द्र मैती	"	"	६५०)
२६	इन्द्र नारायण मैती	"	"	३५०)
२७	मुकुन्द लाल मैती	"	"	३००)
२८	इन्द्र नाथ मन्ना	"	"	३५०)
२९	भूतनाथ घोरा	"	"	३५०)
३०	गजेन्द्र नाथ धर	"	"	३५०)
३१	धीरेन्द्र नाथ धर	"	"	३५०)
३२	विभूति भूषण बेरा	"	"	७५०)
३३	गुराई चन्द्र बेरा	"	"	२५०)
३४	मन्मथ नाथ बेरा	"	"	५००)
३५	गुणाधर बेरा	"	"	७००)
३६	मन्मथ नाथ बेरा (छोटा)	"	"	८००)
३७	नन्दे गोपाल बेरा	"	"	८००)
३८	एकादशी बेरा	"	"	२५०)
३९	ज्योति प्रसाद घोर	"	"	७००)
४०	राखाल चन्द्र घोर	"	"	३५०)
४१	मुक्ति सोपान गृह	हादिया	१५-१०-४२	५००)
४२	विनोद विहारी मैती	बृजलाल चक	"	१०००)
४३	हरिजन विद्यालय	ईश्वरदा	"	३००)

महिषादल सबडिवीजन

४४	थाना कांग्रेस आफिस	सुन्दरा	५-१०-४२	१०००)
४५	नीलमणि हाजरा	राजारामपुर	१५-१०-४२	८५०)

नन्दीग्राम सबडिवीजन

४६	कांग्रेस आफिस	ईश्वरपुर	२९-९-४२	४००)
४७	गिरिश चन्द्र दास	"	"	१५०)

४८	नील कान्त दास	ईश्वरपुर	२६-६-४२	१५०)
४६	शशिभूषण	हनूमुनिया	८-१०-४२	२००)
५०	कांग्रेस आफिस	घोलेपुकुर	"	५००)
५१	हरधन प्रधान	चांदीपुर	११-१०-४२	३००)
५२	मखन लाल मिद्दा	रतनपुर	१२-१०-४२	२५०)

मौसमी तूफान के दिन की जायदाद और धन हानि

सुताहटा सबडिवीजन

५३	शतीश चन्द मैती	बाबूपुर	१६-१०-४२	३०००)
५४	आशुतोष मैती	"	"	२५००)
५५	मृगेन्द्र नाथ मैती	"	"	२०००)
५६	पूरन चन्द्र मैती	"	"	२५०)
५७	केदार नाथ दास	"	"	४००)
५८	भगवती चरित मैती	चैतन्नपुर	"	२०००)
५६	श्रीधर चन्द्र साहू	बाबूपुर	२३-१०-४२	१००)
६०	पूरन चन्द्र मैती	"	"	४००) दूसरी बार
६१	सतीश चन्द्रनायक	"	"	१००)
६२	केदार नाथ दास	"	"	१००) दूसरी बार
६३	सतीशचन्द्र मैती	"	"	१००) दूसरी बार.
६४	जोतीन्द्र नाथ जन	गौवारिया	२४-१०-४२	१०००)
६५	सुकुमार मैती	श्यामलत	"	३०००)
६६	केदारनाथ मैती	बर्गम्य घाट	"	१०००)
६७	परिश चन्द्र मैती	"	"	१००)
६८	भुवन चन्द्र मैती	"	"	२००)
६६	जोगेन्द्र नाथ माल	"	"	२५०)

७०	श्रीधर चन्द्र मण्डल	मुरारी चक	,,	२०००)
७१	पंचानन मण्डल	,,	,,	३५०)
७२	देवेन्द्र नाथ सामन्त	,,	,,	१५०)
७३	सुरेन्द्र नाथ सामन्त	,,	,,	१०००)
७४	इन्द्र नारायण सामन्त	,,	,,	१५०००)
७५	कृष्ण प्रसाद बेरा	मुरारी चक	२४-१०-४२	६००)
७६	कालीपद बेरा	,,	,,	३००)
७७	नाट्य मन्दिर	,,	,,	३००)
७८	महेन्द्र नाथ बेरा	,,	,,	७००)
७९	भुवन चन्द्र मैती	पाना	२६-१०-४२	२००)
८०	मुकुन्द लाल मन्ना	,,	,,	२५०)
८१	पंचानन मन्ना	,,	,,	२००)
८२	नगेन्द्रनाथ रीथ	,,	,,	१५०)
८३	अविनाश चन्द्र मैती	दरोबेरिया	,,	१००)
८४	नन्द लाल मुनिया	पाना	,,	५००)

महिपादल सबडिवीजन

८५	शरत् चन्द्र बाग	गोलबेरिया	२४ १०-४२	१०००)
८६	कांग्रेस आफिस	धुनाखाली	२७-१०-४२	३००)
८७	नन्द लाल दास	बैटकुन्डू	२६-१०-४२	२०००)
८८	गजेन्द्र नाथ दास	,,	,,	२०००)
८९	सुरेन्द्र नाथ दास	,,	,,	२०००)
९०	भवेन्द्र नाथ भौमिक	चांदीपुर	२९-१०-४२	६०[illegible]
९१	हृषीकेश भौमिक	,,	,,	१५०)
९२	नीलमणि मैती	लदया	३०-१० ४२	२००)
९३	प्रबोध चन्द्र बेरा	,,	,,	५५०)
९४	श्रीधर चन्द्र जन	,,	,,	१०५०)
९५	पंचानन बेरा	कालिका कुन्डू	,,	११०)

इस लेख के प्रस्तुत करने में निम्न लिखित पुस्तकों व रिपोर्ट की विशेष सहायता ली गई है।

1—Gandhi Uiceroy Correspondence Navjwan prees Ahmedbad.

2—*India Unreconciled-Hindustan Times Delhi.*

3—Report of non official Committee published in the Indian paPers.

4—Report on Cyclone 8 Tidal bore of 1942 vol I.

5—Newspapers Cuttings.

---

९६ भूपति चरण पत्रा	,,	,,	१२५०)
९७ सीतापति चरण पत्रा	,,	,,	१२०७)
९८ प्रबव चन्द्र कूला	,,	,,	१४००)
९९ मन्मथ नाथ कूला	,,	,,	१०००)
१०० अतुल चन्द्र कूला	,,	,,	३००)
१०१ हीरालाल कूला	,,	,,	३००)
१०२ भूतनाथ कूला	,,	,,	२५०)
१०३ धनुधज कूला	,,	,,	२२०५)
१०४ पुलिन विहारी कूला	कालिका कुन्डी	३०-१०-४२	३५०)
१०५ महेन्द्र नाथ कूला	,,	,,	५५०)
१०६ धीरेन्द्र नाथ कूला	,,	,,	८००)
१०७ पंचानन कूला	,,	,,	३५०)
१०८ आशुतोष गुरा	,,	,,	२००)
१०९ आशुतोष जन	लखन.	,,	५००)

नन्दीग्राम सत्रजिर्वाजन

११० जैवीकुसुम मकुदास	धन्य श्री	२७-१०-४२	४६००)
१११ सतीश चन्द्र साहू	खुदामबारी	३०-१०-४२	१५००)
११२ मृत्युन्जय साहू	,,	,,	१०००)
११३ विहारीलाल साहू	,,	,,	१५०)
११४ सृष्टिधर पाल	धन्य श्री	,,	१५०)
११५ सुधीर चन्द्र दास	बवुहया	२-११-४२	३००)
११६ बालराम दास	,,	,,	७००)

कलकत्ते में अगस्त आन्दोलन के आरंभ का रहस्य !!!

कलकत्ते में आन्दोलन किस प्रकार आरंभ हुआ, इसका वास्तविक वर्णन करते हुए श्री० पुण्य प्रिय दास गुप्ता लिखते हैं—

"१६४२ की ६ अगस्त को रविवार होने के कारण कलकत्ता यूनिवर्सिटी बन्द थी और शहर भर में शान्ति थी। कलकत्ता जो बाद में तूफान का केन्द्र बन गया रविवार होने के कारण उस दिन तो बिलकुल ही शान्त था। दूसरे दिन सोमवार को भी कलकत्ता के शेष भारत की पंक्ति में अपना नाम नहीं लिखाया जहाँ कि गोलियों की सनसनाहट और लाठियों की खड़खड़ाहट साफ सुनाई पड़ रही थी।"

"कुछ सालों से बंगाल की राजनीति का रुख बहुत कुछ बदल गया है। १६३० से ही बंगाल ने हलचल का स्वरूप ही बदल दिया है। बंगाल ने प्रचार का, संगठन का, राजनीति का और किसी विचार धारा की तह तक पहुँचाने का अनोखा ही रास्ता निकाल लिया है। इन सभी शक्तियों का केन्द्र वास्तव में बंगाल में विद्यार्थी ही हैं।"

"१० अगस्त की दोपहरी में अचानक ही लड़कों में सनसनी फैल गई और लड़कों की भीड़ आशुतोष बिल्डिंग के कमरा न० ११ में एकत्रित होने लगी। अपनी स्थिति की महत्ता के कारण यह कमरा क्लास रूम के बजाय सम्मिलित होने के हाल की तरह ही वर्षों से उपयोग में लाया जाता था। जैसा कि आम तौर पर होता रहा है, कम्यूनिस्ट वक्ताओं ने ही अग्र स्थान ग्रहण किया। वह सभा थोड़ी ही देर में बड़ी ही फुर्ती के साथ जुलूस के रूप में परिवर्तित हो गई। इस जुलूस में तमाम विद्यार्थी सम्मिलित थे। वे वहाँ से उत्तर

की ओर इसलिये रवाना हुए कि और भी कालेजों के विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित किया जावे। लेकिन इसकी कोई खास आवश्यकता थी नहीं। क्योंकि बाहर निकलते ही विद्यार्थियों को चारों ओर से दूसरे कालेजों आदि के विद्यार्थी गण यूनिवर्सिटी के हाते की ओर चले आ रहे थे। आखिर सभी विद्यार्थियों ने पूरी भीड़ के साथ ही वेलिंगटन स्क्वायर पहुँचाने का इरादा कर लिया।"

"रास्ते में नारे लगाने के दो ढंग इख्तयार कर लिये गये। एक दल का नारा था कि जापान को रोका जाय और दूसरे दल का नारा था—"भारत छोड़ो"। वेलिंगटन स्क्वायर में पहुँचते हुए कुछ लड़कों में विरोध भी हुआ पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई जिसका लिखना आवश्यक हो। इस विरोध से एक बात अवश्य सामने आई। वह यह कि विद्यार्थी अपने इस मतभेद को जनता के सन्मुख किस प्रकार रखें और जनता किस प्रकार उसको अनुभव करे। इसलिये फिर दूसरे दिन तमाम विद्यार्थी कमरा नं० ११ पर एकत्रित हुए। क्रान्तिकारी जल्दी ही आगये थे इसलिये उन्होंने स्वयं ही सभापति अपने में से ही चुन लिया। लेकिन कम्यूनिस्टों ने मूलोद्देश्य को नष्ट करके ऊपरी लाभ की तरफ ध्यान देने से साफ इन्कार कर दिया नतीजा यह हुआ कि दोनों दलों में कहा सुनी उड़ गई और कोई भी परिणाम नहीं निकला। इस प्रकार दूसरा दिन भी समाप्त हो गया।'

"चारों तरफ के समाचारों से यह स्पष्ट था कि कलकत्ता को आन्दोलन में उतरना ही चाहिये। लेकिन यह हो कैसे? दूसरे ही दिन कम्यूनिस्टों का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने व्यंगात्मक ढंग से आन्दोलन की सहायता करने से इन्कार किया था। अब तो मार्ग स्पष्ट ही था। इसके बाद हमेशा की ही तरह एक मीटिंग हुई जिसमें बहुत ही बेदर्देपन से कम्यूनिस्ट लोगों ने ऐसी कमेटी बनाने से साफ ही इन्कार कर दिया जो आन्दोलन में सहायक हो। आगे चलकर कम्यूनिस्ट लोग आन्दोलन के विचार विनिमय से बिलकुल ही अलग हो गये।"

"इसके चार दिनों के बाद ही दो शान्त व्यक्ति यूनिवर्सिटी के बरामदे में से चुपचाप निकले और उन्होंने सीधा सड़क का रास्ता लिया। उनके पास न तो निशान थे, न झण्डा था और न कोई अन्य प्रदर्शन ही। सड़क पर पहुँच कर वे ४६ हो गये। आगे सड़क पर स्कूलों के लड़के भी शामिल हो गये और वे

सीधे वेलिंगटन स्क्वायर की तरफ चल पड़े। यह बिलकुल सत्य है कि वह जुलूस महज आकस्मिक घटना ही है।"

"कम्यूनिस्ट लोगों ने फिर लूट खसोट आरंभ कर दिया। अपने हाथों में भरण्डा लेकर वे २०० लड़कों और लड़कियों को लेकर जुलूस के साथ निकले और अपने ही नारों को लगाते हुए उन्होंने दूसरे विद्यार्थियों को फोड़ने की चेष्टा भी की। वे भी वेलिंगटन स्क्वायर की ओर रवाना हुये पर मार्ग में पुलिस का दृढ़ जमाव देख कर के सीधे उत्तर की ओर मुड़ गये। मार्ग में जितने भी विद्यार्थी उनसे फोड़े जा सके, वे फोड़कर अपने साथ ले गये।"

"इसके बाद कम्यूनिस्टों ने दूसरी शरारत यह की कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के पास ही मुहम्मद अली पार्क में सभा करने का निश्चय किया। यह जगह कम्यूनिस्टों के लिये यूनिवर्सिटी के पास ही होने के कारण बहुत ह लाभप्रद थी।"

"उन ४६ व्यक्तियों ने इन कम्यूनिस्टों की बातों और प्रदर्शनों तथा विरोधों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे इन बातियों में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे। कम्यूनिस्टों ने कुछ विद्यार्थियों का पीछा किया और उन पर हमला भी कर दिया।"

यूनिवर्सिटी के पास पहुँचते ही पुलिस ने उन ४६ की भीड़ को रोक दिया और विद्यार्थियों को कहा कि वे पार्क में नहीं जा सकते! इसका भी कम्यूनिस्टों ने फायदा उठाया। इस होहल्ले का फायदा उठाकर पीछे की पंक्तियों के विद्यार्थियों को उन्होंने खूब ही आतंकित किया। इसके बाद पुलिस ने एकदम हमला कर दिया।"

"पुलिस ने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को फोन पर कहा कि वे सशस्त्र पुलिस को अन्दर बुला लें जिससे ठीक इन्तजाम हो सके। बस यहीं से कलकत्ते में आन्दोलन का श्री गणेश होता है।"

अलीपुर कैम्प जेल—एक जीवित रौरव नरक !!!

१९४२ की १४ सितम्बर को सुबह मि० हाऊ (How) सुपरिन्टेन्डेन्ट अलीपुर कैम्प जेल ने २५० राजनीतिक बंदियों पर लाठी चार्ज करने का हुक्म दिया। जिन पर लाठी चार्ज हुआ उनमें कुछ दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति, कुछ वकील, कुछ डाक्टर, कुछ ग्रेज्यूएट्स और बहुत से कालेज के विद्यार्थी थे।

घटना के दिन बिलकुल ही शान्तिपूर्ण वातावरण था। नजरबन्दियों ने हमेशा के अनुसार ही भोजन किया और आपस में बैठे गप्पें लगा रहे थे। कुछ बाहर खेल रहे थे और कुछ अन्दर पढ़ रहे थे। इसके पहिले जेल के वार्डन और एक कैदी में कुछ कहा सुनी हो गई थी जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं था। लेकिन अचानक एक सीटी की आवाज सुनाई दी और चारों तरफ के वार्डन ब्लॉक की तरफ भागते हुये दिखाई दिये। वार्डन जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उसी समय सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल, जेलर तथा अन्य अधिकारी भी वहां आ पहुँचे और उनके साथ ही रिजर्व पुलिस कान्स्टेबल्स भी सशस्त्र आ गये। सुपरिन्टेन्डेन्ट ने Attention—"सावधान" हो जाने का आर्डर दिया और उसके बाद लाठी चार्ज शुरू हुआ। लाठी चार्ज से सारा वातावरण गहन धूमिल हो गया और कैदी वृक्षों की तरह धरती पर गिरने लगे। सीटी पर सीटियाँ लग रही थीं। जो दृढ़ कैदी मार खाकर भी उठने की चेष्टा कर रहे थे उनकी पीठ पर फिर जोर के वार हो रहे थे। चारों ओर ब्लॉक में खून ही खून फैल रहा था और कैदी भी सभी खून से लथपथ हो चुके थे। ब्लॉक का यह दृश्य वास्तव में जितना भयानक था उतना ही दयनीय भी।

इसके बाद कुछ वार्डन, सुपरिन्टेन्डेन्ट के साथ सीधे ब्लाक में घुस आये। और उन्होंने भी मारना आरंभ किया। पहिले कैदी की नाक में लाठी लगी

अलीपुर कैम्प जेल में सुपरिण्टेण्डेण्ट ने कैदियों के सिरों, कंधों
कोहनियों और हाथों पर लट्ठ बरसाये !

देवरिया में एक कांग्रेसी वालेन्टियर को गोली का निशाना बना दिया
गया और तीन घायल हुए !

अलीपुर कैम्प जेल में सुपरिण्टेण्डेण्ट ने कैदियों के सिरों, कंधों कोहनियों और हाथों पर लट्ठ बरसाये !

देवरिया में एक कांग्रेसी वालेन्टियर को गोली का निशाना बना दिया गया और तीन घायल हुए !

और नाक से खून जाने लगा। दूसरे की पीठ में दो लाठियाँ जम कर लगीं और वह भी बेहोश हो गया। इसी तरह सभी कैदी बड़ी ही बेरहमी से पीटे गये। सभी सख्त घायल हो चुके थे।

सुपरिन्टेन्डेन्ट ब्लॉक में घुस कर लोगों को निर्दयतापूर्वक पीट तो रहा था पर उसका सीधा हाथ हमेशा पिस्तौल पर ही रहता था। वार्डनों और सुपरिन्टेन्डेन्ट ने लोगों को गिनगिन कर इस तरह से पीटा कि २५० के २५० ही बेहोश हो गये।

उसी समय सुपरिन्टेन्डेन्ट को एक पाखाने में चिल्लाने की आवाज आई। यह आवाज उन कैदियों की थी जो उस घटना के समय टट्टी में थे। उन्हें वहीं घेर कर पीटा गया।

अचानक ही वार्डन्स ने आर्डर दिया कि बड़े कमरे में एकत्रित हो जाओ। लोग समझ गये कि सुपरिन्टेन्डेन्ट वहाँ कुछ शिक्षायें देगा। सबको उस तंग कमरे में सिमट कर बैठ जाने का आदेश दिया गया।

उसकी बातें सुनने के लिये लोग बैठ गये लेकिन उसने फिर उस तंग कमरे में भी लाठी चार्ज का आर्डर दिया। उस ठसाठस भरे हुए कमरे में तो सरकना भी मुश्किल था। यदि कोई उठने की चेष्टा करता तो उसका सिर ही खोल दिया जाता। कैदियों के सिरों, कन्धों, कोहनियों और हाथों पर लठ पड़ते रहे।

इसके बाद कैदियों को फिर ब्लाक में भेज दिया गया जहाँ कि पहिले वाले कैदी पड़े हुए मार के मारे कराह रहे थे। दरवाजे पर दोनों तरफ वार्डन खड़े थे जो बाहर पैर रखते ही कैदी को दुतरफा लठ फटकार रहे थे। इसके बाद कैदियों को चार चार पंक्ति बना कर खड़े होने का हुक्म हुआ। कुछ कैदी खड़े भी हुए पर जिनकी टाँगें बेकार हो चुकी थीं वे खड़े न हो सके। खड़े करके कैदियों को ड्रिल करने की आज्ञा दी गई। किन्तु कैदी तो इतने जर्जर हो चुके थे कि एक बार बैठकर फिर उनके लिए उठना ही कठिन था। कैदियों के हाथ पाँव दर्द कर रहे थे, जोड़ टूट रहे थे और घाव बह रहे थे।

हिल न सकने पर ऊपर से जोर जोर से कोड़े पड़ रहे थे। अन्त में सभी बैठे, जमीन पर गिर पड़े।

किन्तु आज तक भी इस अत्याचार लाठी चार्ज की कोई भी जांच नहीं हुई है।

पुलिस का दमन चक्र—देवरिया में।

महात्मा गाँधी की तथा अन्य महान् नेताओं की गिरफ्तारी की खबर यहाँ ६ अगस्त को मालूम हो गई और उसकी ताईद १० अगस्त को समाचार पत्रों द्वारा भी हो गई। इस खबर की पुष्टि होते ही तमाम कस्बे में उदासी एवं क्रोध की लहर फैल गई। इसके बाद अन्य नेताओं की गिरफ्तारी तथा जुलूसों और सभाओं के कार्यक्रम की समाचार पत्रों द्वारा देवरिया कस्बे को ज्ञात हुए। इन समाचारों को सुनकर यहाँ के विद्यार्थियों में भी खलबली मच गई। जब देश भर में आग लग रही थी तो ये विद्यार्थी भला उस आग की लपट से कब तक और कैसे दूर रह सकते थे ? १२ तारीख को उन्होंने एक सभा की और उसमें तै किया कि १३ तारीख को तमाम नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल की जाय। अधिकारियों को इसका पता लग गया। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को आतंकित कर देने के लिये पुलिस स्टेशन पर उन्होंने मिलिटरी के कई रंगरूट एकत्रित कर लिये जो इस समय मोटर चलाना सीख रहे थे। किन्तु इससे विद्यार्थी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने १३ तारीख को पूरी हड़ताल मनाई। किसी भी स्कूल में एक भी विद्यार्थी नहीं गया। अन्त में उन्होंने एक जुलूस बनाया और प्रमुख सड़कों से शान्ति पूर्वक गुजरे। इसकी खबर अदालत में एक बड़े पुलिस अफसर को लगी। नतीजा यह हुआ कि कस्बे में १४४ धारा लगा दी गई।

इस प्रकार जुलूसों और सभाओं पर प्रतिबन्ध जारी कर दिया गया। कुछ बुद्धिमान लोगों ने पुलिस अधिकारी को समझाया कि आपको खामोशी के साथ देखते रहना चाहिये क्योंकि विद्यार्थियों का जुलूस शान्तिपूर्ण है और शान्ति के साथ ही खत्म भी हो जायेगा। लेकिन आफीसर ने इस बात पर कुछ

भी ध्यान नहीं दिया। वह सीधा पुलिस स्टेशन पर पहुँचा और एक उच्च पुलिस अफसर, थानेदार, कुछ सिपाही और कुछ मिलिटरी के रंगरूटों को जो सभी सशस्त्र थे, लेकर उस जुलूस की तरफ बढ़ा। उसने जुलूस के नेताओं से कहा कि १४४ धारा के अनुसार यह जुलूस भंग हो जाना चाहिये। इस पर विद्यार्थियों ने जुलूस को भंग कर देने की तैयारियाँ भी आरंभ कर दी और पुलिस अफसर ने उन्हें चले जाने का जो मार्ग बताया था उससे वे जाने को तैयार भी हो गये इसी बीच बिना किसी कारण के पुलिस और मिलिटरी ने उन पर निर्दयतापूर्वक लट्ठ बरसाना आरंभ कर दिये। कुछ सड़क पर गुजरने वाले लोगों को पुलिस का यह निर्दय कार्य पसन्द नहीं आया और उन्होंने पुलिस अफसर से वहीं इसके विषय में कहा। इस पर उन लोगों को भी बुरी तरह पीटा गया। कई विद्यार्थियों को गहरी चोटें आईं।

उस आफीसर को इसके बाद भी सन्तोष नहीं हुआ था। उसने पचास विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर एक गैर कानूनी संस्था का सदस्य होने के कारण मामला चलाया गया। ये खबरें सारे कस्बे और आसपास के गावों में आग की लपटों की तरह फैल गईं। दूसरे दिन तमाम कस्बे और आसपास के गांवों के भी विद्यार्थी वहां एकत्रित हो गये। १४ तारीख को विशाल जुलूस का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद जुलूस तमाम सड़कों को पार करता हुआ अदालत की इमारत के पास पहुँच गया। अदालत की इमारत पर तिरंगा राष्ट्रीय झण्डा गाड़ दिया गया। इसके बाद जुलूस शान्ति के साथ बाहर आकर तितर-बितर हो गया।

इस घटना की खबर फौरन ही पुलिस अफसर को थाने में दी गई। वह फौरन ही एक थानेदार और कुछ सशस्त्र पुलिस को लेकर अदालत पहुँचा। वह राष्ट्रीय ध्वजा का अदालत पर फहराना बरदाश्त न कर सका। वह चाहता तो था कि जिन्होंने इसे गाड़ा है यदि वे वहीं मिल जाते तो आज उन्हें कुचल डालता पर विद्यार्थी तो झण्डा गाड़ कर शान्तिपूर्वक बिदा हो चुके थे। इस समय तक जुलूस बढ़ता हुआ रामलीला के मैदान तक पहुँच गया था। वह पुलिस आफीसर दल बल के साथ उसी मैदान में पहुँचा और बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना किसी कारण के तथा बिना समझाने तथा तितर-बितर

हो जाने का अवसर दिये ही उसने पुलिस को उन निहत्थे, शान्ति और अहिंसात्मक विद्यार्थियों पर खुले गोली चार्ज का हुक्म दे दिया। विद्यार्थियों का पुलिस अफसर की नजर में यही महान कुसूर था कि उन्होंने अदालत की इमारत पर झण्डा गाड़ा और यह कि शान्ति पूर्वक चले जा रहे थे। थोड़ी सी देर में सैकड़ों विद्यार्थी घायल हो गये। एक कांग्रेसी वालेन्टीयर वहीं गोली का निशाना बना दिया गया और तीन इतने घायल हुए थे कि मौत के मुख में ही पहुंचने वाले थे जो अस्पताल में पहुँच कर मर गये। इन तीनों में से एक लड़का १२ वर्ष का था जो बसन्त पुर धूसी गाव के राष्ट्रीय एंग्लो मिडिल स्कूल का एक विद्यार्थी था। बसन्त पुर धूसी देवरिया से १२ मील पर एक गाव है। दूसरे आस पास के गाँवों की तरफ से इस गांव के भी तमाम विद्यार्थी इस राष्ट्रीय महायज्ञ में भाग लेने को आये थे। गोली चार्ज होने के पूर्व ही उस बारह वर्ष के बालक से हट जाने तथा राष्ट्रीय झण्डे को दूसरे को देकर भाग जाने के लिये कहा था लेकिन उस बहादुर बालक ने उन लोगों की खिल्ली उड़ाकर दृढ़ता से कहा कि "वह आततायियों की गोलियों का हाथ में आजादी का झण्डा लिये हुए प्रसन्नता के साथ अपने सीने पर गोली खाने को तैयार है।" यह लिखते हुए दिल फटता है कि गोली उसके सीने के आर पार हो गई और अस्पताल पहुँचते पहुँचते वह मर गया।

दूसरे दिन उस शहीद बालक की लाश जुलूस के साथ धूसी गांव ले जाई गयी उसके माता-पिता का दिल लाश को देखकर बड़ा तो उठा पर उन्होंने कहा कि आजादी के लिए उनका वीर पुत्र काम आया यह हमारे लिए महान् गर्व की बात है। इस जबरदस्त बहादुरी और देश प्रेम के कारण रामचन्द्र अमर हो गया और अब उसका नाम उसके जिले के ही नहीं भारत की आजादी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा।

१९४२ में आसाम का स्वाधीनता संग्राम

८ अगस्त १९४२ को जब देश के चोटी के नेता एकाएक गिरफ्तार हो गये और साथ ही आसाम के नेतागण भी गिरफ्तार हो गये तो लोग आश्चर्य चकित रह गये और एक दम सभी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गये। पुलिस व जनता दोनों एक दूसरे को बहुत ही शंकित दृष्टि से देख रही थीं। पुलिस ने शान्त जुलूस और शांत जनता को उत्तेजना दिलाने वाले कृत्यों के जरिये उभाड़ा। परिणाम यह हुआ कि आसाम प्रांत के छहों जिले भड़क उठे और उन्होंने साहस और वीरता के साथ पुलिस के घृणित कार्यों का सामना किया।

सरकार की कांग्रेस के प्रति प्रधान शिकायत यह थी कि कांग्रेस सरकार के विरुद्ध सामुहिक हिंसात्मक युद्ध करना चाहती है इसलिये सरकार अपने बचाव के लिये मजबूर है। लेकिन यह बात दिन में अंधकार के अस्तित्व की तरह असत्य है।

९ अगस्त को आसाम के तमाम कांग्रेसी नेता मौलवी तय्यबेउल्ला, मि० एफ० ए० अहमद (भूतपूर्व फायनेन्स मेम्बर, श्री युत बी० आर० मेहदी) (A. P. C. C के भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट) डा० एच० के० दास, श्रीयुत लीला धर बरुआ (ये दोनों नेता बैहाटा खादी आश्रम के इन्चार्ज थे) श्री युत डो० शर्मा (जोरहट) जो कांग्रेस पार्टी के एसेम्बली मे प्रधान नेता थे तथा अन्य दो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये। दो नेता श्री जी० एन० बार डोलाई (एसेम्बली लीडर) व श्री सिद्ध नाथ शर्मा (प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री) जो बम्बई में A. I. C. C. की मीटिंग में सम्मिलित हुए थे और जो स्वतः गांधी जी से मिले थे, वे भी ज्योंही आसाम की सीमा में घुसे त्योंही धुबरी पर गिरफ्तार कर लिए गए। इसके पूर्व ही दूसरे नेताओं का एक दल गिरफ्तार कर लिया गया था

१६ अगस्त को आसाम सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इन नेताओं की गिरफ्तारी से देश में अमन और शान्ति है। १६४२ की २६ नवम्बर को सर मुहम्मद सादुल्ला प्राइम मिनिस्टर ने देश की राजनीतिक दशा पर वक्तव्य देते हुए अगस्त से नवम्बर तक की तमाम घटनाओं पर सरसरी नजर डालते हुए कहा—"महाशय ! मैं यह नहीं कहता कि ये घटनाएँ पहिले से तैयारी करने के बाद घटी थीं बल्कि हर स्थिति का पूर्णतया अध्ययन करने के बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि ये घटनाएँ कतिपय बिगड़े हुए दिमागों द्वारा ही हुई हैं।" इससे स्पष्ट है कि सरकार के द्वारा अचानक नेताओं की गिरफ्तारी और अत्याचारों के परिणाम स्वरूप ही ये घटनाएं घटीं। यही नहीं कि सरकार द्वारा पूर्व निश्चित नेताओं की गिरफ्तारी ही इन दुर्घटनाओं का प्रधान कारण था बल्कि प्रधान कारण तो सरकार ने ही पैदा किया और वह था उसकी हिंसात्मक जंगली कार्रवाई।

शासन यंत्र बेकार

ग्वाल पाड़ा मे नेताओं की गिरफ्तारी से अप्रसन्न होकर २५ अगस्त को विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय झण्डे को फहराते हुए जुलूस निकाला। S. p. O. और S. O. ने इसकी रोक के लिये पहिले ही से प्रबन्ध कर रखा था। फलतः २५ विद्यार्थियों और थोड़ी सी जनता के जुलूस पर लाठी और बन्दूकों से प्रहार किये। इसके परिणाम स्वरूप ६ आदमी घायल हुए। ४ सख्त घायल हुए और ३ अस्पताल पहुंचाये गये। चार माह तक अस्पताल में पड़े रह कर २ व्यक्ति चलने फिरने लायक हो सके। जुलूस के ४ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये और उन ३ व्यक्तियों पर जो अस्पताल भेजे गए थे, १४४ दफा के विरुद्ध कार्य करने के अपराध में पकड़े गए। इससे सिद्ध है कि सर्व प्रथम सरकार ने ही शान्ति जनता पर हिन्सात्मक हमला किया। उस समय उनका कोई भी अपराध नहीं था। सरकार ने ही सबसे पहिले जनता को घायल करके रक्त प्लावित किया। सरकार के इन्हीं कृत्यों के परिणाम स्वरूप जनता ने स्वातंत्र्य संग्राम में इस तरह दिल खोल कर भाग लिया जैसा कि पहिले कभी नहीं लिया था। सरकार जितना ज्यादा दमन करने लगी आन्दोलन ने उतना ही भयंकर रूप धारण

किया। सारा देश सरकार की हिन्सात्मक दमन नीति से इतना उत्तेजित हो उठा था कि भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसी जगह रह गई हो जहाँ की जनता ने खुले रुप में सरकार का विरोध और दमन का शांति पूर्वक सामना न किया हो। प्रायः ४ माह तक सरकार का शासन यन्त्र बेकार सा हो गया था। पुलिस और मिलिटरी के पास इसके सिवाय अन्य कोई धन्धा नहीं था कि वह आन्दोलन कारी स्थानों पर दस दस बारह बारह जवानों के दल मे गश्त लगावे और इस बीच जितना भी दमन हो सके करे। मजिस्ट्रेट का सिर्फ यही काम रह गया था कि डिफेन्स आफ इन्डिया, ताजी रात हिन्द, लॉ अमेन्ड मैन्ट एक्ट के अन्तर्गत किये गये अपराधों की अपराधियों को सजा दे। अपराधियों में स्त्री, पुरुष, वृद्ध और बच्चे भी थे।

कई स्थानों पर जनता ने पंचायतें कायम कर ली थीं जहाँ मुकदमों के फैसले भी किये जाते थे। देहाती पुलिस का काम करते थे। कुछ पंचायतें तो ऐसी साधन सम्पन्न हो गई थी कि उनकी मातहती में जेल भी थे ! और जेल के कर्मचारी भी तैनात थे। कुछ पंचायतों ने धन समह के लिए झोपड़ों, बाजारों, मछली के केन्द्रों की बिक्री वसूल करना आरम्भ कर दिया। गांव के अन्दर से कोई भी चीज बाहर नहीं जाने पाती थी और इसके लिये पञ्च लोगों का जनता पर कड़ा शासन और नियन्त्रण था। धान, चौपाये, शाक-भाजी आदि पर वालेन्टियर्स का सख्त नियन्त्रण था। यहाँ तक कि P.W.D की तमाम सड़कों, लोकल बोर्डों की सड़कों तथा नदी द्वारा नावों के आवागमन तक पर पंचायत का सख्त शासन था।

कभी कभी लोगों की सायकिलों, बैलगाड़ियों के आवागमन से बड़ी परेशानी होती थी और इसमें ज्यादातर मुसलमानों की ही गाड़ियाँ विशेष थीं। पर अन्त में पंचायत द्वारा हुक्म दिये जाने पर भी जब इन लोगों ने हुक्म का पालन नहीं किया तो इनको भी हानि बरदाश्त करनी पड़ी। सरकारी पुलिस यह सब देखती रहती थी पर बीच में नहीं पड़ती थी। अन्त में जाकर मिलिटरी ने ही बीच में रुकावट डाल कर झगड़ा खड़ा किया और उसने ऐसे ऐसे जुल्म, अत्याचार एवं अमानवी कृत्य किये कि जिनकी समानता किसी इतिहास में उपलब्ध होना कठिन है।

दो एक स्थानों पर तार आदि उखाड़ दिये गये थे। नवम्बर से गाड़ियों को उलट देना, पटरियों को उखाड़ देना, सरकारी इमारतों, आफिसों, पुलिस स्टेशनों को जला देना, बंगलों को खाक कर देना, मिलिटरी के गोदामों को नष्ट कर देना, स्कूलों को नष्ट कर देना आदि आरम्भ हुए। मिलिटरी के गोदामों और स्कूलों को जला कर खाक कर देने में सरकार ने ईर्ष्या, जाति गत द्वेष आदि से बहुत ही काम लिया। स्वयं पुलिस ने उन लोगों को फँसाने के लिये, ऐसी इमारतें स्वयं जला दीं, जिनसे वे पहले से दुश्मनी रखते थे। जल जाने के बाद उन्हीं लोगों का दोष बता कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

इस छोटे से अध्याय में प्रत्येक अत्याचार, जुल्म और आततायीपन की घटनाओं पर प्रकाश डालना असम्भव ही है क्योंकि यह आन्दोलन तो प्रान्त के कोने कोने में व्याप्त हो गया था। आसाम प्रान्त के छहों जिलों में से आन्दोलन नौ गाँव जिले में बहुत ही भयंकर हो गया था। यह भयंकरता गांधी जी के २१ दिन के उपवास तक रही। कुछ समय तक तेजपुर सब डिवीजन ने अहिंसात्मक साहस का अपूर्व परिचय दिया। दूसरे जिलों में भी ऐसे सैकड़ों बहादुरी की मिशालें मिलेंगी जिनमें एक ओर जनता की शांति अहिंसात्मकता अपूर्व थी और दूसरी ओर सरकार की नृशंसता का वीभत्स तम स्वरूप जनता की इज्जत, धन, शरीर और जायदाद से खिलवाड़ कर रहा था।

६ अगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी के बाद १८ दिन बिलकुल ही शांति के दिन थे। इस बीच मे अपवाद स्वरूप आसाम भर में सिर्फ एक ही घटना का पता चला है। और वह है एक स्थान के तारों के सम्बन्धों का तोड़ देना! पता लगाने पर भी जंगली हाथियों का कृत्य पाया गया। इसके सिवाय इन १८ दिनों में कोई भी ऐसी घटना जनता द्वारा नहीं हुई जो उत्तेजनात्मक या हिंसात्मक कहला सके। देश में हड़ताल तथा दमन आदि के किस्सों को पढ़कर जोश फैलते फैलते आसाम की झोपड़ियों तक फैल गया। जनता ने स्कूल, कालेज और जुलूस तक पर हड़ताल करवाई लेकिन सरकार ने इसका उत्तर बहुत ही सख्त दमन द्वारा दिया। वे जनता को बहुत ही सख्ती और बेरहमी के साथ, पूर्व निश्चय के अनुसार कुचलते रहे। साथ ही मकानों को

रतन प्रभा और भगेश्वरी देवी ने झंडे की नोक मार देने के अभियोग में ब्रिटिश आफिसर ने उनको गोली द्वारा अमरलोक भेज दिया !

जनता बराबर उसी प्रकार पुलिस द्वारा मार खाती रही। इसके बाद ग्रामवासी त्रिलोक सिंह के शव को उठाकर ले गये।

कामपुर ग्राम वैसे जागृति की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ स्थान है फिर भी इस आन्दोलन में यह ग्राम आन्दोलन की कार्यवाइयों की दृष्टि से किसी भी स्थान से पीछे नहीं रहा। इन ग्रामवासियों का प्रत्येक कार्य शान्तिपूर्ण और शुद्ध अहिंसात्मक रहा। जब कामपुर पर रेल आकर खड़ी होती तो लोग सरकार और मिलिटरी के नाश के नारे लगाते थे। जब मिलिटरी की रेलगाड़ियाँ उस स्टेशन पर से गुजरती थीं तो लोग "गांधी जी की जय", "स्वाधीन भारत की जय" के नारे बुलन्द करते थे।

एक गोरी पल्टन के कमान्डर ने शान्ति सेना शिविर के सामने ही कई वालेन्टियर्स को गिरफ्तार कर लिया। शिविर में आग लगा दी गई। जब वह शिविर जल रहा था तो बहादुर कमान्डर ने हुक्म दिया कि गिरफ्तार किये हुए व्यक्तियों को खूब पीटा जाय। एक बहादुर छोटे से लड़के ने कमान्डर से उसकी बर्बरता के विषय में सीना तान कर कहा। इस पर कमान्डर बहुत ही क्रोधित हो उठा, उसने लड़के को पकड़ लिया। उसको कई ठोकरें मारीं और इसके बाद उठाकर आग मे डाल दिया। किसी तरह लड़का प्रज्वलित अग्नि में से निकल आया और गाँव के लोगों ने उसे संभाला।

बहरामपुर मे इससे भी ज्यादा भयंकर काण्ड हो गया। यह ग्राम नौगाँव से ५ मील पूर्व में है। इस ग्राम में कांग्रेस दफ़्तर व शान्ति सेना शिविर भी है। अगस्त में इन सभी दफ़्तरों और शिविरों में पुलिस ने ताले लगा दिये। किन्तु इससे जनता इंच भर भी नहीं घबराई और कांग्रेस दफ़्तर के सामने ही ग्राम भोज किया। उस भोज में काफी तादाद मे जनता एकत्रित हुई थी। भोज में एकत्रित लोगों में से कुछ के पास राष्ट्रीय झण्डे थे, कुछ राष्ट्रीय गीत गा रहे थे और कुछ भोज के कार्य में दत्तचित्त थे। इसकी इत्तला पुलिस और मिलिटरी दोनों को हुई। इस पर एक I. C. S आफिसर मि० रूम, कैप्टन फिशन्न और डिप्टी सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस संगीन दलबल सहित घटनास्थल पर आये। उस समय अन्धेरा काफी हो चुका था। कुछ लड़कियाँ राष्ट्रीय झण्डा लिये हुए जा रही थीं। यह देखते ही वे तीनों आफिसर झण्डे और उन लड़कियों के हाथों में से

राष्ट्रीय झण्डे छीन लिये गये। किन्तु १५ वर्ष की एक लड़की ने जिसका नाम ...ना फूकन था, कमान्डर को झण्डा छीनने से रोक दिया। इस-पर कमान्डर और लड़की में छीना झपटी आरंभ हो गई। लड़की की माता ने जो एक वृद्धा थी, यह दृश्य देखा। वह झपटी हुई गई और एक लकड़ी से कमान्डर के मुंह पर वार किया। कमान्डर को लाठी लगना ही था कि पुलिस और मिलिटरी ने मनुष्यता छोड़ दी। वृद्धा को उसी समय पिस्तौल का निशाना बना दिया गया। खगीराम हजारिका के नेतृत्व में जो दल लड़की को सहायता करने को आया था उसपर भी गोलियाँ चला दी गईं। इसके परिणाम स्वरूप २ युवक जिनमे एक का नाम योगीराम था और जो चट्टान की तरह दृढ़ था, मारे गये और कई जख्मी हो गये। इसके बाद भ ड़ से फिर तितर बितर होने के लिये कहा गया किन्तु वे जख्मियों और मृतकों को घेर कर खड़े हो गये।

इसके थोड़ी देर बाद ही घटना स्थल पर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और सिविल सर्जन आये। निहत्था दल शांति के साथ फिर एकत्रित होकर खड़ा हो गया। पुलिस आफीसरों ने फिर चेष्टा की कि मृतकों की लाशों और जख्मियों को अपने कब्जे में करलें। जनता ने पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और सिविल सर्जन को सिर्फ मृतकों और जख्मियों के शरीरों की जाच मात्र ही करने दी। इसके बाद दोनों चल दिये। इसके बाद भी जनता उसी प्रकार शांत और संगठित रूप मे खड़ी रही और मृतकों की रात भर निगरानी करती रही। सुबह मृतकों को हार पहिना कर उनके फोटो लिये गये और इसके बाद बड़ी ही सजधज के साथ उन्हें जलाया गया।

योगीराम बोहरा की बहादुरी वास्तव में एक अमर कहानी हो गई। वह २५ वर्ष का जवान था। ऐसा कहा जाता है कि जब वह मरा तब स्वाधीन भारत जिसके वह मधुरस्वप्न देखा करता था और जिसके लिये उसने अपनी जान तक कुरबान कर दी उस देश के लिये वह सिर्फ एक खाली बटुआ, एक फाउन्टेनपेन और सिर्फ १० पैसे छोड़ गया। उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे मेरे पति की कुरबानी पर गर्व है। मै उन स्त्रियों में से एक हूँ जो निरन्तर रो-रो कर भारत माता के पद प्रक्षालन करती रहती हैं।" भारतीय महिलाओं की यह वीरता विश्ववन्द्य है। और भारत के लिए महान् गौरव की वस्तु है। यह दुर्घटना १६ सितम्बर १९४२ को हुई थी।

२० सितम्बर १६४२ को कोहपुर के लोगों ने अहिंसा के सिद्धान्त को पुलिस थाने को कब्जे में करने के सिलसिले में पूर्णरूप से कसौटी पर चढ़ाया। ५०० आदमियों का जत्था थाने की तरफ रवाना हुआ। उस जत्थे की नेत्री एक १४ वर्ष की लड़की थी। उसके हाथ में राष्ट्रीय तिरंगा झण्डा था। उसके पीछे २-२ लड़के और शेष सभी जवान व्यक्ति थे। इस अपूर्व जत्थे को देखने के लिये थाने पर पहिले ही से ५००० व्यक्ति एकत्रित हो गये थे। १२ बजे से लेकर ३ बजे तक जुलूस थाने पर आ पाया। उस समय थाने का इन्चार्ज रेवती मोहन शोम नायक अफसर था। उसने पहिले ही से संगीन मिलिटरी का भी प्रबन्ध कर लिया था। उसने श्रीमती कनक लता बरुआ जो उस दल की १४ वर्षीय नेत्री थी कहा—तुम थाने की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसा कहा जाता है कि कनक लता ने उत्तर दिया कि यह थाना तो जनता के राज से सम्बद्ध है। फिर कनक लता ने हुक्म देते हुए कहा कि यदि पुलिस आफीसर जनता के सेवक न बने रहेंगे तो वह अवश्य ही समस्त थाने को अपने कब्जे में कर लेगी" दारोगा ने कहा कि कनक लता का हुक्म मानकर पीछे हट जाना चाहिये। यदि नहीं हटी तो पुलिस गोली चलाने का हुक्म दे देगी। लड़की ने अपने अनुयायियों को कहा कि आगे आ जाओ! अब आग में कूदने का समय आ पहुँचा!" इतना कह कर उसने दारोगा से उसके कर्तव्य को पालन करने को कह दिया। जब दारोगा ने उसकी तरफ बन्दूक का मुँह किया तो वह दृढ़ कदम और साहस के साथ बढ़ गई। उसपर गोली दाग दी गई। उसका रक्षक युवक, लड़की के गिरते ही आगे आया और वह भी फौरन ही गोली का निशाना बना दिया गया।

इस बीच कई वालेन्टियर्स थाने की इमारत के ऊपर चढ़ गये और उन्होंने राष्ट्रीय झण्डा ऊपर गाड़ दिया। उस समय पुलिस बराबर गोलियाँ चलाती रही। इस गोली काण्ड पर सरकार का यह कहना है कि इस दुर्घटना में ६ व्यक्ति मारे गये। किन्तु वास्तविक बात यह है कि उस समय करीब ६० व्यक्ति तो गोलियों के निशाने बने और करीब इतने ही व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए। ६ औरतें भी मारी गईं और एक गर्भवती स्त्री भी गोली का शिकार बन गयी।

कुछ घायल व्यक्तियों को उठाकर शहर के अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल में एक गोरे कमाण्डर कैप्टन फ्लिच ने एक बुरी तरह घायल व्यक्ति पर अपना रिवाल्वर इसलिए तान लो कि यह व्यक्ति कांग्रेसी है। वह उसे मार डालता, यदि उसी क्षण अस्पताल का हाकिम आकर उसे रोके नहीं। अस्पताल के हाकिम ने कैप्टन फ्लिच को साफ कह दिया कि जब तक ये मेरे आश्रय में हैं आप इन पर हाथ नहीं डाल सकते। कुछ घायल रेंगते हुए मरने के लिये घर भी चले गये।

इस प्रकार यह आन्दोलन दोहरा था—एक तो संगठित रूप कि तमाम गाँव यह चाहता था कि स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाय। दूसरे अवरोध का रूप कि गांव की कोई भी वस्तु मिलिटरी या पुलिस के उपयोग के लिए ठेकेदारों को न बेची जाय।

इसके अलावा तोड़ फोड़, जायदादों की बरबादी आदि भी हुई। पुलिस की रिपोर्टों के अनुसार ६ घटनाएँ पटरियाँ उखाड़ने की हुई, गाड़ियों को उलटने के भी प्रयत्न हुए। इसमें दो घटनाएं तो ऐसी भयंकर हुई कि उनमें कई व्यक्तियों की जानें चली गई। गोहाटी रेलवे स्टेशन से १४ मील के फासले पर ही एक सेना से भरी हुई रेलगाड़ी उलट दी गई। इसको देखने वालों और सरकारी रिपोर्टों में बहुत ही कम अन्तर है। दोनों ने १५० व्यक्तियों के मारे जाने की पुष्टि की है।

नौ गाँव में गुप्तचरों कान्स्टेबलों के वस्त्र, बायसिकलों और बन्दूकों की चोरियाँ विशेष हुई। कुछ स्कूलों के कमरों, प्लेटफार्मों तथा टेलीग्राम आफिसों में झूठे बम भी फटे।

यहाँ यह कह देना अनावश्यक नहीं है कि सरकार ने लोगों पर कई मामले चलवाये और ६ मामलों में तो स्पेशल मजिस्ट्रेट द्वारा सजाएं भी दिलवाई गईं किन्तु दो को छोड़ कर अपील में सभी सजाएँ रद्द कर दी गई। इसके बाद भी पुलिस तो ऐसी निरंकुश हो रही थी कि सैकड़ों क्या हजारों आदमियों को उसके बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द कर दिया और हजारों से सामूहिक जुर्माने वसूल किये गये। ईर्ष्यावश पुलिस ने तोड़ फोड़ करने के मामले में अपराधी और निरपराध सभी विद्यार्थियों को पकड़ लिया। सरकारी इमारतों को

जलाने, पटरियाँ उखाड़ने, सरकारी ठेकेदारों के बिलों की रकम न दिलवाने और सरकारी कागजातों को राख कर देने के बहाने से भी बहुत से व्यक्ति पकड़ कर नज़रबन्द कर दिये गये मजिस्ट्रेटों और पुलिस आफीसरों को उनके बड़े हाकिमों ने ये हिदायतें दे रखी थीं कि जैसे भी बने इस आन्दोलन को कुचल देना ही चाहिये। इसके बवजूद भी जो मामले अदालतों में गये उनमें ६० फी सदी मुलजिमों ने अपना बचाव नहीं किया।

सरूप थर ट्रेन उलटने के मामले में यूरोपीयन D. C. ने ४ व्यक्ति को फांसी और ५ व्यक्तियों को १०-१० वर्ष की सजाएँ दीं। ये सजाएँ ऐसे मामले में दी गई थीं कि सरकार कहती थी कि एक व्यक्ति का खून हुआ है और वास्तव में खून हुआ ही नहीं था। सरकार ने सभी गवाह फर्जी ही खड़े करके सभी अदालती कार्रवाई का नाटक पूरा कर लिया था। अपील होने पर सभी सजाएँ रद्द कर दी गईं, और सभी अपराधी मुक्त कर दिये गये। फैसले में हाईकोर्ट के जज ने सज़ा देने वाली अदालत को खूब भर्त्सना भी की।

सबसे अपूर्व बात तो यह थी कि इस आन्दोलन में महिलाओं ने जबरदस्त एव महत्वपूर्ण भाग लिया। यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि उनका तमाम कार्य अहिंसात्मक ही रहा। तमाम जिले के लाठी चार्जों और गोली चार्जों में औरतों ने अपूर्व साहस, वीरता और शान्ति का परिचय दिया। खास करके बरहामपुर, गौहपुर, बारापूजिया, टेझोक में तो महज़ औरतों ने ही शान्तिपूर्ण अनुशासनात्मक ढग से बड़े बड़े जलूसों का नेतृत्व और संचालन किया और मिलिटरी और संगीन पुलिस का सामना किया। आसाम जिले में सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्रीमती अमरोला देवी का था जिन्होंने कई बार उन आपत्तिजनक क्षेत्रों में घुस कर उन पीड़ित घायल व्यक्तियों को साहसपूर्वक सहायता पहुचाई जो क्षेत्र मिलिटरी और पुलिस ने आपत्तिजनक घोषित कर दिये थे और जिनमें लगातार गोलियों और संगीनों की बारिश हो रही थी। उन दृश्यों को देख कर यह मानने के लिये बाध्य हो जाना पड़ता है कि स्वाधीनता संग्राम में औरतों का भी महत्वपूर्ण भाग है। जिस समय उत्तरी आसाम में मिलिटरी ने सर्वनाश की हाट लगा रखी थी उस समय श्री मती स्वर्ग प्रिया बरुआ और सुधालता दत्त ने संगठित शक्ति एवं अपूर्व साहस का

ऐसा प्रदर्शन किया था कि बड़े बड़े नेता भी दांतों तले उंगली द
गए थे।

आसाम भारतवर्ष से प्रायः कटा हुआ प्रान्त है वहाँ के लोग गरी
भोले और आमतौर पर सम्पूर्ण भारत की तरह ही गरीब हैं। उन पर बिना वज
रोजाना जुल्म होना, ज्यादतियाँ और अत्याचारों का होना, उनकी जायदादों औ
फसलों को बरबादी होना—ये ऐसे कार्य थे जिनके लिए नरम से नरम हृदय में
साहस की एक ज्वाला धधक ही उठती है। आसाम प्रांत की आबादी ६०,००००
है इसके अलावा १६४२-४३ में वहाँ बाहर के करीब २०००००० आदमी औ
आकर बस गये हैं।

मार्च १६४३ तक वहाँ जापानियों के आक्रमण होने के कारण कभी कुछ
हिस्सा ब्रिटिश और कभी जापानियों के हाथों में रहा परन्तु इस छीना झपट
में इतनी निर्दयता और नृशसता से काम लिया गया कि लोगों के दिल सरका
के एक दम विरुद्ध हो गये। आसाम में कई एरोड्रोम बनने और मिलिटरी
कैम्प्स डाल देने से समस्त आसाम में कई प्रकार की भयकर बीमारियाँ, अन
—की कमी और जनता पर अत्याचार इन बातों से आपस के लोगों के दिल ८
अगस्त के "भारत छोड़ो" प्रस्ताव के पूर्व ही से सरकार की ओर से बिगड़
चुके थे। इसी के फल स्वरूप २०००० व्यक्तियों की एक सगठित शान्ति सेना
वहाँ स्थापित हो चुकी थी। इस सेना का उद्देश्य स्वरक्षा और साधनों के
अभावों की पूर्ति ही थी। इसके सिवाय यह सेना समस्त प्रान्त में संगठन और
शान्ति चाहती थी। सरकार क बहुत पहिले ही इस सेना ने प्रांत में लोगों की
सहायता करके बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

N. B—कांग्रेस कमेटियों की प्रकाशित रिपोर्टों तथा प्रकाशित समाचारों
के आधार पर—लेखक।

आसामी स्त्रियों की महान वीरता

ज्योंही अगस्त के दूसरे हफ्ते में आसामी नेताओं मौलाना तैय्यबुल्ला—प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट, विष्णुराम मेधी, देवेश्वर शर्मा और एफ० ए० अहमद की गिरफ्तारी की खबर ज्योंही बम्बई रेडियो में ब्रॉडकास्ट हुई त्योंही अधिकारीगणों में और जनता में एक साथ ही भिन्न-भिन्न ढंग से खलबली मच गई। गोपीनाथ बारदोलाई (प्रधान मंत्री कांग्रेसी शासन के समय के) तथा एस० शर्मा उस समय बम्बई में थे और आसाम की भूमि पर पांव रखते ही गिरफ्तार कर लिये गये थे। यह सनसनी और बाहर की रोजाना आनेवाली गिरफ्तारियों की खबरों ने आसाम की जनता में आग लगा दी और परिणाम स्वरूप वह संगठित कार्य जो सारे भारतवर्ष में होना आरंभ हो चुके थे। आसाम की जनता ने पुलिस स्टेशनों पर कब्जा करके, तार काट कर, सरकारी इमारतों पर झण्डा गाड़ कर और सरकारी बिल्डिंगों को जला करके निश्चय ही यह धारणा कायम कर ली कि जैसे भी हो ब्रिटिश सल्तनत को खत्म ही कर देना चाहिये। बागियों का उस समय केवल एक ही मन्त्र था और वह था मृत्यु और नाश। यह कहने में कोई भी आपत्ति नहीं कि कोन्टोई, तामलुक आदि मिदनापुर जिले के सत्याग्रहीजनों तथा यू० पी० के बलिया की तरह यहाँ के बागियों में संगठन की काफी कमी था फिर भी इस ऐतिहासिक आन्दोलन में आसाम ने जो अतुलनीय बलिदान किये, यातनाएँ सहीं, भयंकर से भयंकर कष्टों का हँसते हुए सामना किया यह तो इतिहास की अमर वस्तु होकर ही रहेगी। आसाम के त्याग और बलिदान की समता किसी भी प्रान्त के स्वातंत्र्य प्रिय देश की कोशिशों से कम नहीं मानी जायेगी। सारा आसाम एक ऐसे महा के दृश्य हो रहा था कि जो

ऊपर से देखने में तो शान्त पर एक ही सलाई बताने में भक से विस्फोटकारी होकर सर्वनाश कर सकती थी। नतीजा यह हुआ कि पूरे ४ माह तक सरकार की शासन व्यवस्था का आसाम से अंत कर दिया।

आसाम के ६ जिलों में से नौगांव में सबसे भयानक बगावतें हुईं। और सच कहा जाय तो नौगांव वही आसाम का ऐसा जिला है जहाँ पब्लिक का जीवन पूरे जोश में है। और जहाँ की जनता में वास्तविक कार्य करने की क्षमता भी है। तेजपुर जिले ने आन्दोलन में अहिंसात्मक भाग लिया था।

आसाम में जो स्वातन्त्र्य युद्ध आरंभ हुआ उसमे गर्व के साथ कहा जा सकता है कि स्त्रियों की वीरता ही सर्वोपरि रही। भारत के किसी भी प्रांत में स्त्रियों ने जो साहस, वीरता, दृढ़ता और कष्ट सहिष्णुता का परिचय यहाँ दिया वैसा कहीं देखने में नहीं आया। आसाम को इस बात का गर्व है।

आज ब्रह्मपुत्र की पहाड़ियों में कनक लता बरुआ और वृद्ध भोगेश्वरी फुकनानी के अमर नाम सर्व प्रसिद्ध हो गये हैं। कनक लता १४ वर्षीय कुमारी लड़की थी जिसका वैवाहिक सम्बन्ध भी निश्चित हो चुका था, जो अपने आनन्द-मय भविष्य के सुखद स्वप्न देख रही थी वह एकाएक इस आंधी में बह गई क्योंकि उसका लालन पालन ऐसे घर में हुआ था जहाँ कांग्रेस का सन्देश बतौर आदेश के माना जाता था। जब गोहपुर पुलिस स्टेशन पर जुलूस पहुँचा उस समय वह अगुआ थी। गोहपुर दारंग जिले का एक कस्बा है। उससे कहा गया कि इस न्याय और कानून की भूमि पुलिस स्टेशन पर उसे पांव नहीं रखना चाहिये। लड़की ने कड़क कर उत्तर दिया कि पुलिस अपना कर्तव्य पालन करे और वह उसका कर्तव्य पालन करेगी। वह इस कर्तव्य के जोर कुछ भी नतीजें होंगे उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करती।

अपने हाथ में तिरंगा झण्डा लेकर वह वीर कुमारी आगे बढ़ी। पुलिस ने उसके बढ़े हुए साहस और कर्तव्य का जवाब उसके सीने में गोली दाग कर दिया। वह खून से लथपथ होकर मातृभूमि की मिट्टी पर हमेशा के लिये सो गई। उस मुरझाई हुई कली के हाथ में से फौरन ही मुकुन्द का कोटी ने झण्डा ले लिया किन्तु पुलिस ने उस बहादुर की भी वही दशा की जो कनक की हुई।

कनक लता के समान ही श्री युत भोगेश्वरी फूकनानी का उज्वल और अमर गाथा है। भोगेश्वरी देवी खासतौर से अपनी पोती रतन प्रभा से विशेष प्रेम करती थी। रतन प्रभा उस दिन कांग्रेस भवन में होने वाली एक दावत में सम्मिलित होने गई थीं। कांग्रेस भवन उस समय सरकार द्वारा जब्त किया जा चुका था और यह नौगाँव से ५ मील की दूरी पर स्थित था। रतन प्रभा के पीछे भोगेश्वरी देवी भी चली गई। रतन प्रभा के हाथों में तिरंगा झण्डा था और उस समय के ब्रिटिश आफीसरों के लिये यह झण्डा साक्षात् यमराज के समान हो रहा था। वह झण्डा फौरन ही उन कोमल करों में से बेरहमी के साथ छीन लिया गया। उस सुकोमल रतन प्रभा ने झण्डा यों ही ब्रिटिश आफीसर को नहीं दे दिया। दोनों में खूब छीना झपटी हुई। आखिर लड़की के हाथ से उसका प्यारा झण्डा ले ही लिया गया पर यह दृश्य जितना दर्दनाक है उतना ही वीर कहलाने वाले अंग्रेजों के लिये शर्मनाक भी है। ज्यों ही रतन प्रभा के हाथ से झण्डा छीना गया त्यों ही भोगेश्वरी देवी ने झपट कर दूसरा झण्डा अपने हाथ मे ले लिया और जोश में आकर उन्होंने ब्रिटिश आफिसर को उस झण्डे की नोक मार देने की चेष्टा की। बाद में यह बताया गया कि उस नोक से आफीसर के चेहरे पर जख्म हो गया। इस पर तो ब्रिटिश आफीसर ने पोती और दादी को वहीं दो गोलियों द्वारा अमर लोक भेज दिया।

कनक लता और भोगेश्वरी देवी की वीरता पर मुग्ध होकर एक अंग्रेज महिला ने जो वहाँ दर्शिका के रूप में विद्यमान थी कहा था—

" Give Indian Women A Cause to fight and see how she Responds. "

अर्थात् " भारतीय वीरांगनाओं को लड़ने का अवसर दीजिये और फिर उनकी वीरता देखिये। "

इसमें शक नहीं कि १६४२ के अन्दोलन ने स्पष्ट ही बता दिया कि आसाम की ताकत का पाना कैसा है, आसाम किस मजबूत धातु का बना हुआ है ?

कमाल मीरी के कुशाल चन्द्र कुंवर ने १६४२ के आन्दोलन में जेल में घुल घुल कर जान दे दी पर माफी नहीं मांगी। इस बहादुर युवक पर यह आरोप लगाया गया कि तिलोक देमा के दो भाइयों थानूराम सूत और बालूराम सू

पूजिया नामक गांव के शांति सेना के अध्यक्ष त्रिलोचसिंह ने बिगुल बजा दिया जिस पर मिलिटरी आफिसर ने उसके ऊपर रायफल चला दी जिससे वह मर गया ।

महाकोशल प्रान्त का अपूर्व साहस

१९४२ के ऐतिहासिक अन्दोलन मे महाकोशल का भी देश के दूसरे प्रांतों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण भाग नहीं रहा। बलिदान और कष्ट सहन में वह किसी भी प्रांत से होड़ लगा सकता है। महाकोशल ने सरकार की चुनौती का दृढ़ता, वीरता और कष्ट सहिष्णुता के साथ ऐसा बहादुरी के साथ मुंह तोड़ उत्तर दिया कि सरकार भी दांतों तले उंगली दबा गई। ९ अगस्त के बाद महाकोशल में जो दमन, अत्याचार हुए उनकी समता करने वाली घटनाएं इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिल सकतीं। सामूहिक गिरफ्तारियाँ, लाठी चार्ज, अश्रु गैस, गोली चार्ज, लूट, बलात्कार, जायदाद का जब्ती आदि सरकारी ज्यादतियाँ मामूली सी बात हो चुकी थी। सरकार का यह जुल्म सिर्फ जनता पर ही नहीं हुआ वरन् जेलों में सरकार ने यही कृत्य किये। जेलों में भी लाठी चार्ज कोठरियों मे मारपीट तथा अन्य शारीरिक यन्त्रणाएं, तथा अपमान व मार-पीट जैसे रोजाना की घटनाएं ही हो गई थीं।

महाकोशल की राजधानी जबलपुर में गोली ... प्रायः १ दर्जन बार हुआ जिसमें कई मृत्यु हुई और सैकड़ों की संख्या .. लोग घायल हुए। वास्तव में देखा जाय तो गोली चार्ज की एक बार भी आवश्यकता नहीं थी। गोली चार्ज से औरतें भी नहीं छोड़ी गईं, उनमें से कई घायल हुईं। बूढ़ी बाईं है गोली का निशाना ही बना दी गईं। मरते वक्त उस वीर महिला ने कहा— "मैं अपने बच्चे को लिये हुए अपने मकान के सामने खड़ी थी। उस... मेरे साथ और कई स्त्रियां थीं। पुलिस निर्दयी और निरपराध जनता को घेर रही थी और उन्हें लाठियों से पीट रही थी। इसी बीच मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। मैंने मेरे साथ खड़ी हुई तमाम स्त्रियों को यहां कहा कि

मकान के अन्दर चलो। और वे सब घर के अन्दर हो गईं। जब मैं मकान के अन्दर घुस रही थी कि मुझे पीछे से एक गोली लगी। मैं वहीं गिर पड़ी और खून बहुत जोरों के साथ बहने लगा। इसके बाद मुझे अस्पताल में लाया गया और मेरी कमर में से गोली निकाली गई। इस कार्य में मुझे २ हफ्ते अस्पताल ही में रहना पड़ा।"

कई मरतबा अश्रु गैस का प्रयोग हुआ। यह इसलिए किया गया कि भीड़ तितर बितर हो जाय किन्तु जनता को इससे बहुत ही कष्ट भोगना पड़ा। सरकारी A. R. p. ने गड्ढे भी खोद रखे थे, भागते हुए कई व्यक्ति इनमें गिर गये और फिर पुलिस ने उन्हें खूब ही मारा। मकानों में पुलिस का आधी-रात को भी दीवार कूद कर घुस जाना मामूली सी बात हो रही थी। पुलिस जिस वक्त चाहती मकानों में घुस जाती और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले आती थी। खादी भण्डार के मैनेजर श्री सीता राम के मकान पर १५ बार हमला किया गया।

जायदाद जिसमें किताबें, रिकार्ड तथा अन्य चीजें भी शामिल थीं सभी जब्त कर के ऐसे स्थान पर तब्दील की गईं कि जिनका पता तक नहीं लगा। इस प्रकार महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की जमीन, मकान, आदि सभी चीजें जब्त कर ली गईं। इसी प्रकार जिला कांग्रेस कमेटियों के दफ्तर और जायदाद भी जब्त कर ली गई। इससे यह नतीजा निकला कि गई कांग्रेस कमेटियाँ तो हमेशा को ही बरबाद हो गईं। बेतूल और होशंगाबाद के औद्योगिक केन्द्र भी कानूनन नाजायज करार दे दिये गये और उनपर सरकारी अधिकार कर लिया गया।

जिन कम्यूनिस्ट लोगों ने प्रान्तीय सरकार के इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की चेष्टा की उनको नजर बन्द करके जबलपुर जेल भेज दिया गया। लेकिन शीघ्र ही उन्हें छोड़ देना पड़ा। जबलपुर जिले में प्रायः १००० व्यक्ति २०० औरतें और बच्चे गिरफ्तार हुए। शेष तो कुछ समय बाद ही मुक्त कर दिये गये पर प्रायः ५०० दीर्घ काल तक कैद रखे गये। पुलिस ने क्रोधित हो कर महावीर जैन क्लब की जायदाद, किताबें तथा रिकार्ड

सभी नष्ट भ्रष्ट कर डाला। फरनीचर और फर्श पुलिस उठाकर ले गई और ये चीजें आज तक भी नहीं लौटाई गई हैं।

सरकार के इस रुख से जनता भी बहुत ही क्रोधित हो उठी। इस सरकार की हरकत का जवाब जनता ने तार काट कर, सरकारी इमारतों और चीजों को नष्ट भ्रष्ट करके तथा ईंट पत्थर फेंक कर दिया। इतने पर भी यह विचारणीय है कि जो कुछ भी जनता ने किया उसमें हानि पहुंचाने की भावना बिलकुल भी नहीं थी। किसी भी सरकारी व्यक्ति अथवा पुलिस को हानि नहीं पहुँचाई गई। कांग्रेस द्वारा स्थापित अहिंसा की नीति का पूर्णतया पालन करते हुए ही जनता ने सरकार को उत्तर दिया, यह देश के इतिहास मे आश्चर्य जनक बात है।

जबलपुर की घटनाओं का महाकोशल के १४ ही जिलों में प्रचार हो गया सागौर जिले के गढ़ कोटा स्थान में पुलिस ने प्रभात फेरी पर गोली चार्ज कि,। इसमें १८ वर्ष का एक होनहार जैन नर युवक साबू लाल मारा गया चिचली में बीच हाट में पुलिस ने गोली चार्ज किया जिसमें कई स्त्री पुरुष घायल हुए। चिचली होशंगाबाद जिले का एक ग्राम है। बैतूल जिले में जनता ने एक रेलवे स्टेशन को जला दिया किन्तु इसके पहिले जनता ने ही स्टेशन के तमाम व्यक्तियों को, रेलवे के कर्मचारियों को वहां से चुनकर हटा दिया था। इसपर पुलिस ने फिर गोली चार्ज आरम्भ किया और एक ग्राम को सजा पूरे बेतूल जिले में गोली चार्ज करके दी गई।

कांग्रेस आन्दोलन में भाग लेने से आतंकित कर देने के लिये पुलिस ने गोंड लोगों पर ऐसे अत्याचार किये जिनकी समानता किसी भी सभ्य देश के इतिहास में ढूँढे नहीं मिलती। गोंडों के नेता विष्णु गोंड और उनकी स्त्री तथा महा सिंह गोंड गिरफ्तार कर लिए गये और उनको लम्बी सजाएँ दे दी गईं। विष्णु गोंड को पहिले फांसी की सजा दी गई किन्तु बाद में उसे सजा बदल कर आजीवन कारावास कर दी गई। भयंकर दमन से क्रुद्ध हो कर मंडला जिले में लोगों ने नहरों को उड़ा देने की चेष्टाएँ कीं। इस कार्य में १८ वर्षीय एक युवक जैन, उदय चन्द जैन जो एक उत्साही कार्यकर्ता थे, पुलिस की गोली से मारे गये।

जबलपुर डिवीजन में पुलिस के दमन कार्य बहुत ही घृणित रूप में सामने आये। जबलपुर डिवीजन के एक सर्वोच्च प्रभावशाली आफीसर ने पुलिस को खुला आर्डर दे रखा था—"Shoot the congress blightes like rabbits" "इन बेहुदे कांग्रेसियों को चूहे की तरह गोली से भून दो।"

छत्तीस गढ़ जिले मे जनता ने राष्ट्रीय झण्डे के साथ कई जुलूस निकाले और कई लोगों को गिरफ्तारियां हुई। रायपुर में कुछ उत्साही तरुणों ने जेल की दीवार ही उड़ा देने की कोशिश की किन्तु असफल रहे। उनको भारी सजाएं दी गईं।

राजनीतिक कैदियों के साथ-खास कर जबलपुर जेल में—अधिकारियों का बहुत ही घृणित बर्ताव रहा। यहां के कैदी उन संस्मरणों को आजीवन नहीं भूल सकेंगे। १७ सितम्बर १९४२ को सेन्ट्रल जेल जबलपुर में दो बार एक ब्लॉक में लाठी चार्ज किया गया। इस ब्लाक में द्वितीय श्रेणी के सैक्यूरिटी कैदी रखे गये थे। इससे कई कैदी बुरी तरह घायल हुए। बचे हुए कैदियों को महीनों से जेलों में बन्द रखा गया। न तो उन्हें कभी नहाने दिया गया और न बारिक से ही कभी बाहर निकाला गया। कुछ कैदियों को जबरदस्ती जेलों में ठूंस कर बेरहमी के साथ पीटा गया। जेल में अनुशासन कायम रखने की आड़ में कई राजनीतिक कैदियों को नाना प्रकार की शारीरिक व मानसिक भयंकर यातनाएं दी गई।

इतने दमन, अत्याचार और जुल्मों के बाद भी दबने के बजाय जनता में स्वाधीनता के संग्राम में मर मिटने की भावना दृढ़तम हो गई और उन्होंने दृढ़ इरादा कर लिया कि इसी तरह कांग्रेस के तिरंगे झण्डे के नीचे संग्राम करते हुए अपनी मातृभूमि को आजाद करके ही छोड़ेंगे।

चिमूर में सैनिक शासन के वे दिन

डा० बी० एस० मुंजे और एम० एम० एन० घाटे १६ सितम्बर ४२ को चिमूर गये थे। डा० मुंजे ने जो रिपोर्ट पेश की वह अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। वह यहां प्रकाशित की जाती है :—

"२५ सितम्बर को हम ग्रांडट्रंक एक्सप्रेस में वरोरा पहुँचे। उसी गाड़ी से नागपुर के कमिश्नर भी वरोरा आ पहुँचे। चांदा के डिप्टी कमिश्नर भी हमें वरोरा में मिल गये।

२६ सितम्बर को मैं और कमिश्नर नागपुर तथा डिप्टी कमिश्नर चांदा अलग-अलग मोटरों में प्रायः दस बजे सुबह चिमूर पहुँच गये। चिमूर से ३ मील पर एक पुल भी पड़ता है, उसी घटना के दिन ही भीड़ ने नष्ट कर डाला था। चांदा के डिप्टी कमिश्नर ने यह पुल हमें बताया। साथ ही उन्होंने वे वे स्थान भी बताये जहां पुलिस का सर्कल इन्स्पेक्टर और कान्स्टेबल मारकर जलाये गये थे। उन्होंने हमें कटे हुए दरख्तों को सड़क के बीच में दूर तक पड़े हुए बताया। चिमूर आने वाली मोटरों और लारियों की रोक के लिये ही ये दरख्त सड़क पर डाले गये थे।

इसके बाद हमें वह डाक बंगला भी दिखाया गया जो बिलकुल ही जलकर राख हो चुका था। उसके आसपास के क्वार्टर्स अधजले पड़े थे। यहां हमें डाक बंगले का एक चौकीदार मिला जिससे हमने प्रश्न किये उसने बताया कि सर्कल पुलिस इन्स्पेक्टर मि० डूंगा जी और एक नायब तहसीलदार जो ईसाई था, वहां जला दिये गये थे। यह चौकीदार चालाकी से वहां से भागकर छिप गया। इसीसे उसकी जान बच गई।

तङ्ग कोठरियों में १३० व्यक्ति रखे गये

इसके बाद हम चिमूर के कस्बे में गये और वहां अस्पताल की इमारत के एक कमरे में ठहर गये। इसके बाद हम पैदल हो पुलिस स्टेशन और स्कूल की इमारतों को देखने के लिये गये। वह सब अधजली पड़ी थीं। हमें कहा गया कि कस्बे से पुलिस ने प्रायः १३० व्यक्तियों को पकड़कर यहीं पुलिस स्टेशन के तीन चार तंग कमरों में ठूंस दिया था। कुछ व्यक्तियों को ढोरों के बांधने की जगह में बन्द किया गया था। इन जगहों की छतें खुली हुई थीं। हमें यह भी कहा गया कि उन दिनों खूब बारिश हो रही थी। हमें उन तीन चार तङ्ग कमरों और खुली छत की चौपायों की जगह को देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसी तङ्ग जगह में किस प्रकार १३० व्यक्तियों को ठूसा गया था? डिप्टी कमिश्नर ने स्वीकार किया कि इतने व्यक्तियों के लिये कोई भी दूसरा प्रबन्ध न होने के कारण ही उन्हें तङ्ग कोठरियों और खुली छत की गोपाल में रखा गया था। हमने जब उन कमरों को देखा तो ऐसा लगा जैसे काल कोठरियाँ हों और यह सोचना हमारे लिये कल्पनातीत ही था कि उन १३० व्यक्तियों को, जिन्हें कोठरियों में रखा गया था, कैसी भयकर तकलीफ हुई होगी।

इसके बाद हमने कस्बे का एक चक्कर लगाया और मि० वागडे के, जो ६० साल की उम्र के सम्भ्रान्त व्यक्ति हैं, घर गये। उनकी पत्नी मिसेज वागड़े बरामदे में आयीं और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को पहचान लिया और वे दुखित होकर उनसे मिलीं।

बलात्कार और बेइज्जती की कहानी

हम, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ ही उसके बरामदे में बैठ गये। श्रीमती वागड़े के स्वाभिमान को कुरेदते हुए हम उन्हें इस बात पर ले आये कि वे हमें कस्बे में बलात्कार और स्त्रियों की बेइज्जती की पूरी दास्तान सुना दें। इसपर श्रीमती जी ने कस्बे की कई स्त्रियों को बुलवा लिया। उन स्त्रियों ने बड़ी ही शर्म और स्वाभिमान को कायम रखते हुए अपने ऊपर किये गये अत्याचारों और वास्तविक बलात्कारों की कहानियाँ सुनायीं।

१७ स्त्रियों ने अपनी कहानियाँ हमें सुनाई। इन १७ में से १३ पर वास्तविक अत्याचार और बलात्कार हुए थे। कुछ के साथ गोरों ने भी बलात्कार किया था। शेष ४ के साथ सिर्फ अत्याचार ही हुए थे। उन स्त्रियों को हार्दिक वेदना हो रही थी और उनकी दिली इच्छा यही थी कि उनके पति ऐसे आततायियों से डटकर बदला लें।

श्रीमती बागड़े बहुत ही साहसी और नेतृत्व लायक महिला हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के सामने ही एक घटना कह सुनाई। उन्होंने कहा कि दिन भर और आधी रात तक दल के दल गोरे लोग हमारे घर का चक्कर काटते रहे। आखिर परेशान होकर मैंने ही हिम्मत की और सीधी इन डिप्टी कमिश्नर साहब के बंगले पर पहुँचकर अपनी कष्ट कथा उनको कह सुनाई।

इस पर डिप्टी कमिश्नर ने बड़े ही रूखे और कड़कते हुए स्वर में कहा—"यह आफत किसने बुलायी है ?" "इन गोरे सैनिकों को यहाँ किसने बुलाया है ?" "तुम्हारे ही भाई और पति लोगों ने इनको यहाँ बुलाया है।"

इन बातों को सुनकर श्रीमती बागड़े सन्न रह गईं। इसके थोड़ी देर बाद डिप्टी कमिश्नर ने आर्डर दिया कि कोई भी सिपाही शहर में किसी को कष्ट न दे।

गर्भिणी स्त्री पर बलात्कार

जिन स्त्रियों पर बलात्कार किया गया उनमें नाइक परिवार की एक लड़की भी थी जिसके साथ एक गोरे और एक भारतीय कान्स्टेबल ने बलात्कार किया। इसके बाद उन्होंने लड़की के हाथ में से अंगूठी निकाल ली और उसकी माता से १०) रु० जबरन ले लिये। घटना के समय उस वृद्ध माता को दूसरे कमरे में भेज दिया गया था। वह वृद्ध माता इज्जत बचाने के लिये चुपचाप देखती रही। इसके एक दिन ही पूर्व उसके घर के तमाम व्यक्ति गिरफ्तार करके जेल पहुँचा दिये गये थे। दूसरी स्त्री गर्भिणी थी। इसके साथ भी व्यभिचार किया गया। वह एक सरपंच की स्त्री है। अर्थात् उसका पति ग्राम पंचायत का सभापति है।

लूट, नाश, धनहानि, चीजों और सामान की तोड़फोड़ फर्नीचर का जलाया जाना, ट्रंक, बक्सों का तोड़ना, कपड़ों और अन्न को नष्ट कर देना—

चिमूर में एक गोरे और भारतीय कानिस्टेबिल ने एक गर्भिणी स्त्री पर बलात्कार किया ।

ऐसी तो बेशुमार घटनाएं हुई हैं। लेकिन कुछ कमरों में किये गये इन बलात्कारों की कहानी तो दिल को टुकड़े-टुकड़े कर देने वाली बात है। स्त्रियों ने ये किस्से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के सामने ही सुनाये। हमारे मित्रों ने हमें दस बारह सम्भ्रान्त व्यक्तियों के ऐसे भी घर बताये जहां प्रत्येक सामान तोड़फोड़ कर बराबर कर दिया गया है।

इस तरह अपनी इस कस्बे की जांच को खत्म करके हम २ बजे भोजन के लिये ठहरने के स्थान पर आ पहुंचे। ३ बजे सब इन्स्पेक्टर पुलिस को बुलवाकर हमने सवालात किये। उसने कहा कि भीड़ में हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। जिन लोगों ने सभायें की और भाषण दिये वे ज्यादातर स्कूलों के मास्टर और कस्बे के नेतागण थे। सब इन्स्पेक्टर ने शहर के किसी भी इज्जतदार व्यक्ति का नाम नहीं बताया। आष्टी में ज्यादातर नायक और बागड़े लोग ही सम्पन्न हैं। उसने संत तुकड़ो जी महाराज से उसकी जो बातचीत हुई थी वह भी कही। वह सब-इन्स्पेक्टर खुद उनके मकान पर मिलने गया था। उनके मकान पर उनके शिष्यों की अपार भीड़ थी। अपने शिष्यों को तुकड़ो जी महाराज कह रहे थे—

"तुम पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर हो, तुम अपना कर्तव्य पालन करो। ये कांग्रेसी हैं और अहिंसा इनका व्रत है इसलिये ये तो अहिंसा का ही पालन करेंगे।"

इस समय ४ बज रहे थे इसलिये हमने वरोरा लौटने के लिये कस्बे को छोड़ दिया।

दूसरी गर्भवती पर बलात्कार

रास्ते में हमने एक तेली स्त्री से बात करने के लिये मोटर ठहराई। उस स्त्री को उसके घर में अप्टाकूर कहते हैं। वह बीमार थी और कुछ ही दिनों पहले उसे बच्चा हुआ था। उसकी सास भी उसके पलंग के पास बैठी थी। उसने कहा कि वह पुलिस के पंजे में कैसे फँस गयी थी और किस प्रकार एक कान्स्टेबल ने उसके साथ गर्भिणी होते हुए बलात्कार किया। इसके बाद हम कई नायक परिवारों के मकानों के भीतर गये और वहां के सर्वनाश की भयंकर दशा देखकर हम दङ्ग रह गये।

इसके बाद हम वरोरा: प्रायः ७ बजे शाम को पहुँचे। हमने रात डाक बंगले में ही बितायी। सुबह ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के द्वारा हम २७ सितम्बर को नागपुर पहुँच गये। इसी तरह हमारी जांच खतम हो गयी।

जुर्मानों की जालिमाना वसूलयात्री

हमारे चिमूर में पहुँचने की खबर होते ही चिमूर और उसके आसपास के गांव के लोग लिखा और जबानी शिकायतें लेकर आ पहुंचे। ज्यादातर उनकी शिकायतें थी कि जुर्माने अन्धाधुन्ध किये गये हैं उनमें मनुष्य की आर्थिक स्थिति का ख्याल नहीं रखा गया और साथ ही उन जुर्मानों को वसूल करने का ढङ्ग निहायत ही बेरहमी, निर्दयता और बेहद जुल्म का है। इन जुर्मानों की वसूली के तरीकों से शायद सर—सरकारी हाकिमों की शान बढ़ी ही होगी कि वे कितने योग्य और होशियार हैं। किन्तु सरकार की नैतिकता को कितना बट्टा लगा!

हमने लोगों के असन्तुष्ट और दरिद्रता भरे चेहरे देखे। जिन औरतों से हम मिले, सभी ने जोर जोर से चिल्ला कर हमें अपनी दुख गाथायें सुनायीं। और कहानियों में एक खास बात यह थी कि उनका सर्वस्व लूट लेने के बाद सरकार ने उनके घर के कमाने और पेट भरने वाले तमाम मर्दों को गिरफ्तार करके बन्द कर दिया। इसके बाद रोजाना पुलिस उनके घर पहुँच कर उनकी बेइज्जती करती, डराती, धमकाती थी। पुलिस ने ऐसे ऐसे अत्याचार किये कि उन बिचारी स्त्रियों ने कभी इस तरह के अत्याचारों की स्वप्न में भी कभी कल्पना नहीं की थी। उनके पतियों, घर वालों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और मिलिटरी उनके घरों पर जुर्माना वसूली करने के लिए रोजाना जाती और मनमाने अत्याचार करती थी।

हमें प्रमाणों के पुष्ट आधार पर यह भी बताया गया कि सरकार ने मुसलिम साहूकार खड़ा करके हिन्दुओं के तमाम जेवर बिकवाये उससे जुर्माने की भर पाई करायी गयी। यह भी हमें विश्वस्त रूप से ज्ञात हुआ है कि उस मुसलिम सौदागर के पास इस तरह ५४०० तोले सोना और ४५०० तोले चांदी एकत्र हो गयी। उसने २० से ४० रुपये तोले सोना और ४ आने से ६ आने तोले तक चांदी खरीदी थी।

हम उन मुसलमानों से भी मिले जो कार्रवाइयों में शामिल नहीं हुए थे। इसलिये इन लोगों पर जुर्माने नहीं किये गये। किन्तु जो हिन्दू इस घटना में में बिलकुल ही शामिल नहीं हुए थे उन पर डांट-डांट कर जुर्माने किये गये। इसी से सोचा जा सकता है कि सरकार इस प्रकार मुस्लिमों का पक्ष करके हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच मनमुटाव पैदा करना चाहती थी। और उसने वह किया भी।

जांच की आवश्यकता

जो कुछ हमने अपनी जांच के सिलसिले में रामटेक, आष्टी और चिमूर में देखा और सुना उससे तो हम इसी नतीजे पर पहुँचे कि हम सरकार से निष्पक्ष जाच के लिये कमेटी तैनात करने की सिफारिश करें। जांच इस बात की होनी जरूरी है कि जितनी फौज और पुलिस शान्ति स्थापन करने के लिये रखी गयी थी, उतनी सेना की आवश्यकता भी थी या नहीं। इसके बाद यह भी जांच करना आवश्यक है कि निरपराध चौपायों का जो सत्यानाश हुआ, क्या वह भी आवश्यक था? क्या यह भी जाच होगी कि निरपराध महिलाओं पर जुल्म, अत्याचार और बलात्कार हुए वह सब किस न्याय और कानून की सीमा मे आ सकते हैं?

हम इस मामले मे सरकार के निश्चय को जानते हुए भी कमेटी द्वारा जांच कराने की सिफारिश कर रहे है। हम यह भी जानते हैं कि सरकार का शान्ति-स्थापन करने का कार्य एक जबर्दस्त चेतावनी के रूप में था इसलिए कि कुछ लोगो के ख्याल से कांग्रेस का यह आंदोलन एक खूनी बगावत थी। इसी तरह के विचार कांग्रेस और विशेषकर महात्मा गांधी ने पढ़े थे—An act of open rebellion! फिर भी सरकार ने जो कुछ किया वह जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी का घोर नैतिक पतन ही था। स्त्रियों पर जुल्म, अत्याचार और बलात्कार जो जर्मनी और जापान में हुए उनकी रोमांचकारी कहानियाँ हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा हमने ७ अक्तूबर की वह बहस जो युद्ध बन्दियों के विषय मे वायकाउन्ट मौघन द्वारा हुई है, खूब पढ़ी है। वायकाउन्ट मौघन के जवाब मे लार्ड चान्सलर वायकाउन्ट सायमन ने भी जो घोषणा की कि युद्ध

अपराधों की जांच के लिये यूनाइटेड नेशन्स का एक कमीशन बैठाया जायगा, यह भी पढ़ी है। इसमें सायमन ने कहा है—

"इस समय यदि घृणित और भयङ्कर से भयङ्कर युद्ध अपराधों की उचित दण्ड व्यवस्था की जाय तो इस संकटपूर्ण घड़ी में कानूनी बारीकियां के पचड़ों में पड़े रहने से हमारा काम नहीं चल सकेगा। फिर भी सबसे पूर्व २ आवश्यक बातें हैं। १—अपराधियों के विरुद्ध सबूत संग्रह करना २—युद्ध अपराधियों को एकत्रित करना।"

तो फिर सरकार ने हृदय की यह उदारता हमारी मातृ भूमि में दिखाने की कृपा क्यों नहीं की और खास करके हमारे प्रान्त में ?

नागपुर में आतंक का शासन

नागपुर में आन्दोलन का आरम्भ १२ अगस्त १९४२ से हुआ। १२ अगस्त को कांग्रेस के वालेन्टीयर्स और थोड़े से दूसरे लोगों ने मिलकर नागपुर की जिला अदालत की इमारत पर तिरंगा झण्डा खड़ा कर दिया। इसी तरह तिरंगा झण्डा सेशन जज की अदालत पर भी खड़ा किया गया। पुलिस इस समय असावधान थी। ज्योंही शहर में खबर फैली कि भीड़ बढ़ती गयी। भीड़ की बाढ़ को देखकर पुलिस बुलायी गयी। पुलिस को देखकर तो लोग अदालतों की तरफ टिड्डी दल की तरह टूट पड़े। भीड़ झण्डा गाड़ने के बाद सेक्रेटेरियट और जनरल पोस्ट आफिस तक पहुँचना चाहती थी। मि० ए० एच० ले यर्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और राय साहब एस० आर० मोरे सिटी मजिस्ट्रेट इस भीड़ की ओर लपके और पुलिस ने भीड़ का रास्ता रोक लिया।

एडवोकेट और कांग्रेस नेता श्री पी० एम० नायडू ने अफसरों से अनुरोध किया कि वे पुलिस का उपयोग न करें। वे स्वयं अफसरों के हुक्म का उलङ्घन करना नहीं चाहते। अफसरों ने भीड़ के तितर-बितर हो जाने के लिए सिर्फ १५ मिनट दिये। भीड़ ज्योंही लौटी कि सामने से एक पुलिस दल आता दिखाया दिया। उस दल के अधिपति जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट थे। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट से एक दो-मिनिट बातें करके लौटती हुई भीड़ पर अश्रु गैस छोड़ा और साथ ही साथ लाठी चार्ज भी शुरू हो गया। भीड़ का पीछा सायंस कालेज तक किया गया। और यहां उस पर गोलियां चला दी गयी बस फिर क्या था। आग लग गयी। उत्तेजित जनता ने इसे खुली चुनौती समझा।

आग भभक उठी

सीता बल्दी—में माल गाड़ी में आग लगा दी गयी। तमाम शहर के तार और टेलीग्राफ के तार काट डाले गये। बड़े-बड़े नल जो सड़क के किनारे पड़े थे, बीच रास्ते में फैला दिये गये जिससे कि पुलिस के आवागमन में रुकावट हो जाय। पुलिस चौकियों में आग लगा दी गयी। प्रांतीय कोआपरेटिव बैंक भी जला कर खाक कर दिया गया।

इतवारी—में सरकारी और जनता के अन्न भण्डार लूट लिये गये। इतवारी का पोस्ट आफिस जला दिया गया और नकदी रकम लूट ला गयी। इस घटना के ६ घण्टे बाद कामठ से मिलिटरी आयी। यह पंजाबी पलटन थी। शायद इसीलिए लाहौर रेजीमेंट भी बुलवाया गया दो दिन तक तमाम ट्राफिक बन्द रहा और लोगों को घर में ही बन्द रहना पड़ा। जिस किसी ने भी घर से बाहर निकलने की चेष्टा की उसी पर गोली दाग दी गयी। कम से कम २०० व्यक्तियों के मारे जाने की खबर है: सबसे पहला व्यक्ति जो इतवारी में गोली का शिकार हुआ वह १२ साल का मुसलमान लड़का था।

चिमूर—मध्य प्रान्त के चांदा जिले में एक गांव है। इसकी आबादी ६००० है, चिमूर चारों तरफ गहन जंगल से घिरा हुआ है। उसका सम्बन्ध वरोरा (वरोरा तहसील का मुकाम और वर्धा बलारशाह रेलवे लाइन पर है) से है। चिमूर से वरोरा का ३२ मील का फासला है और बीच में पक्की सड़क है। वरोरा और चिमूर के बीच में मोटर भी चलती है। चिमूर चांदा की अपेक्षा नागपुर के ज्यादा करीब है। यह ग्राम वास्तव में एक जागृत ग्राम है। यहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिन्दू महासभा और कांग्रेस की शाखाएं हैं। यहां पर आन्दोलन १६ अगस्त को आरम्भ हुआ। उस दिन नागपंचमी थी। आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि यहां सब डिवीजनल अफसर, सर्कल इन्सपेक्टर पुलिस, नायब तहसीलदार और एक कान्स्टेबल जला दिये गये। तमाम सरकारी इमारतें, पुलिस स्टेशन, रेजीडेन्शियल क्वार्टर्स, स्कूल और रेस्ट हाउस आदि सभी जलाकर खाक कर दिये गये। १६ अगस्त १९४२ को २०० गोरे और ५० काले सिपाही चिमूर पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेट अलग ५० सिपा-

हियों को लेकर चिमूर पहुंचा। इस सेना और आन्दोलन की भयंकरता को देखकर तमाम जनता अपने घरों में छिप गयी।

सड़कों पर सिपाहियों के सिवाय कुत्ते तक नहीं दिखायी पड़ते थे। यह आतंक का राज दो दिन बराबर रहा। इस अरसे में आदमियों को खूब बेरहमी से पीटा गया, १२० आदमियों को गिरफ्तार किया गया। औरतों और लड़कियों से बेजा हरकतें की गईं, उनके साथ अत्याचार और बलात्कार किये गये। और ये सब कांड हिन्दुस्तान में अमन चैन कायम करने का दम भरनेवाली सभ्य ब्रिटिश सरकार की सरपरस्ती और पृष्ठ पोषकता में हुए।

वर्धा में वीर शिरोमणि जंगलू की नृशंस हत्या!

दीन दयालु चूड़ी वाले के सभापतित्व में वर्धा में ११ अगस्त को एक सभा हुई जिसमें उन्होंने वह सन्देश जनता को सुनाना चाहा जो उन्होंने गिरफ्तार होने से पहिले कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा ८ अगस्त की रात को प्राप्त किया था। वह सन्देश था—भारत छोड़ो! प्रस्ताव! अपने प्यारे नेताओं का सन्देश सुनने के लिए अपार जनता एकत्रित हुई थी। इसके पहिले नौकरशाही ने वर्धा और सेवाग्राम के तमाम नेताओं को चुन चुन कर जेल में ठूंस दिया था। सभा का समाचार सुनकर घटनास्थल पर पुलिस पिस्तौल, रायफल तथा लाठियों से सुसज्जित होकर आ गई। दीन दयालु जी को भाषण न देने का पुलिस आफीसर ने हुक्म दिया। दीन दयालु जी तो उत्तर ही न दे पाये इसके पूर्व ही उत्तेजित जनता ने जोरों से कहा—"ऐसा नहीं हो सकता, भाषण तो होकर ही रहेगा चाहे यहाँ कुछ भी क्यों न हो जाय।" लोग जोश में पागल हो रहे थे। वे नेताओं की गिरफ्तारी के कारण बहुत ही क्रोधित थे। इसके बाद एकत्रित जनता ने "इन्कलाब जिन्दाबाद" के नारे लगाना शुरू किया पुलिस अफसर ने दुबारा क्रोध के साथ कहा—"तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो लाठी चार्ज होगा और गोली जारी होगी।" इसका उत्तर जनता ने दिया—"महात्मा गांधी की जय" "भारत छोड़ो।"

धांय! धांय!! धांय!!!—गोलियों की एक साथ बारिश हो गई वीर और साहसी जनता सीना ताने बराबर खड़ी रही। एक युवक को गोली लगी, गोली उसके सिर में से निकलकर आर पार हो गई। उस वीर युवक का नाम था—जंगलू वह बाप का इकलौता बेटा था। वह दिन भर मजदूरी करके पेट भरता था। जंगलू कुछ मिनटों तक तड़पता रहा और सदा के लिए अपनी माता से बड़ी भारत माता के चरणों में सदा के लिये सो गया।

वर्धा में ११ अगस्त को जनता के ऊपर पुलिस ने गोली चलाई
जिसमें १ युवक मज़दूर तड़फता हुआ मर गया !

१२ अगस्त को सारे जिले में तार काटे गये रेलवे लाइनें उखाड़ी
गईं तथा पुल तोड़े गये !

दूसरे दिन तिरंगे झण्डे में लपेट कर उनका जुलूस निकाला गया। भारत छोड़ो" "झण्डा ऊँचा रहे हमारा" तथा "वीर जंगलू जिन्दाबाद!" नारों से आकाश गूँज रहा था। दुग वकील सब जुलूस के नेता थे। लस ने लाठियों द्वारा जनता पर हमला किया। जनता भयभीत हो गई। उसी समय वीर शिवराज जा चूड़ी वाले मोड़ को चीर कर बाहर निकले िर कड़क कर बोले—"क्या कलंक लगाते हो बापू की नगरी को! बापू जब टेंगे तो हमें क्या कहेंगे? अहिंसा को न भूलो। अहिंसा में एक महान् शक्ति ुपी है। जरा शान्ति से काम लो। अभी एक जंगलू गया, हमारे अनेकों ाइयों को जंगलू बनना पड़ेगा।"

जनता में जोश की लहर दौड़ गय और क्रोध से वह तमतमा उठी।

× × ×

जंगलू सिर्फ २८ वर्ष का नवयुवक था। उसके ३ बच्चे थे। उसके बाद ी तीनों बच्चे भी मर गये। उसके ढोर भी मर गये। उसका वृद्ध पिता ौजूद है जो उसकी याद में आँसू बहाते हुए अपने अन्तिम दिन के इन्तजार र है। जिस स्थान पर जगलू मरा था वहाँ उसकी स्मृति के लिए एक पत्थर ड़ दिया गया है। वह पत्थर नहीं है वह उस वीर युवक का साकार ादान है जो आते जाते राहगीरों से कह रहा है कि भारत माता पर कुर्बान ं वाला जगलू यहीं अनन्त विश्राम कर रहा है।

जब आगा खाँ महल से छूट कर गांधी जी पहिली बार वर्धा पधारे ो सबसे पहिले उन्होंने ३ अगस्त १९४४ को उसी अमर स्थान के दर्शन किये। जहाँ ११ अगस्त १९४२ को वह वीर भारत माता की गोद में हमेशा े लिये सो गया था गांधी जी ने उस वीर को साश्रु श्रद्धांजलि समर्पित की।

वीर जंगलू की शहादत के पहिले ही सन्तविनोबा, दादा धर्माधिकारी, किशोरीलाल मश्रुवाला, आचार्य नायकम् आदि गिरफ्तार हो चुके थे। पुलिस ने जिसे चाहा पकड़ कर धर दिया। कांग्रेस के बिजली के खम्भों पर लटके हुए बोर्डों को उखाड़ कर फेंक दिया गया था। पुलिस ने जब यह चाल चली ो लड़कों ने सड़कों पर ही "भारत छोड़ो" लिखना आरम्भ कर दिया। ीवालों पर बुलेटिन चिपकाये जाने लगे। घरों पर बुलेटिन फेंके जाने लगे।

पर्चे बंटने लगे। पर्चों और बुलेटिन में लिखा होता था—"करो या मरो"। वर्धा में १४४ धारा लगा दी गई थी। इसके साथ ही कर्फ्यू भी जारी था। शाम को ६ बजे के बाद किसी को भी घर से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी। पुलिस सड़कों पर बन्दूकें लिये घूमती थी। फौज भी विद्यमान थी। सड़क पर घूमते हुए आदमियों को निष्कारण ही लाठियां मार दी जाती थीं। कोई भी किसी की सुनने वाला नहीं था।

एक दिन वर्धा की एक सड़क पर एक अहीर जा रहा था। ज्योंही पुलिस ने उस बेचारे को देखा कि उस पर टूट पड़ी। इतनी लाठियां उस निरपराध पर पड़ीं कि वह अन्त में बेहोश होकर गिर गया। छोटों की तो बात ही निराली है पर बड़े बड़े सेट साहूकारों को दुकानों पर तथा घर में पीटा गया। इतना होते हुए भी भारत के गर्व का प्रतीक तिरंगा झंडा बराबर वर्धा में गर्व के साथ लहरा ही रहा था।

अलमोड़ा की दर्द कहानी

संयुक्त प्रान्त

९ अगस्त के बाद सर्वत्र देश में प्रायः दो सौ आर्डिनेन्सों का राज्य आरम्भ हो गया।

समय देश वासियों का प्रत्येक कार्य कानून की दृष्टि से अपराध और निरकुंश शासक वर्ग का प्रत्येक कार्य जायज था। ऐसे समय में सरकार ने देश के बाहर खबरें जाने के प्रत्येक साधन पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया ताकि भारतीय विदेशियों की सहानुभूति प्राप्त न कर सके और मानवेतर जुल्मों के लिए दूसरा शासन प्रणालियां इन्हें कोसने न लगे। उस समय सरकार को जिस व्यक्ति पर भी सन्देह हो जाता कि यह खबरों का प्रचार कर रहा है, चाहे वह अभागा अपराधी हो या न हो, एकदम सहज सन्देह पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता और जेल की अन्धेरी कोठरियों में डाल दिया जाता था। ऐसी भयंकर दशा में भी इन बहादुर पहाड़ी लोगों ने, जिन्होंने हमेशा आजादी के युद्ध में गौरव पूर्ण भाग लिया है, वीरता पूर्वक सरकार का सामना किया और दिखा दिया कि जुल्म और ज्यादतियों से शासन नहीं चला करते। ऐसे शासन का एक न एक दिन अन्त अनिवार्य है।

यह यह कम आश्चर्य जनक नहीं है कि १९४२ के इस गौरवशाली एवं वीरता पूर्ण युद्ध का पता बाहरी दुनिया को १९४४ में लगा। और यह पता भी मिस हीलमैन के अथक प्रयत्नों के बाद। हीलमैन गांधी जी की जर्मन शिष्या हैं और भारत में "सरला बहन" के नाम से सुपरिचित हैं। यह तो ठीक है परन्तु बहादुर आसामियों को वीरता पूर्वक युद्ध लड़ना था, कष्ट सहने थे। उन्हें प्रसिद्धि और प्रचार की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। हिमालय के बहादुर पहाड़ी प्रचार

की रत्ती भर भी परवाह नहीं करते। देश के लिए वे सरकार से युद्ध करके मर जाने में ही अपने जीवन के ध्येय की पूर्ति समझते हैं। उनकी बहादुराना लड़ाई का प्रचार हो या न हो, वे अपने कर्तव्य पर हमेशा ही अडिग हैं।

यह देश का दुर्भाग्य है कि अलमोड़ा जिले के ६ लाख बहादुर व्यक्तियों का भाग्य सिर्फ एक ही व्यक्ति के सिपुर्द हुआ जो सद्भावना, न्याय, सभ्यता और शासन व्यवस्था की भावना से सम्पूर्ण रिक्त था। एक मात्र कर्तव्य उस समय उसने यही मान लिया था कि तत्कालीन अन्नाभाव के लिये जो भी आवाज उठाये, एकदम कुचल दिया जाये और सबसे ज्यादा आश्चर्य जनक तो यह बात है कि कांग्रेस वर्किंङ्ग कमेटी के निर्णय के पूर्व ७ अगस्त को ही उस निरंकुश ने अलमोड़ा की जनता के प्रतिनिधि को बिना कारण दो १२६ दफा में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह प्रतिनिधि साधारण व्यक्ति नहीं, प्रान्तीय एसेम्बली के प्रमुख सदस्य पण्डित हरगोविन्द पन्त थे। पन्त जी अपने जिले में भयंकर अन्नके अभाव के परिणाम स्वरूप भूखी जनता के कष्टों के निवारणार्थ अपने प्रान्त में दौरा कर रहे थे। जब वे इस दौरे से वापस अलमोड़ा आये तो उन्हें कहा गया कि उन्होंने प्रान्त में जो असन्तोष का प्रचार किया है उसके लिये उन्हें जेल में बन्द क्यों न कर दिया जाये? जनता के इस प्रान्तीय एसेम्बली के प्रतिनिधि को जेल में बन्द करने का परिणाम यह हुआ कि जनता के अन्न और वस्त्र के भयंकर अभाव से उत्पन्न कष्टों को एक छोटा सा रास्ता मिल गया। उनकी दबी हुई भावनाएं एक दम प्रज्वलित हो उठीं। किन्तु फिर भी बहादुर और साहसी जनता ने ६ तरीख तक अपने जोश को दिल में ही धधकने दिया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह एक मात्र अपने दुखों, कष्टों और भयंकर यातनाओं के प्रतिकार स्वरूप ही था।

इतिहास प्रसिद्ध ६ अगस्त की सुबह—हिमालय अपने पूर्ण सौन्दर्य के साथ अडिग अठखेलियां कर रहा था। चोटियां मुस्कराती हुई प्रथम रश्मियों से होड़ लगा रही थीं। उस समय कौन जानता था कि आगे चल कर इसी प्रान्त में वह घटनाएं घटित होने वाली हैं जो इतिहास के पृष्ठों की प्रमुख सामग्री होंगी ? और ऐसा होगा जो कभी देखा नहीं गया है और सुना भी नहीं गया है ?

विश्ववन्द्य सेनापति गांधी जी और उनके प्रमुख लेफ्टिनेंट—पूरी वर्किंग कमेटी की गिरफ्तारी के समाचार किरणों से सज्जित हिमालय की चोटियों ने ६ अगस्त की सुबह ही सुन लिये। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इधर शहर में देखते हैं तो जैसे बिजली का बटन दब गया हो—गली गली चप्पे चप्पे पर पुलिस राज्य स्थापित हो गया। प्रान्त के तमाम कार्यकर्ता—बड़े छोटे सभी—एक साथ नजरबन्द कर दिये गये। इसी तरह समस्त प्रान्त के कांग्रेस कार्यकर्ता घर लिये गये। वैसे अलमोड़ा प्रान्त बहुत ही बिखरा हुआ है, बहुत दूर दूर पर बस्तियां हैं और आबादी भी बहुत ही कम है। फिर भी अलमोड़ा जिले की जनता को निरंकुश सरकार को धन्यवाद ही देना चाहिए कि उसने एक दम, एक साथ, आश्चर्य जनक ढंग से चन्द ही घंटों में जनता के शुभ चिन्तकों को समेट कर जेल में ठूस दिया। वरन् क्या, सम्भव था कि ये अहिंसाव्रती सैनिक ब्रिटिश राज्य को ही उलट देते? सरकार की दूरन्देशी के ऐसे ही अनेकों क्या सैकड़ों ज्वलन्त प्रमाण हैं।

लेकिन सोचने की बात तो यह है कि एकदम अनहोनी घटना घट जाने से जनता की बुद्धि भ्रमित सी हो गयी, फिर भला वह नेतृत्व हीन स्थिति में करे तो क्या करे? कोई भी तो अनुभवी व्यक्ति बाहर नहीं रहा जो उन्हें बता सके, मार्ग प्रदर्शन कर सके और उन्हें सलाह देकर प्रोत्साहित कर सके। क्या ऐसे भयंकर समय में उन्हें सरकार के राक्षसी और फौलादी पंजों में बिना चूतनच किये ही समर्पित हो जाना चाहिये था? नहीं, नहीं, उन्होंने—उन बहादुर वीरों ने अपने पूर्वजों की परम्परागत वीरता को रंच भर भी धक्का नहीं लगने दिया वरन् उसमें चार चांद ही लगाकर छोड़े। उन्होंने वीरता के साथ जुल्मों को रोका, सामना किया और वह भी इतनी चतुराई के साथ कि पुलिस को जगह पर सरकार की मिलिटरी की सहायता लेना आवश्यक हो गया और सेना की सहायता किसलिये? इसलिये कि जनता में अमनचैन कायम करना आवश्यक है।

जनता ने अपनी ही सहज बुद्धि के बल पर टैक्स देने से इनकार कर दिया और इस प्रकार कर बन्दी सत्याग्रह आरम्भ हो गया जिसका नाम जंगल सत्याग्रह प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा भी कई तरह के प्रतिरोध चल निकले।

कुछ दिनों तक यह सत्याग्रह इतने व्यवस्थित ढंग पर जारी रहा कि जनता को विश्वास हो गया कि बाजी मार ली है।

बागेश्वर नामक स्थान पर जो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, कई महीनों तक तो अंगरेजी हुकूमत ही नहीं रही। जनता ने ही स्वयं शासन कार्य संचालित किया। आखिर सरकार ने जाट तथा अन्य फौज के द्वारा जनता की सरकार को नष्ट करके फिरसे अपना निरंकुश आतंकपूर्ण शासन स्थापित किया।

सालन और साल्ट नामक स्थानों ने स्वराज्य के संग्राम में अपना नाम प्रसिद्ध ही नहीं अमर कर लिया है। जहाँ करबन्दी सत्याग्रह इतना व्यवस्थित रीति से किया गया कि स्थानीय पटवारी व्यवस्था कायम रखने में असमर्थ ही हो गया। अन्त में कोई भी रास्ता न सूझने के कारण पटवारियों को स्थानीय अधिकारियों से सहायता के लिये प्रार्थना करनी पड़ी और हानि की पूर्ति के लिये सरकार ने किसानों की खड़ी हुई फसलें तक काट लीं।

अलमोड़ा जिले के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक 'भारत छोड़ो' नारा रा। दिन बोला जाने वाला महामन्त्र ही हो गया। जंगल सत्याग्रह, झण्डा अभिवादन, सामूहिक जलसे तथा 'भारत छोड़ो' नारा—ये सब जनता के दैनिक कृत्य हो गये थे।

यह न समझिये कि यह अपूर्व जागृति महज अलमोड़ा की जनता में व्याप्त हो रही थी और विद्यार्थी उससे अलग थे। नहीं, इस अभूतपूर्व आन्दोलन में अलमोड़ा के विद्यार्थियों ने ऐसी वीरता के कार्य किये हैं कि उनके नाम भारतीय आन्दोलन के इतिहास में आदर के साथ लिखे जायेंगे। फलस्वरूप कई विद्यार्थी गिरफ्तार हुए और कई विद्यार्थी कालेज तथा स्कूलों से निकाल दिये गये। कई देश प्रेमी नवयुवक विद्यार्थी तो आज तक जेल की अन्धेरी कोठरियों में सड़ रहे हैं।

११ अगस्त को जब कि तमाम वर्किंग कमेटी के सदस्य जेल में ठूँसे जा चुके थे, अलमोड़ा जिले के डिप्टी कमिश्नर मि० एकरान आई० सी० एस० अपने दलबल सहित व नायब मजिस्ट्रेट मि० मिश्रा आई० सी० एस० के साथ अलमोड़ा नगर देखने के लिये आये। देखना तो था ही क्या! उनका असली उद्देश्य

जनता को यह दिखाना था कि हम सरकार के प्रतिनिधि हैं और हमारी शान इतनी ऊंची है जिसे मामराता छू भी नहीं सकती। रास्ते में उनको झण्डा लिये हुए विद्यार्थियों के एक जुलूस से भेंट हो गयी। यह माल रोड की घटना है। तिरङ्गा झण्डा फहराते विद्यार्थियों को देखकर पहले तो मि० एक्शन के पैरों की जमीन ही खस गयी। बाद में जब प्रकृतिस्थ हुए तो उनका पारा एकदम चढ़ गया। उस जुलूस को अपनी शान की तौहीन समझकर अपनी हैसियत का विचार छोड़ एक भयङ्कर भेड़िये की तरह उस विद्यार्थी पर झपट पड़े जिसके हाथ में तिरङ्गा झण्डा था। उसके हाथ से झण्डा छीन कर उन्होंने वहीं उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। भला देश प्रेम करने वाले विद्यार्थियों ने झण्डों के साथ जुलूस निकाला तो कौन सा अपराध कर डाला? विद्यार्थी झण्डे का इस तरह फाड़ा जाना सहन नहीं कर सके। राष्ट्र और राष्ट्रीय पताका का अपमान कोई स्वाभिमानी कैसे बर्दाश्त कर सकता है?

राष्ट्रीय झण्डा जो कि भारतीयों की आजादी की लड़ाई का प्रतीक है और जिसे भारतीय प्राणों से ज्यादा आदरास्पद स्थान देते हैं, भला उस झण्डे को भारतीयों के बीच में ही एक अधिकार पदमें चूर व्यक्ति द्वारा अपमानित होते वे कैसे देख सकते थे?

जनता में उत्तेजना का फैलना स्वाभाविक था। मि० एक्शन के कपाल पर एक जोर का पत्थर कहीं से आकर लगा। आज तक भी इस बात का पता नहीं लग सका है कि पत्थर को मि० एक्शन पर किसने फेंका। पर नतीजा यह हुआ कि उसके कुछ ही क्षणों बाद अलमोड़ा के नागरिकों पर १४४ धारा लग गयी और बराबर दो माह तक सारे शहर पर सेन का राज्य रहा। मि० एक्शन के कपाल के इस जख्म का बदला कई युवकों को अपनी जान देकर देना पड़ा। कई निरपराध इसी जुर्म में लटका दिये गये।

इधर जनता ने भी सरकार के अन्याय का प्रतिरोध करने का संकल्प कर लिया था। एक गुरिल्ला दल तैयार हुआ जिसने सरकार के नाकों दम कर दिया और किसी न किसी प्रकार गिरफ्तार होने से बचते रहे। श्रीयुत एम० एम० उपाध्याय ने जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कमाल

कर दिखाया ! उनकी गिरफ्तारी शायद १० या ११ अगस्त को हुई थी श्री उपाध्याय को हाकिम लोग हमेशा ही खतरनाक व्यक्ति मानते रहे हैं।

जब पुलिस मि० उपाध्याय को अलमोड़ा जेल ले जा रही थी तो रास्ते एक रात्रि को वे ईश्वर जाने किस प्रकार निकल कर भाग गये। यह रहस्य आज तक भी लोगों की समझ में नहीं आया है। उनको पुलिस ने फरार करार देकर उनको गिरफ्तार कराने वाले को १०००) इनाम देने की घोषणा की। सरकार ने उपाध्याय की फरारी के डर से अलमोड़ा जेल के तमाम बन्दियों को बरेली जेल में भेज दिया कि इसी तरह ये भी न भाग जायें। अलमोड़ा जेल के नजरबन्दों से मुलाकात करते समय जिला मजिस्ट्रेट मि० मिश्रा ने कहा था—'बाहर बहुत ही बदमाशियां हो रही हैं। तुम लोगों में से एक ऐसा भी व्यक्ति है जो दिन में तो छिप जाता है और रात्रि मे बाहर निकलकर उत्पात कर रहा है। हमने उसे बागी करार दे दिया है।'

श्रीयुत उपाध्याय अभी दो तीन माह पहले ही बम्बई में गिरफ्तार किये गये हैं। श्रीयुत डा० एन० पाँडेय जो ढाई वर्षों से छिपे हुये रूप में कार्य कर रहे थे वे भी गत नवम्बर मास में ही गिरफ्तार हुए हैं। ये दोनों गुप्त कार्यकर्ता अपूर्व साहसी, अदम्य उत्साही तथा अलौकिक सङ्गठन शक्ति के सजीव प्रतीक हैं।

यह आन्दोलन इसलिये नहीं बन्द हुआ कि कार्यकर्ताओं में शिथिलता थी या थी फूट ! और इसलिये भी नहीं कि जनता में शक्ति नहीं थी या जनता साथ नहीं दे रही थी बल्कि इस आन्दोलन के दब जाने का एकमात्र कारण है समय की प्रतिकूलता और देश का दुर्भाग्य। अन्त में जाट सेना तथा पुलिस की अकथनीय सख्तियों तथा अत्याचारों के फलस्वरूप यह आन्दोलन कुचल दिया गया।

किन्तु अभी देश के युवकों के मुस्कराते बलिदानों की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। कानून देश के सभी प्रान्तों की तरह अलमोड़ा में भी आर्डिनेन्स के रूप में परिवर्तित कर दिये गये। कई व्यक्तियों को इन आर्डिनेन्सों के अन्तर्गत १२ से लेकर २६ साल तक की सजा दी गयी; पर मारिस ग्वायर के फेडरल कोर्ट के फैसले के अनुसार आर्डिनेन्स की धाराओं में साधारण परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप ही इन निरपराध बन्दियों की बेड़ियां तथा

अमानवीय सजाओं के विरुद्ध अपीलें दायर हो सकीं। फेडरल कोर्ट ने आर्डिनेन्स नं० २ को गैर कानूनी करार दे दिया था इसी के परिणाम स्वरूप उनमें से कुछ व्यक्ति मुक्त हो गये। सालम नामक स्थान के दो व्यक्तियों पर गुप्त अदालत में मामला चलाया गया और उनको चुपचाप ही फांसी को सजा घोषित कर दी गयी। किन्तु उनका सौभाग्य कि अपील होने पर वह सजा आजीवन काले पानी की सजा में परिवर्तित हो गया। लेकिन उन अभागों को आज भी नेहद कष्ट दिये जा रहे हैं और जब तक कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं आती तब तक उनको ऐसे ही कष्ट भोगते रहना पड़ेगा।

अलमोड़ा एक छोटासा कस्बा ही है। उसकी आबादी कुल आठ हजार है। पूरे अलमोड़ा नगर को हुक्म दिया गया कि सम्पूर्ण नगर ८६००) का सामूहिक जुर्माना दे। आखिर इस जुर्माने के होने का भी कोई कारण तो चाहिये ही। कारण यह बताया गया कि कुछ विद्यार्थियों ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की खिड़की का सिर्फ एक कांच तोड़ दिया है। सिर्फ एक कांच को दुबारा लगवाने के लिये सरकार ने सम्पूर्ण नगर पर ८६००) रु० जुर्माना कर दिया और इसकी वसूली भी ऐसे बर्बर तरीकों से सख्ती अमल में लायी गयी कि जिसका वर्णन करना भी कठिन हो है। जुर्माना वसूली में पूर्ण सैन्य शक्ति का बर्बर एव असभ्यतापूर्ण प्रदर्शन, कष्ट, यातनाएं आदि सभी का यथोचित उपयोग किया गया। अलमोड़ा नगर का सिटी मैजिस्ट्रेट, जो हैलेट शाही की सची उपज है, यह भी भूल गया कि आखिर को वह भी भारतीय ही है। खादी भण्डार से खादी के कपड़ों की गांठ कीचड़ में फिकवा दी गयीं। एक प्रतिष्ठित नागरिक को चाटा इसलिये मारा गया कि वह सड़क पर हुक्का पी रहा था। भारतवर्ष में हुक्का पीने पर आज तक प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और न इस किस्म का कोई कानून ही आज तक बना है। शहर में ऐलान कर दिया गया कि जो लोग सफेद टोपी पहिन कर बाहर निकलेंगे उन पर भारी जुर्माने किये जायेंगे। ब्रिटिश राज में खादी टोपी पहिनना कोई भी जुर्म नहीं है। ऐसी दशा में ऐसे अमानवीय हुक्म देना हुकूमत की बुद्धि का दिवालियापन ही प्रमाणित करता है।

अधिकारियों को इतने से भी सन्तोष न हुआ। जिला जेल अलमोड़ा में

उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोड़े लगवाये गये जिनको आसानी से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। आँखों से देखने वाले नजरबन्दों का कथन है कि उनको इतने कोड़े इतनी बेरहमी से लगाये गये कि खून से सारी जमीन लाल हो गयी थी।

सालम नामक पाली सब डिवीजन में मिलिटरी के गोली चलाने के परिणाम स्वरूप नौ व्यक्ति मारे गये और कई व्यक्ति महीनों अस्पताल में पड़े कराहते रहे। भारतीयों का यह दुर्भाग्य है कि ऐसी गदर्मी घटनाओं की जांच करने को सरकार को मजबूर करने के लिये प्रो० भंसाली जैसा कोई भी व्यक्ति ६३ दिन का आमरण अनशन न कर सका वरन् शासकों की इससे भी भयंकर ज्यादतियां जनता के सामने आ जातीं।

सालम में जनता को दबा देने के लिये जाट रेजीमेंट भेजा गया। इस रेजीमेंट ने जिस प्रकार अपना कर्तव्य पूर्ण किया उसको सुन कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्रूरता और अमानुषिकता, उस समय सरकार के ये ही दो जबर्दस्त शस्त्र थे। बिचारी औरतें इस सेना के आतंक के कारण पानी भरने तक घर से न निकल सकती थीं और मजा यह कि इस सेना का सम्पूर्ण खर्च सालम के नागरिकों पर ही लादा गया।

सालम के करीब ही जयंती नामक स्थान पर प्रायः १००० आदमी तिरंगे झण्डे को सलामी देने के लिये एकत्रित हुए। बस इसी परसे सेना को गोली चला देने का हुक्म दे दिया गया। कोई भी नहीं कह सकता कि गोलियों की बौछारों से कितने व्यक्ति वहां मारे गये और कितने घायल हुए। सिर्फ दो ही आदमियों की दर्दनाक मौत का पता लग सका है। जिसमें से एक की लाश को पहाड़ों पर से नीचे लुढ़का दिया गया। इसके पहले उसकी लाश पर सैकड़ों ठोकरें मारी गयीं। दूसरा अलमोड़ा के सदर अस्पताल में गहरे जख्म के कारण मर गया। इसके सिवाय वहां कितने मारे गये, आज तक इसका कोई पता नहीं है और सरकार जांच करना ही पसन्द नहीं करती।

अलमोड़ा जिले में चाहे जनता का आन्दोलन कितना भी व्यापक और शक्तिशाली रहा हो किन्तु शासकों ने वहां जिस निर्दयता, निरंकुशता और अमानवीयता का भयंकर से भयंकर स्वरूप पेश किया है वह न तो कम

भुलाया ही जा सकता है। और न कभी क्षम्य ही हो सकता है अलमोड़ा के सम्पूर्ण जिले में क्या क्या अत्याचार नहीं हुए? वहां निरपराधों पर गोलियों की झड़ी लगायी गयी। सैनिकों द्वारा लूटे गये। दूकानें खुलवा कर लूटी गयीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जायदादें नीलाम कर दी गयीं। गोरे सिपाहियों ने खड़ी फसलें काट लीं और उनको बेचकर टैक्सकी रकमें जमा की गयीं। गांवों में से चौपाये हकाल कर जबर्दस्ती सरकारी कब्जे में ले लिये गये। विद्यार्थियों के जुलूसों में भाग लेने के कारण उनके पालकों पर मनमाने जुर्माने किए गये, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी गयीं। गांवों पर सामूहिक जुर्माने किये गये और उन्हें बेरहमी से वसूल किया गया।

कहने का सारांश यह कि अगस्त आंदोलन में अलमोड़ा में ऐसा जबर्दस्त निरंकुश शासन था जैसा दुनिया के किसी देश में न कभी देखा गया, न सुना गया, न पढ़ा गया।

-गोरखपुर जिले में सनसनी खेज पुलिस दमन !

१६४२ की १६ अगस्त तक बांस गांव तहसील के ककराही ग्राम में पूर्ण शान्ति थी। ११ अगस्त से ही गांव वालों को आन्दोलन की रिपोर्ट "आज" और "संसार" नामक हिन्दी के दैनिकों से मालूम होने लगी थी। १३ तारीख तक तो लोगों के दिल आग से भर चुके थे। १३ तारीख को पंडित रामलखन शुक्ल के नेतृत्व में विद्यार्थियों का जुलूस गोला के थाने की तरफ रवाना हुआ। आनन्द विद्यालय से गोला के थाने तक जुलूस बिलकुल शांतिमय था। गोला पहुंचकर पंडित रामलखन शुक्ल ने तिरंगे झण्डे को पोस्ट आफिस की तथा थाने की इमारत पर गाड़ दिया। पुलिस ने कुछ भी ऐतराज नहीं किया। इसके बाद एक हैन्डबिल बांटा गया जिसमें सरकार से आग्रह किया गया था कि राष्ट्रीय नेताओं को जेल से मुक्त कर दिया जावे और यदि सरकार के अधिकारी गण नेताओं को मुक्त करने में असमर्थ हों तो वे अपने पदों से इस्तीफा दे दें और यदि २ हफ्ते के अन्दर ऐसा नहीं हो सका तो सरकार और उसके अधिकारियों को इसका नतीजा भी भोगना पड़ेगा।

इसके बाद पंडित रामलखन ने जुलूस को टेलीग्राफ का तार काट देने का हुक्म सुना दिया। हुक्म की तामील में तार काटकर एक खम्भा जमीन पर गिरा दिया गया। इसके बाद भी स्थानीय पुलिस ने जिला-पुलिस के अधिकारियों से सम्बन्ध स्थापित करके सशस्त्र पुलिस का ग्राम में एक दस्ता मंगवा लिया जो गोला थाने पर २० तारीख को पहुँच गया। जिस समय सशस्त्र पुलिस गांव में पहुंची उस समय वहां के स्कूल में पंडित रामलखन भाषण दे रहे थे। उन्हें भाषण देने से मना किया जाकर गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित जी ने गिरफ्तार होना स्वीकार करते हुए भाषण को समाप्त करके ही वहां से हटने का आग्रह

किया। सशस्त्र पुलिस ने बन्दूकों को नलियाँ पंडित जी की तरफ करते हुए उन्हें हुक्म दिया कि यदि उन्होंने भाषण समाप्त नहीं किया तो यही गाली का निशाना बना दिये जावेंगे। पंडित जी डरने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कुरते के बटन खोल कर सीना सामने करते हुए ललकार कर कहा कि 'लो मार डालो' पर भाषण तो समाप्त ही होगा। अधूरा भाषण नहीं छूट सकता। इस पर पुलिस ने उन्हें भाषण समाप्त करने तक को मोहलत दे दी। भाषण को खत्म करते हुए उन्होंने जनता से अपील की कि वह अहिंसा का ही पालन करे और उनकी गिरफ्तारी से उत्तेजित न हो जाय।

वास्तविक दमन का आरम्भ १ सितम्बर से हुआ। पहिली सितम्बर को एक पुलिस का उच्च अधिकारी एक थानेदार और तीन सशस्त्र और खाली पुलिस के जवानों से भरी हुई ककराही ग्राम में ३ लारियाँ पहुँचीं। उनके साथ ५० गुण्डे भी लाये गये थे। वे सब से पहिले पंडित रामलखन के मकान पर ही पहुँचे। घर के लोगों को बेरहमी के साथ पीटा गया और उनकी तमाम जायदाद—गहने, कपड़े, बर्तन व सामान व नगदी सभी कुछ लूट लिया गया। इसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती एक तेली के मकान में से घासलेट लिया और पंडित जी के सारे मकान पर छिड़क कर उनके मकान में आग लगा दी गई। जो गाँव वाले मदद करने के लिए आगे आये उन्हें शसस्त्र पुलिस ने जान से मार डालने की धमकी दे कर भगा दिया। थोड़ी ही देर में सारा मकान जलकर राख हो गया।

पंडित रामलखन के पिता पंडित गोमती प्रसाद शुक्ल ने उक्त पुलिस अफसरों से उनकी जायदाद नष्ट कर देने के एवज में ५०२४) रु० की मांग की। इसपर पंडित गोमती प्रसाद को डिप्टी कलक्टर के पास जाने के लिए कहा गया। वहाँ रामनारायण त्रिपाठी रईस राजगढ़, चण्डी प्रसाद पाठक वकील तथा गोपालपुर के राजा वीरेन्द्र चन्द्र ने पंडित जी को नोटिस वापस ले लेने के लिए आग्रह किया और वचन दिया कि वे जैसे भी होगा उनके नुकसान की भरपाई करा देंगे। इस बात से पंडित जी के इन्कार कर देने पर उन्होंने कहा कि नोटिस के बजाय आपको भी गिरफ्तार कर लिया जावेगा और जो कुछ भी आपके पास रह गया है वह भी छीन लिया जावेगा। इसपर पंडित जी

राजी हो गये और अन्त में उन्हें तमाम जायदाद का हर्जाना महज १५०) रु० मिला।

इससे भी भयानक कहानी है लाल नारायण चन्द्र की। लाल साहब गोपालपुरा के स्वर्गीय राजा कृष्ण किशोर चन्द्र के प्रपौत्र हैं और स्वर्गीय राजा महादेव प्रसाद चन्द्र के पौत्र हैं तथा राजा बल्देव प्रसाद के पुत्र हैं ६ अगस्त से पहिले ही लाल नारायण चन्द्र इलाहाबाद में अपने किसी अदालती मामले के सिलसिले में गये हुए थे। वे ६ अगस्त के महान् ऐतिहासिक दिन को दोपहरी में ही घर पर पहुँचे थे लोगों ने उनसे कहा कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है और उन्हें पाते ही गोली से मार देगी।

राजा साहब का मकान लूट लिया गया और तमाम मकान का सामान गहने से लेकर बर्तन तक पुलिस उठा कर ले गई जिसकी कीमत का अन्दाजा प्रायः पैंतीस हजार रुपये के लगभग है। घर की स्त्रियाँ घर से इस दर्जे वजह से निकल कर गढ़ों तथा खेतों में जाकर छिप गईं कि कहीं राजा साहब की १४ वर्षीया लड़की की बेइज्जती न कर दी जाय। पुलिस राजा साहब के ११ महीने के बच्चे को उठाकर ले गई। उस समय बारिश हो रही थी और हवा भी तेजी के साथ चल रही थी। बच्चा दूध के अभाव में दो दिन बाद ही चल बसा। राजा साहब का यह एक मात्र लड़का था।

राजा साहब के एक भाई लाल राजबहादुर चन्द्र ६ दिन पूर्व ही गिरफ्तार कर लिये गये थे यद्यपि राजनीति में वे कतई भाग नहीं लेते थे। वे दो वर्ष तक नजरबन्द रखे गये।

गोकुलपुरा गाँव में भी केशभान राय नामक एक कांग्रेसी गिरफ्तार किये गये। उनके मकान और जायदाद भी जलाकर खाक कर दिये गये। यहाँ तक कि उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गाँव में पुलिस ने रामनारायण राय नामक व्यक्ति को पकड़ लिया और उनसे कहा कि "सरकार की जय कहो।" उसने निरन्तर यह कहा "गांधी जी की जय" यह कहते ही पुलिस ने उसका लाठियों से स्वागत किया और उसे बेहोशी में पीटा गया। इसी प्रकार एक १५ साल के लड़के गुरुनन्द को भी "सरकार की जय" कहने से इनकार करने पर बेंतों से मारा गया।

खोनसापर ग्राम में प्रसिद्ध कांग्रेसी पंडित रामवली मिश्र की पत्नी श्रीमती कैलाशवती देवी से प्रश्न किये गये कि उनके यहां अमुक लड़के क्यों आते जाते हैं ? कोई भी सूचना प्राप्त न होने पर उनकी साड़ी खींच कर फाड़ डाली गई और थानेदार के हुक्म से गुण्डों ने उन्हें ताले में बन्द कर दिया। स्कूल और स्कूल की पुस्तकें तथा चरखे जला कर खाक कर दिये गये। पुस्तकें एक हजार के करीब था।

टाडी में उक्त घटनाओं से भी ज्यादा भयानक दमन हुए। यहां भी पुलिस आफीसर कुछ सशस्त्र पुलिस और गुण्डों को लेकर आ पहुँचा। यहां भी कुछ मकान जला दिये गये और तमाम गांव के मकान—बिना एक भी अपवाद के—लूट लिये गये। स्त्रियों को मकानों में से घसीट कर बाहर लाया गया और कइयों की बेइज्जती की गई और कइयों के साथ बलात्कार भी किये गए। एक दस वर्ष की लड़की रामदेवी के गले में से पुलिस ने एक सोने का जंजीर निकालना चाहा। लड़की के इन्कार कर देने पर पुलिस ने लड़की की सीधी आंख के नीचे बरछी मार कर गहरा घाव कर दिया।

यहां यह स्पष्ट कर देना अत्यन्त आवश्यक है कि इस ग्राम में एक भी कांग्रेस का व्यक्ति नहीं था फिर भी यहां लूट, बलात्कार, लाठी प्रहार, बेंतों की मार, मकानों को जलाकर खाक कर देने की सैकड़ों भयानक घटनाएँ हुईं। उदग्रा बाजार गांव में पुलिस ने लोगों को रस्सों से बांध कर पुलिस थाने तक चौपायों की तरह घसीटा और वहां उन्हें बन्द कर दिया। जब पुलिस को उन लोगों से अच्छा पैसा प्राप्त हो गया तब वे छोड़ दिये गये। यहां रामधार सिंह को पुलिस की मार से गहरी चोट तथा जख्म लगे।

देवरिया तहसील के मालीवरी गांव में मिलिटरी ने खूब ही लूट खसोट की। इस ग्राम में मिलिटरी खासतौर पर तैनात की गई थी। यहां के लोगों को भी रस्सों से बांध कर तालाब तक घसीट कर ले जाया गया जैसा चमार को गोली का जख्म भी लगा। शिवमन राय तो लाठियों की मार से वहीं मर गया।

भाटनी के करीब देवघाट गांव में गोला बाज के मिल चले में भजन मियां और रामशरन तेली की मृत्यु वहां हो गई। रमाकान्त मिश्र के मकान से प्रायः चालीस हजार रुपये का माल लूट लिया गया।

बांस गाँव तहसील में प्रायः १ लाख रुपये से भी ज्यादा की हानि हुई। और फकराही, गोपालपुरा, गोला, जानीपुरा, धमुसा, मदरिया, कौहरी, देई, दौव, उरुआ बाजार, टांडो और पारसा गाँवों की असंख्य जान और माल और इज्जत की हानि हुई।

मिसई ग्राम खुखनू स्टेशन से पास ही है इस ग्राम के किसान कांग्रेस के परम भक्त है। इसी देश भक्ति के कारण आन्दोलन में इस गाँव को बर्बाद होना पड़ा। २८ अगस्त को तहसीलदार अपने दलबल के साथ इस ग्राम में सामूहिक जुर्माना वसूल करने के लिये आये। ३००) रु० जुर्माना वसूल करने का तहसीलदार ने हुक्म दिया। लोगों ने जुरमाना देने से साफ इन्कार कर दिया। लोगों को इसपर खूब ही पीटा गया, उन्हें ठोकरें मारी गई, कई किसानों को अधमरा कर दिया गया। इस पर सारा ग्राम बिगड़ पड़ा और तहसीलदार तथा उसके दल की बुरी तरह मरम्मत की गई। थोड़ी देर बाद घटना स्थलपर बलूची सैनिक बुला लिये गये। उनको देखकर गाँव के पुरुष, स्त्री तथा बच्चे निकल भागे। श्रीरामनारायण जी मुख्तार गिरफ्तार करके खुखनू स्टेशन पर लाये गये। पहिले तो कप्तान ने इनको गोली से उड़ा देने का हुक्म दिया पर रामनारायण जी सीना खोलकर खड़े हो गये। पर बाद में कप्तान साहब को समझ में कुछ आया और अपना हुक्म वापस ले लिया। रामनारायण जी को जेल भेज दिया गया। उनके अलावा गाँव के २५ आदमी और गिरफ्तार कर लिये गये। उन सभी आदमियों को २-२ साल की सख्त कैद व १२-१२ बेंतों की सजाएँ दी गई। १६-१७ घर जलाकर राख कर दिये गये और मकानों में से बर्तन, जेवर, कपड़ा तथा अन्न चीज उठाकर ले गई। १५ हजार रुपये के नुकसान का आन्दाज लगाया जाता है। मशीनगनें लगाकर लोगों को धमकाया तथा डराया गया। पचासों स्त्रियों के साथ बलूची सैनिकों ने बलात्कार किया। इसके बाद सरकारपरस्त जमींदार ने गाँव में से १५००) रु० वसूल किया और सरकार के खजाने में सिर्फ २००) रु० जमा कराये।

देऊघाट गाँव भटनी स्टेशन के पास ही है यहाँ के जमींदार पण्डित गोपीनाथ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ये कांग्रेस के व्यक्ति नहीं हैं और सरकारी कर्मचारियों के पीछे फिरनेवालों में से भी नहीं हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के सज्जन हैं। इस

गांव में आन्दोलन नाम की इसीलिये कोई चीज़ ही नहीं थी फिर भी २६ अगस्त को कैप्टन मूर ८ बजे रात को ६ सिपाहियों के साथ गांव में आ धमके। मूर ने पण्डित गोपीनाथ को पकड़ कर उनसे ४०००) रु० जुर्माना माँगा। इसपर पण्डित जी ने कहा कि "हम तो इस गांव को आन्दोलन से रोके बैठे हैं फिर भी आपके हुक्म पर ५००) अभी दे रहे हैं शेष रकम के लिये हमें समय चाहिये"। कैप्टन मूर तो उसी समय पूरी रकम चाहता था इसलिये किवाड़ तोड़ कर अन्दर घुस गया। स्त्रियाँ इस घटना को देख कर रोने चिल्लाने लगीं। इधर गांव के लोगों ने समझा कि पण्डित जी के घर डाका पड़ गया है इसलिये दौड़े हुए आये। पण्डित जी ने लोगों को आया जान कर दूर रहने की प्रार्थना की। दो व्यक्तियों को इसके बाद भी गोली मार दी गई। रामरतन तेली वृद्ध था, उसकी कमर झुक गई थी। मूर ने उसे सीधे खड़े होने का हुक्म दिया। वह खड़ा नहीं हो सका इसीपर गोली का शिकार बना दिया गया। इसके बाद मूर तथा उनके आदमियों ने १ हजार मन गल्ला, ७०-८० बक्स कपड़ा और ढेरों बरतन लूट लिये। सारे गांव पर ५०००) रु० जुर्माना भी वसूल किया गया। गांव भर में २५ हज़ार रुपये का माल लूटा गया।

१८ अगस्त को भाटपारा की जनता पर थानेदार ने गोली चला दी जिससे २ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। १६ अगस्त को भाटपारा का बाजार पुलिस ने लूट लिया। सामूहिक जुर्माना इस ग्राम पर ५० हजार रुपये किये गये जो बड़ी ही बेरहमी के साथ वसूल हुए। गांधी आश्रम की सारी सम्पत्ति लूट ली गई तथा बाद में जलादी गई। बाजार के बड़े व्यापारियों की दूकानें दिन दहाड़े लूट ली गईं। बाजी बाजी दूकान से तो ४०-५० हजार तक का माल लूटा गया। २० अगस्त को मातबरी गांव में ५-६ व्यक्तियों के घर फूंक दिये गये। ८० व्यक्तियों को पहिले तो बांध कर खूब पीटा गया और बाद में एक गड्ढे में उन्हें फेंक दिया गया। घरों मे से सभी सामान लूट लिया गया। १० आदमी गिरफ्तार किये गये। पुलिस के लूटने के बाद जमींदारों ने किसानों को भी खूब लूटा। रेलवे लाइन पर के तमाम गांवों पर सामूहिक जुर्माना किया गया और वह बहुत ही बेरहमी के साथ वसूल किया गया।

गोरखपुर जिले के बरहज ग्राम में कैप्टन मूर की करतूतें !!!

महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार बरहज वालों को ९ अगस्त को सवेरे ही मिल गया। दूसरे दिन विद्यार्थियों और आम लोगों का एक जुलूस लगभग १० बजे दिन में निकला और सड़कों, गलियों से होता हुआ सरजू तट के थाना घाट तक गया। जुलूस के नेता गणेश तिवारी कांग्रेस कार्यकर्त्ता थे। झींगुर सेवक ने डुग्गी पीट कर कस्बे में ऐलान कर दिया था कि "आज से भारत स्वतंत्र हो गया" "अंग्रेजो भारत छोड़ो।" आज से आप लोग "स्वतंत्र भारत सरकार" का हुक्म मानें।

जन समूह ने थाने के सामने श्री श्याम सुन्दर तिवारी के सभापतित्व में सार्वजनिक सभा की जिसमें पण्डित झींगुर त्रिपाठी, श्री छेदीलाल गुप्त, श्री चन्द्रिका सिंह, श्री गणेश तिवारी आदि के जोशीले भाषण हुए। सभा में ऐलान किया गया कि आज से भारत आजाद हो गया। आप लोग अपने को स्वतंत्र समझें। यहां से लोग उठकर जुलूस एवं हड़ताल का ऐलान करते हुए लाजपत भवन पहुँचे। यहां कांग्रेस का दफ्तर था। यहां भी विद्यार्थियों ने एक विराट सभा की।

प्रायः ४ बजे दिन में पण्डित झींगुर त्रिपाठी, श्री छेदीलाल गुप्त तथा डाक्टर पं० एम० जेड० रहमान पकड़ लिये गये। मण्डल कांग्रेस कमेटी के सभापति बाबा मयादास उदासीन देवरिया में ही पकड़ लिये गये थे और श्री विश्वनाथ त्रिपाठी पहिले ही जेल में थे। पुलिस ने लाजपत भवन का ताला तोड़ दिया और कांग्रेस का सारा सामान कब्जे में कर लिया।

११ अगस्त को स्थानीय दोनों हाई स्कूल बन्द हो गये। लड़कों ने हड़ताल कर दी और जुलूस निकाला। जगह जगह उन्होंने ऐलान किया कि भारत स्वतंत्र हो गया।

१२ अगस्त को फिर हड़ताल हुई, सभा हुई और जुलूस निकला। विद्यार्थियों ने स्कूल के कागजात जला दिये। रेलवे का तार काट दिया गया। तार काटते समय एक ईसाई मिशनरी फोटो आकर तस्वीर खींचने लगा। इस पर लोगों ने उसका कैमरा छीन लिया। दशा में जुलूस श्री कृष्ण हाई स्कूल तक गया तथा वहां से लौटकर नोटीफाइड एरिया कमेटी के दफ्तर पर कांग्रेसी झण्डा फहराया। वहां से चलकर जुलूस पोस्ट आफिस पहुंचा और पोस्ट मास्टर से स्वतंत्र भारत सरकार की अधीनता का लिखित आश्वासन लेकर आगे बढ़े। इस दिन भी बाजार में हड़ताल थी। उसी दिन लाठी प्रहार भी हुआ जिसमें श्री सत्यनारायण राय मदरासी को गहरी चोट आयी। एक लड़का बेहोश हो गया, दो तीन और विद्यार्थी भी घायल हुए। कन्हैया लाल ने घायलों को अस्पताल भिजवा कर मरहम पट्टी करवाई। पुलिस फिर कुछ विद्यार्थियों को पकड़ कर थाने ले गयी और बड़ी ही बेरहमी से पीटा। कुछ देर के बाद २००० विद्यार्थियों की रिहाई की मांग की। श्री रामाज्ञा वैद्य के लड़के को १२००) की जमानत पर छोड़ा गया।

पांच बजे शाम को सबडिविजनल अफसर देवरिया मशस्त्र पुलिस के साथ थाने पर पहुंचे और श्री कृष्ण हाई स्कूल के हेड मास्टर श्री चन्द्रिका प्रसाद B. T. को पकड़ लिया। दस बजे रात को जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट भी बरहज पहुँच गये और उसी रात को दफा १४४ जारी कर दिया गया। लोगों की बन्दूकें छीन ली गईं।

१५ अगस्त को सवेरे कन्हैया लाल जी सराफ को बुलाकर कहा गया कि श्री रामाज्ञा शर्मा वैद्य को हाजिर करो। इसी बीच एक हजार से ऊपर जनता का जुलूस लिए बाबू चन्द्रिका सिंह (सभापति भलुअनी कांग्रेस कमेटी) ने कस्बा बरहज में प्रवेश किया। यह समाचार पाकर एक अंग्रेज अफसर भी सशस्त्र पुलिस के साथ बाजार में दाखिल हुआ तथा जुलूस को तितर-बितर हो जाने के लिये कहा। लोग शान्त बने रह कर अपने स्थानों पर डटे रहे। फायर का

हुक्म हुआ और दनादन गोलियाँ चलने लगीं। श्री विश्वनाथ मिश्र वृद्ध और श्री जगन्नाथ मल बरौली गोली का निशाना बने। अमर शहीद श्री विश्वनाथ मिश्र २७ वर्ष के और शहीद जगन्नाथ मल्ल केवल २१ वर्ष के थे। दोनों शहीदों की विधवा पत्नियाँ जिनके नाम क्रमशः सरलादेवी और सरस्वती देवी हैं और जिनको सुसराल आये तीन मास से कम ही हुआ था, जीवित हैं।

२१ अगस्त को कैप्टन मूर के अधीन बलूची और पठान फौज की एक टुकड़ी कस्बे में दाखिल हुई। सबसे पहिले फौज श्री हरि गोविन्द की दूकान पर गयी और उन्हें वहाँ न पाकर आग बूला हो गई और अपना क्रोध गांधी जी की टंगी हुई तस्वीर पर निकाला। तस्वीर चूर चूर कर दी गयी और उसका अपमान किया गया, गालियाँ दी गईं। वहाँ से फौज की टुकड़ी स्थानीय गांधी आश्रम पहुंची और तिरंगा भण्डा उतार कर फाड़ डाला गया, खद्दर भण्डार लूट लिया गया। फरनीचर और ग्रामोफोन की मशीन जलादी गयी, फाड़ डाली गयी, और पैरों तले कुचली गयी।

वहाँ से फौज परमहंस आश्रम पर गयी और श्री रामनरेश सिंह तथा मास्टर जय नारायण लाल को पकड़ लिया। देवता मिश्र मोटर वाले भी पकड़े गये। फिर फौज मटनी कैम्प को वापस चली गई।

२२ अगस्त को बाजार से पचासों बोरे चावल जबरन वसूल किया गया। २४ अगस्त को फिर फौज आयी और गौरा, जय नगर आदि ग्रामों में बाबू रामलखन सिंह, रामलखन जी गुप्ता वगैरह तथा बाबू चन्द्रशेखर सिंह तथा सुरेन्द्र नारायण सिंह वगैरह से जबरदस्ती कई सौ रुपये वसूल किये गये। बरहज के प्रतिष्ठित लोगों को थाने पर बुलाकर कहा गया कि बहुक्म कलेक्टर साहब बहादुर के आप लोग २० हजार रुपया बतौर जुरमाना फौरन हाजिर करें। इसके बाद फौज तीन भागों में बंटकर तीन अफसरों के अधीन कस्बे में गयी और खास खास लोगों से जुरमाना वसूल किया। हुक्म हुआ कि अगर जुरमाना देने में देर हुई तो फी मिनिट १००) रु० और वसूल होंगे। ऐसा ही किया भी गया। कुल २४०००) रु० बात की बात में वसूल हुए। इसी दिन रामधारी मलाह, जीवन लाल जायसवाल, तथा रमाकांत सिंह पकड़ लिये गये और फौज चली गई।

७ दिसम्बर को फौज फिर आई और कन्हैया लाल जी का मकान घेर कर

दो हजार रुपया जबरन वसूल किया गया। इसी दिन बरहज कस्बे से २५०००)
और वसूल हुआ तथा २० सितम्बर को नोटी फाइड एरिया, गौरा बरहज को
सरकार ने जब्त कर लिया। इसी मण्डल के अन्तर्गत ग्राम जरार में सड़क का पुल
जनता ने तोड़ दिया था। बदले में दो लुहारों के मकान जला दिये गये। गड़ेर
ग्राम में श्री करिया शाही जी कांग्रेस कार्यकर्त्ता की बरदौर जलायी गई। सतराव
में श्री राम कृष्ण चौधरी और श्री केदारनाथ B. A के घर का लगभग १२००)
रु० का माल लूट लिया गया। छात्र संघ के कार्यकर्त्ता बृजकिशोर जी मैल
ग्राम निवासी पकड़ लिये गये।

इस मण्डल से एक लाख से अधिक जुरमाना वसूल हुआ। २१ व्यक्ति
नजरबन्द किये गये। २७ आदमियों को डेढ़ साल से ७ साल तक की सजा हुई।
७ को बारह बारह बेंतों की सजा हुई और ६ विद्यार्थी रेस्टीकेट किये गये।

———

वीर कुँवर सिंह की जन्म भूमि में दमन।

आरा, बिहिया तथा शाहपुर में जनता का राज्य !!

बूढ़े वीर कुंवरसिंह का जौहर सन् सत्तावन में अंग्रेजों ने देखा था किन्तु ४२ में उस नर-नाहर की भूमि में डगें डगें पर सैकड़ों बलिदानी कुंवर पैदा हो गये जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को एक बार फिर सन् सत्तावन के खूनी दिनों का स्मरण दिला दिया। वे बहादुर रणबांकुरेसर पर कफन बांध कर अपने अपने घरों से निकल पड़े थे और आरा से लेकर डुमरांव तक की जमीन को अपने खून से लाल कर दिया था।

कुँवर सिंह की जन्म भूमि जगदीश पुर पर से तो चन्द दिनों के लिए ब्रिटिश हुकूमत ही उठ गयी थी।

वही ६ अगस्त ! नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही जनता का खून कड़ाह में उबाले हुए तेल की भांति खौल उठा। भूखे भेड़िये की तरह लोग चल पड़े। इधर नौकरशाही के गिद्ध भी चुपचाप नहीं बैठे थे। बात की बात में आरा में जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर सीलमोहर दे दी गई। कागजात जब्त कर लिये गये और उसी दिन मुन्शी बुधनराम वर्मा M. L. A. को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का जुल्म पराकाष्ठा को पहुंच गया था। सामूहिक गिरफ्तारी और गोलीबारी ने सारे शहर में आतंक फैल गया था। छात्रों का जुलूस कचहरी की ओर बढ़ना चाहता था कि गोलियों की झड़ी लगा दी गई।

इस भीषण गोलीकाण्ड के चपेटे में पड़कर एक ग्यारह वर्ष का बालक गोली की मार से घायल होकर एक नाले में जा गिरा। जनता अब तक तो शान्त थी लेकिन बच्चे की इस कारुणिक दशा से वह आपे से बाहर हो गई।

तितर-बितर हो जाने पर भी भीड़ में प्रतिहिंसा की भावना अत्यन्त ही जबरदस्त थी। जनता खून का उत्तर खून से नहीं, गोली का गोली से नहीं, जुल्म का जुल्म से नहीं, बल्कि नादिर शाही हुकूमत के सारे यन्त्रों को उलट कर उन पर अपना कब्जा जमा लेना चाहती थी। इसी प्रेरणा से भोली भाली जनता ने अपना कार्य आरम्भ किया। लोगों ने आरा की सभी अदालतों पर, शहर आफिस पर, तथा अन्य दफ्तरों पर भी अपना कब्जा कर लिया। मासूमों का खून पीने वाली बन्दूकें घर के अन्दर बन्द कर दी गईं, चाभी अब जनता के हाथ में थी। अपनी रक्षा के लिए जहां तहां लोगों ने वृक्षों को काट कर सड़कों पर डाल दिया ताकि मैनिक शीघ्र आ जा न सकें।

आरा के बाद बिहिया पड़ता है। यह एक छोटा सा बाजार है और साधारण श्रेणी का स्टेशन भी है। इस इलाके में बिहिया, शाहपुर और धरवली में तीन हाईस्कूल हैं। ये तीनों हाईस्कूल ६ मील के घेरे में ही स्थित हैं। शाहपुर भी बाजार ही है। महज देहाती बाजार और छोटी सी बस्ती। धरवली भी एक पास ही मामूली सा गाँव है।

आन्दोलन की संक्रामक बीमारी से ये देहाती छात्र भी अछूते न रहे। उन्होंने भी जुलूस और सभाओं का आयोजन किया। धरवली के लड़कों ने शाहपुर थाने पर अधिकार कर लिया। यहां यह स्मरण रखने की बात है कि शाहपुर थाने पर जनता का अधिकार बिना किसी खूनखराबी के हुआ था। तिरंगा झण्डा फहराये जाने के बाद हवालात के सभी कैदी मुक्त कर दिये गये। दफ्तर के फाटक पर कांग्रेस की गोलमोहर भी चिपका दी गई। डाकखाने पर भी अधिकार कर लिया गया।

इधर बिहिया में छात्रों की सभा हो रही थी। फिर क्या था? पड़ोस की जनता और यहां के छात्र भी उसमें आ मिले। व्यवसायी और व्यापारी भी इसमें सम्मिलित थे। इन व्यवसायियों के माल गोदाम में पड़े थे जो जनता के अधिकार में था। गुण्डे लूटना चाहते थे किन्तु जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पण्डित रामाधार मिश्र की अपील पर छात्र समुदाय ने इन गुण्डों को मार भगाया और बिल्टी के मुताबिक उनके माल दे दिये। कांग्रेस के बदनाम करने वालों के लिये बस इतना ही काफी है।

कुछ अमेरिकन सैनिकों और यात्रियों के लिये गाड़ी दनदनाती हुई विहिया स्टेशन से जा रही थी। भीड़ ने गाड़ी रोक ली और उधर अमेरिकन सैनिकों ने अपनी पिस्तौलें सीधी कर लीं। लेकिन जिन्दा दिल जनता इन बन्दर घुड़कियों से डरने वाली नहीं थी। खाली फायर हुए, जनता घबरायी, लेकिन कुछ दिलेर नौजवानों ने कहा —"भला चाहते हो तो गाड़ी से उतर जाओ" भीड़ बढ़ी और सैनिकों ने अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलाईं। शिवशंकर नामक एक नौजवान वहीं मारा गया पर दूसरे ही क्षण भीड़ में से फेंका गया एक बर्छा एक अमेरिकन सैनिक के कन्धे में जा लगा। इसके बाद तो कोई सैनिक घड़ी, कोई अँगूठी और कोई रुपया भीड़ में फेंकने लगा। यहाँ भी कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के बचाव से अमेरिकन सैनिक बच गये। सैनिक बार बार जनता के पैरों पर सिर रगड़ रहे थे। यात्री भी त्राहि त्राहि मचा रहे थे। इसपर शाहपुर के शेर पण्डित रामाधार मिश्र—ने गरज कर कहा—"गाड़ी जाने दो"—भीड़ हट गयी और गाड़ी आगे बढ़ गई।

बस्ती जिले में पुलिस का भयंकर दमन चक्र

स्त्रियों को नंगी करके पीटा गया

अगस्त १९४२ में गौरा ग्राम में जो बस्ती जिले में है, मामूली हलचलें हुईं। जनता टेलीग्राफ के तार काट डाले और १०।।) की नगदी रकम लूट कर ले गये। स्टेशन की इमारत को ध्वंस्त कर दिया और वहां पूरी वैगन की वैगन अनाज की, जो मिलिटरी के लिये सुरक्षित रखी गई थी, जनता उठाकर ले गई। गौरा ग्राम की आफिशियल रिपोर्ट महज यही है। लेकिन प्रतिहिंसा की भावना बड़ी ही भयानक रही। गौरा ग्राम स्टेशन के आसपास के पांच गांव जलाकर पुलिस ने खाक कर दिये। दुबाहा, बरहैया, इतभारा, रानीपुर, गौड़, सरदाहा खूब लूटे गये। औरतों के जेवर निकाल लिये गये और मनुष्यों को महीनों तक भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ा। दो सो से भी ज्यादा आदमी गिरफ्तार किये गये लेकिन बाद में सब छोड़ दिये गये। नव व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। उन व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं—

१ श्रीयुत भिक्खू सिंह २ महेश्वर सिंह, ३ सीताराम सिंह ४ राजारामसिंह, ५ राजमणी ६ सूरजप्रसाद शुक्ल ७ जयवन्त सिंह ८ भगवान सिंह ९ रामचली सिंह।

दरअसल थे पण्डित सूरजप्रसाद तिवारी जो इस मामले में घोषित नेता थे वे वहाँ से गायब हो गये। वे नेपाल पहुंच गये। जब वे नेपाल से बस्ती को आ रहे थे तब पुलिस ने उन्हें पकड़ने का जाल बिछाया। ज्योंही उन्हें यह बात मालूम हुई कि वे फौरन नेपाल की ओर भागे। भागने में पुलिस के साथ उनका युद्ध ठन गया। उसी लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। पुलिस उनके शव को नेपाल से साथ लाई। पण्डित सूरजप्रसाद तिवारी कौमी सेना दल के सरदार थे। जिस समय वे गुप्तावस्था में थे, पुलिस ने उनके मकान को सात बार लूटा।

श्री० भदेश्वरसिंह जो उक्त मामले में अपराधी माने गये थे वे दलभारा मालगुजार थे आप सरकार को मालगुजारी के २०००) रु० साल देते थे उनकी २०००) रु० से भी ज्यादा की रकम महज ४००) रु० नीलाम हर ... दी गई और बोली भी पुलिस अफसर ने लगाई। उनकी औरतों को पहिले तो खूब ही मारा पीटा गया और फिर नंगा कर हण्टर लगाये गये। भदेश्वरसिं आजकल ७ साल की सख्त सजा भोग रहे हैं।

इसी मामले के तीसरे अपराधी झिन्कुसिंह की औरतों को सारे दिन धूप में खड़ा रखा गया उनके सिर्फ गहने ही नहीं छीने गये बल्कि घर का तमाम सामान भी पुलिस ने लूट लिया। गाँव में पुलिस के अत्याचारों से इतना आतंक छ गया था कि भदेश्वरसिंह, जिसका कि पुलिस ने पहिले ही घर साफ कर दिया था, उनके घरवालों ने वष्ट उठाया पर दूसरे बर्तन नहीं खरीदे। वे जब तक पुलिस का दमन जारी रहा मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाते रहे।

हाथियों को मार-मार कर गौड ग्राम में पमले नष्ट करवा दी गईं और जो रह गईं पकने पर चौकीदारों तथा अन्य ग्रामीण अधिकारियों को पुलि ने बाँट दीं।

खेत वाले मण्डल के श्रीरामचरन यादव जो जिला कांग्रेस कमेटी के मेम थे अपने ही ग्राम में पकड़ लिये गये और उन्हें शोहरत गढ़ स्टेशन एक हा पर बैठा कर ले जाया गया रास्ते में जितने भी गाँव आये, वह, वहाँ के निव सियों को मजबूर किया गया कि वे उन्हें ठोकरें मारें। जिन्होंने इस कार्य इन्कार किया वे बुरी तरह पीटे गये।

चाल्टर गंज के बेहरिया, भरौली तथा बेलदारा ग्रामों में कुछ मकानों आग लगा दी गई। कुछ लोगों की जायदादें लूट ली गईं, लोगों को सई हन्टरों से पीटा गया और करीब ५० व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये, इनमें १९ को सजायें दी गईं, अपील में इनमें से ७ व्यक्तियों की सजायें मु कर दी गईं।

वहीन मण्डल के इमलिया ग्राम में, जो पारसा स्टेशन के करीब है, पण्डित बेनीमाधव का मकान जला दिया गया, उनकी जायदाद लूट ली गई और उनके परिवार को स्टेशन के अहाते में कई दिनों तक नजरबन्द रखा गया और

रामपुर गाँव में चेतू हरिजन के घर में घुसकर उसकी युवा पत्नी
के साथ बीस गोरों ने बलात्कार किया !

उनके ७० वर्षीय पिता को बुरी तरह से पीटा गया। यहाँ पर तार काटने जैसी महज एक ही घटना हुई थी। इसी ग्राम मे कोतवालसिंह का मकान जला दिया गया और बिना लिखापढ़ी व पूर्व सूचना के उनके तमाम चौपाये नीलाम कर दिये गये।

बस्ती जिला कांग्रेस कमेटी के एक सेक्रेटरी श्रीयुत लालता प्रसाद का भी मकान जला कर खाक कर दिया गया और उनकी जायदाद भी लूट ली गई। उनका मकान खलीलाबाद तहसील के मेंहदावल ग्राम में था।

कलवारी मण्डल मे एक ग्राम पटवारी के कागजात जलाकर राख कर दिये गये। ग्राम के ७-८ व्यक्तियों को निष्कारण ही पीटा गया। श्री० भूसीसिंह के आठ वर्षीय बच्चे को उठाकर पुलिस ले गयी। आज भी बच्चे का पता नहीं है। पिता तीन साल की सख्त सजा भोग रहा है।

सरदाहा ग्राम में आग लगा दी गई। जब तमाम गाँव के लोग एकत्रित हो गये तो पुलिस ने गोलियाँ चला दीं जिसमे एक लड़का सख्त घायल हुआ।

गोरों का कालापन

गोरे टामियों के द्वारा रामपुर गाँव में जिस घृणास्पद कर्म का प्रदर्शन हुआ वह साफ तौर से यह साबित करने के लिये बहुत होगा कि घृणित और नाजायज रूप से पैदा होने वाले के बेटामी जिनके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं, मात्र जाति का सम्मान नष्ट करने के लिये ही बुलाये गये थे! वहाँ चैतू हरिजन के घर मे घुसकर उसकी युवा पत्नी के साथ बीस गोरों ने बारी बारी से बलात्कार किया जबतक उन अत्याचारों से अबला की रक्षा की जा सके तबतक वह बेचारी स्वतः इस दुनिया को छोड़ गई था!

काशी में भी गोरे टामियों की कुछ ऐसी ठोक हरकत सामने आई, आदि, एक स्त्री अपनी दो छोटी बच्चों के साथ घर मे खाना पका रही थी, उसी समय नृशंस दस्यु वहाँ पहुँच गये। गोरों कालापन दिखलाने के बारे में अनार्यकिंयों ने कुछ न रखा! जबरदस्ती उस अबला को पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया।

बस्ती जिले के ग्रामों में सामूहिक जुर्माने भी हुए जो इस प्रकार हैं —

१ कलवारी मण्डल	२०००)	९ गढ़ा रायपुर ग्राम	१०००)
२ अमा मण्डल	३०००)	१० इतवरहा ग्राम	२०००)
३ कुदरहा मण्डल	१०००)	११ कनिकपुर ग्राम	५००)
४ बैरागल मण्डल	२०७३)	१२ समाही ग्राम	२०००)
५ लछमनपुर मण्डल	२०८३)		
६ पाट्कौलिया मण्डल	२०००)		
७ महुआ दरबार ग्राम	१०००)		
८ हुलुआ ग्राम	२०००)		

बलिया में जुल्म, अत्याचार और नग्नता की भयंकर कहानी !

"बलिया ने राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में एक अध्याय अपने खून से लिखा है। भारतवर्ष यहाँ के बहादुर एवं उत्साही वीर युवकों को कभी भूल नहीं सकता। यहाँ की जनता ने अगस्त सन् १९४२ के ऐतिहासिक राष्ट्रीय संग्राम में जो कुछ किया है उसके लिये मैं उन्हें राष्ट्र की ओर से बधाई देता हूँ।"

"आज बलिया के प्रत्येक नर-नारी एवं युवक को गर्व है कि उसने संसार के एक प्रबल शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी की जंजीर तोड़ कर कम से कम १४ दिनों के लिये अपना राज कायम किया था।"

—जवाहर लाल नेहरू

"बलिया संयुक्त प्रान्त का बारदोली है। जब तक वहाँ जाकर स्वयं मैं आँख से न देखूँ, तब तक मैं बलिया का ऋणी ही रहूँगा।"

—महात्मा गाँधी

बलिया जिले में नवीन स्वतन्त्र सरकार की सफल स्थापना !

जुल्म, अत्याचार और नग्नता की भयङ्कर कहानी !

९ अगस्त को कांग्रेस कार्यसमिति के सारे सदस्यों को बम्बई में गिरफ्ता कर लेने के पश्चात्, पुलिस ने बलिया जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय प छापा मारा और उस पर कब्जा कर लिया, साथ ही बलिया के सारे प्रमुख कांग्रेस जन गिरफ्तार कर लिये गये। पुलिस का यह कर्म बलिया की जनत का एक चुनौती था। १० अगस्त को जिले भर मे पूर्ण हड़ताल मनायी गयी बलिया मे जो हड़ताल हुई, वह उसके इतिहास मे अनुपम थी। उस दिन लोग आफिस और अदालतों तक मे नहीं गये। जिलाधीश और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के लाख कोशिश करने पर भी एक दूकान तक नहीं खुला। एक वृहद् जुलूस नगर से निकला जो चौक में जाकर खत्म हुआ, जहां एक सार्वजनिक सभा की गयी।

दूसरे दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस १० बजे सुबह अदालत की तरफ गया। आधे रास्ते में ही सिटी मजिस्ट्रेट ने १०० सशस्त्र सैनिकों के साथ जुलूस को रोकने की चेष्टा की। प्रदर्शनकारियों ने जुलूस भंग करने से इन्कार कर दिया। फलस्वरूप पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। कई विद्यार्थी घायल हुये और कई को गिरफ्तार किया गया। उस दिन भी अदालतें बन्द थीं। दिन को ११ बजे पुलिस ने ४० विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया जिसकी वजह से जनता में बिजली दौड़ गई और अगले दिन फिर नगर मे हड़ताल मनाई गई और जुलूस निकाला गया। दो दिन हड़ताल और

वीर चित्त पाण्डेय

बलिया का नाहर। अगस्त विद्रोह के समय आप वहाँ के स्वतन्त्र शासक नियत किये गये थे।

जुलूस तक ही सीमित थे। जनता नेता विहीन थी, उसके पास कोई निश्चित कार्यक्रम न था। वह अन्धकार में भी वह नहीं जानती थी कि क्या करे? जल्दी ही उसे एक रास्ता दिखाई दिया—कांग्रेस से नहीं बल्कि लन्दन से। मि० एमरी ने कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाये। देश की जनता ने उन्हें सच समझ लिया और उसी को अपनी नीति बना कर आगे चल पड़े। बलिया में भी यही ठीक हुआ।

जनता के सामने अब यह योजना थी कि आमदरफ्त के जरियों को बर्बाद किया जाय और शासन को हाथ में लिया जावे। १२ अगस्त को सारे जिले में तार काटे गये, रेलवे लाइनें उखाड़ी गयीं, पुल तोड़े गये और अन्य आवागमनों के साधनों को नष्ट किया गया। जनता ने रेलवे स्टेशनों और पोस्ट आफिसों को जला दिया। जनता अहिंसा को भूल गयी, उसमें विद्रोह भड़कने लगा। १४ अगस्त तक यह हालत हो गई कि जिले का सम्बन्ध देश के दूसरे भागों से टूट गया।

अब जनता ने शक्ति लेने की तरफ ध्यान दिया। उसने १५ अगस्त को पुलिस के हाथों से जिला कांग्रेस कमेटी का दफ़्तर अपने हाथ में ले लिया और राष्ट्रीय झण्डा फहरा दिया। अब कांग्रेस भवन स्वतन्त्र बलिया सरकार के सेक्रेटेरियट का कार्य करने लगा। बलिया में लगातार ६ दिन तक हड़ताल रही। १६ अगस्त को रविवार था। स्वतन्त्र बलिया सरकार ने आज्ञा निकाली कि रविवार को बाजार खुलना चाहिये। आज्ञा का पालन हुआ, बाजार खुल गये। सरकारी अधिकारी इससे चौकन्ने हो गये। वे इसे बरदाश्त नहीं कर सके और सशस्त्र सैनिकों की लारी से बाजार में गोलियों की बौछार शुरू की गई। बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक चलती हुई लारी से लोगों पर गोलियां चलाई गईं जिन से अनगिनत आदमी जख्मी हुए। ९ व्यक्ति मारे गये। जनता फिर भी शांत थी। लेकिन यह गोली काण्ड क्यों हुआ? इसमें क्या भेद था? भेद कुछ भी हो लेकिन १६ अगस्त तक बलिया में ब्रिटिश शासन बिलकुल ही खतम हो गया।

इधर पुलिस बलिया नगर पर गोलियाँ दाग रही थी, उधर जनता ने शान्तिपूर्वक सहतवार के पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। जनता ने शस्त्र

अपने अधिकार में ले लिये और कागजात जला डाले। नारती, सिकन्दर पुर ख्वहाऊँ, गरखर और हल्दापुर के पुलिस स्टेशनों पर भी अधिकार जमा लिया गया।

१८ अगस्त को जनता ने शाउनहीद की तहसील, खजाना और पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। सब कागजात नष्ट कर दिये गये और नये शासन अधिकारी नियुक्त किये गये। तहसीलदार तक जनता का था। सरकारी अफसरों को तीन मास की पेशगी तनख्वाह देकर रुखसत कर दिया गया। यद्यपि अधिकांश सरकारी अफसरों ने जनता की सरकार के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया, तथापि कुछ ऐसे ब्रिटिश हुकूमत के वफादार नौकर भी थे जिन्होंने गोलियों के जरिये हुकूमत की रक्षा की। १६ अगस्त को जनता ने लसरा की पुलिस स्टेशन, खजाना और तहसील पर हमला किया। सरकारी अफसरों ने पहिले तो आत्म समर्पण कर दिया। तिरंगे झण्डे फहरा दिये गये, लेकिन बाद में उन्हीं ने धोखा दिया। जब जनता ने सरकारी बीज गोदाम पर कब्जा करना चाहा तो अन्दर से नायब तहसीलदार ने षड्यन्त्र रचकर दरवाजे बन्द करवा दिये और निहत्थी जनता पर गोलियां दागी गईं। कई सौ व्यक्ति हताहत हुए और तीन शहीद हो गये।

सबसे विश्वासघाती कार्य बरिया पुलिस स्टेशन के स्टेशन आफीसर ने किया। १७ अगस्त को जनता थाने में गई और इमारत पर तिरंगा झण्डा लहरा दिया गया। स्टेशन आफीसर ने जनता के सामने शपथ ग्रहण की, गांधी टोपी पहिनी और जनता के साथ राष्ट्रीय नारे लगाये। जनता ने उससे हथियार सिपुर्द करने को कहा, जिसे उसने दूसरे दिन दे देने का वायदा किया। जब १८ अगस्त को थाना में लगभग २० हजार जनता पहुँची तो स्टेशन आफीसर ने जनता से बाहर ठहरने को कहा और नेताओं को अन्दर बुला लिया। जैसे ही नेता अन्दर पहुँचे, थानेदार ने दरवाजे को बन्द कर दिया। जनता के आगमन से पूर्व ही थाने के कांस्टेबिल छत के ऊपर बंदूकों और अन्य हथियारों के साथ पहुँचा दिये गये थे। अब थानेदार ने फिर चाल चली। उसने कहा कि "उसके सब आदमी भय के कारण छतपर भाग गये हैं। अब उन्हें इनाम करना चाहिये और वह अपने हथियार लेकर बाहर आता है"।

इतना कहकर वह ऊपर चला गया और अन्दर से दरवाजा बन्द कर दिया। सुरक्षित होकर ऊपर से उस स्टेशन आफीसर ने जनता पर गोलियाँ चलाना आरम्भ कर दिया। जनता शांत रही। हिंसा-अहिंसा का यह युद्ध दर्शनीय था। जनता अपने मर मेंट करती जाती थी, लेकिन अचल थी, अडिग थी। एक के बाद दूसरा कुरबानी के लिए आता जाता था।

एक नवयुवक ने जिसका नाम कौशल कुमार था, देखा कि कल जो तिरंगा ध्वजा इमारत पर लहराया गया था, वह अब नहीं था। उसने गोलियों के बीच में से रास्ता बनाया और इमारत पर सपाटे से चढ़कर स्टेशन आफीसर के हाथ से तिरंगा झण्डा छीन लिया लेकिन वह नरजवान गोली का शिकार बना और उसी छत पर शहीद हो गया। जब पंडित जवाहर लाल जेल से मुक्त होने के बाद बलिया पहुँचे तो उन्हें वह शहीद के खून से तर तिरंगा झण्डा बताया गया। उन्होंने उस बहादुर शहीद के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसने राष्ट्रीय झण्डे के गौरव के हेतु अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया।

हिंसा अहिंसा के बीच घोर संग्राम ३॥ बजे दोपहर से रात को ८ बजे तक होता रहा। अन्त में अहिंसा की विजय हुई। पुलिस के गोला बारूद समाप्त हो गये यद्यपि पुलिस ने १९ व्यक्तियों की जानें लीं, ४१ को सख्त घायल किया और न जाने कितनों का हताहत किया तथापि जनता की शक्ति की जीत हुई विश्व इतिहास में हिंसा पर अहिंसा की यह विजय लिपिबद्ध करने योग्य है।

१८ अगस्त को बलिया में ब्रिटिश शासन खोदकर फेंक दिया गया। एक तरफ सरकारी अफसरों का सम्बन्ध प्रान्तीय सरकार से टूट गया और दूसरी तरफ उनके पास जनता के मुकाबले के लिए शस्त्रों की कमी थी। सरकारी अफसरों ने १५-१६ अगस्त को वफादारों की सभा बुलाया, लेकिन उन्होंने भी मदद करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने भी यही कहा कि जब तक नेता जेल में बन्द हैं, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। १६ अगस्त को एक व्यक्ति ने सरकारी अधिकारियों की तरफ से जेल में बन्द नेताओं से भेंट की। उसने जानना चाहा कि छूट जाने पर क्या वे सरकारी अधिकारियों को शासन कार्य में सहायता देंगे। दूसरे दिन जिलाधीश मि० जो० निगम ने पुलिस के अफसरों के साथ जेल में नेताओं से मुलाकात की। प्रमुख काँग्रेसी नेता श्री चित्तू पाण्डेय

को जिले की सारी घटनाएँ सुनाईं और मदद चाही। लेकिन राधा मोहन सिंह ने कहा कि जब तक कांग्रेस के शक्ति नहीं सौंप दी जाती तब तक कोई भी सहायता देना असंभव है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें प्रान्तीय सरकार से सम्बन्ध विच्छेद करके आत्म समर्पण कर देना चाहिये और जनता की सरकार की आज्ञाएँ स्वीकार करना चाहिये। लम्बी बातचीत के बाद जिलाधीश विचार करने के लिए समय माग कर वापस चले आये।

१६ अगस्त को जब अंग्रेजी शासन बलिया जिले से खत्म हो गया तो जिलाधीश श्री जी० निगम घबरा उठे। वे जेल में कांग्रेसजनों से मिले और उन्हें बिना शर्त छोड़ देने का इरादा जाहिर किया तथा कहा कि वे अब बाहर जाकर शासन अपने हाथ में ले लें और व्यवस्था कायम करें। कांग्रेसजनों ने जिलाधीश के प्रस्ताव पर विचार किया और उनसे कहा कि सभी कांग्रेसजनों की रिहाई की जाये। तत्काल श्री चित्तू पाण्डे अपने साथियों के साथ जेल से बाहर आ गये।

जनता ने उक्त खबर बड़े उत्साह के साथ सुनी और नेताओं का शानदार स्वागत किया गया। टाउन हाल की एक सार्वजनिक सभा में बलिया की आजादी की घोषणा की गयी। कुछ व्यक्ति जिम्मेदार कांग्रेसजनों से सम्बन्ध स्थापित नहीं रख सके और उन्होंने अनेक सरकारी अफसरों के घरों पर आक्रमण किया तथा उनकी सम्पत्ति लूट ली लेकिन किसी भी व्यक्ति के शरीर से हाथ नहीं लगाया।

नवीन स्वतंत्र बलिया सरकार ने १६ अगस्त को एक घोषणा निकाल कर जनता को विश्वास दिलाया कि उसकी हर तरह से रक्षा की जायेगी। २० अगस्त को हनुमानगंज की कोठी पर एक शानदार सभा हुई जिसमें अमीर गरीब, छोटे बड़े, हिन्दू मुसलमान सभी जाति एवं धर्म के खास खास व्यक्ति शामिल हुए और सब सम्मति से नवीन स्थापित कांग्रेस सरकार से प्रार्थना की गई कि वह शासन कार्य अपने हाथ में ले।

सरकार में विश्वास प्रगट करने के चिन्ह स्वरूप जनता ने हजारों रुपये शासन कार्य को संचालित करने के लिये दिये। बलिया की नवीन स्वतंत्र कांग्रेस सरकार के श्री चित्तू पाण्डे अध्यक्ष बनाये गये। सारे ब्रिटिश अफसर

ौर उनके सहयोगी गिरफ्तार करके पुलिस लाइनों मे रख दिये गये। नयी रकार ने उनकी और उनकी सम्पत्ति की रक्षा का भार ले लिया।

इस प्रकार क्रांति के आरम्भ से लेकर २२ अगस्त तक कांग्रेस सरकार ने ो उत्तम व्यवस्था की उसके उदाहरण के रूप में इतना कहना पर्याप्त है कि ःर दिनों के अन्दर जिले भर में एक भी दुर्घटना नहीं हुई। ग्राम पंचायतों ने पपने अपने तरीकों से शासन किया। ब्रिटिश हुकूमत के भारत से हटने पर कतने सुन्दर ढंग से शासन किया जा सकेगा इसके लिये बलिया की स्वतंत्र ांग्रेस सरकार एक आदर्श नमूना छोड़ गयी है।

नगर में जनता ने बीज गोदाम, रेलवे के सामान आदि को लूटा था। से ही कांग्रेस सरकार बनी उसने इसकी जाँच पड़ताल की। जिन लोगों ने ामान लूटा था, वे स्वयं कांग्रेस अधिकारियों के समक्ष हाजिर हुए। उन्होंने पपराध कबूल किया और लूट का सामान वापस दे दिया। सामान को उसके ालिकों के पास पहुंचा दिया गया। खेती मण्डल में कुछ लोगों ने एक विधवा े २२००) रु० के जेवर लूट लिये। विधवा ने कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ामने यह मामला रखा। अध्यक्ष ने अपराधियों को पकड़वाया और विधवा े जेवर वापस दिलवा दिये। अपराधियों ने शपथ ली कि वे भविष्य में जुर्म हीं करेंगे याद रखने की बात यह है कि ब्रिटिश पुलिस इन अपराधियों का ता लगाने में नाकामयाब रही थी।

बलिया में जैसा शासन भारतवासियों ने करके बताया वैसा शासन ब्रिटिश ासन के १५० वर्षों में कभी नहीं हुआ था। लेकिन अफसोस! यह शासन प्रधिक समय तक जारी न रह सका।

२२ और २३ अगस्त की रात्रि को ब्रिटिश सेनाएं बलिया में दाखिल हुईं और उनके साथ दाखिल हुए मि० मार्श स्मिथ और मि० नीदर सोल। इन सेनाओं ने लूट खसोट, कोड़ों से मारना, गोलियां चलाना तथा अन्य अनेक प्रकार के ऐसे जुल्म ढाये कि जनता कांप उठी और भयभीत हो गई। ागर में आतंक छा गया। अभी वक्त नहीं आया है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की कानूनी व्यवस्था के नाम पर जीवित रखने वालों की ज्यादतियों

और बेरहमियों की कहानी सुनाई जाये लेकिन एक फैसले के निम्नलिखित उद्धरण ज़ुल्मों का कुछ पता अवश्य ही देंगे—

"—बलिया के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने रासरा का दौरा किया और डा॰ हरिचरन का घर पुलिस द्वारा लूटा और जलाया हुआ पाया गया। उसी दिन अय्यूब अली की दूकान से सामान लूटा गया और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की आज्ञा से उसे जला डाला गया। १५ दिन पश्चात् सरदास पुर ग्राम में विश्वनाथ सिंह का घर लूटा गया और रासरा के तहसीलदार की आज्ञा से उसे जला डाला गया। गिरधारी का घर भी लूटा और जलाया गया।"

इस प्रकार के ज़ुल्मों का दौर सारे ज़िले में चलता रहा। बलिया ज़िले में गाँधी टोपी पहिनना जुर्म था। ज़िले पर १२ लाख रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया लेकिन बलिया की ज़िला कांग्रेस कमेटी ही का कथन है कि ज़िले से २६ लाख रुपया वसूल किया गया। कांग्रेस कमेटी के ही अनुसार गोलियों से ४६ आदमी मारे गये १०५ मकान नष्ट हुए। मकानों की क्षति लगभग ३८ लाख कूती गयी है।

[२]

श्री जयमूर्ति तिवारी के पिता श्री जगदीश नारायण तिवारी बलिया ज़िले के एक प्रमुख राष्ट्र सेवी और साथ ही प्रसिद्ध साहित्य सेवी भी हैं। अगस्त आन्दोलन में आपको तथा आपके परिवार को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, उसकी अच्छी खासी झांकी आपको इस वृतान्त में मिल जायेगी। साथ ही आप पर यह भी प्रकट हो जायेगा कि बलिया ज़िले में दमन किस पराकाष्टा तक पहुँचा था। श्री जयमूर्ति तिवारी के वृत्तान्त के महत्वपूर्ण भाग को हम यहाँ दे रहे हैं।

"उत्तेजित जनता ने रेलवे लाइन, तार आदि आवागमन के सभी साधन नष्ट कर डाले थे, फलतः हमारे युक्त प्रान्त का सम्बन्ध भी अन्य जगहों से विच्छिन्न हो गया था। इतना ही नहीं, कई जगहों से तो ब्रिटिश हुकूमत कई दिनों के लिये उठ ही गई थी। उदाहरणार्थ संयुक्त प्रान्त के गवर्नर महोदय ने अपना वक्तव्य देते हुये कहा था—"बलिया से ब्रिटिश सल्तनत नष्ट ही कर दी गई" और तत्कालीन भारत सचिव मि॰ ऐमरी ने तो यहाँ तक कह

डाला था कि "बलिया को फिर से जोता गया" उस समय मैं कलकत्ते में ही था। मेरे पूज्य पिता जी घर पर थे। वह "द्वावा हाई स्कूल" के प्रमुख संस्थापकों में से हैं तथा तीन मास पूर्व से ही उसके सचालनार्थ प्रयत्नशील थे। स्कूल के सुचारु रूप से सचालित हो जाने के बाद वह अहिंसात्मक आन्दोलन की प्रतीक्षा में थे। मेरे कलकत्ता आने के वक्त सुलाम मे उन्होंने मुझसे कहा था—"बेटा! अब हमारी तुम्हारी मुलाकात शायद जेल में ही होगी।"

"६ अगस्त से २६ अगस्त तक कोई भी पत्र मेरे घर से नहीं आया। इस बीच हर तरह की अफवाहें सुनने मे आयीं। एक आगन्तुक के मुंह से सुनने मे आया कि "बैरिया थाने के सभी कांग्रेसी कार्यकर्त्ता गोलियों से उड़ा दिये गये।" अब मेरी दशा का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। मैं दिन रात पिता जी के समाचार जानने के को प्रतीक्षा किया करता था। इसी बीच अपने एक सच्चे कांग्रेसी दोस्त को मैंने ऊपर से नीचे तक विलायती पोशाक मे देखा। मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। मैंने उन्हें अपने पिता जी के साथ स्कूल के लिये काम करते भी देखा था। उस वक्त वह पूर्ण खद्दरधारी थे, किन्तु इस समय परिस्थिति विशेष के कारण उन्हें लाचार होकर विलायती पोशाक पहिननी पड़ी थी। उनके द्वारा मुझे बलिया की पूरी जानकारी प्राप्त हुई। उन्हीं के द्वारा यह भी सुना कि मेरे पिता जी को "मार्शल लॉ" के अनुसार गोली मार देने की आज्ञा हुई है। ऐसी अफवाहें जोरों पर थी कि जो कोई भी पकड़ा गया, वह या तो गोली का निशाना बना या मृत प्राय करके जेल में ठूंस दिया गया। मुझे बड़ा आश्चर्य था कि मेरे पिता जी कट्टर गांधीवादी है फिर भला वह हिंसात्मक आन्दोलन में कैसे शामिल हो सकते हैं?"

"किन्तु अब यह सोचने का समय ही कहाँ था कि सरकारी आज्ञा के अनुसार कितने उनमे दोषी हैं तथा कितने निर्दोष? इसी बीच घर से पूज्य चाचा जी एक का पत्र आया, जिसमें लिखा था "भाई जी (मेरे पिता जी) अचानक ही कहीं लापता हो गये और यहाँ पर उनको पकड़ने के लिये पुलिस काफी परेशान है" पिता जी के फरार होने की बात मुझे अपमानजनक सी

लग रही थी, और तब तक मैंने अखबारों मे देखा कि केवल बलिया के ही नहीं, किन्तु देश के कई बड़े नेता फरार हो गये हैं। मैं पिता जी की खोज में घर पर जाने वाला ही था कि तब तक घर से तार आया "तुम घर मत आओ।" मैं हठी स्वभाव तथा पितृभक्ति से प्रेरित होकर घर के लिये रवाना हो ही गया। घर पहुँचने के एक घन्टे बाद ही मेरा घर थानेदार तथा बहुत से सिपाहियों द्वारा घेर लिया गया, और पुलिस पिता जी का नाम लेकर चिल्लाती थी और काफी हल्ला करती थी कि "वह घर में ही हैं, हम लोग उन्हें पकड़ेंगे" आध घन्टे के बाद जब मैं बाहर आया तो मेरे चाचा जी ने उन सरकारी अफसरों को बताया कि यह मेरा भतीजा है।"

"इस पर बन्दूकधारी सिपाहियों ने घर फूंकने की तैयारी कर दी। घर के जंगले और किवाड़ निकाले जा चुके थे, घर की चहारदीवारें गिराई जा चुकी थी। इसी बीच थानेदार को सूचना मिली कि मकान जलाने की आज्ञा वापस ले ली गई है फिर भी घर की सभी चीजें कुर्क कर ली गईं। बर्तन, कपड़े, गाय, बैल तथा अन्य मवेशी पुलिस ने ज़ब्त कर लिये। रविवार के दिन हमारे मवेशी नीलाम किये जाने वाले थे। मेरे चाचा जी काफी चिन्तित थे क्योंकि खेती का समय भी अब करीब ही था। हमें विश्वास था कि हमारे मवेशी कोई नहीं खरीदेगा। किन्तु चाचा जी को इसमें विश्वास नहीं था। निश्चित समय पर हम लोग बैरिया थाने पर पहुँचे। तहसीलदार साहब का इजलास लगा और मवेशियों की बोली बोली जाने लगी। हम लोगों के सामने ही कुछ मुसलमानों तथा सिपाहियों ने हमारे बैल खरीद लिये। रात के नव बजे खिन्न मन, परिस्थिति से लाचार मैं अपने चाचा जी के साथ घर आया।"

"कुछ दिनों बाद बैल की एक जोड़ी फिर खरीदी गई और खेती का काम पहिले की भांति ही चलने लगा। किन्तु एक दिन मेरे घर से कहीं बाहर जाने पर पुलिस उन दोनों बैलों को भी ले गयी, साथ ही घर के अन्दर की सारी चीज़ों को भी ले गयी। मैं इसी सोच में पड़ा था कि तब तक डाकिये ने मेरे हाथ मे एक लिफाफा दिया। खोल कर पढ़ने लगा तो मालूम हुआ कि यह पत्र पिता जी का है। खुशी से उछल पड़ा, यह सोचकर कि इसमें पिता जी का पता तो अवश्य ही होगा। पत्र में निम्न बातें थीं—

"श्री भाई जी और बच्चो ! मैं खूनी आँव से मरणासन्न हूँ। देश की गम्भीर परिस्थिति से अति व्यथित हूँ। मैंने तुम लोगों और पिता जी (मेरे चाचा) को बहुत ही कष्ट दिया है, किन्तु अभी तो और भी कष्ट झेलने होंगे। पर घबराना मत, सोना जितना तपता है, उतना ही खरा उतरता है। मेरे खोजने की व्यर्थ चेष्टा मत करना। मैं मरणासन्न होते हुये भी प्रसन्न हूँ।"
पत्र कहाँ में लिखा गया था, कुछ पता नहीं था। पत्र कहीं स्टेशन पर डाक में छोड़ा गया था। अब पिता जी रुग्णावस्था तथा अपने परिवार को स्थानान्तरित करने की चिन्ता जाग्रत हो उठी। घर पर पुलिस का कब्जा हो जाने के कारण अब रहने का प्रश्न भी टेढ़ा ही था। तलाशी के वक्त जब स्त्रियों को घर से बाहर निकलने का आदेश मिला तो समझ में नहीं आता था कि उन्हें कहाँ रखा जाय क्योंकि उन्हें कोई भी शरण देने को तैयार नहीं होता था। पहिली बार चीजें कुर्क होने पर लोगों ने आकर सहानुभूति भी दिखाई थी किन्तु वुड साहब के "कार्य" सुनने पर कोई बात तक करने को तैयार नहीं था। एक तहसीलदार १०००) रु० सामूहिक जुर्माने के वसूल करने को आये। मेरे फरार पिता के नाम ३००) रु० थे। फरार न मिले तो भाई को ही वह रकम अदा करनी पड़ती थी। अतः मेरे चाचा जी को यह रकम चुकानी पड़ी।

"जब धीरे धीरे गांव वालों ने मेरा सामान लौटा दिया तो पुलिस ने फिर छापा मारा करीब आठ हजार का सामान था किन्तु पुलिस ने उसकी कीमत २५००) ही आंकी। इस तरह न जाने कितनी बार हमें पुलिस के हथकण्डों का शिकार होना पड़ा।"

"आये दिन एक न एक आफत आती ही रहती थी। तब तक होली आयी, पुलिस ने सोचा होली में, फरार जरूर आकर घर पर होली मनायेगा। पुलिस आयी और अधपके गेहूँ काट कर दूसरों के सिपुर्द करके चली गयी।"

"......पूज्य बापू का आदेश पाकर पिता जी भी इसी बीच स्वयं हाजिर हो गये। कुछ दम में दम आया। अब उनकी रक्षा का प्रबन्ध करना जरूरी था। इसके लिये मोटी रकम चाहिये थी। खैर, पुलिस की अन्यतम चेष्टाओं

सितावदरिया से ३ मील की दूरी पर गंगा के तट पर ग्राम बहुआरा है। ग्राम ने बेरिया थाने पर हमला और अधिकार करने में प्रमुख भाग लिया जिसके फलस्वरूप नीदरसोल, मार्श स्मिथ तथा वूड जैसे गोरे नरपिशाचों की उसपर विशेष कृपा रही और वहाँ के लगभग १८ घर जला दिये गये और २०० से अधिक घर लूट लिये गये।

प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में गंगा और सरयू में बाढ़ आती है जिससे दुआवा की जमीन तमाम जलमग्न हो जाती है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिये नावों का सहारा लेना पड़ता है। दुआवा के निवासियों को प्रायः प्रत्येक वर्ष खरीफ की फसल से हाथ धोना पड़ता है और चावल खाने के लिये हमारे प्रान्त के पूर्वी हिस्से के निवासियों को—दुआवा के रहने वालों को सालभर रबी की फसल पर और चना, जौ पर निर्वाह करना पड़ता है। वर्तमान नौकरशाही शासन पर यह कलंक का टीका है कि उसने अबतक इस वार्षिक संकट से जनता को बचाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया।

गंगा तट पर स्थित होने के कारण ग्राम बहुआरा के निवासियों को इस वार्षिक संकट से विशेष परेशानी थी। उन्होंने सन् १९४१ में ग्राम सहायक समिति बनाई जिसमें प्रत्येक उस ग्राम निवासी को जो कलकत्ते या किसी और जगह नौकरी करता था चार आना मासिक चन्दा देना पड़ता था। ग्राम के किसानों को प्रति सप्ताह ७ मुठिया नाज (मटर, चना, जौ, मकई, गेहूँ आदि) देना पड़ता था। ग्राम की पंचायत बनी, जो मुकदमों का फैसला करती थी और जून १९४१ से अगस्त १९४२ तक गाँव से एक भी मुकदमा अदालत में नहीं गया। कुल ७० या ८० मामले पंचायत से निपटाये गये। पंचायत के सम्मुख मामला पेश करने वाले को अपनी दरख्वास्त के साथ चार आना देना पड़ता था। ग्राम बहुआरा में कुल २५०० आदमी रहते हैं। जिनमें दो ही चार घर चमारों और मुसलमानों के हैं और अधिकांश क्षत्रियों की बस्ती है। ग्राम पंचायत में अल्पमत वालों के प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा गया और पंचों में एक मुसलमान तथा एक चमार भी थे।

क्षत्रियों के इस गाँव ने अपने सैनिक भी रखने निश्चय किया। गाँव के १८ वर्ष से लेकर ३५ वर्ष तक के लोगों को सैनिक बनने को कहा गया।

लगभग ७५ सैनिक इस प्रकार भर्ती किये गये। समिति ने ६२५) रु० खर्च कर पुरंग आश्रम नामक अपना दफ्तर बनाया। जहाँ चौबीस घन्टे २५ सैनिक ड्यूटी देते थे और किसी भी आवश्यकता का सामना करने को तत्पर रहते थे।

डुमरॉव राज्य की जमींदारी के अन्दर रहते हुए तथा गंगा एवं सरयू की बाढ़ से प्रतिवर्ष पीड़ित होने के बावजूद बहुआरा निवासी प्रसन्न थे। उनके ग्राम में आदर्श एकता थी। उन दिनों का वर्णन करते हुए ग्राम के सरपंच ने कहा—करीब करीब हमारे यहाँ स्वराज्य था। महात्मा गांधी के अनुसार कांग्रेस की आवाज, आत्म रक्षा सहायता सभी कुछ था।

बहुआरा ग्राम का पंचायत और उसके सैनिक संगठन का हाल सम्पूर्ण जिले में फैल गया। ग्राम का जीवन सुखमय एवं प्रेमपूर्ण हुआ और उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसी समय अगस्त १९४२ के लगभग तीन मास पूर्व बलिया के वयोवृद्ध कर्मठ नेता ठाकुर जगन्नाथ सिंह ने कांग्रेस के आत्म-रक्षा, एवं वालेंटियर संगठन का प्रोग्राम समझाने के लिये इस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने एक मीटिंग बैरिया में की जो बहुआरा से लगभग ३ मील की दूरी पर है। मीटिंग कार्य कर्त्ताओं की थी पर जनता भी अपार एकत्रित हो गई थी। ठाकुर जगन्नाथ सिंह ने कांग्रेस का कार्यक्रम समझाया और कहा कि हमसे ऊपर से कहा गया है कि इस युद्ध काल में हवाई हमला हो सकता है और उन सब आपदाओं से बचने का यह प्रोग्राम है। पर हवाई हमला हो या न हो, हमको तो स्वराज्य के लिये लड़ना है और यह संगठन हमारी अपनी लड़ाई में सहायक होगा। कहना न होगा, ठाकुर जगन्नाथ सिंह उस भाषण के अपराध में पकड़ लिये गये और लगभग ३ वर्ष बाद जेल से रिहा हुए पर बहुआरा का संगठन उक्त आधार पर हो ही चुका था। ठाकुर साहब के दौरे ने रही सही कमी पूरी की और गाव गाव सैनिक संगठन होने लगे।

बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ही बलिया के भी कांग्रेसी नेता पकड़े गये। ११ अगस्त को बैरिया मण्डल के नेता सर्व श्री काली प्रसाद, रामदयाल सिंह तथा मदन राय भी गिरफ्तार हो गये। मण्डल के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद रानीगंज बाजार के जो वृहद जुलूस निकला उसने खुले

ग्राम नारा लगाया कि थाना, रेल इत्यादि अपना है उसपर कब्जा कर लो। कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से किसी स्पष्ट आदेश के अभाव में हमारी के विषय में और भूठ का असर साफ दिखाई पड़ा।

गनीगंज के जुलूस में बुलन्द किये जाने वाले नारे का प्रचार होने लगा। १२ को लालगंज बाजार और १३ को डोकटी बाजार में ऐलान हुआ कि १४ को बैरिया थाने पर कब्जा किया जावेगा इसलिये सभी बैरिया में एकत्रित हों। डोकटी बाजार में ही एक बालक ने एक पर्चा दिखाया जो वह छपरा से लाया था। उसमें नीचे राजेन्द्र बाबू का नाम था और १६ प्रोग्राम दिये हुए थे। जैसे—

(१) सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लेना।

(२) हथियार लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना।

(३) तार काट देना।

(४) लाइन उखाड़ देना आदि।

उस पर्चे में अहिंसात्मक रहने पर विशेष जोर दिया गया था। १३ की रात को बहुआरा ग्राम में मण्डल कांग्रेस नेता पहुँचे और उन्होंने पूछा कि यह सब प्रोग्राम किसके आदेश से हो रहा है। गांववालों ने कहा—"आप नेता हैं, मौके पर दिखाई नहीं देते। खैर, कल जनता बैरिया में एकत्रित होगी वहां जो चाहो सो कहना"

इसपर उन दोनों सज्जनों ने कहा—"हमारे नाम तो वारंट है, हम भला थाने के सामने कैसे जा सकते हैं?"

और इधर से भी उनको बहुत ही सुन्दर उत्तर मिला—"वाह! आप वारन्ट से डरते हैं। और हम तो थाने पर कब्जा करने और थानेदार को ही गिरफ्तार करने जा रहे हैं"

ठाकुर जगन्नाथ सिंह के दौरे के बाद सैनिक संगठन तो गांव गांव में बन ही गया था। ग्राम सैनिकों को एक सूत्र में बांधने की दृष्टि से मण्डल को तीन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था और हर क्षेत्र का एक क्षेत्र नायक बना दिया गया था।

१४ अगस्त को हर क्षेत्र नायक के नेतृत्व में दिन में १० बजे के लगभग

३०० सैनिक बतरंग आश्रम ग्राम बहुआरा में एकत्रित हुए। हर सैनिक का चिन्ह तिरंगा बिल्ला था। झण्डाभिवादन के बाद प्रत्येक सैनिक ने झण्डा छूकर शपथ ली कि "हम थाने पर बिना कब्जा किये पीछे कदम न उठायेंगे। गोलों वरसती रहे पर जब तक जान में जान है हम अहिंसात्मक रूप से आगे बढ़ते जायेंगे।" इसके बाद बहुआरा ग्राम के ठाकुर भुवनारायण सिंह को सैनिकों ने अपना कमान्डर चुना और जुलूस बनाकर नारे लगाते हुए बैरिया की ओर बढ़े। बैरिया के निकट एक खेत में शपथ फिर दुहराई गई और कमान्डर ने ऐलान किया कि जो डरता हो और लौटना चाहे तो लौट सकता है पर लौटा कोई नहीं।

इसी समय भूदेव बाबा, जगदीश तिवारी तथा डाक्टर अयोध्या सिंह नामक तीन मण्डल कांग्रेस नेता आ गए और उन्होंने थाने पर हमला बोलने के औचित्य अनौचित्य पर सैनिकों से जिरह शुरू कर दी। कुछ ही देर जिरह चली होगी कि बहुआरा ग्राम के सैनिक रामजनम पाण्डे ने अपना तिरंगा बिल्ला उतार कर अपने क्षेत्र नायक बल्देव सिंह को देते हुए कहा—यह सब सलाह मशविरा आप लोग करिये मैं तो कांग्रेस का आदर्श नहीं मानूंगा और अपनी शपथ पूरी करने के लिये थाने पर जाऊँगा। रामजनम के आगे बढ़ने के साथ ही गाम में खड़ी लगभग ४००० की भीड़ के लगभग २००० आदमी उनके पीछे हो लिए। कार्य करने के निश्चित अवसर पर औचित्य अनौचित्य के चक्कर में पड़ जाने वाले नेताओं को हठात जनता के साथ हो लेना पड़ा। उन्हीं का एक प्रतिनिधि मण्डल भीड़ को बाहर छोड़ अन्दर थानेदार काजिम हुसैन से मिलने गया। बिना विशेष बहस मुबाहसे के उसने प्रतिनिधियों से कह दिया कि—"हम कांग्रेस की अधीनता स्वीकार करते हैं और इसके सुबूत के लिये आप खुशी से तिरंगा झण्डा थाने पर फहरा दीजिये। हाँ हमको अपने बाल बच्चों सहित यहां से जाने में तीन चार दिन लगेंगे, उतनी मोहलत तो हमें मिलना चाहिए। तीन चार दिन बाद आप थाने पर कब्जा कर लीजिये।" फलस्वरूप थाने पर तिरंगा झण्डा फहराया गया। और थानेदार को दो तीन दिन की मोहलत दे दी गई। जनता का प्रमत्त था पारावार न था। यहां से यह जनता ३ मील की दूरी पर स्थित सुरेमनपुर स्टेशन पहुँची, उसपर

कब्जा किया, रेल की पटरी उखाड़ी और स्टेशन के खजाने पर अधिकार किया। कमान्डर भूपनारायण सिंह ने उस समय यह राय दी कि यदि यह रुपया कोई भी अपने पास रखेगा तो जनता में गलतफहमी फैलेगी और इसलिये सबके सामने ही इसे कुएँ में फेंक दिया जावे। ऐसा ही किया भी गया।

ता० १४ अगस्त की रात को ग्राम बहुआरा के बजरंग आश्रम पर दूसरे दिन का प्रोग्राम निश्चित करने के लिए सब सैनिकों की मीटिंग हुई। निश्चय यह हुआ कि दूसरे दिन स्टीमर पर कब्जा किया जाय यानी "जहाज को गिरफ्तार किया जाय" जैसा कि ग्राम वालों ने कहा। पटना से बक्सर (मोगल सराय के पास) के बीच गंगा में स्टीमर चलता है और उसका एक स्टेशन बहुआरा के पास ही है। उक्त निर्णयानुसार १५ की सुबह सैनिक खेतों में छिप गये और जब स्टीमर रुका और खूँटों से बाँध दिया गया। उस समय अचानक खेतों से निकलकर सैनिकों ने उसपर कब्जा कर लिया और उसे तोड़ने फोड़ने लगे। स्टीमर बक्सर से पटना जा रहा था और उसका एक यात्री सैनिकों से बोला—"मैं राजेन्द्र बाबू का भतीजा हूँ और बहुत आवश्यक कार्य से बम्बई से पटना जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि स्टीमर तोड़ा न जाय, उसे आगे न जाने दिया जाये।" सैनिकों ने उन्हें नाव पर पटना भेजने का वादा किया पर स्टीमर तो तोड़ दिया जायगा। वहीं रेत पर लगभग १ वर्ष तक स्टीमर पड़ा रहा। राष्ट्रपति के भतीजे का पता नहीं चला कि वे कहाँ चले गये।

१५ की रात्रि को सैनिक फिर बजरंग आश्रम पर मिले और १६ को डुमरांव राज्य की छावनी पर कब्जा किया गया। इसी बीच में समाचार आया कि थानेदार ने थाने का झण्डा उतार कर जला दिया है और पुलिस कान्स्टेबल तथा बन्दूक और गोलियाँ भी उसने मँगवा ली हैं तथा मुकाबले की पूरी तैयारी कर रहा है। सैनिक समझ गये कि अबकी बार थाने पर जाने में गोलियाँ निश्चय बरसेंगी और फलस्वरूप उन्होंने कमान्डर भूपनारायण के शब्दों में "गुरिल्ला तरीके" से थाने पर कब्जा करने का इरादा किया। इस "गुरिल्ला ढङ्ग" को जब स्पष्ट करने को कहा गया तो बताया गया कि

एक खाट पर किसी आदमी को मुर्दा के रूप में लिटा कर उसके साथ ५-७ आदमी जाये और थाने पर एकाएक आक्रमण करें। थानेदार अधिकार करने के इसी ढंग को उचित मानकर सैनिकों ने निश्चय किया कि सब १७ अगस्त को सब दुआबा के निवासी बैरिया में एकत्रित हों और वहां से आगे बढ़ कर दोआबा के अन्दर सम्पूर्ण रेलवे लाइन नष्ट कर दी जाय कि लोग बैरिया में १७ ता० को एकत्रित हों।

१४ तारीख को थाने पर तिरंगा झण्डा फहराये जाने के समाचार ने सारे दुआबे को चकित कर दिया था। फलतः १७ तारीख को १२ बजे दिन तक लगभग २५००० किसान बैरिया में एकत्रित हो गये। दुआबे की लाइन उखाड़ने की बात किसी के मस्तिष्क में थी ही नहीं। सबका केवल एक नारा था—"थाने चलो!" विशाल जन समूह थाने की ओर बढ़ा। भीड़ को बैरिया थाने के सामने की सड़क पर रोककर कमान्डर भूपनारायण सिंह थाने के फाटक पर पहुँचे। दरवाजा बन्द था और थानेदार लगभग १४ सिपाहियों के साथ थाने की छत पर खड़ा था। हर सिपाही बन्दूक से लैस था। कमान्डर भूपनारायण सिंह को आगे आते देख उन्होंने अपनी बन्दूक तान दी पर कमान्डर ने चिल्ला कर जवाब दिया—"हम तो मरने ही आये हैं, चला दो गोली"—थानेदार ने डाट कर पुलिसवालों को चुप किया और पूछा कि "आप क्या चाहते हैं?"

कमान्डर—"आप हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं कि थाना छोड़कर आप हमारे साथ चलिये"

थानेदार—"सारा दुआबा तो हमने आप लोगों के लिये छोड़ ही दिया है। हमने आपकी आधीनता भी स्वीकार कर ही ली है। इतनी थाने की जगह आप हमारे लिए छोड़ दीजिये। अगर थाने पर कब्जा ही दिखाना है तो आकर झण्डा गाड़ दीजिये। हम तो यहां से चले ही जाने वाले हैं"

कमान्डर—"हमने तो पहिले भी यहां झण्डा गड़वा दिया था पर आपने हमारे जाने के बाद उसे जलवा दिया। तुमने कहा था कि हम चले जायेंगे। पर, आज तुम्हारी इतनी तैयारी है। हम भला तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा करें।"

थानेदार ने कोने में रखे हुए झण्डे को बताते हुए कहा—"हमने झण्डा जलाया नहीं है। आप आकर झंडा फिर फहरा दीजिये।"

जब कमान्डर भूपनारायण ने थाने का दरवाजा खोलने को कहा तो थानेदार ने कहा कि ऐसा करने से भीड़ थाने के अन्दर दाखिल हो जायेगा। आप स्वयं दीवार फांदकर अंदर चले आइये"। भूपनारायण अन्दर गये तो देखा कि थाने के हाते के बीचोंबीच पहिले से ही झंडा गाड़ने की जगह तैयार पड़ी थी। उन्होंने झंडा फहराया और थाने के बाहर आगये। यह सब देखकर कमान्डर का विश्वास दृढ़ हो गया कि आज खून खराबी होगी और "गोरिल्ला तरीका" ही सबको जंच रहा था। बाहर निकल कर उन्होंने जनता से कहा कि थाने पर झंडा गड़ ही गया है। अब सब कोई रेल की लाइन उखाड़ने के लिये चलें, पर जनता अड़ गई कि नहीं आज तो इन लोगों से हथियार रखवा ही लेना है।

इसके बाद दीवार फांद कर सैकड़ों आदमी थाने के हाते में दाखिल हो गये। और थानेदार से कहने लगे कि आप हमारे साथ आवें, हम रेल की पटरी उखाड़ने जा रहे हैं। थानेदार ने जवाब दिया—"हमको आप लोगों से तो डर नहीं है पर मजमें में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हमने तंग किया है, दफा ११० चलवाया है, वे हमको पायेंगे तो मार डालेंगे।" थानेदार को हर तरीके से आश्वासन दिया गया पर वह न माना। किसी ने नीचे से छत पर एक गांधी टोपी फेंकी और थानेदार से उसे पहिनने को कहा उस बिचारे ने गांधी टोपी भी पहिन ली। किसी ने नीचे से एक झंडा ऊपर फेंक दिया थानेदार ने स्वयं उस झंडे को चूमा और सब सिपाहियों से चुमवाया। इसी समय ग्राम नारायणगढ़ का एक २८ वर्ष का नवयुवक कौशल कुमार झंडा लिये हुए छत पर किसी तरह से चढ़ गया और थानेदार के बगल में खड़ा हो गया

नैरिया के थाने के सामने जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उनका थानेदार ने साथ दिया व स्वयं झण्डे को चूमा और सब सिपाहियों से चुमवाया।

थानेदार के इशारे से सिपाहियों ने बन्दूकें तान दीं और तड़ातड़ गोलियाँ बरसने लगीं।

के बाद ही सिपाहियों ने बन्दूकें तान दीं और तड़ातड़ गोलियाँ बरसने लगीं। सात आठ आदमी थाने के हाते में ही शहीद हो गये। बाकी लोग थाने की दालानों में पहुंच गये और कुछ दीवार फांदकर हाते के बाहर आगये। उस समय दिन को २ बजे थे। तबसे लेकर सायंकाल ७ बजे तक जनता बराबर थाने की तरफ बढ़ती, गोलियाँ तड़ातड़ चलतीं, लाशें गिरतीं और जनता फिर पीछे हटने के बाद फिर आगे बढ़ती। इधर यह हो ही रहा था, उधर किसी ने थानेदार के अस्तबल से घोड़ा निकाला और उसपर चढ़कर दुआबे भर में बैरिया हत्या कांड का हाल सुना आया। लगभग ६ बजे सन्ध्या तक क्रोध से उबलते हुए फरसे, बल्लम, भाले इत्यादि से सुसज्जित किसानों के झुण्ड के झुण्ड बैरिया आगये। जनता उस समय निश्चयात्मक रूप से हिंसा धारण कर चुकी थी। पर इसी समय कमान्डर भूपनारायण के एक भाई सुदर्शनसिंह ने अपूर्व शौर्य एवं धैर्य का परिचय दिया। जिस समय गोली चलना आरम्भ हुई उसी समय सुदर्शनसिंह की जांघ में गोली लगी और वह थाने के हाते में ही गिर पड़े। शिवपूजन सिंह नामक एक पुलिस सिपाही उनको तथा अन्य शहीदों को जला देता। लगभग ६ बजे किसी प्रकार सुदर्शनसिंह को हाते के बाहर लाया गया। उन्होंने तुरन्त एकत्रित जनता को एक तरफ बुलाकर कहा—"हम लोगों का अहिंसा व्रत अब तक कायम रहा और हमको उससे कभी भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। अन्दर पड़े पड़े मैंने समझ लिया है कि थानेदार व पुलिसवालों की हिम्मत छूट गई है। वे निकल भागने की बाट जोह रहे हैं। हमें मौका देना चाहिये कि वे भाग जायँ, थाने पर तो हमारा अधिकार होगा ही।"—सुदर्शनसिंह के इस वीरतापूर्ण भाषण से लोग फिर तरोताजा हो गये। बाद में वे पकड़े गये और उनको ७ वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुना दी गई।

१२ बजे रात को मूसलाधार वृष्टि हुई। वर्षा उस दिन वाकई बहुत ही भयानक हुई। लोग इधर उधर छिप गये। इसका फायदा उठाकर थानेदार भाग गया; उसके साथ सिपाही भी भाग गये। पर उनके हाथों २१ निहत्थे जन मारे जा चुके थे। कौशल किशोर भी शहीद हो गया। अगणित व्यक्तियों ने घायल हुए। पर थाने पर जनता का कब्जा होकर ही रहा। इसके बाद थाने की ईंट से ईंट बजा दी गई।

बलिया जिले के रेवती ग्राम में दमन का दौरदौरा

१९४२ में अल्पकाल में ही भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक आजादी की झलक दिखाई दी। रणोन्मत्त बलिया के दिलेर जिले में एक भी सरकारी दफ्तर न रहने दिया। खजाना, थाना, डाकखाना, कचहरी, रेल, तार सभी विप्लव की प्रलयंकर लपटों में विलीन हो गये। आजादी के दीवानों ने जेल के फाटक भी खुलवा दिये। रेवती के अनेक नौजवान हंसते हंसते जननी जन्म भूमिपर सर्वस्व अर्पण कर अनन्त की ओर बढ़े।

रेवती थाने पर तिरंगा झण्डा फहराने लगा। पुलिस दरोगा ने इन्कलाब का नारा बुलन्द किया। फायरिंग करने की धमकी बेकार हुई। थाने के सभी रिकार्ड जला दिये गये। डाकखाना फूंका गया। पटवारियों के कागजात भी खाक कर दिये गए। कस्बे के गद्दार अपने अपने कोठों में छिपने लगे। सर्व जनता में एक तरह का आतंक फैल गया। रेवती के नवयुवकों ने दिखला दिया कि अहिंसक शत्रु सेना पर कैसे विजयी होते हैं। कांग्रेस की सफलता देखते हुए भी कुछ डकैतों ने रेवती समीपवर्ती गायघाट ग्राम में डाका डाला और करीब (५,०००) का माल उठा ले गये। अपने शासनकाल में ऐसी निरंकुशता—यह भी

की कीमत बहुत ही महंगी चुकानी पड़ी। रेवती फिर आगे आया। कैप्टन मूर ने इसे प्रथम रेवती में जमुना प्रसाद हलवाई को पकड़ा। जहाँ तक बना सका, खूब पीटा गया। नाना प्रकार की भयङ्कर यातनाएं दी गईं। किन्तु साहसी वह वीर अपनी टेक पर हिमाचल की तरह अटल रहा। उसने इन्कलाब का नारा बुलन्द किया। रेवती के मुखिया का घर भी देखते देखते अग्नि के अङ्कस्थल में विलीन हो गया। कांग्रेस के साथ स्नेह प्रकट करने वाले बनिये बुरी तरह लुट गए। महा पतित जघन्य कृत्यों से कुल को कलंक लगाने वाले स्थानीय मुखिया ने फौज के साथ ६००००) रुपये रेवती वालों से बलात वसूल किये। अनेक उस बर्बर के बूट के शिकार हुए। अनेक सेठ, कंगाल तथा जमींदार रंक हो गए। रेवती ग्राम तो सर्वस्व की बाजी लगा ही चुका था। एक परिवार को तो आज-तक केले के पत्तों पर भोजन करना पड़ता है। आज रेवती फिर अन्तिम-क्रांति के लिये कटिबद्ध एवं कृत सङ्कल्प है।

अगस्त १६४२ में जब क्रांति की लहर बिजली की तरह देश के कोने कोने में व्याप्त हो रही थी तो ऐसे समय बलिया का एक ग्राम हाजीपुर अछूता कैसे छूट सकता था ? देश के आव्हान पर इस ग्राम के नवयुवकों ने अपने को उत्सर्ग करने को स्वतंत्रता की अग्नि में कूद कर ज्वलंत देश प्रेम का परिचय दिया। जो जो काण्ड इस ग्राम के आसपास हुए उनमें इसका प्रमुख हाथ रहा।

यह ग्राम—हाजीपुर—सरकारी दमन चक्र का शिकार भी बड़ी बुरी तरह से हुआ। सरकारी कर्मचारियों ने हर जायज और नाजायज तरीके से इसको कुचलने में कोई कोर कसर बाकी न रक्खी। जब फौजी टुकड़ियाँ जिले को रौंद रही थी उसी समय एक फौजी टुकड़ी २८ अगस्त को इस गाँव में भी गयी। उसने गाँव को बड़ी बुरी तरह से लूटा, फूंका और बहुत सा सामान तोड़ भी डाला। इससे एक सप्ताह के बाद ७ सितम्बर को प्रातः चार बजे १०० या १५० पुलिस चौकीदारों ने छापा मारा और २५ आदमियों को गिरफ्तार किया और एक एक घर को इस बुरी तरह लूटा कि कितनों ही के पास पानी पीने को एक बर्तन भी न बचा। इनमें से चौदह व्यक्ति बड़ी रकमें घूस में लेकर पुलिस द्वारा रिहा कर दिये गए। बाकी ११ सर्वश्री बैजनाथ राय, दलीप राय, हृदय नारायण राय, रामजी राय, रामकर राय, रामसनेही राय, चन्द्राय, राम

झलक राय, कुलदीपनारायण राय, रामावतार राय और जंगबहादुर राय को दो साल की सख्त कैद की सजा दी गई और हरएक पर २००)-२००) रुपये जुरमाना हुआ। इन सब आदमियों की गिरफ्तारी के १५ दिन बाद श्री भागुर राय पकड़े गये जिनको दो साल की सजा हुई। बाद में अपील करने पर एक साल के बाद रिहा कर दिये गये।

नित नए अत्याचार उन दिनों इस गाँव को सहने पड़ते थे। सरकारी कर्मचारी हर तरह से अपनी जेबें गरम कर ही रहे थे कि इसी बीच सामूहिक जुर्माने का पहाड़ टूट पड़ा और बड़ी ही निर्दयता के साथ ५००) रुपये वसूल कर लिये गए। अभी कुछ ही दिन बीतने पाये थे कि कटे पर नमक छिड़कने का कार्य २२००) रु० के जुर्माने की वसूली ने किया। इससे गाँव की दशा का सहज ही में अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से लोग फरार रहे जिनको एक बड़ी रकम देने पर छुटकारा मिला।

छात्र रवीन्द्रनाथ के साथ अत्याचार !

रवीन्द्रनाथ बलिया के एल० डी० मेस्टन कालेज के विद्यार्थी थे। वे बहुत ही उत्साही और राष्ट्रीय कार्यों में हर घड़ी दिलचस्पी लेनेवाले छात्र थे। ६ अगस्त के सबेरे नेताओं की गिरफ़्तारी की खबर चारों ओर गूंज उठी। निरस्त्र जनता पर साम्राज्यशाही के काले कानून के चक्र चलने लगे। छात्रों की आत्माएं जागृत हो उठी। हर स्कूल पर राष्ट्रीय झण्डे फहराये गये। ११ अगस्त की निस्तब्ध रात्रि बलिया के विद्यार्थी आन्दोलन के इतिहास में अमर रहेगी। सभी छात्र नेता उस गहन रात्रि में ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिये गये। रवीन्द्रनाथ विद्यार्थी और जनता का जोश और भी बढ़ा। अन्त में नौकरशाही को जनता की सामूहिक शक्ति के आगे झुक जाना पड़ा। फिर तो जेल का फाटक खुल गया और दूसरे ही क्षण जनता के नेता जनता के बीच आ गये।

बाद में छात्रों पर शिक्षा अधिकारियों का दमन चक्र चलने लगा। नतीजा यह हुआ कि रवीन्द्र भी १ वर्ष के लिये कालेज से और ६ मास के लिये अपने जिले से निर्वासित कर दिये गये। निष्कासित अवस्था में वह अपने प्रिय मित्र शहीद सूरज को देखने के लिये गये। अस्पताल में घायल सूरज तो शहीद हो गये पर उनकी मृत्यु ने इनका जीवन ही बदल दिया और और तबसे यह छिपकर ही बलिया में रहने लगे।

अगस्त आन्दोलन में बलिया की विशेषता यह रही कि यहाँ के छात्रों ने काग्रेसी नेताओं की गैरहाजिरी में भी एक वर्ष तक आन्दोलन चलाया और सफलतापूर्वक चलाया। जहाँ तहाँ पर्चों द्वारा छात्रों को उत्साहित किया। सरकार के कान खड़े हो गये। छात्र जेलों में बन्द कर दिये गये। १४ साल के कई बच्चे तीन तीन माह तक कोतवाली में रख छोड़े गये। भारत रक्षा विधान

के अन्तर्गत उनपर मामले चलाये गये। इस मुकदमे का नेता रवीन्द्र को ही घोषित किया गया।

पर्चे बांटने की सख्त मनाही होने पर भी जगह जगह छिपकर छात्र पर्चे बांटते थे। हर स्कूल में तमर्स्तुम विद्यार्थियों की टोली थी जिसका एक नायक होता था जगह जगह उनकी गुप्त सभाएँ हुआ करती थीं। पुलिस आक्रमण करती पर उसे हर बार असफल होकर लौट जाना पड़ता।

छात्र ग्राम पंचायतें और संगठनों को मजबूत करने की हर वक्त चेष्टा किया करते थे। फलतः कोई गांव या मण्डल ऐसा न था जहाँ उनके द्वारा संगठन न हुआ हो। इनकी ओर से एक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू हो गया था। इन्होंने "आजाद दस्ता संगठन" भी किया था पर शीघ्र ही वह समाप्त हो गया।

महीनों तक पुलिस इनका पीछा करती थी। शीतकाल में इन्हें गंगा के तट पर ही शरण लेनी पड़ती थी। इनका काम हो गया था बालू पर खूब दौड़ना और गंगा में घन्टों तैरना। इतना ही नहीं, उन्हें कई दिनों तक चनाभूजे खाकर ही सन्तोष करना पड़ता था। कभी तो वह भी नसीब नहीं होता था और पुलिस चिलचिलाती धूप में उनपर आक्रमण कर बैठती थी।

इलाहाबाद में पुलिस और सैनिकों के अत्याचारों की सनसनीपूर्ण कहानी।

९ अगस्त १९४२ को नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार पाकर इलाहाबाद में हड़ताल हो गई। विद्यार्थियों ने भी हड़ताल की और तीसरे पहर एक बड़ा जुलूस निकाला। पुलिस ने तलाशियाँ लीं और शहर में कांग्रेस दफ्तरों पर ताले लगा दिये और जो कोई कांग्रेसी नेता मिले उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगस्त १० तथा ११ को वैसी ही हलचल तथा उत्तेजना जारी रही। चूंकि जनता भौंचकी रह गयी थी और वह न जानती थी कि क्या किया जाय इसलिये उत्तेजना ने कोई निश्चित रूप धारण नहीं किया। लोग अधिकृत आदेशों या कांग्रेस से नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन तत्कालीन परिस्थिति में यह संभव नहीं था। विद्यार्थियों ने हड़ताल जारी रखी और कई जुलूस निकाले, उनमें से एक जुलूस पर लाठी प्रहार हुआ। १२ अगस्त का दिन इलाहाबाद के आन्दोलन के इतिहास का स्मरणीय दिन था। विद्यार्थियों ने दो जुलूस निकालने का फैसला किया। एक शहर की ओर बढ़ा दूसरा लड़कों और लड़कियों के नेतृत्व में कचहरी को गया जहाँ कि जिला मजिस्ट्रेट, कई पुलिस अफसर तथा पुलिस के बहुत से सिपाही जमा थे। जुलूस को जो बिलकुल ही शांतिपूर्ण था, कलक्टरी भवन से कुछ ही दूर पर रोक दिया गया। जुलूस को उत्तेजित करने के लिये पुलिस ने भीड़ पर कुछ ईंटें फेंकीं और इसके जवाब में जनता ने भी ईंटें फेंकीं। लेकिन किसी को चोट न आई और जनता शांत रही। फिर यकायक तथा बिना चेतावनी दिये ही अधिकारियों ने गोली चलाने की आज्ञा दे दी। एक घन्टे में दस दस मिनिट बाद छः बार गोलियाँ चलीं लेकिन विद्यार्थियों ने असाधारण दिलेरी के साथ इसका मुकाबला किया और अपने स्थानों पर डटे रहे। लाल पद्मसिंह नामक एक विद्यार्थी मारा गया और कुल ४० घायल हुए। कई को सख्त चोटें भी आईं। जे० सी० हाई स्कूल के एक विद्यार्थी के शरीर पर तो सात घाव लगे।

जब गोली चलने की खबर शहर में फैली तो हजारों आदमी सड़कों पर आ गये और जुलूस में शामिल हो गये। भारी लाठी प्रहार के पश्चात 'क्लाक टावर के पास जुलूस भंग कर दिया गया। जवाहर स्क्वायर में फिर जुलूस एकत्रित हुआ। और फिर उस पर लाठी प्रहार किया गया। वहां से जुलूस लोकनाथ चौराहे पर एकत्रित हुआ जहां कि कोतवाली पर अधिकार करने के लिये दूसरी भीड़ एकत्रित थी। मीरगंज में E. I. R. के बुकिंग आफिस को लूटने के बाद जनता की भीड़ कोतवाली की तरफ बढ़ी और भरे हुए ठेलों तथा लकड़ी के तख्तों की उसने सड़क पर दीवार खड़ी कर दी। जब बलूची सैनिकों से भरी हुई लारियां वहां पहुंची तो भीड़ ने उन पर पत्थर फेंके। सैनिकों ने चारों ओर गोलियां चलाई लेकिन जनता ने सड़क पर जो दीवार खड़ी की थी उसकी आड़ में अपनी रक्षा की। एक पुलिस सार्जेन्ट दूसरे मार्ग से सैनिकों को इस दीवार के पीछे ले गया। अब भीड़ गोलाबारी के लिये बिलकुल ही सामने थी। भीड़ के नेता राजन की छाती पर गोली लगी और वह तुरन्त ही मर गया। लोग इधर उधर भागने लगे लेकिन भागते हुए लोगों पर पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। रमेश मालवीय नामक स्कूल का एक बहादुर विद्यार्थी जनता से न भागने के लिये अपील कर रहा था कि उसे गोली लगी और वह वहीं शहीद हो गया। ननका मेहतर भी वहीं मारा गया।

उसी दिन संध्याकाल को कुछ विद्यार्थी C. p. U. C. छात्रावास के पास खड़े थे। वे कुछ भी नहीं कर रहे थे। इतने में ही एक फौजी लारी उधर से गुजरी। एक सैनिक ने एक विद्यार्थी पर अपनी गोली का निशाना लगाया। लेकिन गोली विद्यार्थी को न लगी बल्कि एक घास काटने वाले देहाती को लगी और वह वहीं मर गया।

अगस्त १३ तथा १४ को करफ्यू लगा दिया गया और सशस्त्र सैनिकों से भरी हुई लारियां सड़कों पर गश्त लगाने लगीं। लेकिन यह सब होने हुए भी लोग तार के खम्भे उखाड़ते रहे तथा तार को लपेट कर गलियों में फेंकते रहे। दिन में तथा रात में लारियों में सवार तथा पैदल सशस्त्र सैनिक रेलवे लाइन, पुल या तार के खम्भे के पास किसी को पाते तो उसे गोली से उड़ा देते। सड़कों पर जब ये लोगों की टोलियां को देखते तो उन्हें गिरफ्तार करते या मारते

प्रयाग के शहीद

लाल पद्मधर सिंह प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्र उम्र २१ वर्ष, २१ अगस्त १९४२ को ज़िला कचहरी के सामने पुलिस की गोली से शहीद हुए थे।

भगवतीप्रसाद उम्र १८ वर्ष, १३ अगस्त १९४२ को Hewett Road पर गोली लगने से आप की मृत्यु हुई।

रमेशदत्त मालवीय उम्र १३ वर्ष, सी० ए० वी० स्कूल के छात्र, १२ अगस्त १९४२ को मैन्डर्क रोड पर पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हुई।

बैजनाथप्रसाद उम्र ३२ वर्ष १२ अगस्त १९४२ को मैंडर्क रोड पर गोली से मारे गये।

मुरारी मोहन भट्टाचार्य उम्र ४० वर्ष, १३ अगस्त १९४२ को जान्सटनगंज में पुलिस की गोली के शिकार बने।

अन्धाधुंध गोली चलाने में बहुत से हताहत हुए। उनका साधारण विवरण देना भी कठिन हो है। सैनिकों ने लाशें उठालीं। कितने ही मामलों में निरस्त्र नागरिकों के पास इस बात के प्रमाण विद्यमान हैं कि लोग मारे गये किन्तु घायलों के नाम प्राप्त नहीं हो सके।

जानबूझ कर तथा नृशंसता के साथ की गयी हत्याओं की कुछ कहानियाँ विशेष रूप से निन्दनीय हैं। मुरारी मोहन भट्टाचार्य नामक कम्पाउन्डर जो कि अपने एक मित्र से भेंट करने के बाद वापस लौट रहा था, झुंझेहारिया पुल के पास जान्स्टन गंज सड़क को पार करते समय एक सैनिक द्वारा रोका गया। सिपाही ने अपने बन्दूक के कुन्दे से उसे पीछे को धक्का दिया और वापस जाने को कहा। बिचारे ने सिपाही के हुक्म का पालन किया लेकिन वह कुछ ही कदम बढ़ा होगा कि सैनिक ने उसकी पीठ पर गोली चलादी वह गिर पड़ा। फिर उठकर लड़खड़ाता हुआ म्यूनिसिपल कमिश्नर मि० छोटेलाल जायसवाल के मकान की ओर गया इस पर सैनिक ने फिर गोली चलाई। गोली उसके शरीर के पार निकलकर श्रीजायसवाल की लडकी को लगी। सैनिक उसकी लाश को घसीट कर सड़क की दूसरी ओर ले जा रहे थे। पास से गुजरती हुई फौजी लारी उसे फौजी अस्पताल को उठाकर ले गई। वहाँ से विधवा को दूसरे दिन लाश मिली।

सब्जी मण्डी में सैनिकों की एक टोली ने तीन मुसलमानो पर गोली चलाई। अब्दुल मजीद नामक सोलह वर्ष का एक लड़का मारा गया और मुहम्मद अमीन घायल हुआ।

हीविट रोड पर ग्रे एण्ड कम्पनी के नजदीक ही एक सैनिक ने दो व्यक्तियों को आते हुए देखा। वह ट्रक के खम्भे के पीछे छिप गया और बैठ गया उसने निशाना लगाकर दो बार गोली चलाई जिससे २० वर्ष का एक नौजवान भगवती प्रसाद मारा गया और दूसरा घायल होकर निकल भागा।

रात में करीब ९ बजे सैनिकों ने सगीनों से अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति को मार डाला।

१३ से १७ अगस्त तक दूसरे प्रकार की हलचलें जारी रहीं। गांधी टोपी की बेइज्जती के समाचार पाकर अट्ठारह वर्ष का एक नौजवान दशरथ प्रसाद जायसवाल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये कटिबद्ध हो बाहर निकल पड़ा ?

हापुड़ में पुलिस का भयंकर दमन

इज्जतदारों की इज्जत बिना कारण बिगाड़ी गई

हापुड़ में ऐतिहासिक ९ अगस्त के पूर्व और बाद में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई उनको भली भांति जानने के लिये हमे पहिले उस हलचल का ज्ञान लेना जरूरी है जो हापुड़ के संयुक्त प्रदेश में सब से बड़ी नाज की मन्डी होने के बाद भी जिले के अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण नाज के दाने दाने के लिए तरसनेवाला मुकाम बना देने के कारण बहुत ही पहिले से जनता के दिलों में उत्पन्न हो चुकी थी। जिला अधिकारियों ने अपने लालच वश अपार अनाज की राशि को निकासी कर दी थी इसी के कारण जनता भूखा मरने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप हापुड में खूब ही ब्लैक मारकेट चमका जिसमें चीजों के भाव बहुत ही चढ़ गए। जनता ने अपना दवा हुआ क्रोध सभाओं द्वारा निकाला पर अधिकारियों को इसमें कान की जू भी न रेंगी। हापुड की कांग्रेस कमेटी के सामने भी यह समस्या आई और उसने यह कोशिश की कि जनता को किसी भी तरीके से नाज सस्ते भाव पर इच्छानुसार मिकदार में मिलना चाहिए। उन्होंने मालदार नागरिकों से इसके लिये अपील की और बात की बात में जनता ने कांग्रेस कमेटी को १००००) रु० सहायता रूप में प्रदान कर दिये। इसमें जनता का कुछ समय के लिये लाभ तो हुआ किन्तु शासक वर्ग ने लालची बनियों के हृदय में जो ब्लैक मारकेट का बीज बो दिया था वह दूर न हो सका। नतीजा यह हुआ कि कभी भाव बे हिसाब चढ़ते और कभी थोड़े उतर जाते। भूखी जनता का हृदय इस नीति से जल उठा था और वह उचित समय की बाट ही देख रही थी।

८ अगस्त १९४२ को सरकारी अनाज सम्बन्धी नीति की आलोचना के लिये टाउन हाल के मैदान में नागरिकों की एक सभा हुई और उसमें यह बहुत

हुआ कि ९ अगस्त १९४२ को हड़ताल मनाई जाये। उस समय यह कोई भी नहीं जानता था कि यह ९ अगस्त वही ९ अगस्त होगी जो भारतवर्ष के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी। ९ अगस्त १९४२ को जब सुबह महात्मा गांधी और हाई कमाण्ड के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार रेडियो पर हापुड़ के लोगों ने सुना तो जनता दंग रह गई। साथ ही शहर भर पर इसका यह असर था कि हापुड़ की एक भी दूकान हड़ताल में नहीं खुली। चारों तरफ बाजारों में सन्नाटा ही सन्नाटा था। वह दल जो शहर में शाम को सभा की घोषणा करने निकला था वह गिरफ्तारियों का समाचार सुनकर जनता के धीरे धीरे सम्मिलित होते जाने के कारण एक विशाल समुदाय के रूप में नजर आने लगा। वह दल वहां से रवाना होकर जब पुलिस स्टेशन के पास से गुजरा तो थानेदार ने हाथ में पिस्तौल तान कर उस दल को रोक दिया। वहीं जुलूस के नेतागण श्री लक्ष्मीनारायण जी M. L. C. श्री सरजूप्रसाद जी और लाला बख्तावर लालजी गिरफ्तार कर लिये गये। इससे तो जनता के क्रोध का पारा बहुत ही ऊंचा चढ़ गया। फिर भी उक्त नेताओं के अहिंसात्मक प्रभाव का ही परिणाम था कि वहां उस समय कोई भी अनहोनी बात नहीं होने पाई। जुलूस शान्तिपूर्वक विसर्जन हो गया।

इसी वक्त पुलिस ने हापुड़ के कांग्रेस दफ्तर पर कब्जा करके उस पर ताला डाल दिया। उसी दिन शाम को श्री रतन लाल जी गर्ग के सभापतित्व में एक सभा हुई जिसमें श्री श्यामसुन्दर मिश्र B. A. और बाबू परमानन्द गर्ग B. Com, L. T. के भाषण हुए।

१० अगस्त को भी शहर भर में जबर्दस्त हड़ताल रही और जब लोगों ने ११ अगस्त को श्री परमानन्द गर्ग, रतनलाल गर्ग, नरारीलाल गुप्त, B. A. L. L. B, अमोलकचन्द मित्तल, खलीफा मन्सूर हसन आदि की गिरफ्तारी का हाल सुना तो जनता में और भी जोश फैल गया। इस जोश के परिणाम स्वरूप ११ अगस्त को भी शहर बन्द ही रहा। बच्चों और स्कूल के विद्यार्थी राष्ट्रीय नारे लगाते फिरते रहे पर कोई संगठित सभा या जुलूस नहीं हो सका। नाकों हाल पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। शहर में यह अफवाह जोरों पर थी कि यदि कोई सभा करी गई या जुलूस निकाला

गया तो पुलिस गोली चला देगी। पुलिस से जनता का संघर्ष हो जाने के विचार से जनता ने टाउन हाल में कोई सभा नहीं की। इसके बजाय कपड़ा मार्केट में सभा हुई। सभा के सभापति थे श्री के० मो० मेहरा जिन्होंने जनता को बताया कि कैसी भी परिस्थितियाँ पैदा हो जाँय पर जनता को हमेशा अहिंसात्मक ही रहना चाहिये। जब सभा का काम चल ही रहा था तब वहां यह खबर बड़े जोरों के साथ आई कि पुलिस ने ३०-४० लड़कों गिरफ्तार कर लिया है और वह उन्हें लारी में भर कर किसी अज्ञात-स्थान की ओर ले गई है। जनता इस खबर को सुनकर पागल हो गई और सभा को छोड़ कर तथा सरकारी आज्ञा के भंग होने की रत्ती भर भी परवाह न करके टाउन हाल की तरफ यह जानने के लिए चल पड़ी कि उनके बच्चों का क्या हुआ? उस समय जनता की संख्या प्रायः १० हजार थी। यह एक अच्छा खासा जुलूस था किन्तु यह जुलूस कतई शांत और अहिंसात्मक था। जब जुलूस टाउन हाल के पास पहुँचा तो पुलिस उसको रोकने के लिए पहिले से ही तैयार बैठी थी। पुलिस ने जुलूस का एक दम रोक दिया और हुक्म दिया कि जुलूस भंग कर दिया जावे। जनता कुछ सोचे, इसके पहिले ही लाठी चार्ज आरम्भ कर दिया गया। परिणाम स्वरूप कई घायल हुए और बहुतों की हालत तो खतरनाक हो गई। जब लाठी चार्ज जारी था तब एक अफसर ने जनता को बिलकुल ही नङ्गी गालियाँ दीं और ऐसी हरकतें की जैसे कोई शराबी हो। दूसरे पुलिस अफसरों ने पचासों कदम दूर खड़ी हुई शांत जनता पर ईंटें फेंकना आरम्भ कर दिया। एक कोने में से जवाब के रूप में कुछ पत्थर भी फेंके गये पर यह जनता का काम नहीं था बल्कि पुलिस के ही उन गुण्डों का कार्य था जो ऐसे ही समय के लिए पुलिस द्वारा पाले जाते हैं। उस दिन पुलिस ने शहर के तमाम गुण्डों को इसी काम के लिए आमंत्रित किया था। गुण्डों ने जी भर कर पत्थर फेंके और जनता को अधमरा कर दिया।

मि० जमील अहमद S. D. O. बहुत कुछ दूरन्देशी से काम लेना चाहते थे पर पुलिस ने तो पहिले से ही अपना षड्यन्त्र सोच रखा था। उसने न तो जनता को कोई सूचना ही दी न वक्त ही दिया और एकदम दनादन गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। गोलियां चारों ओर चलाई गईं। श्री सेवाराम गुप्त जो १५

—साल का लड़का था उस पर गोली चलाई गई। पहिली गोली उसे लगी पर उसने तिरंगा झण्डा अपने हाथों में से नहीं छोड़ा। उसे दूसरी गोली लगी फिर भी उसने झण्डा नहीं छोड़ा। तीसरी गोली लगते ही वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। डाक्टरों को आश्चर्य है कि वह आज भी तीन गोली खाकर मातृभूमि की सेवा के लिये जीवित है। दूसरा, २५ वर्ष का युवक रामस्वरूप हरिजन सीने में गोली खाकर वहीं गिर पड़ा। उसके हाथ में भी तिरंगा झण्डा था।

स्वर्गीय रामस्वरूप जाटव और सेवाराम गुप्त राष्ट्र के सर्वोत्तम सम्मान के वास्तविक हकदार हैं। उस गोलीकाण्ड में ५ आदमी मारे गये और १२ व्यक्ति घायल हुए। जब वे जमीन पर तड़प रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। यह एक राक्षसी कृत्य था। इसके बाद पुलिस के रंगरूटों का दल जिसमें सब गुण्डे ही थे, जनता पर टूट पड़ा। श्री० के० सी० महेश को जो उस दल का नेतृत्व कर रहे थे, २४ लाठियां पड़ीं। वे कष्ट सहिष्णु होने के कारण ही बच गये। कइयों को सख्त चोटें आईं पर फिर भी जनता शान्त ही रही। यदि १० हजार आदमियों का दल हिंसावादी हो उठता तो ५०—६० पुलिस के सशस्त्र आदमियों को नेस्तनाबूद कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उस समय का लाठी चार्ज और गोली चार्ज किसी भी रीति से न्यायपूर्ण और सार्थक नहीं माना जा सकता। प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि पुलिस के किसी भी गवाह को यहीं भी चोट नहीं आई थी। उस समय की पुलिस का रुख जनता के प्रति अदूरदर्शितापूर्ण एवं प्रतिहिंसा से भरा हुआ था। जबकि जनता अपने मारों के कारण रहप रही थी तब पुलिस अपने गवाहों की तैयारी में लगी थी। उस समय एक स्थानीय डाक्टर मि० कुट्टू ने घायलों की सहायता के लिये कहा तो उन्हें रूखा जवाब दे दिया गया।

इसके बाद सरकार ने एक जबरदस्त मुकदमा चलाने के लिये षड्यन्त्र आरंभ कर दिये। यह षड्यन्त्र उन पर मुकदमा चलाने के लिये नहीं किया गया जिन्होंने अमानवी कृत्य किये थे बल्कि उनपर जिन्होंने पुलिस की अत्यधिक ज्यादतियों को सिर झुकाकर झेला था। पुलिस ने जांच पड़ताल के लिये हजारों निरपराधों को थाने पर बुलाना, उन्हें घण्टों बर-

फटकार बताना तथा सताना शुरू किया। हापुड़ का कोई भी भला आदमी इन ज्यादतियों से नहीं बच सका। इस प्रकार यह जांच महीनों तक चलती रही और लोग सताये जाते रहे। व्यभिचार और घूसखोरी का सर्वत्र बोल-बाला था। मामूली सा सिपाही शहर के बड़े से बड़े इज्जतदार आदमी को थाने पर बुला कर उसकी इज्जत ले सकता था। इज्जतदार व्यक्तियों ने उन्हें हद से ज्यादा सताये जाने के उच्च अधिकारियों से शिकायत की। उच्च अधिकारियों से शहर मे चलने वाली ज्यादतियां छिपी नहीं थीं। उन्होंने जानबूझ कर इसलिये सुनवाई नहीं की कि यह सवाल पुलिस की इज्जत और रोब का था। पर आज भी यदि उस समय की ज्यादतियों की जांच की जाय तो निस्संदेह पुलिस गुनाहों की अपराधिनी ठहराई जायेगी।

श्री० महेश प्यारे लाल जी हापुड़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। ये खादी के कार्य के सिलसिले मे कश्मीर गये हुए थे। जब वे हापुड़ आये तो उन्होंने पुलिस की ज्यादतियों को सुना और उन्होंने पब्लिक मीटिंग में इनपर उचित विचार करना चाहा। उन्होंने पुलिस को उपदेश किया कि उसे जनता की हिफाजत और रक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये न कि मनमाने तरीकों से इज्जतदार आदमियों को सताना चाहिये। सबसे पुराने कांग्रेसी कार्यकर्त्ता श्री महेश प्यारे लाल जी पर भी, इसके परिणाम स्वरूप वही गुजरी जो उस समय सारे हापुड़ के लोगों पर बीत रही थी। उन्हें भी पुलिस ने थाने पर बारबार बुलाकर सताना आरम्भ कर दिया। खादी भण्डार लूट लिया गया और उस पर ताला लगा दिया गया। खादी का कार्य बन्द करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हवालात में उन्हें बेहद सताया गया। उन पर १२००) रु० जुरमाना किया जाकर उन्हें जेल भेजा गया। वहाँ भी उनपर बेहद अत्याचार ढाये गए। उन्हें C. क्लास दिया गया। उनसे भी गये गुजरे लोगों को B- और A. क्लास तक दिये गये थे। यह सब इसीलिये किया गया था कि जब वे जेल से बाहर हों तो इस तरह का शरीर लेकर बाहर जायें कि महीनों आन्दोलन में भाग भी न ले सकें।

सबसे अधिक सोचनीय तो यह था कि शहर के रईस और जमींदार जिन्हें अपने प्रभाव का उपयोग पुलिस को सही रास्ता बताने में होना चाहिए था

उसके बजाय उन्होंने पुलिस की बेहद मदद की और शहर के अच्छे से अच्छे इज्जतदार व्यक्तियों की इज्जत पर हमले करवाये। इन्हीं रईस और जमीदारों ने उन लोगों से, जो जुलमो से तंग आकर पुलिस की ब्लैक डायरी से अपना नाम निकलवाना चाहते थे, पुलिस को लम्बी लम्बी रकमें रिश्वत के रूप में दिलवाईं। कुछ ऐसे भी रईस लोग थे जो पुलिस के चक्कर में तो नहीं आये पर समय को देखकर वे शान्त बने रहे।

सैकड़ों और हजारों व्यक्तियों की सूची में से पुलिस ने सिर्फ ५४ आदमियों के मामले ही अदालत में चालान किये। १५ महीने तक मुकदमे चलते रहे। प्रायः मामलों में सौ से भी ज्यादा तारीखें लगीं। हर तारीख पर मुलजिमों के रिश्तेदारों को हापुड़ से मेरठ तक जाना पड़ता था। यदि पूरे मुकदमों के खर्च का अन्दाजा लगाया जाय तो प्रायः ५० हजार रुपये तक आता है। और मुकदमे के सिलसिले में उन लोगों के कारबार जो चौपट हुए उनका तखमीना डेढ़ लाख रुपये तक आता है।

५४ व्यक्तियों में से मजिस्ट्रेट ने सिर्फ ३४ व्यक्तियों के खिलाफ अपराध लगाया। मजिस्ट्रेट श्री० बृजपाल सिंह सेठ के सिर्फ उनमें से १३ व्यक्तियों को १॥ साल से लगाकर २॥ साल तक की सजाएँ दीं। २१ छोड़ दिये गये। सजा पाने वाले व्यक्तियों की सूची देखने से पता चलता है कि उसमें मालदार एक भी व्यक्ति नहीं, सभी गरीब थे, जिनकी अपील करने वाले आगे कोई भी नहीं। इसके अलावा भी उन मामलों में कई आश्चर्यजनक बातें मौजूद हैं। कई व्यक्ति जो जांच में निर्दोष पाये गये उन पर आगे चलकर मामले चलाये गये। और जिनको जांच के लिये थाने में बुलाया तक नहीं गया वे अदालत में मुजरिम की हैसियत से खड़े किये गये। किसी भी व्यक्ति की अदालत ने शनाख्त तक नहीं की। सिर्फ दो या तीन ही व्यक्तियों का नाम F. I. R. में दर्ज पाया गया। जो इज्जतदार व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद थे शनाख्त में उनका कहीं भी नाम तक नहीं लिया गया। न उन्हें गवाहों में दर्ज किया गया। जांच करने वाले आफीसर ने उनके बयान अवश्य लिये पर वे गुम रखे गये। किसी ने एक शान्ति नामक व्यक्ति का नाम लिया कि सारे हापुड़ में जितने भी शान्ति नामक के व्यक्ति थे सभी को थाने पर बुलाकर महीनों परेशान किया गया।

उनमें से एक को गिरफ़ार कर लिया गया और दूसरों को हाजिरी थाने की हिदायत देकर घर जाने दिया गया।

उक्त बलवे के मामले के अलावा एक बम केस भी लाला लछमन दास और लाला केदार नाथ पर चलाया गया। दोनों को १० और ७ साल की सख्त सजाएँ दी गई। अपील में दोनों को ७-७ साल की सजाएँ बहाल की गई। फेडरल कोर्ट क अपील में कुल सजा माफ करदी गई।

जिन लोगों पर बम केस चलाया गया था उनकी माली हालत बहुत अच्छी थी पर मेरठ, इलाहाबाद और अन्त में दिल्ली में एक साल से भी ऊपर तक मामला लड़ने के कारण उनकी माली हालत बहुत ही शोचनीय हो गई। इसके अलावा उनके परिवारवालों को साल भर तक इधर से उधर चक्कर काटने में जो कष्ट उठाने पड़े उनका जिक्र करना तो बेसूदही है।

१३ अगस्त को पुलिस ने करफ्यूआर्डर लगाया था पर मि० सच्चिदानन्द एक प्रतिष्ठित रईस तथा मि० रामप्रताप एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने उसे मानने से साफ इन्कार कर दिया। मोला के श्री विश्वम्भर सहाय पर तार काटने और खम्भे उखाड़ने का आरोप किया गया। उनको सात साल का सख्त सजा दी गई। अब वे छूट गये हैं।

बनारस और बनारस जिले में दमन का दौरदौरा
जलते मुरदे चिताओं से खींच लिये गये।

१२ अगस्त १९४२ को विद्यार्थियों पर सोनारपुर में गोली चलाई गई। यह सिर्फ गोली काण्ड ही नहीं था वरन एक भयावह निर्दयतापूर्ण कृत्य था। यह कृत्य ३ यूरोपीयन जिम्मेदार आफीसरों द्वारा सम्पन्न हुआ। इन आफीसरों ने स्कूल से बाहर आते हुए विद्यार्थियों को बिला वजह बुरी तरह घायल कर दिया। इस गोली काण्ड में २० विद्यार्थियों के लिये आठ बन्दूकें तीन पिस्तौल काम में लाई गई थीं। इस घटना मे ६ विद्यार्थी जख्मी हुए। इन बीस विद्यार्थियों में एक के अलावा सभी हिन्दू बनारस यूनिवर्सिटी के ही विद्यार्थी थे।

सब से जबरदस्त गोली काण्ड दशाश्वमेध पर हुआ जिसमें ४ व्यक्ति मारे गए और १७ घायल हुए। जो व्यक्ति वहां मारे गये उनमें एक चौदह वर्ष का लड़का काशी प्रसाद था। सैयद राजा पर जो गोलीबारी हुई उसमें एक श्रीधर नामक व्यक्ति घायल हुआ जो वैसा ही पड़ा छोड़ दिया गया। जब पुलिस को वह मिला तो पुलिस ने उसे बिलकुल अधमरा कर दिया। दूसरी पुलिस की टुकड़ी ने किरचों की मार से उसे मार ही डाला।

धानपुर में जनता ने पुलिस पर आक्रमण किया, जहां बताया जाता है कि तीन पुलिस के आदमी मारे गए। इसके बाद गोलीबारी हुई जिसमें जनता में से तीन व्यक्ति काम आए। लोगों को पकड़ा गया और उनपर मामले चले तीन को फांसी दी गई तथा कई व्यक्तियों को लम्बी सजाएँ दी गईं।

चोलापुर के पुलिस ने सबसे ज्यादा अमानवीयता का परिचय दिया। उसने ऐसी गोलीबारी करवाई कि कठोर से कठोर व्यक्तियों के भी दिल दहल गए। इस गोलीकाण्ड में ५ व्यक्ति मारे गए और सौ व्यक्तियों से भी ज्यादा जख्मी

हुए। इस पुलिस आफीसर ने मृतक व्यक्तियों के शव भी घर वालों को नहीं दिए और उन्हें फिकवा दिया गया। इसके बाद दस राक्षस ने उन लोगों की खोज शुरू की जो घायल हो चुके थे जिससे कि उन्हें गिरफ़ार किया जाकर उन्हें अदालत से सजाएँ दिलाई जा सकें। परिणाम स्वरूप लोग अपने जख्मों को छिपाये फिरे। मृतकों की भी उनके रिश्तेदारों ने अदालत के मारफत मांग नहीं की।

बनारस में नेताओं की गिरफ़ारी के बाद लोगों ने अदालतों पर झण्डे गाड़ना आरंभ किया। श्री ईश्वर चन्द्र मिश्र ने अपनी जान पर खेल कर तिरंगा झण्डा दीवानी अदालत पर गाड़ ही दिया।

हिन्दू युनिवर्सिटी ने पांच दिन तक बनारस की जनता का नेतृत्व किया। यूनिवर्सिटी के फाटक विद्यार्थियों के तावे में थे। पांच दिन तक यूनिवर्सिटी पर पूरा आधिपत्य विद्यार्थियों का ही रहा। यूनिवर्सिटी में बिना पास बताए कोई भी विद्यार्थी नहीं जा सकता था। यह इसलिए किया गया था कि अन्दर सरकारी कोई भी आदमी न तो जा सके न कोई सरकारी शक्ति दखल दे सके। फिर भी विद्यार्थियों के पीछे पुलिस और गुप्तचर लोग लग ही गए थे।

१२ अगस्त के बाद तमाम बनारस में बे हिसाब लाठी चार्ज हुए। बताया जाता है कि पुलिस ने १५ भयकर लाठी चार्ज किये। मामूली लाठी चार्जों की तो गिनती ही नहीं हो सकती। सब से भयंकर लाठी चार्ज तो सोनारपुर में हुआ जहाँ घुड़सवार सिपाहियों ने जुलूस के ऊपर हमला करके जनता को कुचल डाला।

पुलिस आफीसरों ने जुलूसों में, सड़कों पर या बिलकुल खुले मैदानों में जनता को नंगा करके कोड़े लगवाये। कोड़े लगवाने के लिए पुलिस ने इतनी जल्दबाजी की कि अपराधियों को कोड़े की सजा मिलते ही उन्हें अपील की मियाद के भीतर ही कोड़े लगवा दिये गए। जेलों में कोड़े लगवाना तो साधारण सी घटना हो चुकी थी। बात यह थी कि आफीसर प्रतिहिंसा की आग में जले जा रहे थे और वे जनता पर आतंक जमाने के लिए इतने वीभत्स अत्याचार कर रहे थे कि जिनका वर्णन करना भी मनुष्यता से बाहर की बात है। कोड़े लगाने के समय कोई भी डाक्टर तैनात नहीं किया जाता था न कोड़े लगाने

के पूर्व यह जाँच की जाती थी कि मनुष्य में कोड़े खाने लायक शक्ति भी, यह सब इसलिए खुले आम हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार की अदालतें व्यवस्था से अलग और स्वतंत्र नहीं हैं। बनारस में ७४ व्यक्तियों को खुले में कोड़े लगवाये गए। उनको अपील की मियाद के अन्दर ही कोड़े दिये गए।

शोलापुर में १८ व्यक्तियों को ७-७ साल की सख्त सजा के साथ ही १५ कोड़ों की भी सजा दी गई थी। इन १८ ही व्यक्तियों को मेले में त जनता के सामने, जिसमें प्रायः १०००० व्यक्ति थे, कोड़े लगाये गये। इ अपराध यह था कि इन्होंने एक हवाई अड्डे को लूट लिया था।

तीन ऐसे किस्सों की रिपोर्टें उपलब्ध हुई हैं जिनमें पुलिस ने ३ व्यक्ति को इस कदर पीटा कि तीनों ही वहीं मर गये। एक को तो गोली चार्ज में गोल लग चुकी थी। घायल होते हुए भी उसे मारमार कर जान से मार डाला गया ३४ व्यक्तियों को इस बुरी तरह पीटा गया कि उन्हें दो दो महीनें अस्पतालों रहना पड़ा। २ ऐसी भी घटनाएँ उपलब्ध हैं जिनमें मजिस्ट्रेट ने ही बीच में आकर पीटना शुरू कर दिया। भयंकर मार पीट निम्नलिखित कारणों वश की गई थी—

१—भागे हुए लोगों के पते दर्याफ़्त करने के लिये।

२—युद्ध के कर्जे के लिये रकम वसूल करने को।

३—लोगों को मुखबिर व सरकारी गवाह बनाने के लिये।

और—४—लोगों के साथ नाजायज कृत्य (Sodomy) करने के लिये।

पीटने के लिये कई तरीके प्रयोग में लाये गये थे। कुछ लोगों को इस सीमा तक से पीटा गया जिनकी गाँठें तक फटी नहीं गई थीं।

महिलाओं पर असंख्य बलात्कार हुए जिनका जिक्र भी करना सभ्यता के युग में उचित नहीं। इसके अलावा औरतों की बेइज्जती आदि की घटनाएं तो सैकड़ों की संख्या में हुई हैं। औरतों को नंगा करके उनको पीटा गया और उसी हालत में उनसे उठक बैठक करवाई गई। कई औरतों का भूखों मार डाला गया और कइयों को पानी मांगने पर भी पानी नहीं दिया गया। औ

बनारस में पुलिस ने देहातियों को ज्यादा लूटा व जो काम की चीजें हुईं पुलिस उसे उठा ले गई।

स्त्रियाँ इज्जतदार एवं धनिक घरानों की थीं, उन्हें मकानों से जबरन बाहर निकाल दिया गया, और उन्हें इधर उधर भटकने के लिये छोड़ दिया गया। कई स्त्रियों के तो जंगल में ही बच्चे हुए।

बनारस के जमना दुबे फरार हो गये थे। पुलिस के दल ने उनके मकान पर धावा बोल दिया। जब जमना दुबे का किसी तरह भी पुलिस को पता नहीं चल सका तो पुलिस ने घर की एक स्त्री को पकड़ लिया और उसके अंगों को जलाया। जब इस पर भी पता नहीं चला तो उसी घर की स्त्री के मासूम बच्चे को पुलिस ने उठा लिया और स्त्री को डराया कि जमना का पता बता दे नहीं तो बच्चे को आग में भून दिया जावेगा।

पुलिस के हत्यारे उस बालक को आग के करीब लाकर उसे यथार्थ भूनने लगे तब स्त्री ने अपनी हँसुली उतार कर हत्यारों के कदमों में रखी। इस तरह बच्चे का छुटकारा हुआ।

इसके अलावा पुलिस ने चार व्यक्तियों के मकान जलाकर खाक कर डाले और प्रायः ६ मकान इस कदर जलाये गये कि उनका सब सामान खाक हो गया। ७ मकानों का सामान बाहर निकाल कर जला डाला गया। पुलिस का जिला बनारस में अधिकार हो जाने के बाद लूट मार तो मामूली सी ही बात हो गई थी। लूट मार ज्यादातर देहातियों में ही हुई। गाँवों को ज्यादा लूटा गया। पुलिस को लूट में जो चीजें काम की नजर आईं वे तो पुलिस ने अपने कब्जे में की और शेष जलाकर खाक कर दी गईं। इस प्रकार ६५ मकानों के लूट लेने का पता चला है।

गाँव वालों को हर तरह लाचार कर देने के लिये उनकी खड़ी फसलों को लूट कर बरबाद कर दिया गया। इस प्रकार के ३६ उदाहरण मिले हैं। जो लोग भाग गये थे उनकी तमाम जायदाद और फसलें लूटी गईं और चीजों को पुलिस ने इच्छित भाव पर खरीद लिया। बल्कि पुलिस कुछ बदमाश गुण्डों को हमेशा ही लपकाये रखती थी कि लूट में उनको काफी सामान मिल जाय और फिर पुलिस उनके नाम पर पैसों के मोल लूट का माल खरीद सकें। ये गुण्डे लोग पुलिस के सबसे बड़े हथियार थे क्योंकि पुलिस जिनको सजा दिलाना चाहती उनके खिलाफ इन गुण्डों से सोलह आने झूठे बयान अदालत

में लोगों के विरुद्ध दिलवा दिये जाते थे। ४० व्यक्तियों की जायदाद पैसों के मोल ऐसे ही गुण्डों को बेची गई। और कुछ लोगों की जायदाद तो दुबारा और [illegible] नीलाम कर दी गई।

[illegible] २,५७,६७७) रु० का सामूहिक जुर्माना किया गया। इसकी वसूली भी बहुत ही बेरहमी के साथ की गई। वसूली में मुसलमानों और सरकारी नौकरों को छोड़ दिया गया। पुलिस ने वसूली में इतनी ज्यादती की कि जो रकम जुर्माने के रूप में वसूल होना थी उससे कई गुना ज्यादा रकम जोर और जुल्मों के आधार पर वसूल कर ली गई।

अगस्त १९४२ के आन्दोलन के सिलसिले में ५६३ आदमियों पर मुकदमें चले जिसमें से ३ को फांसी की सजा दी गई। १५ व्यक्तियों को काला पानी और १० व्यक्तियों को १०--१० वर्ष सख्त कैद की सजा दी गई। शेष को ३ माह से लेकर ७ वर्ष तक की सख्त सजाएँ दी गईं। २६३ ऐसे व्यक्ति, उक्त संख्या से अलहिदा हैं जिन पर मुकदमें तो चलाये गये पर वे अदालत से निरपराध पाये गये। ५ व्यक्ति मुकदमें की सुनवाई के दौरान में ही मर गये और पचासों ऐसे व्यक्ति भी हैं जो फरार हैं और जिनके मुकदमे उनके फरार होने के कारण मुलतवी पड़े हुए हैं।

जिन हवालातों में आन्दोलन के सिलसिले में पकड़े हुए लोग रखे गये थे, वे पृथ्वी पर नरक से कम नहीं। इन हवालातों में से एक में श्री० मक्खन लाल बैनर्जी को जो स्थानीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, इतना पीटा गया कि उनकी हालत बहुत ही खतरनाक हो गई थी। बैनर्जी को पूर्वी बंगाल के फरारों के पते जानने के लिए पीटा गया था। एक लड़के को सख्त बुखार के छटे दिन उसी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे हवालात में जूतों से पीटा गया और उसके साथ ऐसे कुकृत्य भी किये गये जिनका जिक्र यहां असभ्यता सूचक है।

अगस्त आन्दोलन के पूर्व और बाद में सरकार ने ५ स्थानों पर कब्जा कर लिया और तलाशियां तो सैकड़ों मकानों की ली गईं। गांधी आश्रम और काशी विद्यापीठ की तलाशियां ली गईं। ये समझना मानवी बुद्धि के बाहर की बात है कि काशी विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय संस्था की किस आधार

नाज़ियों की बर्बरता भी मात! डेढ़ वर्ष का बच्चा उल्टा लटकाकर बनारस में जलाया गया!

पर तलाशी ली गई। विद्यापीठ किसी भी तरह आन्दोलन में सम्मिलित नहीं था। गांधी आश्रम एक ऐसी संस्था है जो खद्दर तैयार करने व हाथ के बने हुए माल का कार्य करने के सिवाय और कोई कार्य नहीं करती। गांधी आश्रम से सरकार ने ३००० तिरंगे झण्डे जब्त कर लिये और उन्हें जलाया गया। यह कार्य पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म से किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने कानून अपने ही हाथ में ले लिया था। गांधी आश्रम का कपड़ा भी मजिस्ट्रेट ने उस समय जलवाया जबकि समस्त बनारस में कपड़े का भयङ्कर काल पड़ रहा था। विशेषता यह थी कि मजिस्ट्रेट ने न तो गांधी आश्रम की जब्ती और न माल की जब्ती का ही लेखी हुक्म दिया था।

हिन्दू बनारस यूनिवर्सिटी के ११७ विद्यार्थी अगस्त आन्दोलन में बनारस के बाहर निकाल दिये गये थे। इनमें से किसी भी विद्यार्थी को कारण नहीं बताया गया कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है। शहर बदर करने का पहिला हुक्म २६ अक्टूबर १६४२ को तब निकाला गया जबकि यूनिवर्सिटी को खुले हुए प्रायः तीन महीने ही हुए थे। पहिले हुक्म के अनुसार ६० विद्यार्थी शहर से बाहर निकाल दिये गये। इसका परिणाम यह हुआ कि कई विद्यार्थियों का भविष्य बिलकुल अंधकार में पड़ गया, कइयों ने नौकरियां करलीं। चार व्यक्तियों को शहर से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें संयुक्त प्रान्त के बाहर नजरबन्द कर दिया गया।

बनारस के ३०६ व्यक्ति सेक्यूरिटी बन्दी की तरह जेल में तीन श्रेणियों में विभाजित किये जाकर रखे गये। इनमें से २१३ बन्दी तो बनारस के ही थे और ६३ जिला बनारस के थे।

बनारस में कुछ ऐसी भी घटनाएँ घटी हैं जो दुनिया के इतिहास में बे मिसाल ही हैं। धानापुर में पुलिस ने मकानों में जो आग लगाई थी उसके फलस्वरूप कई व्यक्ति आग से जल मरे। जब उन शवों को जलाने के लिये मणिकर्णिका घाट पर ले गये और चिताओं के अग्निदाह संस्कार किये तो पुलिस ने जलती लाशों को चिताओं पर से उठा लिया और उन्हें मुर्दे इकट्ठे करने के स्थान पर पहुँचा दिये गये। मुर्दे जलाने के लिये जो लोग मणिकर्णिका घाट पर गये थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।

बनारस में ४ स्थानों पर रेलगाड़ियाँ पटरी पर से उतार दी गई और आठ स्थानों पर पटरियाँ ही उखाड़ कर फेंक दी गई जिसमें ते E. I. Railway की और ३ O. T. Railway की थीं। पटरी से रेलगाड़ी उतारने के लिये दो, पटरियों के बीच के बन्द खोल दिये जाते थे जिससे कि जब उस पर गाड़ी का वजन आये वह कसी हुई न होने के कारण अपार भार से उलट जाये। इतनी गाड़ियाँ उल्टी गईं किन्तु कहीं भी गाड़ी का माल लूटा नहीं गया।

बनारस जिले में २३ रेलवे स्टेशन या तो जलाये गये या उन्हें हानि पहुँचाई गई या बरबाद ही कर दिये गये। ३७ मुकामों पर तार काटे गये और १७ स्थानों पर सरकारी इमारतें बरबाद कर दी गईं। ५ जगह पोस्ट आफिसों पर हमले हुए।

डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स के तहत पुलिस को बेहद इख्तयार प्रदान किये गये थे, अतः जो पुलिस जनता की रक्षक कही जाती है वही भक्षक बन गई थी। पुलिस को सिर्फ अपनी शान की रक्षा करना ही उन दिनों में इष्ट था। उन दिनों मे घायलों, लुटे हुए और सताए हुए व्यक्तियों की पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वे अफसर जो थोड़ी बहुत भी सहानुभूति व्यथित जनता पर दिखाने की चेष्टा करते थे वे या तो बरखास्त कर दिये जाते या उनकी तनज्जुली कर दी जाती थी। शराबखोरी और जुए का चारों ओर साम्राज्य था क्योंकि अफसर लोगों को इसके लिये उकसाते थे। शहर में जुआघरों का प्रचार बढ़ाया जा रहा था। चीज़ों पर कन्ट्रोल करने से ब्लैक मारकेट ज़ोरों पर था और पूंजीपतियों का धन दूसरे ही दिन दुगना होता जा रहा था।

अफसरों ने कांग्रेस के लोगों को भी धन कमाने का लालच दिया। सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी फुसलाया गया। युद्ध के कान्ट्रैक्ट उनके नाम से या उनके रिश्तेदारों के नाम से दिये गये। इस दुहेरी नीति के परिणाम स्वरूप जनता में घोर अशान्ति फैल गई और चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गई। जनता को लूट कर धन पुलिस और गुण्डों में खुले आम बांट दिया जाता था। युद्ध परिस्थितियों की आड़ में अफसरों, पुलिस तथा गुण्डों ने जनता को अच्छी तरह चूस लिया और स्वतः खूब मालदार हो गये। ब्लैक मारकेट करने वालों की पीठ पर सरकार का सप्लाई डिपार्टमेन्ट था। फिर भला उन्हें भूखी और नंगी जनता को लूटने से कौन रोक सकता था?

आजमगढ़ में दमन के कारण भयंकर हाहाकार !

डेढ़ वर्ष के बच्चे को गोली मार दी गई !!

वीर महिला ने गोरों के छक्के छुड़ा दिये !!!

ज्योंही देश में आन्दोलन की ज्वाला प्रज्वलित हुई कि आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम प्रमुख नेताओं को गिरफ़ार कर लिया गया व दफ़र पर पुलिस ने ताला डाल दिया। इसके विरोध में १० अगस्त को सारे शहर में आम हड़ताल मनाई गई तथा दूसरे दिन सुबह एक विशाल जुलूस निकाला गया। ज्योंही जुलूस अस्पताल के करीब पहुँचा कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ सशस्त्र पुलिस को लेकर घटनास्थल पर पहुँच गया। मजिस्ट्रेट ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोका तथा कचहरी की ओर जाने से मना किया। यहां बात यह थी कि अधिकारियों को तो समस्त भारत में होने वाले पिछले दो दिनों के उपद्रवों का पूरा पता था पर जनता को ये बातें ज्ञात नहीं थीं। इसलिये जनता यहाँ पूर्ण अहिंसात्मक ही रही। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के रोकने के साथ ही जनता में एक दम जोश आ गया। किन्तु मजिस्ट्रेट यद्यपि नवयुवक ही था पर बुद्धिमानी से उसने उस काण्ड को रोक लिया जो दूसरा जगह ना समझी से सहज ही हो गये। मजिस्ट्रेट ने जुलूस को जाने की आज्ञा दे दी जुलूस कर्बला के मैदान तक गया और वहाँ सभा हुई।

इसके बाद आजमगढ़ में देश भर के आन्दोलनों के समाचार आ गये। उसके अनुसार यहाँ भी तार काटना और पटरी हटाना शुरू हुआ। स्टेशन के करीब ही एक मालगाड़ी पटरी पर से उतार दी गई। रानी की सराँय के पास ही एक पैसेन्जरट्रेन उलट दी गई और उसका एंजिन भी बेकार कर दिया गया।

दोहरी घाट से मऊ और शाहगंज के बीच की तमाम रेलवे लाइनें उखाड़ कर फेंक दी गयीं। कई डाकखाने लूट लिये गये और बाद में इमारतों और कागजों को जला कर राख कर दिया गया। इसके बाद जनता ने सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय झण्डे लगाना आरम्भ कर दिया। इस तरह आजमगढ़ में आन्दोलन क्रमशः उग्रतम रूप धारण करता चला गया।

१४ अगस्त को आधीरात को घोसी तहसील में फतहपुर कांग्रेस कमेटी के किसानों की एक सभा में रामपुर चौकी पर कब्जा करने का निश्चय किया गया। फलतः १५ अगस्त को सुबह एक हजार आदमी रामपुर चौकी की ओर बढ़े और उस पर अपना अधिकार स्थापित करा दिया। चौकी के सिपाही वहां से भागकर पहिले ही मधुवन थाने में छिप गये थे। जनता ने चौकी के तमाम कागजात और सामान जलाकर राख कर दिये और उसके बाद रामपुर के डाकखाने के कागज जला दिये। किन्तु जनता ने उस दिन के तमाम मनीआर्डर जो संख्या में २५ थे पोस्ट मास्टर के हवाले कर दिये और उससे कह दिया कि वे ठीक पतों पर तकसीम करवा दिये जायें।

डाकखाना और चौकी का काम तमाम कर देने के बाद भीड़ बस्ती नामक ग्राम के कच्चे तालाब पर पहुँची। वहां पहिले से ही १० हजार आदमियों की भीड़ तैयार खड़ी थी जिन्होंने बेलथरा स्टेशन पर एक दिन पहिले ही ६ सौ थैले चीनी मालगाड़ी से लूटकर एकत्रित की थी। यहाँ पहुँचकर दोनों दलों ने थकान मिटाने के लिए शर्बत बना बना कर खूब पिया। इतने में ही पश्चिम और दक्षिण के गावों के प्रायः २० हजार किसान उनमें आकर और सम्मिलित हो गये। १ बजे ४० हजार का यह दल मधुवन थाने पर राष्ट्रीय झण्डा गाड़ने चढ़ा। उसी समय आसपास के गाँव के और भी लोग इस अपार समुद्र से दल में आकर मिल गये। इस प्रकार प्रायः ६० हजार जनता मधुवन थाने की ओर बढ़ी। लोगों ने एक हाथी पकड़ा और उस पर अपने नेता को बैठाकर बाकायदा सवारी चली। दल के नेता श्री रामवृक्ष चौबे, मंगल देव शास्त्री तथा सुन्दर पाण्डे ने भीड़ को रोक दिया और तीनों थानेदार के पास मिलने को गये। वहाँ उन्होंने थानेदार को कहा कि "*ब्रिटिश शासन का अब अन्त हो चुका है*, इस समय जनता का राज्य है। आप आत्म समर्पण करदें हम इस

थाने पर राष्ट्रीय झण्डा गाड़ेंगे।' थानेदार नासमझ आदमी था, उसने ऐसा करने देने से साफ इन्कार कर दिया। ये तीनों नेता वापस आ गये और फिर भीड़ आगे बढ़ी। सूचना पाकर जिला मजिस्ट्रेट वहाँ उपस्थित हो गये थे। उनके साथ १४ शस्त्रधारी पुलिस, २ थानेदार व कुछ आस पास की चौकियों के सिपाही थे। जिला मजिस्ट्रेट ने फौरन ही थाने की मोर्चाबन्दी करली। किन्तु भीड़ तो अपार थी। वह आगे बढ़ी नतीजा यह हुआ कि १ बजे से लेकर ३ बजे तक जनता पर गोलियाँ दागी गईं। नतीजा यह हुआ कि ३४ आदमी वहीं मारे गये। असंख्यों घायल हुए और इनमें से भी ७-८ दिन के अन्दर ४२ आदमी मर गये। इस प्रकार ७६ आदमी इस गोलीकाण्ड में मारे गये। पर यह संख्या बिलकुल ही सही नहीं मानी जा सकती। लोगों का अनुमान है कि इस संख्या से दुगने आदमी घटनास्थल पर वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक संख्या मालूम न हो सकने के दो कारण हैं। एक तो मृतकों के परिवार वाले भावी मुसीबतों में फँसने के कारण कुछ भी नहीं बताना चाहते, दूसरे उस विशाल समुदाय में ५०-५० मील दूर तक के लोग मौजूद थे जो घायल अवस्था में ही लौट पड़े थे, अतः अवश्य ही रास्ते में मर गये होंगे।

इतना होते हुए भी भीड़ आगे ही बढ़ती गई। एक साहसी युवक ने लपक कर एक सिपाही की बन्दूक पकड़ ली और थोड़ी देर तक झूमाझटकी करने के बाद उसे छीन भी ली। इसके बाद भीड़ थाने पर झण्डा लगाने को तैयार ही थी कि वहाँ यह अफवाह फैल गयी कि अंग्रेजी सेना मशीनगनें लेकर आ रही है। जनता ने विचार करके यही तै किया कि लौटना ही उचित है। भीड़ ने जिस साहस, उत्साह एवं शान्ति का परिचय दिया था उसकी प्रशंसा मि० न्यूटन जिला मजिस्ट्रेट ने बाद में अपने मित्रों तक से की थी। गोली खाकर मरने वालों में एक भी ऐसा नहीं था जिसकी पीठ में गोली लगी हो।

आजमगढ़ जिले में मऊ एक अत्यन्त ही उन्नत एवं व्यापारी कस्बा है। इस कस्बे में १० अगस्त से १३ अगस्त तक जुलूसों और सभाओं का दौरा दौरा रहा। १४ अगस्त को विद्यार्थियों का एक जुलूस स्टेशन पर गया। वहाँ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इससे जनता बहुत ही उत्तेजित हो

गाजीपुर में स्त्रियों की इज्जतें लूटी गईं

सम्मानित पुरुषों को पेशाब पीने के लिये दिया

महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों की गिरफ़्तारी के समाचार जब गाजीपुर में पहुँचे तो शहर में हड़ताल हो गई। बाद में जुलूस निकाला गया और सभा की गई। ९, १०, व ११ अगस्त को नगर में तथा जिले के सभी प्रमुख नगरों में अहिंसात्मक प्रदर्शन होते रहे किन्तु जब देश के भिन्न-भिन्न भागों के आन्दोलन के समाचार गाजीपुर जिले में आये तो जनता एकदम क्रुद्ध हो गई। जिले भर में यातायात के सभी साधनों को नष्ट भ्रष्ट कर देने के प्रयत्न किये गये। तार काट डाले गये और तार के खम्भे उखाड़ कर फेंक दिये गये। जिले भर के प्रायः सभी डाकखाने जलाकर राख कर दिये। पुल भी जगह-जगह तोड़ डाले गये और रेल के सभी स्टेशन जलाकर राख कर दिये गये। शुरू में तो रेलों पर जनता का ही राज्य हो गया था यहाँ तक कि बिना जनता की आज्ञा के ड्राइवर रेलगाड़ी तक नहीं ले जा सकता था। गाजीपुर की जनता ने रेलगाड़ी पर सवार होकर राजवाद। के दूसरे अड्डे तथा जौनपुर के बहुत से स्टेशनों को नष्ट कर डाला था। बाद में जनता ने कई एंजिनों को बेकार कर दिया तथा रेल की पटरियों को मीलों तक उखाड़ कर यातायात के साधन ही नष्ट कर दिये। जहाँ कहीं भी जनता को युद्ध सामग्री से भरी हुई रेलगाड़ी दिखाई दी कि उसे नष्ट कर दिया गया। नन्दगंज स्टेशन पर तो सैनिकों के साथ जनता का गहरा संघर्ष ही हो गया। सैनिकों ने जनता पर मनमानी गोलियाँ चलाईं जिसके फलस्वरूप कई आदमियों की जानें गईं। अन्दाज़न ८० आदमी उस गोलीकाण्ड के शिकार हुए। सैकड़ों आदमी घायल हुए। जमानिया और सादात मुकामों पर भी गोलीकाण्ड हो गये। दोनों जगह एक-एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।

ने इस पर लारी मोड़ दी। जनता ज्योंही मुड़ी कि सैनिकों ने उन पर गोलियाँ दागना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि तीन आदमी वहीं मारे गये और सैकड़ों घायल हुए। खेत में चरती हुई एक भैंस और रास्ते में चलता हुआ एक सुअर भी मारा गया।

अतरौलिया ग्राम में २३ अगस्त को डाक बंगले के पास श्री रामचरित्र सिंह के सभापतित्व में सभा हो रही थी। यहाँ ५ हजार जनता एकत्रित थी। इसकी सूचना पाते ही एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट फौज लेकर घटनास्थल पर आ धमके। उन्होंने आते ही सभा को भंग होने का आदेश दिया। सभा भंग न होने पर उन्होंने गोली चला दी। परिणाम यह हुआ कि श्री देवराज शर्मा तत्काल ही धराशायी हो गये। कुछ दिनों बाद अस्पताल में श्री देवनाथ शर्मा की भी मृत्यु हो गयी। और अनेक व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए।

नवम्बर १९४२ में जनता ने खुरहट स्टेशन पर धावा बोल दिया और स्टेशन बर्बाद कर दिया।

पूरे आजमगढ़ जिले में २०५ मकान जलाकर खाक कर दिये गये। मधुबन में १०५ मकान जलाकर राखकर दिये गये। जिला कांग्रेस कमेटी रिपोर्ट के अनुसार ३ लाख ५२ हजार की हानि हुई। जिले पर १ लाख ६० हजार जुरमाना हुआ। १०७ व्यक्ति मारे गये। घायलों को संख्या जानना कठिन ही है। ३८० व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये जिनमें से २३१ को काले पानी तक की सजाएँ दी गईं। हाकिमों द्वारा कितने ही निरपराध व्यक्ति बेतों द्वारा पीटे गये। कई फैसलों में सेशन जज ने जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अफसरों की कड़ी निन्दाएँ की हैं।

आजमगढ़ जिले की हाहाकारमयी कहानी का अन्त बिना एक वीर महिला का जिक्र किये, अधूरी ही है। वह वीर महिला थी श्री अलगूराम शास्त्री की भावज। शास्त्री जी का मकान अमिला में था। सेना उनके मकान में ७० वर्ष के बूढ़े पिता को बन्दूक का कुन्दा मार कर अन्दर पहुँची और सारे मकान का सा[illegible] बाहर निकाल कर जलाना चाहती ही थी कि उनकी वीर भावज कुल सामान के ढेर पर जाकर बैठ गई। भावज ने कड़क कर कहा—"पहिले मुझे जलाओ, बाद में सामान जलाना।" उसकी हिम्मत देखकर गोरे भौंचक्के रह गये। अतः बिना आग लगाये ही कुछ सामान उठाकर बेंचने लगे। पर उस वीर रमणी ने गोरों से वह सामान भी छीन लिया।

गाजीपुर में स्त्रियों की इज्जतें लूटी गईं

सम्मानित पुरुषों को पेशाब पीने के लिये दिया

महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों की गिरफ्तारी के समाचार जब गाजीपुर में पहुँचे तो शहर में हड़ताल हो गई। बाद में जुलूस निकाला गया और सभा की गई। ६, १०, व ११ अगस्त को नगर में तथा जिले के सभी प्रमुख नगरों में अहिंसात्मक प्रदर्शन होते रहे किन्तु जब देश के भिन्न-भिन्न भागों के आन्दोलन के समाचार गाजीपुर जिले में आये तो जनता एकदम क्रुद्ध हो गई। जिले भर में यातायात के सभी साधनों को नष्ट भ्रष्ट कर देने के प्रयत्न किये गये। तार काट डाले गये और तार के खम्भे उखाड़ कर फेंक दिये गये। जिले भर के प्रायः सभी डाकखाने जलाकर राख कर दिये। पुल भी जगह-जगह तोड़ डाले गये और रेल के सभी स्टेशन जलाकर राख कर दिये गये। शुरू में तो रेलों पर जनता का ही राज्य हो गया था यहाँ तक कि बिना जनता की आज्ञा के ड्राइवर रेलगाड़ी तक नहीं ले जा सकता था। गाजीपुर की जनता ने रेलगाड़ी पर सवार होकर राजवाड़ा, के हवाई अड्डे तथा जौनपुर के बहुत से स्टेशनों को नष्ट कर डाला था। बाद में जनता ने कई एंजिनों को बेकार कर दिया तथा रेल की पटरियों को मीलों तक उखाड़ कर यातायात के साधन ही नष्ट कर दिये। जहाँ कहीं भी जनता को युद्ध सामग्री से भरी हुई रेलगाड़ी दिखाई दी कि उसे नष्ट कर दिया गया। नन्दगंज स्टेशन पर तो सैनिकों के साथ जनता का गहरा संघर्ष ही हो गया। सैनिकों ने जनता पर मनमानी गोलियाँ चलाईं जिसके फलस्वरूप कई आदमियों की जानें गईं। अन्दाजन ८०-आदमी उस गोलीकाण्ड के शिकार हुए। सैकड़ों आदमी घायल भी हुए। जमानिया और सादात मुकामों पर भी गोलीकाण्ड हो गये। दोनों जगह एक-एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।

इसके बाद जनता ने सरकारी इमारतों पर झण्डा लहराने तथा पुलिस थानों पर अधिकार करने की बात सोची। कई हज़ार व्यक्ति एक साथ प्रत्येक थाने पर हमला करते और प्रायः हर जनता के सामने पुलिस आत्म समर्पण कर देती। कई थानों पर तो पुलिस ने अपने हथियार तक जनता को दे दिये। कई थानों की इमारतें जलाकर राख कर दी गई।

१५ अगस्त को गाज़ीपुर थाने में विद्यार्थियों ने एक जुलूस निकाला। इस जुलूस का उद्देश्य कोतवाली पर झण्डा फहराना था। पुलिस ने जुलूस को रोक कर उस पर लाठीचार्ज कर दिया। जनता वहाँ से आगे बढ़ी तो सादात के थाने पर पुलिस ने गोलियाँ दागीं। पर जब थाने की समस्त गोलियाँ ही खत्म हो गईं तो तमाम पुलिसवालों तथा थानेदार ने आत्म-समर्पण कर दिया। पर जनता बहुत ही क्रुद्ध हो चुकी थी इसलिये उसने थाने में आग लगा दी। परिणाम यह हुआ कि थानेदार और एक सिपाही थाने में ही जल मरे।

इसके बाद जनता का ध्यान कचहरियों पर गया। सैदपुर की कचहरी में घुसकर जनता ने उस इमारत पर तिरंगा झण्डा गाड़ दिया। तहसीलदार तथा सब डिवीजनल आफीसर ने जनता के सामने आत्म समर्पण कर दिया। महमूदाबाद में भी जनता कचहरी पर झण्डा फहराना चाहती थी, पर यहाँ गोली काण्ड हो गया जिसमें ६ युवक मारे गये।

गाज़ीपुर ज़िले की कहानी अधूरी ही रह जायगी यदि उसमें शेरपुर के बलिदानों को छोड़ दिया जाय। आन्दोलन के दिनों में यहाँ बारिश हो रही थी। गंगा की बाढ़ के कारण पूरा ग्राम एक टापू बन गया था। इसीलिये यहाँ आन्दोलन की खबर बहुत ही देर से आई। १४ अगस्त को शेरपुर की जनता ने शहबाज कुली के हवाई अड्डे पर हमला किया। रेलवे स्टेशन पर अधिकार कर लिया। अड्डे पर पुलिस का जनता के साथ संघर्ष हो गया। फल यह हुआ कि जनता के नेता श्री यमुनागिरि घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और गिरफ्तार कर लिये गये। जब यह खबर गाँव में पहुँची तो लोग आग बबूला हो गये और उन्होंने हवाई अड्डे पर कब्जा करने का निश्चय ही कर लिया। आधीरात को बारिश में ही ५०० आदमी शेरपुर से

बाहर निकले। इन लोगों ने ३ मील तक लम्बे नाले को नाव द्वारा पार किया। कई लोगों ने नदी को तैर कर पार किया। सुबह होते होते ये लोग हरिहर पहुँचे और वहाँ की जनता को साथ लेकर आगे बढ़े। जब ये हवाई अड्डे पर पहुँचे तो इन्हें मालूम हुआ कि हवाई अड्डे के लोग पहिले से ही भाग गये हैं। अतः लोगों ने हवाई अड्डा नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसी प्रकार ये लोग रोज़ बाहर जाते और कहीं न कहीं विध्वंस करके वापस लौट आते।

१८ अगस्त को जनता ने महमूदाबाद की तहसील पर अधिकार जमाने का निश्चय किया। १००० आदमी एकत्रित होकर बाहर निकले। इस दल के नेता थे डाक्टर शिवपूजन राय। उन्होंने दल से कहा कि अपने साथ कोई भी न डंडा, न किसी किस्म का हथियार लें। लोगों से उन्होंने अहिंसात्मक ढंग से रहने की अपील की। इसके बाद दल तहसील की ओर रवाना हुआ। तहसील पर पहुँच कर ३० युवकों की एक टोली इमारत पर पीछे की ओर से घुसने के लिये अलग हो गई। बाकी के सब लोग डाक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में सामने के फाटक से घुसने के लिये आगे बढ़े। ३० युवकों की टोली तहसील के भीतर घुस गयी। घुसते ही, पहिले से ही तैयार पुलिस ने उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद बड़ा दल भीतर घुस आई। इस गोलीकांड में डाक्टर शिवपूजन सहाय, श्री वशिष्ठ नारायण, वंश नारायण, राजाराम राय, ऋषीश्वर राय तथा नारायण राय मारे गये। श्री वंशनारायणराय तथा रामबदन उपाध्याय की मृत्यु अस्पताल में हुई। अनेकों व्यक्ति घायल हुए। पुलिस ने युवकों की लाशों को नदी में फेंक दिया। दूसरे दिन उत्तेजित जनता से डर कर तहसील तथा थाने के अधिकारीगण थाना छोड़ कर शहर भाग गये।

में कहते थकते नहीं हैं। तीन दिनों की स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश सेना ने दरसोल और हार्डी के नेतृत्व में गाजीपुर में घुस आई। इन्होंने आकर रायपुर गाँव के निहत्थे लोगों को पीटा, उनके घर जला दिये। सारे जिले में सैनिकों ने भीषण हाहाकार ही मचा दिया। शेरपुर में इन लोगों के अत्याचारों की कोई सीमा ही नहीं रही। पहिले तो लोगों ने लाठी के बलपर इनका मुकाबला करने की सोचा पर कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने इनके जोश को संभाला और लोगों ने हिंसात्मक विरोध की भावना ही त्याग दी। सेना गाँव में घुस आई और भयंकर गोली-काण्ड आरंभ कर दिया। इस काण्ड में दो व्यक्ति मारे गये और सैकड़ों घायल हुए। सुबह से लेकर शाम तक गाँव बुरी तरह से लूटा गया। लगभग २ लाख का नुकसान हुआ। स्त्रियों के शरीर पर से जबरदस्ती गहने उतार दिये गये इसका परिणाम यह हुआ कि उनके नाक कान साफ कट गये। श्रीमती राधिका देवी को सिपाहियों ने उठाकर पानी में फेंक दिया जहाँ वे डूब कर मर गईं।

१ सितम्बर को सुबह ही गहमर में बलूची सेना ने गाँव को घेर लिया। गोली चलाई गई जिसके फलस्वरूप २ व्यक्ति शहीद हुए। सैकड़ों घायल हुए। राजारामसिंह की छावनी को डाइनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया। स्त्रियों के नाक तथा कानों से जेवर खींच लिये गये। इस गाँव में प्रायः १ लाख रुपये का नुकसान हो गया। सैनिकों ने प्रायः आसपास के सभी गाँवोंपर अनगिनत अत्याचार किये। वे अत्याचार इतने भयंकर एवं घृणित थे कि लेखनी उनको लिखने में असमर्थ है।

२४ अगस्त १६४२ को चार यूरोपीयन सैनिक नन्दगंज थाने के एक गाँव में १५० अन्य सशस्त्र सैनिकों के साथ घुस गये। साथ में नन्दगंज थाना का दरोगा भी था। लोगों को हुक्म दिया गया कि वे अपने गाँव को इसी हालत में छोड़कर पक्की सड़क पर एकत्रित हो जाय। इसके बाद कुछ सैनिकों को लेकर वे यूरोपीयन सैनिक गाँव में घुसे। स्त्रियों को घर से बाहर निकाल दिया गया। उनके गहने जबरदस्ती उतार लिये गये। इसके बाद लूट आरंभ हो गई। सब घरों को अच्छी तरह लूटकर २० घरों में आग लगादी गई। इसके बाद सैनिक सड़कपर आ गये। १२ वर्ष से कम उम्र के बच्चे वहाँ से हटा दिये गये। इसके बाद सभी लोगों के कपड़े उतरवा लिये गये। उन्हें मुर्गा बनाकर बैठा दिया गया। बांस

के हरे डण्डों से उन्हें खूब पीटा गया। विरोध करने पर एक व्यक्ति को भाड़ पर उलटा लटका कर २० डण्डे मारे गये। इसके बाद गाँव के तीन अन्य व्यक्तियों के साथ उसे भी गिरफ्तार करके ले गये।

"आज" नामक दैनिक पत्र के श्री विक्रमादित्य सिंह एक आदमी को लेकर १६ अगस्त को गाँव की वास्तविक परिस्थिति देखने के लिये गये। उन्होंने लिखा है कि उन्हें रास्ते में जितने भी गाँव मिले, सभी की हालत शोचनीय हो रही थी। पुलिस गाँवों को लूटकर आग लगा देती थी। उन्हें सभी जगह पुल टूटे हुए और सड़कें खराब हालत में मिलीं। रास्ते में अपना परिचय पत्र दिखाकर सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने दिये गये। जब वे सैदपुर पहुँचे, तब नीदरसोल वहीं था। वे अपनी मौजूदगी में गाँवों को लुटवा रहे थे और जला रहे थे। लोगों को पेड़ों से बांधकर कोड़े लगवा रहे थे। परिवार के लोगों को सामने खड़ा करके उनकी बहू बेटियों की बेइज्जती करवा रहे थे। श्रीविक्रमादित्य सिंह भी वहीं घेर लिये गये। दोनों व्यक्ति पकड़ कर नीदरसोल के सामने पेश किये गये नीदरसोल पुलिस में सफलतापूर्वक कार्य करने के परिणाम स्वरूप बनारस के कमिश्नर बना दिये गये थे। नीदरसोल ने दोनों का परिचय पत्र देखा और कड़क कर घृणा से कहा —

"Oh! I see, you work in the "Aj" that bloody paper edited by bloody Kamalapati. you can not be let off"

"ओफ! तुम उस वाहियात पत्र में काम करते हो जिसका सम्पादक वही कमलापति है। तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता।" विक्रमादित्य सिंह जी तथा उनके साथी पर मार पड़ी। मार खाते खाते वे बेहोश हो गये तो उन्हें हवालात में बन्द कर दिया गया। होश आने पर उन्होंने देखा कि उन्हीं के पास वाली हवालात में एक सज्जन प्यास से व्याकुल होकर पीने के लिये पहरेदार से पानी माँग रहे हैं। उस सैनिक ने एक कुल्हड़ में पेशाब करके उक्त सज्जन के हाथ में दिया। वहाँ उन्होंने प्रायः ३० व्यक्तियों को हवालात में देखा जिनमें से ज्यादातर लोगों का कुसूर ही यह था कि किसी के बेटे ने आन्दोलन में भाग लिया है और किसी का यह अपराध था कि उसके भाई ने आन्दोलन में भाग लिया है। सभी को चिलचिलाती हुई धूप में घंटों मुरगा बनाया जाता था उसके बाद लातों, ठोकरों

स्त्रियों और पुरुषों को नग्न किया गया और पेड़ में उलटा लटका कर पीटा गया।

तथा जूतों से उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था। सभी व्यक्ति धनी मानी तथा सभ्य पुरुष थे। इनमें कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो सरकार परस्ती के लिये प्रसिद्ध थे।

बन्दियों को खूब मार पीटकर फिर उन्हें सुनाया जाता था कि हजारों व्यक्तियों के सामने किस प्रकार उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली गई है और किस प्रकार उनके मकान आग से जलाकर खाक कर दिये गये हैं। सामूहिक जुर्माना की वसूली के लिये भी बेहद जुल्म किये गये।

गाजीपुर के शहीद डाक्टर शिवपूजन सहाय

शहीद श्री शिवपूजन सहाय गाजीपुर जिले के रहने वाले थे—बड़े ही भावुक, मिलनसार और सेवा की भावना से ओत-प्रोत। वे आन्दोलन के पहिले कलकत्ते में रहकर अध्ययन कर रहे थे। दैनिक "संसार" ने उनका जो वर्णन प्रकाशित हुआ है वह यह है—

"गर्मी का मध्याह्न था। किसान सभा की ओर से गाँव सोनाड़ी में दफा १७१ (बेदखली कानून) के विरोध में सभा हो रही थी। श्री दल शृंगार दुबे का जोशीला भाषण आरम्भ ही हुआ था कि एक विशालकाय मूर्ति, कोकटी खद्दर का कमीजनुमा कुर्ता, खद्दर की धोती तथा झोला लिये, सायकिल हाथ में लेकर स्टेज के समीप ही दिखलाई पड़ा। सबने उठकर स्वागत किया। पूछने पर पता चला कि यही कलकत्ते में रहने वाले शेरपुर के डाक्टर शिवपूजन सहाय हैं। दुबे जी का व्याख्यान समाप्त होने पर डा० साहब का भाषण शुरू हुआ जो दुबे जी के व्याख्यान के खण्डन स्वरूप था। दुबे जी ने उक्त दफा के विषय में कांग्रेस को ही एक मात्र कारण बताते हुए कांग्रेसी मंत्रिमण्डल को दोषी ठहराया था। डाक्टर साहब ने जमींदार होते हुए भी इन शब्दों में खण्डन किया—"दुबे जी आप कांग्रेस से अबोध जनता को बरगलाना चाहते हैं जो बिलकुल अनुचित है। यदि इस समय कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा न दिया होता तो ऐसी बेदखली की धांधली न चलती और यह दफा शीघ्र ही रद्दकर दी जाती"—आज फिर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने उक्त दफा रोक दी है तथा निर्णीत बेदखल मामलों पर पुनर्विचार किया जायेगा। डाक्टर साहब कांग्रेस के विरुद्ध कुछ भी सहन नहीं कर सकते थे।

१८ अगस्त १९४२-नागपंचमी के बाद का दिन मंगलवार। इस दिन देहातों

में बड़े उत्साह के साथ हनुमान जी की पूजा होती है। कुछ लोग, जिनमें प्रमुख थे श्री शिवब्रहाल राय, पण्डित रामनगीना त्रिपाठी "शास्त्री भृगुनाथ राय आदि, झण्डा लेकर गान गाते हुए यह महमूदाबाद तहसील की ओर चल पड़े। उसदिन जब कि निरन्तर पानी की बूंदे पड़ रही थीं यह तै हुआ कि कुण्डेसर जाकर शेरपुर वाले जुलूस से सहयोग कर लिया जावे। कुण्डेसर पहुँचकर आदमी शेरपुर भेज वे लोग आगे बढ़ गये इसलिये कि अभी उस जुलूस में विलम्ब था। गुरवारपुर ने लगभग २ बजे डाक्टर साहब का दर्शन उसी उपर्युक्त वेश में किया। अन्तर केवल इतना ही था कि धोती के स्थान में गमछा था तथा बैग, सायकिल रहित थे। साथ में विश्व विद्यालय के छात्र सीताराम राय आदि भी थे। अहिर वाली ग्राम के पास एक गिरे हुए पेड़ की डाल पर खड़े हो एक-डिक्टेटर की हैसियत से आपने सुनाया—कि भाइयो! आज का काम पुलिस-को निरस्त्र कर उस पर कब्जा करना है। इस कठिन कार्य के लिए ५० साहसी और मजबूत नौजवान यहां से रवाना होंगे जो तहसीली के उत्तर फाटक से पहुँचकर, पुलिस की बन्दूक छीन कर उन्हें अपने जैसा ही निरस्त्र करेंगे तथा शेष जुलूस पश्चिम की ओर पहुँचेगा। सम्भव है गोली भी चले। यदि हम में से किसी की लाश भी गिर जाये तो उसको लेने के बजाय, लाश को पार कर अपना काम जारी रखें। आप लोगों के पास जो लाटियां हैं उनको रख दीजिये, उनका प्रयोग किसी भी दशा में पुलिस पर मत करिये। यदि उनका प्रयोग करने की इच्छा हो तो हम पर करिये। एक बात और—झण्डा उन्हीं के हाथ में रहना चाहिये जो मरते दमतक न छोड़ें—"भारत माता की जय!"

"इस प्रकार लोग लाठियां रखकर अपने प्रोग्राम पर चल पड़े और शिव-पूजन सहाय भी एक बहुत बड़ा भण्डा लेकर वीर सेनानी की भाँति अग्रसर हुए। नारे लगाते हुए जिस समय जुलूस नदी को पार कर उत्तर की ओर बढ़ा, उसी समय लाइन के पुलिस वालों से भरी लारी पीछे से आ गई और जुलूस के आगे फाटक पर पहुँची। पहुचने के साथ ही उन व्यक्तियों पर गोलियाँ धड़ा-धड़ चलने लगीं जो उत्तर फाटक पर साथ ही आगये थे। तहसीलदार अन्सारी साहब और काजी मुस्तफा साहब के मना करने पर भी पश्चिमी ओर डाक्टर-साहब अपने दो भण्डे वाले—भृगुनाथ राय तथा—के साथ अडिग रहे, नारे

लगाते रहे। ३-४ गोलियाँ कलेजे को पार कर गयीं और वे शीघ्र ही धराशायी हो गये। एक और झण्डे वाला जिसके पैर में गोली लगी थी संगीनों से मार डाले गये तथा भृगुनाथ, राय को भी दो गोलियां लगी थीं। कुल ६ आदमी मरे, अनेक घायल हुए तथा सीताराम, रामनगीना त्रिपाठी इत्यादि कैद कर लिये गये। बाद में सीताराम राय इत्यादि ५ व्यक्तियों को ५-५ साल की सख्त सजा हुई तथा बेंत भी लगे। इतना होते हुए भी दो बन्दूकें छीनी गई और तारीफ तो यह कि पुलिस को कुछ भी चोट नहीं आई।"

"मजिस्ट्रेट के आने पर प्रायः तहसीली पर से सरकार का अधिकार उठा लिया गया सरकार का एक भी आदमी वहां नहीं रहा। मृत व्यक्तियों की लाशें लारी पर से ही नदी में फेंक दी गईं। २६ अगस्त को स्टीमर से मजिस्ट्रेट के साथ बहुत बड़ा संख्या में फौजी सिपाहियों ने शेरपुर पहुँचकर नगर को बहुत बुरी तरह लूटा तथा अनेक घर अन्नागार सहित जला डाले। कई व्यक्ति भी मरे। चन्दे या जुर्माने के रूप में ६०००) रु० वसूल किये गये। सोनाड़ी से ५०००) रु० वसूल हुए"

ब्रिटिश राज्य की नौकरशाही ने जौनपुर ज़िले में जनता को नपुंसक बनाने के लिये करेन्ट का प्रयोग किया।

जौनपुर जिले में भारतीयों को नपुंसक बनाया गया।

करण्ट का नवीन प्रयोग!

जौनपुर जिला भी अगस्त आन्दोलन में अछूता नहीं रहा बल्कि यहां तो सरकार के उन आविष्कारों का प्रयोग करके जनता को जिन्दगी से बेकार कर दिया, जिनका प्रयोग आज के सभ्य संसार में घृणित और निन्दनीय ही माना जायेगा पर ब्रिटिश नीति में जो भी हो जाय, कम ही है। दमन का एक नया तरीका जौनपुर में ईजाद किया गया था जो कदाचित डिप्टी कलक्टर और एक थानेदार के दिमाग की उपज थी। इस आविष्कार का नाम है "करण्ट।"

जौनपुर को छोड़कर भारतवर्ष में शायद ही किसी को यह पता हो कि यह करण्ट क्या बला है? लोग साधारणतः बिजली के करण्ट को ही करण्ट जानते हैं। लेकिन यह करण्ट दमन का वह गुप्त अस्त्र है जो बड़े बड़े वीरों के भी छक्के छुड़ा देता है। इससे आदमी सदा के लिये नपुंसक, शक्ति हीन और साहस हीन हो जाता है। सारांश यह कि उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार लगभग २५ आदमियों के जीवन को हमारे जिले में बरबाद किया गया। सम्भव है ज्यादा लोगों को भी करण्ट लगाया गया हो पर उनका अभी पता नहीं चला है। जिसको करण्ट लगाया जाता है उसको सीधा पैर फैलाकर बैठा देते हैं। दो आदमी उसके दोनों हाथों को दोनों ओर सीधा फैलाते हैं। एक आदमी उसका सिर पकड़कर घुटनों के सहारे सीधा बैठाये रहता है। पश्चात् दो आदमी उसके दोनों पैर पकड़ कर बल पूर्वक पीछे की ओर घुमा देते हैं इससे नाभि और मूत्रेन्द्रिय में खून आ जाता है और उस व्यक्ति का जीवन सदा के लिये बर्बाद हो जाता है।

यह सब इसीलिये किया गया कि लोग दब जायं, आतंकित हो जायं और फरारों का पता बता दें। किन्तु जौनपुर जिले को इन वीर, साहसी और उत्साही कार्यकर्त्ताओं पर गर्व है। वे इन तमाम दमन के अस्त्रों से रत्ती भर भी नहीं डरे। जुल्म और अत्याचार तो भारत भर में सब जगह ही हुए किन्तु जौनपुर में लगातार तीन वर्षों तक अधिकारियों ने दमन किया और जनता ने सब्र से सहन किया।

सिकरारा (जौनपुर जिलान्तर्गत् ग्राम)

व्यक्तिगत सत्याग्रह के जमाने में जब महात्मा गांधी द्वारा चुने हुए लोगों का युद्ध विरोधी नारा लग रहा था, सिकरारा मण्डल के पांच नवयुवक यूनिवर्सिटी से निकले और किसान आन्दोलन से प्रभावित होकर संगठन में लग गये। जिस स्थान पर इन नवयुवकों ने कार्यारंभ किया था, सचमुच ही चार मील क्षेत्र तक की जनता कांग्रेस पर अपार श्रद्धा रखती थी। वे किसान संगठन में काफी सफल हुए। फलस्वरूप एक "किसान हाई स्कूल" का निर्माण किया गया जिसके हेडमास्टर श्री वैंकटेश्वर उपाध्याय तथा असिस्टेन्ट मास्टर श्री जगदीश प्रसाद B. A., जगन्नाथ B. A., दाता प्रसाद B. A और दो तीन अन्य अध्यापक थे। काम तेजी से चलने लगा। यू० पी० किसान कान्फ्रेन्स का अधिवेशन सेठ दामोदर स्वरूप जी की अध्यक्षता में हाई स्कूल में ही हुआ। इस कान्फ्रेन्स का उद्घाटन पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने किया। माननीय टण्डन जी का भाषण भी हुआ। १ मार्च १९४२ को जब जलसा समाप्त हुआ किसान हाई स्कूल का पूर्ण रूप से निर्माण हो चुका और वह अच्छे ढंग से चलने लगा था। करीब १०० विद्यार्थी पढ़ने लगे थे।

९ अगस्त १९४२ को जब तमाम नेता एकाएक पकड़ लिये गये। सारे देश में एक भूचाल सा आ गया। दमन के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन हुआ हाई स्कूल सिकरारा भी इससे वंचित न रहा। स्कूल के सभी विद्यार्थी तथा अध्यापक सरकार के दमन के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। तुरन्त वहां एक लारी भरी हुई पुलिस की आई और फायर करने लगी। हवाई फायर से जनता छिटक गयी किन्तु चोट किसी को भी नहीं आई। रामचन्द्र सिंह गिरफ्तार हुए, उनको दो साल की सख्त कैद की सजा दी गई। श्री वैंकटेश्वर उपाध्याय

मनुष्य हाथी के पैरों में बाँधकर घसीटा गया !

पुलिस कप्तान ने एक धोबी को गिरफ़्तार किया मालूम होने पर कि यह उन्हीं का धोबी है बाद में कप्तान ने उसको छोड़ दिया !

एम. ए. तथा जगदीश उपध्याय B. A और जगन्नाथ सिंह बी. ए. फरार हो गये।

हलधर थानेदार की अध्यक्षता में एक लारी पर पुलिस भेजी गई। पुलिस ने तमाम स्कूल का फरनीचर, घड़ी, पुस्तकालय तथा इमारत जलाकर खाक कर दी। कुछ घण्टों बाद ही "किसान हाई-स्कूल" जल कर राख हो गया। इतना ही नहीं, सभी मास्टरों का घर भी लूट लिये गये। अगल बगल की जनता लूटकर तबाह कर दी गई।

अभी अभी पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त जी का जोनपुर जिले में दौरा हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल का निरीक्षण किया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि "यदि अपराध भी माना जाय तो अपराध अध्यापकों और लड़कों ने किया था, मेज, कुरसी, घड़ी और पुस्तकालय ने तो कोई मुखालफत नहीं की थी इसके जलाने से अब यही हुआ कि यह किसान हाई स्कूल से किसान कालेज होकर रहेगा। जिस स्कूल का उद्घाटन भला पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू ने किया है वह भला मिट सकता है? मैं अपनी जेब से २००) रु० देता हूँ, इसका कार्य आरंभ किया जाय।"

अँग्रेज कप्तान की बौखलाहट

आन्दोलन के दिनों में प्रान्तीय गवर्नर की तरह सभी अंग्रेज जाति के लोग, चाहे वह किसी पद पर हों पागल हो उठे थे! जौनपुर के ही एक धोबी का नवयुवक पुत्र गधे पर कपड़ा रक्खे हुए अपने घर जा रहा था पीछे पीछे उसकी स्त्री थी। युक्त युवक ने किसी छात्र की धुलने को दी गई, लाल रंग की कमीज और लेकर पहिन रक्खी थी। अहमद खाँ की मंडी के पास पहुँचते ही संयोग से सैनिक लारी पहुँच गई, जिसमें पुलिस का अंग्रेज कप्तान भी था, वह लारी रोककर उतर पड़ा और उसे रुकने को कहा। वह बेचारा डर से भाग निकला और किसी मकान में घुस गया। कप्तान भी पीछे दौड़ा और अपने पिस्तौल से दो बार गोली चलाई, परन्तु संयोग से उसके कोई गोली नहीं लगी। नवयुवक धोबी गिरफ्तार कर लिया गया और कपड़ा लारी पर लदा लिया गया, पीछे उसके चचा की प्रार्थना पर जो उसी कप्तान का धोबी था, वह छोड़ा गया।

बाबा राघवदास जब फरार थे !

बाबा राघवदास संयुक्त प्रान्त के सुप्रसिद्ध राष्ट्र सेवी हैं। वे कुछ महीने हुए तभी जेल से मुक्त हुए हैं। बाबा जी अगस्त आन्दोलन में वर्षों फरार रहे और महात्मा गांधी की आज्ञा से प्रकट होने पर गिरफ़ार कर लिये गये। आपने अपने फरारी जीवन के अनुभव इस प्रकार लिखे हैं—

"लोगों का कहना है कि मैं सूटबूट और हैट धारण करता था और ट्रेनों में ऊंचे दरजों में चला करता था, किन्तु ये दोनों बातें भ्रमपूर्ण हैं। मैं सदा से ही यह मानता आया हूँ कि हमें वही काम करना है जिससे हमारे साथियों में दृढ़ता और नैतिकता बनी रहे। जुलाई १९४२ में जेल से जब मैं मुक्त हुआ तो बाहर आने पर शारीरिक कमजोरी से ही मुझे सभी काम करने पड़े। मैंने उचित नहीं समझा कि शारीरिक कमजोरी को सहन करते हुए अपनी नैतिक कमजोरी बढ़ाई। इसीलिये मैं स्वाभाविक वेश और नाम से आवश्यकतानुसार घूमा करता था। इतना ही नहीं, दिल्ली, मद्रास और बड़ौदा आदि बड़े बड़े स्टेशनों पर, जहाँ मुसाफिरों आदि के सामान रखने की व्यवस्था है, अपने हस्ताक्षर करके अपने दैनिक ढंग से ही काम लिया करता था। ८ सितम्बर १९४२ को दिल्ली, २९ अक्टूबर १९४२ को मदरास, और २४ अगस्त को बम्बई स्टेशनों पर मेरे हस्ताक्षर विद्यमान हैं। मैं अपने स्वभावानुसार तीसरे दर्जे में यात्रा करता था। ट्रेन खुलने के आधा घन्टे पहिले ही मैं स्टेशनों पर पहुँच कर कभी कभी गाड़ी में बैठ जाया करता था। मैं प्रायः प्रयाग, कानपुर, बनारस और लखनऊ आदि स्टेशनों पर अपने इसी वेश में, कभी कभी तो दिन में भी गया हूँ। कहा जाता है कि पुलिस हर समय मेरी ताक में थी, किन्तु मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि मुझ पर

उसकी कृपा थी। मेरा तो निजी अनुभव यह है कि जहाँ कहीं भी फरारों की गिरफ्तारियाँ हुई, वे तरह तरह के नाम धारण करने वाले और पहले के कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं द्वारा ही हुई।"

"हिन्दुस्थानी लाल सेना के कमाण्डर श्री श्यामनारायण काश्मीरी अगस्त-आन्दोलन में फरार थे। गत १४ मई को कांग्रेसी सरकार द्वारा गिरफ्तारी का वारन्ट रद्द किये जाने के बाद ही वह प्रकट हुए। उन्होंने अपने फरार जीवन की कहानी सुनाते हुए इस प्रकार लिखा है—"जिस समय बिलकुल अचानक मालूम हुआ कि हमें गिरफ्तार किया जाता है, उस समय हमारी सेना में ११०० व्यक्ति थे। हमारे पास समय बहुत ही कम था। हमारे ५-६ अफसरों ने कार्यक्रम पर विचार किया और अलग अलग चले गये।

"मैं दो दिन तक नागपुर स्टेशन पर एक बन्द डिब्बे में लेटा रहा। ४८ घन्टे बाद मैं इसी डिब्बे में नागपुर से रवाना हुआ। रास्ते में एक स्टेशन पर उतर कर मैं जंगलों में होता एक गाँव की ओर चल दिया।" ३० मील जाने के बाद मैं बहुत थक गया। वहाँ मुझे एक जंगली कीड़े ने काट लिया जिससे मैं मूर्च्छित हो गया। रास्ते से गुजरने वाले एक ग्रामीण ने मेरी प्राण रक्षा की।"

"इसके बाद बहुत सी परेशानियों के बाद मैं बिहार जा सका। फरार जीवन में मैंने अनुभव किया कि बड़े और छोटे सरकारी नौकरों की सहानुभूति हमारे साथ है। वे "भारत छोड़ो" प्रस्ताव के समर्थक है। इन लोगों ने हमें काफी मदद दी। बिहार के लिये टिकिट खरीदने में भी मुझे एक रेलवे कर्मचारी ही ने मदद दी।"

विहार प्रान्त में दमन चक्र !!!

पुलिस ने ११॥ साल के बच्चे को गिरफ़ार किया।

शहीद फुलेना प्रसाद का सिर छलनी कर दिया गया !

विहार प्रान्त का शायद ही कोई ऐसा गाँव बचा हो जहाँ अगस्त आन्दोलन की लपट न पहुँचा हो। कांग्रेस नेताओं की गिरफ़ारी के बाद जनता में एक भयंकर तूफान सा उठ आया और हर जगह उसका परिणाम नजर आने लगा।

"ये उपद्रव बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश और बंगाल में एक साथ ही शुरू हुए, किन्तु सब से अधिक जिन हिस्सों पर इसका प्रभाव पड़ा वह था संयुक्त प्रान्त का पूर्वी भाग और इससे भी ज्यादा विहार।"

"इन विध्वंसकारी कार्यों के विस्तार और सम्पूर्ण विहार (उसके अत्यन्त दक्षिणी हिस्से को छोड़कर) तथा संयुक्त प्रान्त के पूर्वी हिस्सों में इसकी भयंकर तीव्रता का पता साधारणतया लोगों को नहीं मालूम है। इन दोनों में तुरन्त ही बड़े शहरों से यह आग दूर के गाँवों तक पहुँच गयी। हजारों उपद्रवी खबर आने जाने के साधनों और दूसरी तरह से सरकारियों के विनाश में जुट गये।"

से सम्बन्ध विच्छेद सा हो गया था। करीब २५० रेलवे स्टेशन बर्बाद किये गये थे या उन्हें नुकसान पहुँचाया गया था। इनमें १८० सिर्फ बिहार और संयुक्त प्रान्त के पूर्वी हिस्से में स्थित थे।"

"इन सब के बावजूद हिन्दुस्थान के प्रायः सभी बड़े शहरों से, टेलीफोन से या टेलीग्राफ से, उपद्रव के समय किसी न किसी तरह का सम्बन्ध जारी रखा गया-लेकिन पटना को छोड़ कर।"

—India Unreconcil d—
Sir Reginald Manwell—

उस समय वास्तव मे पटना हिन्दुस्थान के सभी भागों से जैसे कट सा गया था। क्योंकि जनता ने यातायात के सभी साधनों को नष्ट कर डाला था। रेल, तार, डाक आदि सभी पर जनता का पूरा कब्जा था। बिहार के प्रायः सभी जिलों में शासन चक्र स्थगित कर दिया गया था। सरकारी कचहरियों में बिलकुल ही काम बन्द हो गया था। सरकारी अफसरों ने या तो अपना काम बन्द करके जनता के सामने आत्म समर्पण कर दिया था या गुप्तरीति से बड़े शहरों मे खिसक गये थे। जिन्होंने मुकाबला किया उनमें कई मौत के घाट उतार दिये गये। पर इसका यह मतलब नहीं कि जनता ऐसे काण्डों के बाद भी साफ ही निकल गई। नहीं, इन कार्यों में उसे भी अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ी और कई जाने गई। कचहरियों पर हजारों व्यक्ति एक साथ धावा बोल दिया करते थे। वे न तो लाठी चार्ज से डरते न गोलियों की मार से, भयभीत होते थे। यही प्रान्त एक ऐसा प्रान्त रहा है जिस पर सरकार ने हवाई जहाजों के जरिये गोलीबारी की। बिहार में सरकार ने जिस क्रूरता एवं निर्दयता के साथ दमन किया वैसा तो संसार के इतिहास में कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला

"पुलिस और फौज को गांवों में खुलकर खेलने के लिए छोड़ दिया गया। नेशनल वारफ्रंट के लीडर की हैसियत से अपने जिले के गांवों मे घूमते समय मुझे फौज और पुलिस के अत्याचारों, जनता की सम्पत्ति की लूट खसोट, गावों को जलाने, गिरफ्तारी का भय दिखाकर रुपये ऐंठने और कभी कभी

चसूली के लिए घोर यंत्रणाएँ देने की भी अनेकों रिपोर्टें मिली हैं। बाजार को भरी हुई किन्तु लूटी हुई दूकानें तथा पुलिस द्वारा जलाये गये गांव के गांव मैंने अपनी आंखों से देखे और मैं मंजूर करूँगा कि वे दृश्य मरते समय भी मेरी आंखों के सामने नाचते रहेंगे। जब मैं इस सभा में सम्मिलित होने जा रहा था तो मेरी ट्रेन बमराली में रुकी वहाँ एक टांमी एक कुत्ते का निशाना लगा रहा था। उसका निशाना खाली गया क्योंकि कुत्ता जरा ज्यादा दूरी पर था। मगर बिहार में उसके भाई-बिरादर अधिक भाग्यवान हैं क्योंकि उनके निशाने बहुत ही नजदीक मिलते हैं। आजकल बिहार में आदमी और कुत्ते के बीच बहुत ज्यादा फरक नहीं रह गया है।"

अगस्त आन्दोलन में पुलिस तथा फौज ने जो नृशंस कृत्य किये और जो जघन्य कृत्य किये हैं उनकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, वह जब जनता के सामने आयेगा तब जनता के कान खड़े होंगे और पता चलेगा कि नौकरशाही ने भारतवर्ष में कैसा हाहाकार मचा दिया था। स्त्रियों के साथ पुलिस और सैनिकों ने बलात्कार के जघन्य कृत्य किये। सैनिकों ने लागों के पेट में भाले की नोकें घुसेड़ दीं जिनके परिणाम स्वरूप उनकी अँतड़ियां बाहर निकल आईं, फरारों का पता बताने तथा सरकारी पक्ष में शामिल करने के लिए नाना प्रकार के घोर अत्याचार किये गये। बिहार में ही एक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता के मुँह में एक मेहतर से पेशाब करवाया गया। बलदेव नारायण जी प्रोफेसर के पास उस मेहतर का दिया हुआ वक्तव्य विद्यमान है जो उक्त बात की पुष्टि का ज्वलंत प्रमाण है। उसमें उसने बताया है कि उसके मना करने पर भी पुलिस ने उसके साथ ऐसा कठोरतम व्यवहार किया जिसके कारण उसे कांग्रेसी व्यक्ति के मुँह में पेशाब करने को बाध्य होना पड़ा।

१० अगस्त को पटना के सभी स्कूल और कालेज खाली हो गये थे। कुछ सरकारी पक्ष के मास्टर व प्रोफेसर दुबके दुबके कालेजों में गये किन्तु दीवारों को तो पढ़ाना था नहीं। छात्रों में उत्साह और जोश का समुद्र लहरें मार रहा था। हजारों विद्यार्थियों का जुलूस पटना शहर में राष्ट्रीय झण्डा लेकर नारों को लगाते हुए फिरता था जिससे निराश हृदयों में भी जोश उमड़

आता था। तारीफ यह थी कि सर्वत्र अहिंसात्मक प्रणालियों से ही कार्य किये जा रहे थे। फिर भी पुलिस लाठी चार्ज करके उन्हें हटा रही थी किन्तु वे वीर हटने वाले नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने भी कई बार बेकुसूर जनता पर लाठी चार्ज करने से इन्कार कर दिया।

११ अगस्त को पटने शहर में सुबह प्रभातफेरी हुई। लोगों के हृदयों में नवीन उत्साह, नवीन भावनाएँ और एकदम नया जोश फूटा पड़ रहा था। स्कूलों और कालेजों पर जोरों का पिकेटिंग जारी था। पिकेटर्स पर बेहद और निर्दयतापूर्ण लाठी चार्ज हुए और अनेकों छात्र गिरफ्तार भी हुए। इसके बाद पांच सौ मनुष्यों का दल गोलघर की ओर रवाना हुआ। इस दल में पटना के कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज तथा लॉ कालेज के विद्यार्थी सम्मिलित थे। वे गगन भेदी नारों के साथ बढ़े जा रहे थे। दल आगे बढ़ रहा था। जब वह पुलिस लाइन के पास पहुँचा तो वहाँ पटना के कलक्टर मि० आर्चर और मौलवी बशीर ५ घुड़-सवार और ५० लाठीबन्द सिपाहियों के साथ विद्यमान थे। जुलूस को एकदम रोक दिया गया। पर जनता कब मानने वाली थी। आखिर मौलवी बशीर ने लाठी चार्ज का हुक्म दे दिया। किन्तु मि० आर्चर ने लाठी चार्ज होने से मना किया। भीड़ आगे बढ़ी और गर्ल्स हाईस्कूल के पास पहुंची। वहाँ भी फाटक बन्द था क्योंकि पिकेटिंग वहाँ भी जारी थी। यहाँ जनता को बेंतों से पीटा गया और घुड़सवार दौड़ाये गये। छात्रों ने नेपाली पुलिस को "सुगौली की सन्धि" की याद दिलाई। इसका परिणाम यह हुआ कि नेपाली पुलिस ने अपने हाथ खींच लिये किन्तु बलूची पुलिस ने बहुत ही जघन्य कार्य किये। जनता में से किसी व्यक्ति ने बलूचियों पर एक ढेला फेंक दिया। ढेला घोड़े के पेट पर जोर से लगा और वह लहू लहान हो गया। दूसरा ढेला बलूची सवार के गाल पर चिपका। और उसकी सरकारी पगड़ी जमीन पर आ पड़ी। मौलवी बशीर भी घटनास्थल पर आ ही पहुचे थे। उन्होंने फौरन ही लाठी बरसाने की आज्ञा प्रदान कर दी। भीड़ तितर-बितर हो गई। लोग बुरी तरह पीटे गये। गोल घर की दीवारों से सटे हुए प्रायः दो सौ देशभक्तों पर लाठी की बेतरह मार पड़ी। यह देख कर जनता में कैसे सन्तोष रह सकता था? लोगों ने अत्याचारियों पर ईंटें बरसाना आरम्भ कर दिया। इसी बीच कुछ लोगों ने सेक्रेटेरियट पर

झण्डा लगाने की बात सोची और लोग वहाँ से खिसकने लगे। मोर्चा एकदम बदल दिया गया।

मि० आर्चर गुरखा फौज के एक दल लेकर वहाँ पहिले से ही विद्यमान थे। एक तरफ रायफलों और बन्दूकों से मोर्चा बाँधे फौज खड़ी थी और दूसरी ओर क्रुद्ध जनता जोश के साथ बढ़ी आ रही थी। "भारत छोड़ो" का गम्भीर आवाज़ से वायुमण्डल विकंपित हो रहा था। एक दल आगे बढ़ा और सेक्रेटेरियट के गुम्बद की ओर बढ़ने लगा और फौज ने तुरन्त ही उनके मार्ग में एक दीवार खड़ी कर दी।

"तुम लोग आखिर क्या चाहते हो?"—मि० आर्चर ने पूछा।

एक छात्र ने सीना तानकर कहा—"हम सेक्रेटेरियट पर झण्डा गाड़ेंगे।"

"ऐसा नहीं होगा, तुम लौट जाओ!"—मि० आर्चर ने जवाब दिया।

"हम तो झण्डा फहरा कर ही लौट सकेंगे"—दल में से एक छात्र ने उत्तर दिया।

आर्चर ने कड़क कर जवाब दिया—"देखें तुम में से कौन झण्डा फहराना चाहता है, जरा आगे आओ!"

इतना सुनना ही था कि ११ छात्र जुलूस की लाइन से बाहर निकल आये। एक छोटे बच्चे को तनकर खड़े देख मि० आर्चर ने कहा—"झण्डा फहराने के पहिले अपना सीना खोल लो"। इतना सुनते ही वह वीर अभिमन्यू अपना सीना खोलकर आगे बढ़ आया।

आर्चर ने गोली चलाने की आज्ञा दी और फौरन ही वे ११ वीर अन्तिम गति को प्राप्त हो गये। इसके बाद तो पुलिस ने गोली और छर्रों की बौछार सी लगा दी। लोग बुरी तरह घायल हुए पर पीछे हटने का किसी ने भी नाम तक नहीं लिया।

इतने में ही गुम्बद पर एक वीर छात्र "भारत छोड़ो" का नारा लगाता हुआ दिखाई दिया। विशाल जुलूस उसी की ओर उमड़ पड़ा। पुलिस फौज आदि वहाँ से हट चुकी थी और जनता अपने ११ अमर शहीदों को अन्तिम सलामी दे रही थी। सेक्रेटेरियट पर तिरंगा झण्डा लहराता हुआ राष्ट्रीयता का गर्वोन्नत मस्तक ऊँचा कर रहा था। इस कार्य में ६ व्यक्ति जान से मारे गये

और सभी की सीने पर ही गोलियाँ लगी थीं। घायलों में से तीन व्यक्तियों की अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृतकों में से एक छात्र की उम्र केवल १४ वर्ष थी। यह ठीक है कि बच्चा १४ वर्ष का हो गया पर ११ अगस्त को वह बालक मर कर गया। उस वीर बच्चे ने आपरेशन टेबल पर मरते समय केवल एक ही सवाल पूछा कि गोली मेरी पीठ में लगी है या सीने में!" जब उसे बताया गया कि छाती में जख्म लगा है तो बच्चे ने एक सन्तोष की सांस ली और कहा—"बस अब ठीक है लोग अब नहीं कह सकेंगे कि मुझे पीठ में गोली लगी है" और उसकी श्वास टूट गयी उस बच्चे और अन्य घायल व्यक्तियों के शरीर से जो गोलियाँ निकाली गईं वे दमदम बुलेट थीं। अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार इन गोलियों का प्रयोग युद्धों तक में बन्द है। इन्हीं उदाहरणों से पता चलता है कि सरकार के कृत्य कितने जघन्य थे।

इस घटना का पता जब शहर में लगा तो जनता अस्पताल और घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ी। नौ बजे रात तक प्रायः ५० हजार व्यक्ति वहाँ एकत्रित हो गये। जनता हद से ज्यादा उत्तेजित हो उठी थी। सरकारी अफसर गोली चलवाने का हुक्म देकर अपने-अपने घरों में छिप गये थे। यदि उस दिन जनता हिंसात्मक कार्यवाई पर उतर आती तो पटना शहर में एक भी सरकारी दफ्तर बर्बादी से बच नहीं सकता था। लेकिन इसके बजाय कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने अपनी सारी शक्ति उत्तेजित जनता को नियंत्रण में लाने में ही लगा दी।

१२ अगस्त को पटना शहर में शहीद दिवस मनाया गया। शहीदों की जलाने वाली ज्वालाएँ सारे शहर में फैल गयीं और परिणामतः पटने भर के लैटर बाक्स स्टेशन, गोदाम आदि जलाकर खाक कर दिये गये। बिहार में सिर्फ पटना और दानापुर के स्टेशन ही बचे। शेष सभी स्टेशन जलाकर खाक कर दिये गये। बीसों एंजिन तोड़ डाले गये, रेल की पटरियाँ और तार के खम्भे एक दिन में ही नष्ट कर डाले गये। सारा का सारा प्रान्त बर्बादी का घर बन गया था। बिहार में उन दिनों जिसे देखिये तार काटने में व्यस्त है, पटरियाँ उखाड़ने में पागल हो रहा है। रास्ते रोकने के लिये पेड़ काट कर सड़क पर मीलों तक बिछाये जा रहे हैं। इतना सब होने पर भी जनता ने इस बात

का पूरा खयाल रखा कि किसी को चोट न लगने पावे। २ दिन तक तो ढूंढ़ने पर भी सरकारी अफसर शहर में दिखाई नहीं दिये। न कोई सरकारी कर्मचारी ही ढूंढ़े मिल रहा था। इस प्रकार पूरे दो दिन बिहार में जनता का राज्य रहा।

१४ अगस्त को १० हजार अंग्रेजी फौज शहर पटना में लाई गई। शहर भर में करफ्यू आर्डर जारी कर दिया गया। गोरे सैनिक शहर भर में लारियों पर घूमने लगे और जो सामने दिखाई दिया उसे ही बिना कारण पीटने लगे। दूकानदार से लेकर टीचर और प्रोफेसर तक इनके डंडों के शिकार हुए। राष्ट्रीय झण्डों को ठोकरों से कुचला गया और उन पर थूका गया। लोगों के घरों में घुसकर पीटा गया। इज्जतदार आदमियों को पकड़ कर बाहर लाया गया और उनसे सड़कें साफ कराई गईं। इस प्रकार सारा पटना शहर फौज के हवाले कर दिया गया। सैनिक बिना पासपोर्ट के लोग सड़कों पर न तो चल ही सकते थे न फिर ही सकते थे। बिना पास के यदि कोई व्यक्ति फिरता हुआ दिखाई देता था तो उसे एकदम गोली का निशाना बना दिया जाता था। शहर में हर चौराहे पर टामीगन लगा दिये थे। प्रबन्ध की यह व्यवस्था थी कि यदि बीमार के लिये भी रात को दवा लेने जाना होता तो फौज मनाकर देती थी। उन दिनों पटना में ऐसी अन्धाधुन्धी मची हुई थी कि गोली का मार देना तो फौज के लिए एक मामूली सी बात थी। फौज ने जुल्मों को इस हद तक पहुँचा दिया था कि रात को मछुए मछलों के शिकार के लिये जाते थे तो फौजी सिपाही उनको भी गोली का शिकार बना देते थे। यहाँ के एक गण्यमान्य नागरिक थी रामसिंह की जान इन नृशंसों ने इस बेदर्दी से ली कि जिसके आगे पशुता की चर्चा भी व्यर्थ है। लोहे के नोकदार खूंटे पर गुदाद्वार के सहारे बैठाकर दादा टामियों ने उन्हें दबाया, आगोरा में जब वह लोहे का खूंटा गुदाद्वार से होता हुआ सिर फोड़कर निकल गया तब कहीं उन पापियों ने उन्हें छोड़ा। छोड़ा क्या कई दिनों तक वे उनकी मृतक लाश को इधर उधर घसीटते रहे।

दोही दिन में और गोरी फौज शहर में आगई। उस फौज को तमाम जिलों में इधर उधर भेज दिया गया। इन गोरे सैनिकों ने गांवों में जो जुल्म किये हैं उनको सुनकर तो मनुष्यता को भी शर्म आने लगती है। पटना में पुलिस

श्रीरामसिंह को नोकदार खूँटे पर गुदा द्वार के सहारे बैठाकर दो-दो टामियों ने उन्हें दबाया आखिर में जब खूँटा सिर फोड़ कर निकला तब छोड़ा !

द्वारा ३० व्यक्ति मारे गये और १८१ व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए। ५२४ व्यक्ति नजरबन्द किये गये और प्रायः १५०० व्यक्तियों को कठोर दण्ड की सजाएं दी गईं। पटना पर ३ लाख रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया। जो बड़ी ही निर्दयता पूर्वक त्रस्त जनता से वसूल किया गया।

शाहाबाद जिला १० अगस्त को सवेरे लोग आरा में एकत्रित होने लगे। कांग्रेसी लोगों तथा छात्रों ने शहर आरा में विराट प्रदर्शन किया। शाम को प्रदर्शनकारियों का इरादा खुले मैदान में सभा करने का था किन्तु आरम्भ होने के पूर्व श्री बुद्धन राय वर्मा M. L. A. कैद कर लिए गये। जिस समय कांग्रेसी श्री प्रद्युम्न मिश्र कांग्रेस की स्थिति और सरकारी जुल्मों पर प्रकाश डाल रहे थे कि पुलिस एकदम भीड़ को चीर कर उनके पास पहुँची। पुलिस की इस बदनी से जनता क्रुद्ध हो उठी। ज्यों ही जनता को पुलिस ने आवेश में देखा कि पुलिस भाग खड़ी हुई। S. D. O. को तो ईंट ले जाने तक का होश नहीं रहा पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि अफसर सभा स्थल पर आये। सशस्त्र पुलिस बुलाई गई। पर पुलिस ने जनता पर लाठी चलाने से साफ इन्कार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि सरकार का आतंक जनता पर से उठ गया। जनता ने समस्त सरकारी इमारतों पर तिरंगे झण्डे गाड़ दिये।

इसके कुछ समय बाद शहर पटना से भेजे हुए गोरे सैनिक आ गये और उन्होंने निरपराधों तक को गोलियों का शिकार बनाया। अहिलुआ में ३ सतपहाड़ी पर १, जमीरा में ३, कोईलवर में १, केटेया में ३ और बिहिया में ३ व्यक्ति गोलियों के शिकार हुए। घायलों की संख्या का कोई अन्दाज नहीं। कवि कैलाशपति को पुलिस ने मारते-मारते अधमरा कर दिया, इसके बाद उन्हें उसी दशा में लारी में लादकर जेल ले गये। जेल के दरवाजे पर उन्हें मोटर से निकाल कर धड़ाम से पटक दिया। उनकी इस बर्बरता से वहीं मृत्यु हो गई।

१० अगस्त को श्री अनुग्रह नारायण सिंह चोली से पटना आ रहे थे। आरा स्टेशन पर कांग्रेसी लोग उनसे मिलने गये। दूसरे दिन कांग्रेसी दल आन्दोलन कराने के लिये देहातों की ओर रवाना हुआ। उस दल ने प्रत्येक ग्राम का दौरा किया। अन्त में यह मसौढ़ी पहुँचा। अगस्त आन्दोलन को यहीं

खासियत थी कि जहाँ भी कांग्रेसी आन्दोलन के प्रचार के लिये जाते थे वहीं जनता उन्हें अपना बना लेती थी।

वास्तव में अगस्त आन्दोलन कभी भी जोर नहीं पकड़ता यदि सरकार उसे अमानवीय एवं घृणित तम तरीकों से दमन नहीं करती। आरा जिले के १७ थानों से जनता के क्रोध से डरकर पुलिस और थानेदार बिलकुल हो भाग गये। केवल सड़क और शहर के थाने ही कायम रह सके। सबसे बड़ी बात यह थी कि थाने पर जनता का कब्जा हो जाने के बाद कहीं भी चोरी न कहीं डकैती हुई। जब सरकारी थाने स्थापित हो गये तो फिर चोरियों का तांता लगा। थानों के एक के बाद एक निकल जाने के कारण सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस भी घबरा उठा कि अब उसका क्या भविष्य होगा।

१६ अगस्त को ६ बजे सायकाल प्रायः ५००० जनता डुमरांव गांव के थाने पर राष्ट्रीय तिरंगा झण्डा फहराने चली। झण्डा २१ वर्षीय नवयुवक कपिल मुनि के हाथ में था। कपिलमुनि आगे बढ़ा। थानेदार ने गरजकर ललकारा कि "खबरदार बदमाशो जो आगे बढ़ा, गोली से खत्म कर दिया जायेगा।" कपिलमुनि साहसी युवक था उसे थानेदार की गर्जना की क्या परवाह थी। वह सीधा वह सीधा झण्डा लिये थानेदार के सामने हो जाकर खड़ा हो गया। वह युवक कुछ बोले, इसके पहिले ही गोली उसके सीने से पार हो गई। ज्योंही युवक गिरा कि राष्ट्रीय झण्डा उसके हाथ से छूट गया। थानेदार ने झण्डे को बुरी तरह ठोकरों से कुचला। रामदास लुहार नामक दूसरा बहादुर युवक थानेदार का यह जघन्य कृत्य देख रहा था। उससे यह सहन न हो सका। वह झपट कर झण्डा उठाने को लपका कि एक गोली सनसनाती हुई आई और उसके सीने के पार हो गई। दो युवकों को इस प्रकार धराशायी होते देख एक ६० वर्ष के वृद्ध को जोश आ गया और वह आगे बढ़ा। थानेदार ने उसे भी गोली का निशाना बनाकर हमेशा के लिये सुला दिया। जनता तो इस कदर क्रोधा वेश में थी कि वृद्ध को गिरते देखकर फौरन गोपालराम नामक एक १६ वर्ष का लड़का सामने आगया। ज्योंही उसने झंडे को उठाने की चेष्टा की कि गोली उसकी कमर में लगी और वह अस्पताल में ४ घन्टे बाद मर गया।

बसाम, घनईहा, मर्भ ली आदि ग्रामों की समस्त जनता को बुरी तरह पीटा गया। दर्ल गाँव में अनेकों किसानों को इतना मारा कि वे वहीं खतम हो गये। सी ग्राम के नन्दगोपाल सिंह छात्र को इस बुरी तरह पीटा गया कि उस दिन छलनी हो गया। उसके बदन पर मार के चिन्ह इस समय भी मौजूद हैं। लासाड़ी ग्राम मे तो पुलिस ने जाते ही गोली बारी शुरू कर दी। जिसके कारण १२ आदमी मारे गये। इन बारहों में १ स्त्री भी थी। अनेको घायल हुए। नवादेरा, सरैया, आधर, धनसोई और बोरान नामक ग्रामों को यतई बरबाद कर दिया गया। धनसोई गाँव में स्त्रियों पर ऐसे ऐसे अत्याचार किये गए कि हिटलर यदि जीवित होता और अपनी आँखों से ये बीभत्स दृश्य देखता तो स्वयं भी लज्जित हो जाता। सगाँव में कांग्रेसी उमीर खां को पकड़ने के लिये चेष्टा की गई पर वह फरार हो गया। इस पर पुलिस ने उसके बजाय उसके भाई को ही पकड़ लिया। भाई का कांग्रेस से कुछ भी सम्बन्ध नहीं था।

पुसौली, सकरी तथा भभुआ गावों में अनेकों व्यक्ति गोली के शिकार हुए। भगरी में गोली चली। श्री बालेश्वर सिंह का रूपपुर में घर ही तबाह कर दिया गया। जहाँ भी मिले कांग्रेसियों को पकड़ पकड़ कर कड़ी यातनाएँ दी गईं और उनके घर व जायदाद तबाह कर दिये गये। अदालतों में भी धींगा-मस्ती मची हुई थी। मामूली से अपराधों पर २०-२० सालों की सजाएँ दी गईं।

सहसराम में जुलूस पर गोलियाँ चलाई गईं। वहाँ ४ व्यक्ति मरे और बीसों घायल हुए। कोआथ के स्कूल का छात्रावास जला कर खाक कर दिया गया।

योगिनी में रहने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री जयराम दुबे का घर जलाया गया और लोगों को मारा गया। इसमें १ व्यक्ति जान से मारा गया।

इतने जुल्म ढहाने के बाद भी भभुआ और सहसराम के आफीसर जनता से ते इतने डरते थे कि कांग्रेसियों को गिरफ्तार करना उनके लिये बेहद कठिन कार्य हो गया था। भभुआ के S. D. O. से हजार प्रयत्न करने पर भी थ्र रा के जत्थे गिरफ्तार नहीं किये जा सके। जब कई महीनों बाद जत्थे के कई व्यक्ति मलेरिया से बीमार पड़े थे तब २८ अक्टूबर १६४२ को आधी रात में पुलिस का एक जत्था बन्दूकें ताने मकान के पीछे से दरवाजा तोड़ कर घुसा और उनमें से ११ बीमारों को ही गिरफ्तार कर लिया गया।

गंगा के किनारे के गांवों को जहाज द्वारा घेरा गया। घरों को लूटा और बर्बाद कर दिया गया। फिर भी जिले के उत्तरी और दक्षिणी भाग के लोगों ने बलिया और गाजीपुर के लोगों को शरण दी थी।

कुल मिला कर आन्दोलन के सिलसिले में शाहाबाद जिले में ७५ व्यक्ति मार तथा गोली के शिकार हुए, हजारों घायल हुए, २००० के करीब गिरफ्तार हुए और ५ व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई। बेंतों की मार कितनों को पड़ी इसका तो अन्दाज भी लगाना कठिन है। शाहाबाद जिले पर ७०,०००) रु० सामूहिक जुर्माना किया गया और इसकी वसूली अत्यन्त ही निर्दयता के साथ की गई।

शाहाबाद जिले में पुलिस की गोलियों का शिकार महज पुरुषों को ही नहीं होना पड़ा बल्कि स्त्रियां और बच्चे भी उससे अछूते न रहे। एक बूढ़ी स्त्री को बनटा ग्राम के रास्ते में ही लूट ली गई। मशीनगन के परिणामस्वरूप सहसराम में एक स्त्री को मृत्यु हो गई और एक बच्चा फकराबाद में पुलिस की गोली से मारा गया।

बिहार के चप्पे चप्पे में क्रान्ति

मुंगेर में कितनी भयानक परिस्थिति पैदा हो चुकी थी इसका अन्दाज इसी पर से लगाया जा सकता है कि सरकार को दमन करने के लिये हवाई जहाज से गोलियाँ चलानी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि इस गोलीबारी में ३५ आदमी बुरी तरह घायल हुए और ४६ व्यक्ति मारे गये। मामूली चोटें तो असंख्यों मनुष्यों को आईं। इसके सिवाय मुंगेर में १६ जगह गोलियाँ चलाई गईं जिनमें ४० व्यक्ति मरे और प्रायः ८० व्यक्ति घायल हुए। जिले भर में ५४ व्यक्ति नजरबन्द हुए और ६२७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें ३८८ लोगों को सजाएं दी गईं। जिले में १ लाख सत्तानबे हजार रुपये का सामूहिक जुर्माना किया गया।

बरियार पुर में एक व्यक्ति गोली से मारा गया। गोरों के साथ मिले हुए ६० गुण्डों ने जनता को बुरी तरह पीटा। फाजाहो के पुल पर एक नंगे हुए व्यक्ति को ही गोली मार दी गई।

गया जिले में ७८९ आदमियों पर मुकदमे चलाये गये और उनमें से अधिकांश को कड़ी सजाएं दी गईं। ४६ व्यक्ति नज़रबन्द किये गये। सारे जिले में कुल मिला कर १०३५ व्यक्ति गिरफ़्तार किये गये। जनता और सरकार से जो मुठभेड़ हो गई उसमें ११ आदमी बहुत ही घायल हुए। जिले भर में तीन लाख तिरेपन हजार रुपये के लगभग सामूहिक जुर्माना किया गया और यह रकम बहुत ही कठोरतापूर्वक वसूल की गई।

पलामू में ८ व्यक्ति आन्दोलन के सिलसिले में नजरबन्द किये गये। तीन सौ व्यक्तियों को भिन्न भिन्न मियाद की सजाएँ दी गईं। पुलिस के साथ संघर्ष में १२८६ आदमी घायल हुए। सामूहिक जुर्माने के रूप में ३४००) रु० बहुत ही बेरहमी के साथ वसूल किये गये।

जिला हजारीबाग में ३२८ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया। सात हजार व्यक्तियों को सजाएँ दी गईं। समस्त जिले भर में एक लाख तैंतीस हजार व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया। इस जिले में पुलिस और जनता की भिड़न्त हो गई जिसमें ८८ आदमी गोली से मारे गये और ६६६ घायल हुए। मारपीट तथा बेरहमी के फलस्वरूप प्रायः ४५० व्यक्ति घायल होकर मर गये। जिले के कोडरमा तथा डोमचांच थानों पर पुलिस ने जमकर गोली चलाई। इस जिले पर एक लाख सत्तर हजार रुपये सामूहिक जुर्माना किया गया।

मानभूमि के साहसी वीरों ने सीने पर गोलियों के वार सहन किये। लाठी और हथियारों से वे तिल भर भी पीछे न हटे। मानबाजार, कतरासगढ़ तथा जरगांव के गोलीकाण्ड अमर ही हो चुके हैं। तीनों कस्बों में मिल कर प्रायः ३५ व्यक्ति गोलियों से मारे गये। प्रायः १६ व्यक्ति घायल हुए। जिले भर में साढ़े चौंतीस हजार रुपये का सामूहिक जुर्माना किया गया।

रांची जिले में कुल ४०० व्यक्ति के करीब गिरफ़्तार किये गये जिनमें से ११६ व्यक्तियों को सजाएँ दी गईं। १२ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया। जेल में बन्दियों पर लाठी चार्ज किया गया। इस जिले पर छः हजार रुपये का सामूहिक जुर्माना किया गया।

सिंहभूमि जिले में प्रायः २७५ व्यक्तियों पर मामले चले और उन्हें कठोर

सजाएँ दी गईं। २५ व्यक्ति नजरबन्द किये गये। जनता से सामूहिक जुर्माने के रूप में प्रायः ढाई हजार रुपये वसूल किये गये।

भागलपुर जिले में आन्दोलन का रूप बहुत ही भयंकर हो गया था। वहाँ गोलियों की मार से २१८ व्यक्ति मारे गये तथा ३०० व्यक्ति घायल होकर मरण प्रायः हो गये पीरपैंती के गोलीकाण्ड में ३७ व्यक्ति मारे गये और ३२ घायल हुए। सुल्तानगंज में ६७ गोलीबारी में मारे गये और प्रायः १७५ व्यक्ति घायल हुए। जिले के प्रायः सभी थानों पर जनता ने अधिकार कर लिया था।

जेल में कैदियों के विद्रोह के परिणामस्वरूप गोलीकाण्ड हुआ। १२५ व्यक्ति बैरकों में ही गोली से मार डाले गये। इस संघर्ष में एक जेल का अफसर भी मारा गया।

भागलपुर में प्रायः एक हजार घर पुलिस ने जला कर खाक कर दिये। फरारों का पता लगाने के लिये हजारों घरों की तलाशियाँ ली गईं और मनुष्यों और स्त्रियों पर अमानुषिक अत्याचार किये गये। भागलपुर की पुलिस ने दुनिया में एक अजीब कृत्य करके दिखाया था। एक १८ महीने के बच्चे को इसलिये गिरफ्तार कर लिया कि उसका पिता फरार हो गया था। पुलिस ने इस बच्चे को उसकी माता से ४ दिन के लिये अलग रखा। जब पुलिस बच्चे को रखने में असमर्थ हो गई तो बच्चा माता के सिपुर्द कर दिया गया।

भागलपुर जिले में १०४ व्यक्ति नज़रबन्द और ४००० व्यक्ति गिरफ़्तार किये गये। इन गिरफ़्तार किये हुए व्यक्तियों में से १००० व्यक्तियों को सजाएँ हुईं। जिले पर प्रायः ढाई लाख रुपये जुर्माना किया गया। इसके अलावा पुलिस ने जनता को जिस बेरहमी से लूटा है, उसका अन्दाजा लगाना तो कठिन ही है।

इस आन्दोलन में भागलपुर का "सियाराम दल" बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इस दल से पुलिस और फौज दोनों परेशान थीं। पुलिस ने इस दल को गैर-कानूनी इसीलिये करार दिया कि उसकी नज़र में यह दल डकैती का गरोह था। इस दल के फरार व्यक्तियों को पकड़ने के लिये सरकार ने पाँच पाँच हजार रुपये के इनाम तक घोषित कर रखे थे। सरकार ने कुछ नामी डकैती और

बदमाशों को यह हुक्म प्रदान कर रखा था कि वे मजे से गांवों में जाकर लोगों को लूटें और स्त्रियों की बेइज्जती करें। यह कांग्रेस को बदनाम करने के लिये चाल खेली गई थी। लेकिन सियाराम दल ने ऐसे डकैतों को काबू में करके स्थिति को खूब ही संभाला और साथ ही जनता को भी लूट से खूब ही बचाया। पर सरकार चुपचाप बैठने वाली कब थी? उसने दूसरी चाल चली, विहपुर की सरकार ने सियाराम दल का अड्डा बताकर उसे फौजी शासनान्तर्गत सीमा घोषित कर दी। इस ग्राम के आस-पास ३० मील लम्बी और १७ मील चौड़ी जगह सरकार ने घेर कर २३ अतिरिक्त बैरक कायम किये। इस प्रकार सरकार ने सियाराम दल की राष्ट्रीय भावना को कुचलने की चेष्टा की। विहपुर की जनता पर सरकार ने अत्याचार करने में कोई कोर कसर नहीं रखी। ७०-८० वर्ष के बूढ़े से लेकर १॥ साल के बच्चे तक गिरफ्तार करके हवालात में पहुँचाये गये। राहगीरों तक पर मार पड़ी। फरार व्यक्तियों के पड़ोसी और रिश्तेदार सभी बिना कारण गिरफ्तार कर लिये गये। हो सकता है कि सियाराम दल के पूरे कार्यक्रम से जनता सहमत न हो पर इसकी देश सेवा तथा साहस की प्रशंसा तो समस्त देश में हुई।

पूर्णिमा जिले में भी भागलपुर की तरह ही आन्दोलन का उग्र रूप था। सैकड़ों डाकखाने, तारघर, रेलवे स्टेशन लूटे गये और कई बरबाद कर दिये गये। बनमटी, कटिहार, रुपौली, धमदाहा, खजाची हाटी, कदवा, देवीपुर तथा बन्हरिया आदि मुकामों के थानों पर गोलियां चलीं जिनमें ४५ व्यक्ति मारे गये और प्रायः ७५ व्यक्ति घायल हुए।

१३ अगस्त को कटिहार थाने पर जनता ने धावा बोल दिया। चीफ S. D. O. के हुक्म से पुलिस ने गोली चला दी। इस गोलीकाण्ड में शान्ति निकेतन का एक १३ वर्षीय छात्र मारा गया। छात्र ध्रुव की दाहिनी जंघा में गोली लगी और वह जमीन पर गिरकर मछली की तरह तड़पने लगा। माता और पिता ममता और उत्सुकता भरी नजरों से बालक को देखते ही रहे पर उसे बचा कोई भी न सका। ध्रुव के पिता डाक्टर किशोरीलाल कुण्डू भी लोकप्रिय सेवक हैं और पूर्णिया जिले के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। ध्रुव की मृत्यु के बाद शव का विराट जुलूस निकाला गया। शव का दाह संस्कार करके डाक्टर

किशोरी लाल घर को लौट ही रहे थे कि रीवारा में उनकी गाड़ी रोक कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक पुत्र के श्राद्ध संस्कार भी डाक्टर साहब नहीं कर पाये। यह मुक्त भोगी ही जान सकता है कि वीर पुत्र को खोकर डाक्टर साहब दिल थामे कैसे जेल चले गये होंगे?

पूर्णिया में १४७५ गिरफ्तारियाँ हुई और २५ व्यक्ति नजरबन्द किये गये। इनमें से प्रायः ७०० व्यक्तियों को कठोर सजाएँ दी गईं। सरकारी लोगों ने कई खादी भण्डारों को लूटा। ७० गाँवों के प्रायः ६०० परिवारों के घर जला-कर खाक कर दिये गये। पूर्णिया जिले पर एक लाख अट्ठाईस हजार रुपये सामूहिक जुर्माना किया गया।

सारन जिले के भागों में भी गोलीकाण्ड बहुत हुए। गोलियों के शिकार महाराजगंज, वड़राहा, सोनपुर, अमनौर, नरेश्वर, सिवान, दिघवारा, छपरा और मैरवाँ ग्राम हुए। कुल ५१७ आदमी इन गोलीकाण्डों में मारे गये। कितने घायल हुए यह बताना असंभव ही है। छोटे-मोटे की गिन्ती तो दूर रही भूत-पूर्व मिनिस्टर श्री० जगलाल चौधरी के दो बरस के मासूम बच्चे तक को निर्दयतापूर्वक हत्या कर डाली गयी। सोनपुर स्टेशन पर श्री महेश्वर को महज "गांधी जी की जय" बोलने पर इस कदर पीटा गया कि वे वहीं ढेर हो गये।

सिवान गोलीकाण्ड का दृश्य भी अत्यन्त ही भयावह पर साथ ही हृदय विदारक भी है। "योगी" साप्ताहिक लिखता है —

"एक ओर थी उस अटलवृत्ती की खुली छाती और दूसरी ओर दानवी शक्तियों का जमघट। उधर से आवाज हुई—"धाँय!" और इधर गोली लगी। नम्बर एक—फिर आवाज हुई धाँय! और गोली लगी। नम्बर दो...इस प्रकार एक के बाद दूसरी गोली चली। कुल मिलाकर आठ गोलियाँ उस शरीर को बेध गईं। नवीं गोली से सिर के टुकड़े-टुकड़े हो गये और निर्जीव शरीर धराशायी हो गया। भारतीय सत्याग्रह के इतिहास में यद्यपि अनेक सिपाहियों ने वीर गति पायी है पर सारन के फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव के प्रयाण पर संसार के किसी भी अहिंसक योद्धा को ईर्षा हो सकती है।"

सारन जिले में २००० आदमी गिरफ्तार और, ६० के करीब नजरबन्द हुए। ७१५ के करीब आन्दोलनकारियों को सजाएँ दी गईं। जिले पर सवा लाख

रुपये सामूहिक जुर्माना किया गया। इसके अलावा पुलिस व फौज ने जो जनता की सम्पत्ति को बर्बाद किया उसका अन्दाजा लगाना बहुत कठिन है।

सिवान सब डिवीजन के तेवाड़ा ग्राम में श्रीशिवपूजन चौधरी रहते थे। उनके मकान पर पुलिस ने गोलियों की वर्षा कर दी। परिवार के सभी लोग मारे गये और चौधरी को ४५ वर्ष का कारावास दण्ड दिया गया। आज भी वे गोलियों द्वारा छिद्रित टूटी-फूटी दीवारें अपनी करुण कहानी कहने के लिये उसी रूप में खड़ी हैं।

मुजफ्फरपुर जिले में १२ स्थानों पर गोलीकाण्ड हुए जिनमें ५० आदमी मारे गये और लगभग १०० व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए। ६ व्यक्ति नजरबन्द किये गये और लगभग ३०० व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये और सभी को बड़ी सजाएँ दी गईं। जिले के तमाम खादी भण्डार नष्ट कर दिये गये। इसमें प्रायः १३ हजार रुपये की हानि हुई। सरकारी पुलिस द्वारा वनपुर, भगवानपुर, विठौली, सीतामढ़ी, सैदपुर, आथरी, छपरा, चरहा, गोरौहारी, पिपरा आदि ग्राम लूटे गये। सीतामढ़ी में S. D. O. और एक थानेदार तथा एक कान्स्टेबिल को उत्तेजित जनता ने हत्या कर डाली। इस जिले पर ३ लाख ७५ हजार के करीब सामूहिक जुर्माना किया गया।

चम्पारन जिला भी आन्दोलन में किसी के पीछे नहीं रहा। जनता ने थानों, डाकखानों, नहरों के दफ्तरों, इनकम टैक्स आफिसों तथा C. I. D. के दफ्तरों पर धावा बोल दिया इनमें से कई को लूटा और कई को जला कर खाक कर दिया गया।

पुलिस द्वारा बेतिया, घोड़ासान, घोड़ादाने, फवाँहा, पंच पोखरिया और मेहसत में गोली चलाई गई। फल यह हुआ कि २२ आदमी मरे और ५५ व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए। इनमें से अकेले बेतिया में ११ मरे और ३० घायल हुए। इस जिले में २००० आदमी गिरफ्तार हुए जिनमें प्रायः ७०० को सजा दी गई और १७ आदमी नजरबन्द किये गये। उक्त तमाम गाँवों में मिलाकर ५० आदमी मारे गये और प्रायः इतने ही घायल हुए। इस जिले में यह विशेषता रही कि किसी भी सरकारी आदमी पर हमला नहीं किया गया। सामूहिक जुर्माने के रूप में इस ग्राम से एक लाख रुपया वसूल किया गया।

दरभंगा जिले में कई ऐतिहासिक कार्य हुए। अनेकों गोलीकाण्डों के बाद भी यहाँ की जनता निराश न हुई। इसके बाद भी जनता बड़े बड़े जुलूस बना कर प्रदर्शन करती रही। उत्तेजित किये जाने पर भी लोगों ने किसी सरकारी आदमी को हाथ नहीं लगाया। यहाँ का आन्दोलन अधिकतर में अहिंसात्मक ही रहा। इतना होते हुए भी एक थानेदार की हत्या हो ही गई। अनेकों थानों, स्टेशनों और डाकखानों को लूटा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि समस्तीपुर, सिंघिया, सिंहवाड़ा, तारापट्टी, जैननगर, भंभोरपुर, मधुबनी, लौकही, विरौल, इमेड़ा, बहेड़ा आदि ग्रामों में खूब गोलियाँ चलीं जिनमें ४० आदमी मारे गये और प्रायः १०० घायल हुए। इस जिले में प्रायः १२०० व्यक्ति गिरफ्तार हुए जिनमें २०० को सजा दी गई। सरकारी दमन के फलस्वरूप लाखों रुपये की जनता को हानि उठानी पड़ी। इस जिले पर ५ लाख रुपये के करीब सामूहिक जुर्माना किया गया।

कुछ फुटकर घटनाएँ

बखतियारपुर, बाढ़, विक्रम, हिलसा तथा फुलवारी ग्रामों में पुलिस ने गोलियाँ चलाईं। हिलसा में १३ व्यक्ति मारे गये तथा शेष ग्रामों में मृतकों की संख्या चार रही। बखतियारपुर के नेता श्री नाथू गोप को गोली से मार दिया गया। इसके बाद पुलिस और जनता में संघर्ष हो गया जिसके परिणामस्वरूप आठ आदमी घायल हुए तथा एक की मृत्यु हो गई। हिलसा के संघर्ष में १० व्यक्ति घायल हुए। विक्रम में २ की मृत्यु हुई और ४० घायल हुए। फतुहा में उत्तेजित जनता द्वारा २ कनाडियन अफसर मारे गये। बात यह थी कि पटना तथा उसके आस-पास के ग्रामों में पुलिस ने जिस नृशंसता का परिचय दिया था उससे वहाँ की समस्त जनता बहुत ही उत्तेजित हो गई थी जनता के भय से २ कनाडियन अफसर रेल के डब्बे में छिप कर बैठे थे। उत्तेजित जनता ने ट्रेन जला दी और अफसरों को मार कर नदी में फेंक दिया। नौबतपुर में एक आदमी गोली से मारा गया। फुलवारी में भागते हुए आदमी को पुलिस की गोली लगी और वह वहीं मर गया। एक व्यक्ति के जबड़े में गोली घुस आयी और उसका जबड़ा टूट गया। लाठी चार्ज में १५ व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए।

विप्लवी वीरः अगस्त विद्रोह '४२ के सरदार
श्री ए० एच० पटवर्धन

अगस्त क्रांति के सेनानी अगस्त '४२ से लेकर अप्रैल '४६ तक कई प्रांतों की पुलिस और सी० आई० डी० पुलिस आपकी खोज में परेशान रही।

शाहाबाद के निमेज़ गांव में गोरे सैनिकों की ज्यादती !

वह नन्हा सा बच्चा, बार बार डुबकियाँ लगाकर नदी पार करने का प्रयास कर रहा था। मासूम भोले बच्चे का जीवन संगीन की नोकों पर झूल रहा था। गोलियाँ किसी भी क्षण उसके उष्ण लाल रुधिर का पान कर सकती थीं। कभी उसकी लटें—हाँ, काली काली लटें—नदी के फेनिलनीर—पट पर तैरने लगतीं, तब तक जालिम की खूनी गोलियाँ जल सतह को छूती हुई दूसरी ओर निकल जातीं। यों तो कई बार सुना था कि "जाको राखे साइयाँ, मारि सकै न कोय" पर उसकी सत्यता मे केवल उसी दिन विश्वास हुआ। निर्दोष, निश्छल शिशु मृग मरीचिका की तरह बारबार उन सैनिकों को भुलावा दे जाता था। कभी पानी में डूब जाता कभी दाहिने बायें तैर कर भीतर ही भीतर तैरता रहता। गोरे सैनिक हैरान थे। बच्चा उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। तब गोरे सैनिक ब्रह्म के चबूतरे पर चढ़ गये। और निशाना साधने लगे। मैंने देखा कि जो दूसरों के लिये कुआँ खोदता है वह स्वयं उसी में डूब मरता है। कहाँ तो सैनिक उस छोटे से निर्दोष शिशु को नदी के खोलते हुए जल में गोली के घाट उतारने पर आमादा थे और कहाँ उन्हें स्वयं ब्रिटेन से हजारों मील की दूरी पर एक अज्ञात नदी "धर्मावती" में जल समाधि लेनी पड़ी। सो समाधि भी ऐसी कि लाश ढूंढे तक न मिला। ब्रह्म के चबूतरे से पाँव फिसला और दोनों ने उस खौलते हुए जल में डुबकी लगायी, तो फिर दिखाई ही न पड़े। किसी ने कहा—"ब्रह्म का प्रताप है" तो किसी ने कहा—"दैवदुर्विनाक है"। हाँ, तो लड़का बाल-बाल बच गया और नदी के उस पार निकल गया।

शबनम के मोती जैसे कण उषा के धुंधले प्रकाश में चमकने का व्यर्थ प्रयास कर रहे थे गाँव वाले उठ कर शौचादि के लिये बगीचे की ओर जा रहे थे। पहिले एक व्यक्ति ने देखा—लम्बी लम्बी घासों और चकवड़ के बीच कुछ लंगूर जैसे लाल लाल गोरे गोरे लोग लेटे हुए हैं। टामीगन, मशीनगन तथा बन्दूकें और संगीनें उन निरीह भोले भाले देहातियों का खून पीने को लालायित थीं। जबरदस्त मोर्चाबन्दी थी। हजारों सैनिक घेरा डाले हुए पड़े थे मानों 'प्लासी का मुंह ब्रिटिश मोर्चा" उन निरीह हंसिये हथौड़े वाले किसानों से लड़ने ही के लिये खोला गया हो। सारा गाँव तीन तरफ से घेर लिया गया था लेकिन उत्तर तरफ धर्मावती नदी अपनी प्रशस्त अगाध जलराशि के साथ किले की खाईं की भांति ग्राम रक्षा का प्रयास कर रही थी। बात की बात में यह सम्वाद सारे गांव में फैल गया।

बड़े बुजुर्गों ने राय दी है कि युवकों और विद्यार्थियों को नदी पार कर दूसरे गाँव में भाग जाना चाहिये। क्योंकि सैनिकों की वक्र दृष्टि इन्हीं नौनिहालों पर थी और इनका अपराध था—थाने, खजाने और डाकखाने पर कब्जा कर लेना। नदी पार कर सभी तो भाग गये किन्तु उक्त लड़का फंसा रह गया जिसे स्वयं ईश्वर ने अपने हाथों से उबार लिया। अब गाँव में रहे बड़े बूढ़े तथा माँ बहिनें। सारे ग्राम में आतंक छाया हुआ था। स्त्रियां छाती पीट पीट कर रो रही थीं, बूढ़े सर पीट कर भाग्य को कोस रहे थे। सभी के चेहरे पर भय का चिन्ह अंकित था, सभी की जबान पर यही प्रश्न था—अब क्या होगा? स्त्रियों को अपनी इज्जत की चिन्ता थी। अन्त में संगीनों के बल पर गाँव के सभी बड़े बूढ़े बगीचे में एकत्र किये गये। दो मशीनगनें बैठाई गईं। गाँव के जमींदार का बैठकखाना "डायनोमा" लगाकर सबके सामने उड़ा दिया गया। चूर चूर होकर दीवारें भूमि पर आ गिरीं। मकान नदी की ओर धराशायी हो गया। इसके बाद मजिस्ट्रेट का ओजस्वी भाषण हुआ। लोगों को चेतावनी दी गयी कि वे यदि वे भविष्य में ऐसे आन्दोलन में भाग लेंगे तो सारे गाँव को यों ही धराशायी कर दिया जायेगा तथा उन्हें गोली के घाट उतार दिया जायेगा। कई दिनों तक सारे गाँव में आतंक एवं दानवता का एक छत्र राज्य रहा। गोरे सैनिकों की यह ज्यादती आज भी हमारा खून गरम कर देती है।

मधुवन के भीष्मपितामह पण्डित ठाकुर तिवारी

१६४२ के अगस्त आन्दोलन में मधुवन—आजमगढ़ में अपना विशेष स्थान रखता है। मधुवन में स्वयं जिलाधीश ने देहातियों की निहत्थी भीड़ पर गोला चलवाई थी। इस गोली काण्ड में अनेक निरपराध व्यक्ति निहत और दर्जनों आहत हुए थे जब कि पुलिस के किसी आदमी को खरोंच भी नहीं लगी थी। बाद में अपने काले कारनामों को छिपाने के लिये जिलाधीश ने काफी रंगा भेजी की थी! मधुवन थाने के गाँवों मे "घर फूंक" नीति बर्ती गयी। काफी घूम धड़ा के साथ वहाँ के पचासों व्यक्तियों पर "मधुवन केस" चलाया गया जिसमें अनेक व्यक्तियों को लम्बी लम्बी सजाएँ दी गईं। पचपन वर्ष के वृद्ध पं० ठाकुर तिवारी को नेता करार दे आजीवन काले पानी की सजा दी गयी। तिवारी जी ने हँसते-हँसते इस राजदण्ड का स्वागत किया। आज वह साढ़े चार वर्ष बाद जेल से छूटे हैं, हम उनका विजयी सेनापति की भांति स्वागत करते हैं। उन्होंने जराजीर्णावस्था में हमारे राष्ट्रीय युद्ध में भीष्मपितामह की तरह शंख-नाद कर भारत के मातृत्व की रक्षा की है। वह आजमगढ़ जिले के एक ऐसे सम्भ्रान्त परिवार के व्यक्ति हैं जो अपनी आनबान और शान के लिये चिरकाल से प्रसिद्ध है।

उड़ीसा प्रान्त में गांव के गांव स्वाहा कर दिये गये !

स्त्रियों और बच्चों को पेड़ पर उलटा लटका कर पीटा गया !

उड़ीसा प्रान्त

अगस्त आन्दोलन के इतिहास में उड़ीसा का स्थान किसी भी जिले से पीछे नहीं रहा ! उड़ीसा प्रान्त में आन्दोलन की भयंकरता सबसे अधिक बालासोर के जिले में रही । ६ अगस्त को बालासोर में जो भयंकर गोलीकाण्ड हुआ उसमें प्रायः ४५ व्यक्ति मारे गये और प्रायः ३०० व्यक्ति घायल हुए । प्रायः ४०० व्यक्ति इस जिले में गिरफ्तार हुए । सामूहिक जुर्माने भी हुए बल्कि जुल्मों की हद यहाँ तक बढ़ गयी थी कि अपने पति और पुत्रों की रिहाई के लिये स्त्रियों से पुलिस ने जबरन गहने उतरवा लिये । ऐसा कोई भी गाँव नहीं बचा जहाँ जनता कोड़े तथा बेंतों से नहीं पीटी गई हो । कई प्रकार की यंत्रणाएँ खोज-खोज कर आविष्कार की गईं । और ये यंत्रणाएँ लोगों को उस समय तक भोगने के लिये बाध्य किये जाते जब तक कि वे बेहोश न हो जाते । पुलिस ने जब कोई चारा न देखा तो साम्प्रदायिक झगड़े फैलाने की चेष्टा की पर वह कोशिश बिलकुल ही व्यर्थ गयी । कुछ जिलों के ग्रामों में तो गोलीकाण्ड इतने अनुचित हुए कि सरकार ने उन गोलीकाण्डों की रिपोर्टों पर प्रतिबन्ध ही लगा दिये । इराम के जमींदार ने अपने दस्तावेजों के लूटे जाने के डर से पुलिस से सहायता मांगी । D. S. P. वहाँ खुद गये और दस बस के एक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया । कुछ लोगों ने चौकीदारों से पुलिस थानागार के हिसाब जो जमींदार के यहाँ ले जाये जा रहे थे, छीन लिये । थोड़ी देर बाद D. S. P. को मालूम हुई कि उन्होंने गोली छोड़ने की आज्ञा दे दी । D. S. P.

कि गोली चलाने के पहिले भीड़ को तितर बितर होने की आज्ञा देना लाजिमी था। नतीजा यह हुआ कि १८ व्यक्ति गोली के शिकार हो गये तथा २०० व्यक्ति घायल हुए। इस गोलाकाण्ड के बाद १२५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

दामनगर की एक सभा में पुलिस ने गोली चलाई। परिणाम यह हुआ कि ६ व्यक्ति वहीं गोली के शिकार हुए। उनमें कल्ली महालिक नामक एक वीर भी मारा गया। उसके सीने में ३ गोलियां लगी थीं। कल्ली ने मरते वक्त कहा था—"भाइयों! फिक्र न करो! मैं शीघ्र ही स्वतंत्र भारत में जन्म लूंगा" इस घटना में ४० व्यक्ति, मृतकों के अलावा घायल हुए और प्रायः ५० गिरफ्तार किये गये।

सरकार को भय था कि बालासोर में जापानी फौजें उतरेंगी। वहाँ सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस अंग्रेज था। उसको शंका थी कि यह समुद्री किनारा है इसलिये अवसर पाकर जापानी यहाँ हमला कर सकते हैं। इसी शंका के बीच में अनायास एक बरात निकली जिसमें पटाखे चलाये गये। पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट डरा हुआ तो था ही उसने समझा बम छूट रहे हैं। अतः अपने को अंग्रेज होने से छिपाने के लिये उसने धोती पहिन ली और आफिस से भाग निकला।

जनता के हाथों मारे जाने के भय से पोस्ट-मास्टर और पुलिस आफीसर एक स्टीम लांच पर बैठकर बैतरणी नदी के दूसरी ओर भाग गये। कांग्रेसियों ने जब उन्हें आश्वासन दिया तब वे वापस आये। दूसरे दिन ग्राम में होने वाली सभा में सरकार द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रस्ताव का समर्थन किया।

कोरापुर में पुलिस ने नृशंसता का नंगा नृत्य किया। कांग्रेसियों के ढोर, खेती, तथा उनकी सम्पत्ति आदि सभी कुछ छीन लिया गया। कई कांग्रेसियों को नंगा किया गया और उनके कपड़े जलाकर खाक कर दिये गये। स्त्रियों को नंगी करके कपड़े भी जला दिये गये।

कोरापुर कांग्रेस कमेटी की बहुत सी सम्पत्ति जब्त कर ली गई तथा उसकी एक मोटर तथा २०००) रु० नगद जब्त कर लिये गये।

मैथिली गांव में हाट होता है। लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में प्रायः ३००० व्यक्तियों का एक दल हाट में पहुँचा। मैथिली से थाना ४ फर्लांग ही है। वहाँ दल सभा के रूप में परिवर्तित हो गया। लक्ष्मण नायक ने जनता का राज्य स्थापित करने तथा सरकार से असहयोग करने का उपदेश सभा में दिया।

पुलिस ने राजद्रोहात्मक भाषण देने के उपलक्ष में लक्ष्मण नायक को गिरफ्तार कर लिया। जनता अपने नेता के साथ थाने तक गई। जब जनता थाने की हद में घुसने लगी तो पुलिस ने अन्दर न घुसने के लिये जनता से कहा। जनता के न मानने पर लाठियों तथा बन्दूकों से उन पर वार किया गया। ६ आदमी वहीं मारे गये और अनेक घायल हुए। लक्ष्मण नायक पर भाले से वार किये गये। अनेकों व्यक्तियों पर हथियार फेंके गये। इस संघर्ष में एक ४ वर्ष का बालक भी मारा गया। इसके ८ दिन बाद पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट गांव में जांच करने गये और उन्होंने सारा गाँव ही जलाकर खाक कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि एक पहिरेदार, जो नशे में चूर होने के कारण पुल से नहर में गिर कर मर गया था, उसके मर जाने का अपराध लक्ष्मण नायक पर लगा और उस पर मामला चलाया गया। लक्ष्मण नायक को फांसी की सजा हुई। अन्य व्यक्तियों को आजन्म कारावास की सजाएं दी गईं। १४ व्यक्ति रिहा कर दिये गये। लक्ष्मण नायक को बरहामपुर सेन्ट्रल जेल में फांसी पर लटकाया गया।

कोरापुर की जेल को उत्कल कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट में उड़ीसा का—"बेलसन कैम्प" कहा गया है। इस जेल की निर्दयता एवं अत्याचारों के फलस्वरूप ५० राजनीतिक बन्दियों की शोचनीय मृत्यु हो गई। कोरापुर जेल में ज्यादा से ज्यादा २५० कैदी रखे जा सकते हैं पर अगस्त आन्दोलन में यहाँ ७००—८०० कैदी ठूंसे गये थे। कोरापुर में ११ व्यक्ति नजरबन्द किये गये। १६७० गिरफ्तारियों में से ५६० को सजाएँ दी गईं। ३२४ बार लाठी चार्ज हुए। गोली बारी से २८ व्यक्ति मारे गये ३ सरकारी इमारतें बरबाद की गईं। आन्दोलन के सिलसिले में तार काटे गये, सरकारी जंगलों के पेड़ काटे गये, रेल की पटरियां उखाड़ी गईं तथा रेलवे के गोदाम नष्ट किये गये। जनता ने लोगों को बाजार का कर न देने के लिये भड़काया तथा आबकारी की दूकानों, स्कूलों तथा कचहरियों पर पिकेटिंग किया गया। जिले पर प्रायः ११ हजार रुपये सामूहिक जुर्माना किया गया।

कोरापुर में कई दिल दहलाने वाली बातें भी पेश आईं। ३ व्यक्ति जिनमें स्त्री भी थी पेड़ पर उलटे लटका कर लाठी से पीटे गये। १२ स्त्रियों पर घोर अत्याचार हुए।

१३७ व्यक्तियों को कोड़े मारे गये। कोड़े की संख्या ४ से लेकर ४६ तक थी।

उड़ीसा के देशी राज्य

रियासती जनता ने भी उड़ीसा की जनता के कंधों से कंधा मिलाकर आन्दोलन में भाग लिया। उनकी कुर्बानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राजाओं ने इन आन्दोलनों को कुचलने के लिये अंग्रेज मालिकों की सहायता ली और बहुत ही बेरहमी से दमन किया। नीलगिरि और तालचर में हवाई जहाजों द्वारा मशीनगनें चलाई गईं। सैकड़ों निरपराधों को बिना मुकदमा चलाए ही जेलों में भर दिया गया। मजिस्ट्रेटों ने शासकों के रुख को मद्दे-नजर रख कर निरपराधों को लम्बी सजाएँ दीं।

नीलगिरि राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आदमी मारे गये तथा घायल भी अधिक ही हुए। सम्पत्ति बरबाद कर दी गई तथा स्त्रियों की इज्जत लूटी गई। ७५ गाँवों के बच्चों स्त्रियों, और मरदों पर इतने अत्याचार किये गये कि गांव के गांव भाग कर मयूरभंज रियासत में जा बसे। इन कुल गाँवों पर पचहत्तर हजार रुपये के लगभग जुर्माना किया गया।

धनकनाल रियासत में २ व्यक्ति काल के गाल में समा गये। सैकड़ों जख्मी हो गये। २३ आदमियों को धनकनाल में २० से लेकर ४० वर्ष तक की सजाएँ दी गईं। हजारों रुपयों की सम्पत्ति बरबाद कर दी गई। जमीन जायदाद जब्त कर ली गई। कई परिवारों ने लोगों के दान पर गुजर किया। ४३ गाँवों पर सामूहिक जुर्माना किया गया जो ५० हजार रुपये के लगभग था।

नयागढ़ राज्य में भी ऐसा ही घोर दमन चक्र चला। एक आदमी तो गोली से साफ उड़ा दिया गया। बहुत से पीटे गये। सम्पत्ति को लूटा और बरबाद किया गया। १८ गावों से २८ हजार रुपये सामूहिक जुर्माने के रूप में वसूल किये गये। प्रायः सौ परिवार घर बार रहित होकर दर दर ठोकर खाने लायक बना दिये गये।

तालचर राज्य में ३ आदमी मारे गये। कालेज में एक विद्यार्थी अमानुषिक बर्ताव के कारण जेल में ही मर गया। बहुत से गांव के गांव जलाकर खाक कर दिये गये और जमीनें जब्त कर ली गईं। गांवों में व्यक्तिगत और सामूहिक जुर्माने के रूप में १५ हजार रुपयों का जुर्माना किया गया। ४० आदमी जेल में ठूँस दिये गये।

सिन्ध प्रान्त

स्वाधीनता के लिये सिन्ध ने रक्त द्वारा कीमत चुकाई।

पुलिस का भयंकर दमन चक्र !!!

बलिदान की कहानी !!!

प्रोफेसर N. R. मलकानी ने लिखा है—

"सिन्ध में १६४२ के अगस्त में जो घटनाएँ लगातार होती रहीं उनमें से कई मेरी आंखों देखी हैं। वास्तव में यह आन्दोलन कांग्रेसी लोगों तथा विशेष कर विद्यार्थियों का कहा जायेगा। इसमें मजदूर किसान बिलकुल सम्मिलित नहीं थे। मुझे यह सुनकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि भयंकर से भयंकर लाठी चार्ज और यातनाओं को सह कर भी विद्यार्थियों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। मुझे इस हिम्मत की आशा इसलिये नहीं थी कि कांग्रेस ने विद्यार्थियों का सम्पर्क खास कर गुजरात यू. पी. और बिहार से तो कतई हटा लिया था।......मुझे अब फिर दिमाग से आता है कि कांग्रेसी लोगों का यह कर्तव्य है कि वे फिर विद्यार्थियों से सम्पर्क कायम करें। उन्हीं के जरीये मजदूरों और किसानों से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि स्वाधीनता के संग्राम के लिये उनमें आवश्यक साहस, उत्साह, शक्ति एव बुद्धिमानी मौजूद है। यदि विद्यार्थियों को स्वाधीनता के युद्ध में भली भांति भाग लेना है तो उन्हें विचारों, शब्दों और कार्यों के द्वारा अपने आपको भारतीय साबित करना होगा। उनकी भाषा वह भाषा होनी चाहिए जिसे साधारण से साधारण जनता समझ सके। उनके विचारों में वह गंभीरता और उच्चता होनी चाहिये जिसे भारतीय भली भांति अपना सकें और प्रयास कर सकें। निःसन्देह प्रोग्राम के साथ उनको स्वच्छ विचार धारा चाहिए.

के सामने रखना चाहिये। १९४२ के आन्दोलन में बस विद्यार्थियों में यही कमी थी और आगे के लिये हमें विद्यार्थियों की इसी कमी को पूरा करना है।"

"गत शताब्दी के पीड़ित और असन्तुष्ट इटालियन्स की तरह ही सिन्धी लोग पीड़ित एवं असन्तुष्ट हैं। उन्होंने कई पीढ़ियों से गुलामो के कष्टों को सहन किया है। एंग्लो स्कैन्डी नेवियन्स तथा एंग्लो सैक्सन्स की तरह अपने मालिकों से मजबूती और दृढ़ता के साथ सामना करने की उनमें शक्ति नहीं है। गुलामों की जात का हमेशा ही डरपोक होना आवश्यक नहीं है।...लेकिन सिन्धी लोग तो हमेशा ही वैधानिक गुलाम रहे हैं। उनका दिमागी और शारीरिक डरपोकपन प्रसिद्ध हो है।......सुस्ती सिन्धियों का खास स्वभाव है।"

"यहां की एसेम्बली में एक खास बात है। यदि एक भी आदमी एसेम्बली में छींक खासे या हंस दे तो सभी वैसा ही करने लगते हैं।"

"इसके अलावा भग का यहा आम प्रचार है। इस आदत से सिन्धियों में दुर्गुण असावधानी और डरपोकपन, सुस्ती से पड़े रहने का विशेषतायें आ गई हैं।"

—Sindh Revisited—Richard Burton.

इतना होने पर भी यह आश्चर्य की बात है कि ऐसे आदमी भी गांधी जी की "स्वाधीनता की अन्तिम लड़ाई" में अपने देशवासियों से किसी भी बात में पीछे नहीं रहे। गली गली में, गांव गाव में कांग्रेस के गीत और नारे रात के बारह बजे तक निरन्तर सुनाई देते थे।

जिस प्रकार तमाम भारतवर्ष में यह आन्दोलन प्रधानतया विद्यार्थियों द्वारा ही आरम्भ हुआ इसी तरह सिन्ध के कालेजों के लड़कों और लड़कियों ने भी सिन्ध में आन्दोलन का श्री गणेश किया। लड़कों और लड़कियों ने जुलूस निकाले, जनता में भाषण दिये जिसके परिणाम स्वरूप वे पुलिस द्वारा बुरी तरह से लाठियों से पीटे गये। उन पर डंडों और रायफलों की नोकों की गहरी मारें पड़ीं। उनको नजर बन्द कर दिया गया और नजर बन्दी कैम्पों में भी उन पर अमानवीय जुल्म किये गये। वहां वे भूखों मारे गये।

इसके बाद १२ अगस्त को सिन्ध के तमाम नेता गिरफ्तार कर लिये गये और शहर में आतंक का राज्य Reign of Terror कायम कर दिया गया।

कराची के मरचन्ट्स एसोसियेशन, जिसमें सिन्ध के बहुत ही वजनदार धनपति मेम्बर्स हैं, तथा कुछ म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कई राव साहब और राय बहादुरों ने मिलकर एक जाँच कमेटी का निर्माण किया। वजनदार आदमी इसलिये उसके मेम्बर नियत किये गये जिससे सरकार को उनके नतीजों पर विश्वास हो जाये। जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की उसका कुछ आवश्यक भाग इस प्रकार है—

"१—पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिये सिर्फ लाठी का ही इस्तेमाल नहीं किया वरन भीड़ में किसी भी प्रकार सम्मिलित न होने वाले नागरिकों की साइकलें तक छीन लीं और उन निरपराध सम्भ्रान्त व्यक्तियों पर लाठी चार्ज भी किया। पुलिस हाटला, वाचनालयों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में बैठी हुई निरपराध जनता पर टूट पड़ी और उन पर भी मनमानी मार पड़ी। पुलिस की मार का एक जबरदस्त शिकार मि. मंगाराम टोलमल बी. एल. एल. बी थे जो कराची के रिटायर्ड के सिटी मजिस्ट्रेट थे। जिस समय उन पर हमला किया गया वे एक कुब में बैठे थे। उन पर इतनी मार पड़ी कि उनको कई दिनों तक बिस्तर का सहारा लेना पड़ा।"

"२—जिन विद्यार्थियों ने तोड़ फोड़ नहीं की न किसी अन्दोलन में भाग लिया वे भी गिरफ़्तार कर लिये गये। दूर विद्यार्थियों पर सड़कों पर बड़ी ही बेरहमी का बर्ताव किया गया और इन्हें चौपाया की तरह घसीट कर लारियों में भर दिया गया। इसके बाद लारियों में ही इन्हें ठोकरें मारी गई, नंगी गालियां दी गईं।"

"३—कुछ उच्च घराने के नवयुवकों ने कमेटी के सामने बयान देते हुए बताया कि "हवालात में ले जाकर पुलिस ने उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा इसके बाद उन्हें एक कमरे में ले जाकर छाती के बल लेटा दिया गया और उसके बाद उनके नंगे तलवों पर बेतें लगाई गईं।" इसके बाद उन्हें पुलिस अफसर के जूतों पर नाक रगड़वाई गई और फिर उन्हें जूतों को रगड़-रगड़ कर चलने के लिये मजबूर किया।"

४—"एक मामला कमेटी के सामने ऐसा भी आया जिसमें बताया जाता है कि एक पुलिस अफसर ने पूछा कि ऐसा लड़का बुला लाओ जिस पर सबसे

ज्यादा मार पड़ा हो। महरानी एक ऐसे ही लड़के को ढोर की तरह घसीट कर अफसर के सामने ले आया और जबरदस्ती उसका पाजामा और लंगोट निकाल डाले। इस पर लड़का ज़ोर से चिल्लाया। अफसर ने बात फैल जाने के भय से उसे छोड़ दिया।"

५—"आवश्यकता न होने पर भी पुलिस ने तितर बितर हुई भीड़ पर भी जम कर लाठीचार्ज किया। इसके बाद जो भी पुलिस को दिखाई दिया पुलिस ने बहुत बेरहमी से उसे पीटा और स्त्रियों के साथ बहुत ही असभ्यता से पेश आई।"

हैदराबाद, सुक्कुर तथा प्रान्त के अन्य जिलों में मारशल लॉ जारी कर दिया गया। पुलिस ने यह बताया कि जनता का आन्दोलन काबू के बाहर है इसलिये मारशल लॉ का जारी करना आवश्यक है। इसलिये सरकार ने ज्यादा दमनकारी कानूनों का सत्याग्रहियों के विरुद्ध प्रयोग किया। अक्तूबर १९४२ में जब B. A. की परीक्षा में हैदराबाद, सिन्ध में पिकेटिंग किया गया तो मिलिटरी की इच्छा थी कि गोलीचार्ज कर दिया जावे लेकिन सीनियर सुपरवाइज़र ने मौके को हृदयगम करके एकदम इम्तहान बन्द कर देने की आज्ञा जारी कर दी।

हेमू कलानी बीस वर्ष से भी कम उम्र का बहादुर नवयुवक था। वह सुक्कुर हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उसके बारे में यह शिकायत थी कि उसने रेल की पटरियां के सांदे उखाड़ दिये हैं। सांदों के उखड़ने का पता बहुत पहिले ही पुलिस को मिल गया था इसलिये किसी प्रकार की हानि हो जाने की नौबत ही नहीं आई। लेकिन फिर भी इस लड़के को फांसी का हुक्म सुना दिया गया। हाईकोर्ट में अपील भी की गई तथा तमाम सिन्ध की जनता ने वायसराय और सम्राट को भी दया की दरख्वास्तें दीं। प्रेसों में भी काफी *आन्दोलन हुआ लेकिन फौलादी दिलों पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ और* वही हुआ जो होना था।

उस शहीद के साथ जेल में जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वह तो जनता के लिए खोल बन्द किताब जैसा ही है लेकिन जो साथी वहां हेमू कलानी के पास थे उन्होंने बड़ी ही दिल के टुकड़े कर देने वाली सनसनी खेज बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि हेमू के साथ वही बर्ताव किया गया जैसा कि बाबू जय प्रकाश

नारायण के साथ लाहौर जेल में किया गया था। लेकिन भारत माता के इस बहादुर बेटे को किसी भी प्रकार की यातना और आतंक ने आतंकित नहीं किया। वह भारत माता के नाम पर उत्साह और शक्ति से भर जाता था। उसका निश्चय इतना दृढ़ था कि उसने हर कष्ट हंसते हुए ही सहन किया। हेमू का बलिदान व्यर्थ बलिदान नहीं माना जा सकता। कहा जाता है कि जिस समय उसे फाँसी दी गई उस समय वह मुस्कराते हुए गा रहा था—

Oh God ! Give me birth again & again,
In this blessed land of Hindustan,
So that I offer all my life
To win freedom for it.
Inqilab Zindabad !!!

१६४२ में, यद्यपि सिन्ध में नजरबन्दों की संख्या १००० से ज्यादा नहीं थी लेकिन मारशल लॉ के तहत प्रायः २०० जवान लड़कों को छै से लेकर तीस बेंतों तक की सजा, मामूली से जुर्मों में दी गई। जो औरत और लड़कियाँ साधारण जुर्मों में पकड़ी गई थीं उनको रात को जंगलों में जाकर छोड़ दिया गया। लोगों को तंग करने तथा गुंडागिरी करने के लिये सरकार ने मवालियों को किराये पर नौकर रखा था जो क्लबों और लायब्रेरियों में लोगों को सताते थे और उनके साथ मारपीट भी करते थे। विद्यार्थियों को गिरफ्तार करके उनको अमानवी यातनाएँ दी गईं। कई विद्यार्थियों से बदमाशों और किराये के गुण्डों के सामने सरकार ने पाँव पकड़वाये और उनके जूतों पर विद्यार्थियों से नाकें रगड़वाई गईं। २ अक्तूबर १६४२ को हैदराबाद में ६ से ११ वर्ष तक की लड़कियाँ गिरफ्तार कर ली गईं। उनकी गिरफ्तारी सिर्फ "हिन्दू आज़ाद" के नारे लगाने पर हुई थी।

सब मिलाकर प्रायः २० लाठी चार्ज सिन्ध के भिन्न-भिन्न भागों में हुए। बात १६४२ की ही है। तमाम आन्दोलन में गनीमत यही रही कि अन्य प्रान्तों की तरह गुना गोली चार्ज नहीं हुआ। तोड़ फोड़ के आन्दोलन में भी सिन्ध बचा रहा। अलबत्ता एक दो ऐसी घटनाएँ अवश्य हुईं जिनमें टेलीफोन के तार काट दिये गये और दो एक पोस्ट बाक्स जला दिये गये।

आंध्रदेश में "जनता" का आन्दोलन !

मद्रास प्रान्त

अगस्त १९४२ के आन्दोलन में आंध्र देश तूफानों का केन्द्र रहा है। महात्मा गांधी तथा कार्यकारिणी के सदस्यों की ९ अगस्त को यकायक गिरफ्तारी और उसके बाद उच्च कोटि के नेताओं की एक साथ गिरफ्तारी देश की लड़ाई की चुनौती देने के लिये काफी थी। नेताओं की गिरफ्तारी के समाचार देश भर में दावानल की तरह देखते ही देखते व्याप्त हो गये। आंध्र में बम्बई की गिरफ्तारियों की खबर तथा उससे उत्पन्न जोश पश्चिमी घाट से आया। आंध्र तो वैसे ही बलिदानी, राष्ट्रीय और देश के कार्यों में सबसे आगे भाग लेने वाला प्रान्त रहा है इसलिये इस आन्दोलन के आरंभ करने के लिये यहां के नेताओं को न तो बहस मुबाहिसे की जरूरत पड़ी न लम्बे अर्से तक की मीटिंग ही की गई। वह समय तो कार्य का था और ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का सर्वोत्तम समय था। उसमें सोच-विचार करना वहां की जनता को उचित नहीं जान पड़ा। इधर देश भर में युद्ध का ऐलान करके ही गांधी जी जेल गये थे। दरिद्र और गरीब भारतीय जनता के साम्राज्यवाद के खिलाफ इस युद्ध में भाग लेने के लिये आंध्र की जनता ने कुछ भी उठा नहीं रखा। आंध्र ने बड़ी बहादुरी, साहस और कुरबानियों के साथ इस आन्दोलन में पूरा भाग लिया। गिरफ्तारी के एक दिन पहिले सरदार बल्लभ भाई पटेल ने अपना भाषण देते हुए कहा ही था कि यह लड़ाई यद्यपि दीर्घकालीन नहीं होगी लेकिन घोर गंभीर होगी और मरण पर्यन्त लड़ी जावेगी। महात्मा गांधी का "करो या मरो" का मन्त्र आंध्र की जनता के हृदयों के

अन्तरतम भागों में प्रवेश कर चुका था। इसलिये आंध्र की जनता ६ अगस्त से ही अपने को अत्याचारी शासन से मुक्त और स्वतंत्र समझने लगी थी।

आन्दोलन के आरंभ होते ही सरकार ने जिस तरीके से दमन आरंभ किया उससे तो आन्दोलन बहुत ही उग्र हो गया और वह कई रूपों में परिवर्तित हो गया लोग अपने मरजी के अनुसार आन्दोलन के रूप बदल कर उसके अनुसार कार्य में लग गये। उस समय उनके इच्छानुसार कार्यों को ठीक मार्ग से सचालित करने के लिये कोई भी ऊंचे दरजे का नेता बाहर नहीं था। यह आन्दोलन जनता का विद्रोह था इसलिये जनता स्वयं नेतृत्व करके जो मन में आता सो करती रही। इस आन्दोलन के तूफान में कम्यूनिस्टों की शरारतें, राजगोपालाचार्य की चौखालाहट आदि सब बह गये। कई महीनों तक कई भागों में ब्रिटिश हुकूमत का नाम ही मिटा दिया गया था।

वास्तव में देखा जाय तो अगस्त आन्दोलन दो रूपों में सामने आया।- १—उसका व्यवस्थित रूप और २—अव्यवस्थित। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ओर से जितने भी आन्दोलन हुए सभी व्यवस्थित रहे। आन्दोलनों ने जनता को अनुशासन संगठन एवं व्यवस्था के पाठ अच्छी तरह पढ़ा दिये थे। और हर आन्दोलन में जनता ने कुछ न कुछ अवश्य ही हासिल किया। भारतीय स्वतंत्रता के लिये किया गया अगस्त आन्दोलन भी एक जबरदस्त ऐतिहासिक महान प्रथा रही था। इस आन्दोलन द्वारा भारतीय जनता विदेशी शासकों को यहा से हमेशा के लिये ही विदा कर देना चाहती थी। लेकिन प्रायः सभी जगह "कार्यों" में आन्दोलन का हर रूप अव्यवस्थित था। इसके भी कुछ कारण थे—

१—गिरफ्तारियों के कारण कांग्रेस के प्रधान दफ्तरों से किसी किस्म की हिदायतें नहीं दी जा सकीं।

२—किसी भी सीधी चोट करने वाले कार्यों में सम्पर्क के लिये रत्ती भर गुंजायश नहीं थी।

और ३—जनता के सामने अखिल भारतीय विद्रोह की कोई भी संगठित योजना नहीं थी जितने भी देश में काण्ड हुए, उनसे यह स्पष्ट ही था कि आन्दोलन में कोई भी व्यवस्था नहीं है। कुछ भी हुआ, पर इससे तो कोई

भी इन्कार नहीं कर सकता कि इन आन्दोलनों से जनता में अपूर्व जाग्रत उत्पन्न हो गई। इस आन्दोलन के नैतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। इस आन्दोलन ने भारतीय जनता को यह सिखा दिया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जब भी देश भक्तों का आह्वान हो वे हर वक्त उसमें कूद पड़ने को तैयार रहेंगे।

अपनी संस्कृति, साहित्य और ऐतिहासिक परम्परा के कारण आंध्र हमेशा से स्वतंत्रताप्रिय, देश-भक्ति से पूर्ण प्रान्त रहा है। जब आन्दोलन में "कार्य" का आरंभ हुआ तभी लोगों को पता चला कि देश को स्वतंत्रता के लिये सर्वस्व होम देने में आंध्र सभी के आगे अपना स्थान रखता है। मद्रास की रैयतवारी प्रथा तथा गोदावरी और कृष्णा के उपजाऊ मैदानों ने जनता में अपनी भूमि तथा देश के लिये अपार प्रेम उत्पन्न कर दिया है।

आंध्र देश के कांग्रेसी नेता यद्यपि भारतीय प्रसिद्धि के व्यक्ति नहीं माने जाते फिर भी उनकी संगठन शक्ति उनके अनुशासन और कार्य की सचाई पर किसी भी प्रान्त को नाज हो सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम नेता और स्वयं महात्मा गांधी भी हमेशा आंध्र देश के साथ हैं।

१९४२ के अप्रैल महीने के आरम्भ में जापानियों ने पहिली बार कोकानाडा और विजगापट्टम पर बमबारी की। इस बमबारी से बचने को सबसे पहिले सरकारी अफसरों, A. R. P के कर्मचारियों, रायबहादुरों आदि को चिंता हुई। अतः इन लोगों ने शीघ्र ही शहर छोड़ दिये। सरकार की शासन व्यवस्था प्रायः नष्ट-भ्रष्ट ही हो रही थी और वहाँ सरकार की शक्ति भी बहुत ही क्षीण हो चुकी थी। जनता यह महसूस करती थी कि सिर्फ राष्ट्रीय सरकार ही संगठित रूप से कार्य संचालन करेगी और वह जनता की रक्षा कर सकेगी। यही कारण है कि जनता का यह अगस्त आन्दोलन लोगों द्वारा इतना प्रशंसित हुआ और जनता ने इसी कारण इसे इस तरह अपनाया। आंध्र में जनता, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, शिक्षित महिलाओं ने आन्दोलन में हृदय से साथ दिया।

आंध्र में न तो जवाहर लाल जी की श्रेणी का कोई व्यक्ति है न यहाँ फौलादी इच्छा शक्ति वाला कोई सरदार पटेल ही है। यहाँ राजगोपाला चार्य

के ढङ्ग का कोई बौद्धिक व्यक्ति भी नहीं है और न भूलाभाई देसाई के समान कोई जबरदस्त विधान शास्त्री ही है। वहाँ न कोई गोविन्द वलल्लभ पंत की तरह से सफल मंत्री मौजूद हैं और न शंकरराव देव की तरह कोई साधु ही है। आंध्र देश का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस हाई कमाण्ड में भी सदस्य नहीं है। वहाँ तो सिर्फ डाक्टर पट्टभि ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी कभी विशेष निमंत्रण पर हाई कमाण्ड द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। और यह बात तो मानी हुई ही है कि देश भर में एक ही महात्मा गाँधी हैं एक ही नेहरू जी हैं। दूसरे न हैं न हो सके हैं।

ऊपर ही कहा जा चुका है कि आंध्र की कांग्रेस कार्य कारिणी में थोड़े से ऐसे बढ़िया कार्य कर्त्ता हैं कि उनके सगठित कार्यों की प्रशंसा कांग्रेस हाई कमान्ड द्वारा भी हो चुकी है। इनकी कार्य प्रणाली और कार्य क्षमता बहुत ही अदभुत है। श्री० टी० प्रकाशम् "आंध्र केसरी" आंध्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। आप सत्तर वर्ष की आयु में भी जबरदस्त कार्य कर्त्ता और बहादुर सेनापति हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन की कुरबानियाँ, साहसों तथा कष्टों को शान्ति पूर्वक सहने की वृत्ति ने उन्हें आंध्र में पूजनीय स्थान प्रदान किया है। दूसरे हैं डाक्टर पट्टाभि जो गाँधी वादी राजनीति के देश भर में माने हुए पण्डित हैं। उनकी विद्वता और परिपक्वज्ञान तथा व्यवहारिक ज्ञान की धाक देश भर पर है। जनता में बहुत ही लोक प्रिय हैं। तीसरे विद्वान नेता हैं श्री० प्रो० रंगा। ये किसान सभा के सर्वोपरि कार्य कर्त्ता माने जाते हैं और चौथे हैं डॉ० डॉ० गिरि जो मजदूरों के देश प्रसिद्ध नेता हैं। प्रो० रंगा के राजनैतिक स्कूल से प्रायः हर साल देश को २०० ऐसे युवक प्राप्त होते हैं जिन पर देश को नाज हो सकता है। और जो देश की आजादी की लड़ाई के हमेशा प्रमुख अंग माने जाते हैं। प्रो० रंगा का भारतीय किसानों पर पूरा प्रभाव है। आंध्र के किसान तो उन्हें देवतावत् ही मानते हैं। प्रो० रंगा ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की आजादी में किसानों को सम्मिलित करने में महत्व पूर्ण भाग लिया है। देश भक्त कोंडा वैकंट पय्या पंतुलू भारत के प्राचीन सेनानी हैं जिन्होंने कई आन्दोलनों में महत्वपूर्ण कार्य करके समस्त देश में प्रसिद्धि प्राप्त की है। श्री काला वैंकटराव

आंध्र कांग्रेस कमेटी के मंत्री हैं। ये भी पंतुलू की श्रेणी के ही कार्यकर्ता हैं। श्री० पाटिल भी माने हुए कार्यकर्ता हैं। उनकी विशेष संगठन शक्ति एवं सैनिक उत्साह के परिणाम स्वरूप आप बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री हैं। वे "कार्य" में विश्वास करते हैं, वादविवाद का स्थान उनकी दृष्टि में साधारण है। श्री० एम० तिरुमलराव, श्री० टी० विश्वनाथम् तथा श्री० एम० पल्लमराजू भी आंध्र के माने हुए राजनीतिज्ञ हैं। श्री० रेड्डी, राजगोपालाचार्य के कट्टर भक्तों में से हैं। जब कभी स्वामी भक्ति एवं नेतृत्व के बीच में सिद्धान्तों का नाटक आरम्भ हो जाता है तब वे विरोधी रूप में अद्भुत बौद्धिक योग्यता का परिचय देते हैं। इस तरह पर आंध्र में ऐसे कई काबिल नेता हैं जो अवसर आने पर देश के किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से पीछे रहने वाले नहीं हैं।

हर स्थान की क्रमानुसार घटनाओं का उल्लेख यहाँ करना तो मुश्किल है पर यह कहना आवश्यक है कि यह आन्दोलन वास्तविक रूप में जनता का आन्दोलन था और परिणाम स्वरूप कई दिनों तक ब्रिटिश शासन को ग्रहण लग गया था। वास्तविक नेतृत्व के अभाव में कई स्थानों पर सरकारी हिंसात्मक दमन की कार्रवाइयों का जवाब उसी रूप में दिया गया। यह था जब चर्चिल तमाम यूरोप को दुश्मन की महायुद्ध की कोशिशों और तैयारियों को नेस्तनाबूद करने के लिये B. B. C. से उकसा रहे थे। भारतीय आन्दोलन भी चर्चिल की बात से प्रभावित हुए और वे वही करने लगे जो स्माट् के सर्वोच्च मिनिस्टर ने B B.C में कहा। युद्ध की तैयारियों को बिगाड़ने के लिये M. S. M रेलवे लाइन कई जगहों से उखाड़ दी गई रंगरूटों की भरती के विरोध में आन्दोलन, कर न देने की चेष्टा, कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति युद्ध की तैयारियों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा, विदेशी शासन के प्रत्येक हुक्म अवज्ञा आदि वृहद् आन्दोलन के मुख्य रूप थे।

कोकानाडा, राजमहेन्द्री, भीमावरम् तथा अन्य शहरों में कई दिनों तक पुलिस का राज रहा। सरकार ने स्वतंत्र कार्रवाइयों का बुरी तरह दमन किया। इसके परिणाम स्वरूप कई जगह जनता भड़क उठी और बहुत से स्थानों पर ब्रिटिश हुकूमत का चलाना ही कठिन कर दिया गया। बेजवाड़ा

तथा कई अन्य स्थानों पर रेलवे लाइनों के सुरक्षित रखने तथा जनता में अमन आमान कायम रखने के लिये फौज बुला ली गई। गन्तूर और मछली पट्टम में टेलीग्राफ की लाइनें काट दी गईं। जनता ने क्रुद्ध होकर सरकारी इमारतों पर हम ले. रेलवे स्टेशनों पर हमले आदि करना शुरू कर दिया। सरकार ने अपराधियों को दण्ड दिलाने के लिये आर्डीनेन्स के अन्तरगत् एक विशेष अदालत बैठा दी। भीमावरम् जो पश्चिमी गोदावारी पर स्थित है, आंध्र-देश का "चिमूर" हो गया था। कई व्यक्तियों पर विशेष अदालत में मामले चले और उन्हें फांसी की सजाएँ दी गईं। भीमावरम् में करीब ७० व्यक्तियों पर मामले चले जिनमें १६ को फांसी की सजा तथा अन्य को सामूहिक बगावत करने के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार एवं अवधि की सजाएँ दी गईं। गन्तूर; विजाग, टेनाली तथा अन्य मुकामों पर सरकार ने 'आतंक का राज्य' स्थापित कर दिया था जिससे कि जनता को गऊ बनाकर रखा जा सके! लम्बा अवधि की सजाओं तथा नजर बन्दी ने कई व्यक्तियों की हवा-लात में ही जान ले ली और कइयों के स्वस्थ जायदादों का नाश हो गया। डाक्टर नारनराजू को, जो ऐलोरा के हैं डाक्टरों की सलाह से तब छोड़ा गया जब उन्होंने कह दिया कि ये मुश्किल से ही एकाध दिन जीवित रह सकते हैं। मुक्त के एक हफ्ते के अन्दर ही वे चल बसे। कई व्यक्तियों को शरीर तथा जायदाद तक से हाथ धोने पड़े और कई व्यक्तियों को अपने परिवार के तथा प्रियजनों के वियोग का भयानक दुख उठाना पड़ा। उन तमाम शहीदों के नाम लिखना तो यहाँ कठिन है जिन्होंने १६४२ की आज़ादी की लड़ाइयों में अपने शरीर और सर्वस्व का स्वाहा कर दिया। यहाँ तो उनकी याद में चार आँसू ही बहाये जा सकते हैं।

यह अध्याय बिना आंध्र सरक्यूलर का जिक्र किये अधूरा ही रह जायेगा इस सरक्यूलर की चर्चा पार्लियामेंट में तथा सरकार के द्वारा प्रकाशित बदनाम प्रकाशन "Congress Responsibility" में भी की गई है। वास्तव में यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ है। इस दस्तावेज़ में Bill of Rights की बहुत से महत्वपूर्ण अंश का समावेश किया गया है और अमेरिकन कॉलोनीज़ की आजादी की घोषणा—Declaration of

Independence का भी इसमें जिक्र हुआ है। डाक्टर पट्टाभि ने अपने वक्तव्य द्वारा इस सरक्यूलर के रहस्य और इसकी गुप्तता पर पूरा प्रकाश डाला है। इस सरक्यूलर में युद्ध के समय कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को आवश्यक मार्ग प्रदर्शन करने के लिये कुछ हिदायतों का संकेत किया गया है। जब भारत में पूर्ण रूप से विदेशी शासन के मूलोच्छेदन का युद्ध ही घोषित कर दिया गया है फिर रेल के तार काटना तथा सरकारी इमारतों को जला देना आदि बातें ऐसे विकट युद्ध के सामने क्या महत्व रखती हैं? विद्रोह के समय ये बातें तो नगण्य ही मानी जाती हैं। कुछ लोगों ने तो अहिंसा में भी इसे शामिल किया है क्योंकि उनकी नज़र में अहिंसा जीवित प्राणियों पर ही की जाना चाहिये। तार काटने, रेल की पटरी उखाड़ने आदि में वे हिंसा नहीं स्वीकार करते। इस विवाद में पड़ने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं। अच्छे से अच्छे लोकतंत्री यहाँ तक कि अँग्रेज लोक तंत्रियों तक ने कहा है कि विद्रोह के समय में सभी बातें उचित होती हैं, यदि वे शत्रु की कोशिशों को बेकार करने में सहायक हों। इस दृष्टि से आंध्र सरक्यूलर आंध्र देश को एक महान देन थी। वह भारतीय विद्रोह १९४२ के अमर दस्तावेज के रूप में भारतीय जनता के गर्व का विषय है।

आंध्र देश की जागृति और आन्दोलन को कुचलने के लिये सरकार ने भयंकर से भयंकर दमन, अत्याचार, आर्डिनेन्सों, कानूनों का सहारा लिया किन्तु आन्दोलन की भावना किसी भी प्रकार दबाई न जा सकी। नेताओं के छूटते ही फिर उनमें नया जोश, उत्साह और बलिदान की तीव्र भावना जाग्रत हो उठी। इसमें कोई भी शक नहीं कि यदि फिर आजादी की लड़ाई हो तो आंध्र अपने देश की आजादी के लिये सर्वस्व कुरबान करने के लिये तैयार मिलेगा।

गोलीकाण्ड में निम्नलिखित व्यक्ति मारे गये—

गन्टूर—७

टेनाली—६

भीमावरम्—५

१३७ व्यक्तियों को कोड़े मारे गये ! कोड़ों की संख्या ४ से लेकर ४६ तक थी !

१३७ व्यक्तियों को कोड़े मारे गये। कोड़ों की संख्या ४ से लेकर ४६ थी।

टेनाली
दुगीराला
चिलिमुरू
चिरल
नीदू बरोल
वेन्द्रा
सत्यवद
रेलंगी
अत्तीली
रूकोदे
पालाकोल
सिवरावपेटा
उन्डी
अकीदू
देदू लूरू
अपालूर
संगम जागेरल मूडी
ओन्गोल
आदि स्टेशन जला दिये गये।

दोसापादू, बेजेला, गुडीवादा, नीदूबरोल, गुन्तक्ल के पास, चित्तूर के, कालो हस्ती के पास की रेल की पटरियाँ उखाड़कर फेंक दी गईं। मद्रास से बेज़वाड़ा के बीच की रेल गाड़ियाँ कतई बन्द कर दी गईं। तरह नर्सपुर और निवादा बोल के बीच की रेलगाड़ियाँ प्रायः १० के लिये कतई बन्द कर दी गईं। अकीदू और भीमावरम् के बीच एक न तक रेल की पटरियाँ उखाड़कर फेंक दी गईं १५०० स्थानों के तार गये। ऐलोर में सूचना देने के बाद ही सभी के सामने तार काटे गये।

पेनूगोंडा, उरावकोएडा, सीरी का कुलुम, जगावनेट, कवाली, अलूर, पेन्टापाडू, अचन्ठ में सबरजिस्ट्रार के दफ़्तर, जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के दफ़्तर, पुलिस लाइन्स, पोस्ट आफ़िस आदि जला दिये गये और रिकार्ड भी स्वाहा कर दिया गया।

पूरे आंध्र देश पर ८ लाख रुपये सामुहिक जुर्माना किया गया।

कनूपारटी, ओन्गोल, ताल्लुका तथा गन्तूर जिले में नमक के कोठों पर भी हमले किये गये। अनन्तपुर के गवर्नमेन्ट कालेज की प्रयोग शाला जलाकर खाक कर दी गई जिसमें प्रायः ५० हज़ार रुपये की हानि हुई।

समस्त प्रान्त में तमाम स्कूलों और कालेजों में हड़ताल हुई। कई स्कूल और कालेज तो महीनों बन्द रहे। प्रायः १०० लड़कों ने पढ़ना ही छोड़ दिया।

ज़िले में ३१० नजर बन्द हुए और १७०० हवालात में रखे गये।

अमर शहीद श्री महादेव देसाई

(बापू के दाहिने हाथ)
आप आगाखां महल में बन्दीकी हालत में शहीद हुए।

अनन्तपुर जिला

अनन्तपुर जिला आन्ध्रदेश के आन्दोलन के इतिहास में अपना प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ आरम्भ में ही तमाम नेताओं की गिरफ़्तारी कर ली गई। लड़कों ने जनता के साथ कई जुलूस निकाले व सभाएँ कीं। स्कूल के बच्चों पर पुलिस ने तीन चार कुछ ही घन्टों के अन्तर से लाठी चार्ज किये। पुलिस वहाँ से हटकर कालेज में घुस आई कई लड़कों को बेंतों से मारा और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया। गुन्तकल के करीब जनता ने रेल की पटरियाँ उखाड़ फेंकी, टेलीग्राफ के तार काट डाले तथा सरकारी इमारतों को बर्बाद कर दिया। पुलिस ने गाँवों में जाकर जनता को भी खूब ही सताया और लूटा। कई युवकों को गिरफ्तार करके कड़ी सजाएँ दिलाई गई।

करेल में भयकर दमन का जोर !

शङ्कराचार्य की नगरी में हाहाकार !!

दीनानाथ व्यास

१९४२ में सरकार ने ही आन्दोलन के सीने पर तेली चेरी में केलधन तथा माधवं मेनन और दामोदर मेनन को कालीकट में ९ अगस्त को गिरफ्तार करके प्रथम वार किया। केलधन की केरल में वही स्थिति थी जो गाँधी जी की भारतवर्ष में है। वैकोम सत्याग्रह के वीर नेता श्री० टी० के माधवन के केलधन साथी थे जिन्होंने प्रसिद्ध मन्दिर प्रवेश घोषणा की त्रावणकोर में नींव डाली। और जिन्होंने गुरुवयूर सत्याग्रह का संचालन करते हुए आमरण अनशन किया था। महात्मा जी ने ऐन मौके पर यह अनशन तुड़वाया था। १९३० में केलधन ने कालीकट से पयानूर तक सत्याग्रहियों के दल को नमक कानून तोड़ने के लिये पैदल ही सत्याग्रह किया था। केलधन की गिरफ्तारी के बाद एक साथ ही केरल के सभी नेता पकड़ गये थे। एम० पी० नारायण मेनन ने "सम्राट के प्रति विद्रोह के लिये" १४ वर्षों की पूरी सजा काटी थी। इस आन्दोलन का नाम "मलाबार विद्रोह १९२१" है। आर० राघव मेनन, एम० पी० दामोदरन और श्रीमती ए० टी० कुधीपालू अम्मा जो ५ महीने के बच्चे को लेकर जेल गई थीं— सभी १९३२ के आन्दोलन में गिरफ्तार कर लिये गये थे। महम्मद अब्दुल रहमान जो तीन वार केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति हुए और जो बाद में अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लोक की कार्य कारिणी के सदस्य थे, १९४० में D. I. R के मातहत गिरफ्तार कर लिये गये। केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी श्री० सी० के० गोविन्दन नैयर तथा खजानची श्री० के० सी० नम्बीयर बम्बई में कांग्रेस में भाग लेने गये थे पर ज्योंही वे बम्बई से लौटे कि कालीकट और पयानूर में गिरफ्तार कर लिये गये।

कोचीन में बी० श्रार० कृष्ण एजुयाचन, पनमपल्ली गोविंद मेनन तथा उनके साथी गिरफ्तार कर लिये गये। पदमयानू पिलाई भागण कौर स्टेट काँग्रेस के प्रेसीडेन्ट, जी० रामचन्दन, श्रीमती जी० मैस्करीन, सी० नारायण पिलाई तथा कई अन्य व्यक्ति त्रावण-कोर जेल में ठूंस दिये गये। मलाबार के चोटी के नेता अमरावती जेल में भेज दिये गये और शेष बेलोर में रखे गये।

महान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद, केरल में आन्दोलन की पूरी तैयारियाँ मौजूद थीं। ६ अगस्त को ही केरल के नेता गिरफ्तार कर लिये गये। तमाम प्रान्त के सभी विद्यार्थियों के हड़ताल डाल रखी थी। कालेज तथा स्कूल सभी बन्द पड़े थे। रोजाना ही विद्यार्थियों के जुलूस निकलते थे। कई जगह विद्यार्थियों के नेता गिरफ्तार किये गए और कई जगह विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज भी हुआ। जनता ने क्रुद्ध होकर उत्तरी मालाबार के चेमन चेरी में रेलवे स्टेशन और सब रजिस्ट्रार का दफ्तर जलाकर खाक कर दिये। उलीयेरी में एक पुल तोड़ दिया गया। मलाबार जिले के कई भागों में तारों का काटना, टेलीफोनों को काट देना आदि कई महीनों तक जारी रहा। पेलीकुन्नू में जो कना नूर के पास है, एक देशी बम के द्वारा एक पोस्ट आफिस उड़ा दिया गया। नादापुरम का मुन्सिफ-दफ्तर, तेनी चरी का सब कोर्ट, नदूवानूर का सब रजिस्ट्रार का दफ्तर और चम्बोल का सरकारी मछली का भण्डार या तो बमों से उड़ा दिये गये या जलाकर खाक कर दिये गये। कुछ रेलवे स्टेशन और कई पुल बर्बाद कर दिये गये। फैक्टरी नगर फेरोक में, जो टीपू सुलतान का कभी मलाबार हेडक्वार्टर रहा था, रात को एक जोरदार धड़ाके की आवाज सुनकर जाग उठा एक देहाती बम से फेरोक चारेल का पुल उखाड़ कर फेंक दिया गया। अबू कुटी को जो एक चाय की दूकान करता था और साथ ही एक काँग्रेसी था, गिरफ्तार कर लिया गया और उसे दस साल की सख्त कैद की सजा दे दी गई। उस पर सजा के अलावा ५००) रु० जुर्माना भी किया गया। यदि जुर्माना न दे तो २ साल की सजा और जोड़ देने का हुक्म दिया गया। जेल में उसका स्वास्थ्य नष्ट हो

गया। जब वह मरने की हालत में आ गया तो जेल अधिकारियों ने उसे डाक्टरी सलाह पर छोड़ दिया। उत्तरी या मालाबार में लूटमार का आन्दोलन होता रहा।

गवर्नर की स्पेशल मोटर जब कनू नूर से कालीकट जा रही थी, चम्बोल पर रात में रोक दी गई। एरना कूलम में जहाँ गवर्नर भाषण देने जा रहे थे, उनके आने के पहिले ही, वहाँ का पण्डाल जलाकर खाक कर दिया गया।

जिला मजिस्ट्रेट का यह खयाल था कि यदि टी० के० नारायण को गिरफ़्तार कर लिया जाय तो लूटमार की प्रवृत्ति एक दम बन्द हो जायेगी। नारायण गिरफ़्तार कर लिये गये। किन्तु जिला मजिस्ट्रेट का विचार गलत था। उनकी गिरफ़्तारी के बाद तो आन्दोलन को रूप बहुत ही उग्र हो गया। किन्तु सरकार ने आन्दोलन को दबाने के लिये दूसरी चाल चली। एक जबरदस्त मामले का उद्‌घाटन हुआ जिसका नाम "टेली चेरी कान्सपिरेशी केस" रखा गया। इस मामले में केरल के तमाम नेताओं को घसीट लिया गया और उन पर यह अपराध लगाया गया कि जितना उपद्रव एवं हानि जिले में हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है। बालान को इस मामले में १० वर्ष और दूसरे ५ व्यक्तियों को ७-७ साल की सजाएँ दी गईं।

मलाबार में सविनय अवज्ञा, जुलूस, विशाल सभाएँ तथा पिकेटिंग यह दैनिक कृत्य ही हो गये थे। अहिंसात्मक कार्यों एवं शान्ति पूर्ण कार्यों के लिये भी सैकड़ों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। १९४२ में बहुत बड़े पैमाने पर गाँधी जयन्ती मनाई गई। तमाम कालेज और स्कूल कताई बन्द हो गये। गाँधी जयन्ती के दिन श्रीमती टी० के० नारायणन् के सभापतित्व में तेलीचरी में स्त्रियों का एक विशाल जुलूस निकला। इसके आस पास स्पेशल पुलिस तैनात कर दी गई थी। सिर्फ "गाँधी जी की जय" कहने पर ही तेलीचरी हाई स्कूल के हेड मास्टर ने एक नवयुवक विद्यार्थी को जूतों से पीटा हेड मास्टर के इस घृणित कार्य के विरोध में तमाम लड़कों ने हड़ताल कर दी। पिकेटिंग के कारण १० लड़कों को अदालत से सजा मिली। उस

-समय कम्यूनिस्ट लोग प्रत्येक घर पर जाकर यह प्रचार करते रहे कि लड़कों को स्कूल में जाना चाहिये और हड़ताल खत्म कर देना चाहिये।

केरल का १६४२ का आन्दोलन दुहेरे पत्त से ही रहा था। एक लड़ाई तो सरकार से लड़ी जा रही थी दूसरी कम्यूनिस्टों से। मलाबार का उत्तरी भाग कम्यूनिस्टों का जबरदस्त अड्डा था। १६४० के सितम्बर मास में कांग्रेस की स्पष्ट सलाह के विरुद्ध कम्यूनिस्टों ने विद्रोह किया और कहा जाता है कि वहाँ उन्होंने मोरा, जहा तथा मतानूर में कुछ पुलिस के आदमियों को कत्ल कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ खूब दमन हुआ। इधर नेता गण भूमिगत कार्यों में जुट गये। लोग विचारे नेता रहित होकर पुलिस राज में बुरी तरह कुचले गये। इन कारणों से किसानों तथा जनता का कम्यूनिस्टों पर से विश्वास ही उठ गया। वे अपने नये नारे पीपुल्सवार की आड़ में जनता पर फिर से प्रभुत्व जमाने की चेष्टा कर रहे थे साथ ही पुलिस की नज़र में भी भले आदमी बनना चाहते थे।

१६४२ के आन्दोलन ने प्रत्यक्ष तो नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से केरल में तो कम्यूनिस्टों की हलचल का अंत ही कर दिखाया। आन्दोलन के आरम्भ होते ही कई अनुभवी कम्यूनिस्टों ने कांग्रेस में नाम लिखा लिया और पुराने दल के दल से बाहर निकल आये। कम्यूनिस्टों के अड्डे केरल में कांग्रेस के दुर्ग बन गये। गाँवों के किसान जो एक समय कम्यूनिस्टों के नारे लगाने लगे थे फिर "गाँधी जी की जय" बोलने लगे।

बम्बई से डाक्टर के० बी० मेनन, ही० ए० के सवननैयर, सी० पी० संकरन नैयर मिथाई मन्जुरन, और एन० ए० कृष्णन नैयर के मलाबार आ जाने पर आन्दोलन में बहुत ही जोर आ गया। इस जोर को दबाने के लिये पुलिस कम्यूनिस्टों ने मिलकर फौरन षड़यन्त्र को जना दिया। उस षड़यन्त्र का नाम था "खीजरयूर बम केस" रखा गया। यह मामला आल इंडिया सिविल लिबरटीज़ यूनियन के सैक्रेटरी डाक्टर के० बी० मेनन तथा उनके दो दर्जन साथियों पर चला। और उन सभी को ७ से लेकर १० साल तक की सख्त सजाएँ दी गईं। उन विचारों को हिन्दुस्थान की कुप्रसिद्ध अलो-पुरम् जेल बिलारी में सजा काटने के लिये रखा गया। वहाँ तेलीचरो"

कान्नूर्पारेसी तथा तथा यूलेयेरी ब्रिज, वेस के भी कैदी रखे गये। मियाई, मञ्जुरन, कुन्ही रमन विदय (वेलप्पन के सुपुत्र) तथा सदानन्दन कानून, के पंजों से बचकर भाग निकले जिनका अभी तक पता नहीं है। "स्वतन्त्र भारतम्" नामक एक गैर कानूनी साप्ताहिक पत्र मलायालम् से प्रकाशित किया गया जो महीनों जिले भर में वितरित होता रहा। पुलिस इसका पता लगाने के लिये खूब फिरी पर पता नहीं लगा सकी।

श्री नवीनचन्द ईश्वरलाल शराफ इस प्रान्त के सर्व प्रथम शहीद थे। वे कालों कटके जेमोरिन कालेज में इन्टरमीडियट क्लास में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वे गुजराती थे तथा उनकी उम्र कुल १६ वर्ष की थी। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद लड़कों के आन्दोलन का नेतृत्व करने के अपराध में उन्हें २ माह की सजा या ७५) रु० जुर्माना किया गया था। शराफ की माता अदालत में जुर्माना जमा कराने पहुँचा तो वीर पुत्र ने माता से कहा कि "माता जी! यदि आपने यहाँ जुर्माना दे दिया तो आपका पुत्र आपको फिर जीवित नहीं मिल सकेगा।" साश्रुनयन माता लौट आयीं। लड़के ने जेल जाना पसन्द किया और वह भी अलीपुरम् भेज दिया गया। शराफ को "सी" क्लास दी गई और उसको गेहूँ की रोटियां देना बन्द कर दिया गया। जेल का खाना उसके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं हुआ। वह बीमार हो गया। जेल डाक्टर रोज रिपोर्ट में लिख देते कि उसे साधारण सा मलेरिया का बुखार आता है। एक महीने बाद डाक्टरों को पता चला कि वह मियादी बुखार से पीड़ित है। पहिले तो डाक्टरों ने उसे बड़े अस्पताल भेजने से इन्कार कर दिया। लड़के की हालत बहुत ही खतरनाक हो गई। इस पर तमाम कैदियों ने इसके विरोध में हड़ताल करने की सूचना जेल अधिकारियों को दे दी। डाक्टर को इसके अलावा किसी दूसरे जरिये से भी सूचित किया गया कि लड़के के बढ़िया इलाज कराने के लिये इसे बाहर भेज दिया जाये। नतीजा यह हुआ कि उसकी जेल की मियाद खत्म होने के चार दिन पहिले १ दिसम्बर १९४२ को यह अलीपुर जेल बेलारी के हेड क्वार्टर के अस्पताल में शहीद हो गया।

प्रभू जो पिनैले कई आन्दोलन का वीर था, इस आन्दोलन में गिरफ्तार किया जाकर अमरावती जेल में रखा गया। अमरावती की हवा उसे अनुकूल नहीं हुई और वह सख्त बीमार हो गया। जब डाक्टरों ने जवाब दे दिया तो उसे तिलेचरी में मरने के लिये मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार प्रभू जो १६२० से लेकर १६४२ तक की आजादी की लड़ाइयों का वीर था, सरकार की ज्यादितियों का शिकार होकर शहीद हो गया। मरने के पूर्व वह शान्ति काल में केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और आन्दोलन में केरल का डिक्टेटर था।

श्री० पी० के कुन्ही शंकर मेनन जो केरल कांग्रेस के जाज्वल्य मान नक्षत्र थे, डाक्टरी सलाह पर जेल से छूटने के बाद ही शहीद हो गये। उनके पीछे उनकी वीरता भरी स्मृतियाँ जो १६२० से लेकर १६४२ का समय घेरे हुए थीं—अमर रह गयी हैं।

श्री० के० कुन्हीराम (विजरिया बम केस के अभियुक्त) तथा श्री कोम्बी कुन्ही मेनन भी अलीपुरम् जेल बेलारी में शहीद हो गये। कुन्हीराम तो पहिले के कम्यूनिस्ट थे तथा दूसरे जमीदार घराने के व्यक्ति थे। ये दोनों आन्दोलन में सगे भाइयों की तरह हाथ में हाथ डाले शहीद हो गये।

टिनावली में लड़कों पर गोली चार्ज !

कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद एक दिनेटिनेवली में रथ यात्रा का जुलूस निकला। बड़े मन्दिर से, परम्परा के अनुसार, रथ भक्तों द्वारा ही लड़कों पर खींचा जाता था। लड़कों ने रथ पर तिरङ्गा भण्डा लगा रखा था। दूसरे दिन पुलिस ने रथ पर से तिरङ्गा झण्डा उतार देने का हुक्म दिया। उन लड़कों ने जनता को इस बात के लिये तैयार कर लिया कि रथ पर से तिरङ्गा भण्डा किसी भी तरह उतारा नहीं जा सकता। तीन चार दिन तक पुलिस अपनी पर ही डटी रही और उस सड़क पर से लोगों का आवागमन बन्द कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने रथ को कालेज के सायबान में जाकर रख दिया। अब पुलिस लड़कों से मन में शत्रुता रखने लगी। यहाँ तक कि जहाँ भी विद्यार्थी एकत्रित होते पुलिस बराबर उनके पीछे ही रहती थी।

इसके बाद ही तमाम टिनेवली के नेता लोग गिरफ्तार कर लिये गये। इससे विद्यार्थियों का दाहिना हाथ ही टूट गया क्योंकि वे नेताओं से ही सहायता लिया करते थे। गाँधी जयन्ती २ अक्टूबर १९४२ को सेन्ट जेवीयर कालेज से प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाकर एकत्रित लड़कों पर होस्टल में लाठी चार्ज करने की अनुमति दे दी। कई लड़कों को मार मार कर होस्टल से बाहर लाकर सड़क पर पटक दिया। फिर भी तमाम लड़कों ने मिलकर राष्ट्रीय भण्डा फहराया। इसके बाद शाम को छोटे लड़कों ने ४-४ की पंक्तियों में गाँधी के फोटो तथा तिरंगे भण्डे का एक जुलूस निकला। जुलूस जब मुकाम पर पहुँचा उस समय २००० हजार से ज्यादा विद्यार्थी उसमें सम्मिलित हो गये थे। ये मन्दिर के सामने ही पुलिस द्वारा रोक दिये गये। कलक्टर ने जुलूस को ५ मिनिट में तितर बितर हो जाने की आज्ञा दी।

लड़के वहाँ से हटने की तैयारी कर ही रहे थे कि पुलिस ने गोली चला दी। कई व्यक्ति भगदड़ में गड्ढों में जा गिरे पर पुलिस ने उन्हें बेरहमी के साथ खींचते हुए अस्पताल में पहुँचाया। कई पुलिस वालों पर पत्थर भी फेंके गये। इस पर पुलिस इन्स्पेक्टर ने आकर दुबारा गोली चार्ज करवाया।

दूसरे दिन कालेज का सायबान पुलिस ने जलाकर खाक कर दिया और तमाम लड़के गिरफ्तार कर लिये गये।

टेनाली में आन्दोलन की भयानकता

टेनाली गन्तूर जिले के हृदय स्थान पर स्थित है। आजादी की लड़ाई में टेनाली हमेशा ही आगे रही है। ११ अगस्त १६४२ को गन्तूर जिले के तमाम नेता बम्बई से लौट कर आये और उन्होंने गाँधी जी के सन्देश "करो या मरो" तथा "भारत छोड़ो" प्रस्ताव का अर्थ जनता को समझाया नेताओं की गिरफ़्तारी के विरोध में १२ अगस्त को गन्तूर जिले में हड़ताल मनाई गई। लड़के भी स्कूलों से बाहर निकल आये। एक छोटा सा जुलूस जिसमें ज्यादातर स्कूली विद्यार्थी ही थे नारे लगाते हुए मुख्य सड़कों पर से गुजरे। इसके बाद वे स्टेशन पर पहुँचे और सारा स्टेशन अपने कब्जे में ले लिया बुकिंग क्लर्कों को निकल जाने के लिये कहा गया। स्टेशन मास्टर तथा अन्य क्लर्क निकाल कर बाहर कर दिये गये। रेलवे पुलिस से अपना बिल्ला रख कर चले जाने को कह दिया गया। विद्यार्थियों की आज्ञाओं की स्टेशन के किसी भी व्यक्ति ने अवहेलना नहीं की। उन बीस वर्ष से भी कम उम्र के विद्यार्थियों ने स्टेशन वालों से पूरा स्टेशन खाली करा लिया। इसके बाद विद्यार्थियों पर महत्वपूर्ण वस्तु को बर्बाद कर दिया। स्पेन्सर के रिफ्रेशमेन्ट रूम की तमाम शराब की बोतलें फोड़ डाली। टेलीफोन आदि चूर चूर कर दिये गये। टेलीग्राफ के तार काट दिये गये। स्टेशन के पास की एक इमारत घासलेट छिड़क कर जला दी गई। टिकिट और नगदी जो भी हाथ आया सभी आग में झोंक दिया गया। विद्यार्थियों ने नोटों के बन्डल तक जलाकर राख कर दिये। शीघ्र ही आग से सारा स्टेशन जल उठा। उसी समय मद्रास की तरफ से एक पैसेंजर गाड़ी आ रही थी। उसे सिगनल नहीं दिया गया इसलिये वह रेलवे की सीमा से बाहर ही खड़ी हो गई। उस गाड़ी के ड्रायवर, गार्ड, यात्री तथा कुछ यूरोपियनों को उसमें से बाहर निकाल कर गाड़ी जला दी गई।

इसके बाद थककर भोजन करने के लिये विद्यार्थी तितर बितर हो गये। लेकिन रेलगाड़ी में आग लग जाने से भीड़ बढती ही चली गई। इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि कुछ समय के लिये गन्तूर जिले में से अँग्रेजी हुकूमत लोप गई है। कुछ समय के लिये तो बिलकुल ऐसा ही लगता था कि गन्तूर में अँग्रेजी शासन ठप होगया है। कुछ समय तक वहाँ के अधिकारियों ने गन्तूर में खबर भेजने की चेष्टा की पर टेलीफोन तथा टेलीग्राफ आदि के सभी साधन बेकार कर दिये गये थे। ऐसा ज्ञात हुआ है कि गन्तूर में खबर बिजली घर के जरिये भेजी गई क्योंकि आन्दोलकों ने वहाँ हमला नहीं किया था।

१२ बजे के लगभग हथियारों से भरी मोटर तथा सैनिकों को लेकर जिला मजिस्ट्रेट और जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस घटना स्थल पर उतरे। उन्हें देखने के लिये जनता दौड़ी हुई गई। जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें हट जाने के लिये कहा पर वहाँ से कोई हिला तक नहीं।

इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि गोली चलाई जायेगी। इस पर भी जनता शान्ति के साथ खड़ी रही। आखिर पुलिस ने अपनी बन्दूकें उठाईं और भरना शुरू किया। जनता यह सब देख रही थी पर शान्ति के साथ खड़ी रही, एक इञ्च भी पीछे नहीं हटी। जिला मजिस्ट्रेट ने आखिर गोली चलाने का हुक्म दिया। सब से पहिले जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने ही गोली चलाई। ५ व्यक्ति वहीं मर गये। २ बाद में जख्मों की गंभीरता के कारण मरे और ५ व्यक्तियों को गहरे जख्म आये। पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने एक युवक को पकड़ कर कहा कि "हट जाओ वरना गोली का निशाना बना दिये जाओगे"। इस पर लड़का सीनातान कर और आगे बढ़ गया और कहने लगा—"अच्छा, मुझे गोली मार दो" सुपरिन्टेन्डेन्ट ने गोली मार दी और लड़का वहीं शहीद हो गया इस गोली कांड में एक एडवोकेट भी मारा गया जो जिला मजिस्ट्रेट के पास से जनता को तितर-बितर हो जाने के लिये समझाने को लौट रहा था। घटनास्थल पर हाहाकार मचा हुआ था। वह दृश्य लोगों से देखा तक

नहीं जा सका। घायलों और मृतकों को संभालने के बजाय अपने कृत्यों पर पुलिस को बहुत ही गर्व था।

घटना हो जाने के कई महीनों बाद वहाँ गोरी फौज का पड़ाव पड़ गया। फौज रोजाना पिस्तौल बन्दूकों से शहर में इसलिए गश्त लगाती रहती कि लोगों पर आतंक छाया रहे। गन्तूर जिला पूरा फौज की रहम पर था। कई लोगों को महज इस शक पर ही गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने स्टेशन जलाने में सहायता पहुँचाई है। उन पर स्पेशल अदालत में मामला भी चलाया गया। उनमें से ४ व्यक्तियों ४-४ साल की सख्त कैद की सजा दी गई।

टेनाली कस्बे पर ४ लाख रुपये सामुहिक जुर्माना किया गया। भारतवर्ष के किसी भी शहर पर अगस्त आन्दोलन में ज्यादा रकम जुर्माने के रूप में किसी से भी वसूल नहीं की गई। इस जुर्माने की वसूली में भी कई प्रकार के अत्याचार किये गये। लोगों का सामान और जायदाद मनमानी कीमतों पर नीलाम कर दी गई।

तीन सालों से टेनाली १२ अगस्त को शहीद दिवस मनाता रहा है। इस दिन पूरे जिले में हड़ताल होती है और शाम को शहीदों की याद में प्रार्थना की जाती है। यद्यपि हर साल सरकार लोगों पर अत्याचार ढाती है; फिर भी जनता शहीद दिवस तो अवश्य ही मनाती है। १९४५ की १२ अगस्त को टेनाली में शहीद दिवस मनाया गया और श्री० के० चन्द्रमौलि M.L.A. ने स्मृति प्रस्तर का उद्घाटन किया। इस शिला पर सभी शहीदों के शुभ नाम व परिचय खुदे हुए हैं।

कर्नाटक में वीर महादेवप्पा की शहादत !

दिल्ली के निरंकुश शासकों ने आन्दोलन को दबाने के लिये दमन की जिन प्रणालियों को अपनी अदूरदर्शिता और शीघ्रता से अपनाया, वही दमन जनता को भड़काने में सफल हुआ और इसी दमन की तीव्रता के परिमाण से ही आन्दोलन में प्रगति होती चली गई। वरना भारतीय प्रकृति शान्त है वह बिना कारण लड़ने की रुचि से रहित ही है। निहत्थी भारतीय जनता दमन के कारण ही शस्त्रों से लैस ब्रिटिश शासन के साथ मुकाबला करने को कटिबद्ध हो गई। कुछ राजनीतिज्ञों का यह ख्याल था कि आन्दोलन की शुरुआत कांग्रेस ने ही की है। पर यह बात प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो चुकी है कि कांग्रेस ने कभी भी आन्दोलन का श्री गणेश नहीं किया। आन्दोलन की शुरुआत शान्त और अहिंसावादी युवकों पर अत्याचार करने से ही आरम्भ हुई। व्यापारी, बैंकर पूंजीपति तथा कानूनी व्यक्ति (वकील आदि) इस आन्दोलन से दूर ही रहे। लेकिन बम्बई और कर्नाटक में लोग अपनी मरजी से ही आन्दोलन में शामिल हुए।

कई आफीसरों ने तो आन्दोलन को अपनी तरक्की का साधन ही माना। सोचते थे कि जितना ज्यादा सख्ती से दमन किया जायेगा और जितनी ज्यादा गिरफ्तारियाँ की जायेंगी उतनी ही जल्दी उन्हें तरक्की का मौका मिलेगा। और सच तो यह है कि उनका सोचना गलत नहीं था। इसीलिये कई व्यक्तियों को बिना कारण ही रस्सियों से बाँध लिया गया। उनके मित्रों रिश्तेदारों ने प्रार्थनाएं भी कीं पर उन्हें किसी तरह भी मुक्त नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि मद्रास प्रान्त के दीगर २५ जिले औसतन हर जिले में से १२-१२ नजर बन्दों पर गर्व कर सकते हैं वहाँ बेलारी जिला, जो कभी भी अपराधियों का केन्द्र नहीं रहा, इस बात का गर्व कर सकता है कि उस जिले में ६४ ऐसे व्यक्ति मिले जो ब्रिटिश हुकूमत

के लिये भयानक खतरा माने गये भयंकर दमन और अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियाँ खाली नहीं गई। जिले के तीन पुलिस इन्स्पेक्टरों की २५) रु० माहवार तनख्वाहें इसीलिए बढ़ाई गई कि उन्होंने आन्दोलन को कुचल देने में जबरदस्त योग्यता और होशियारी का परिचय दिया है। एक जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जिसने आन्दोलन में थोड़ी दया से काम लिया, फौरन ही दूसरे जिले में तब्दील कर दिया गया।

गैर सरकारी रिपोर्टों तथा सरकारी रिपोर्टों के अनुसार बम्बई कर्नाटक में आन्दोलन बहुत ही तीव्र रहा। जो लोग भूमिगत रह कर काम कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी तथा उनकी सूचना भर के लिये हजारों रुपये खर्च किये गये। आन्दोलन के कारण करनाटक के कई भागो में महीनों तक *ब्रिटिश हुकूमत का नामो निशान तक नहीं रहा।*

करनाटक में लोगों को मामलों की सुनवाई के लिये २-२ साल तक हवालातों में रखा गया। जितने भी मामले अदालतों में चलाये गये उनमें से अधिकाँश में अपराधी मुक्त कर दिये गये या मामले अदम सुबूत में खारिज हो गये।

कर्नाटक को अपने सबसे महान शहीद योद्धा महादेवप्पा पर गर्व है। वे अब उसका सुन्दर स्मारक उठाने की चेष्टा कर हैं। महादेवप्पा माती वेनूर का रहने वाला वीर था। माती वेनूर धारवाड़ जिले में है। महादेवप्पा ने साबरमती आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। ये महात्मा गाँधी के कट्टर अनुयायी थे। महात्मा जी के साथ महादेवप्पा डाँडी यात्रा १९३० में विद्यमान थे। *"करो या मरो" के सन्देश को आधारभूत सिद्धान्त मानकर* महादेवप्पा दिल से आन्दोलन में कूद पड़े। १ अप्रेल १९४३ को अपने दो साथियों के साथ वे पुलिस की गोली से शहीद हुए।

कोयमबटूर के एक हेडमास्टर का स्वतंत्रता संग्राम में अनोखा भाग !!!

मि० R. श्री निवास अयंगर सर्वजन हाई स्कूल पीलामेडू कोयमबटूर के हेड मास्टर हैं। उन्होंने हेड मास्टर होते हुए साहस के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। निम्न लिखित ब्यौरा उन्होंने अपनी कलम से लिखा है। वह इस प्रकार है—

"मेरा स्वतंत्रता के युद्ध में भाग लेना सिर्फ यहीं तक सीमित है कि सरकार ने प्रेस में जो एकदम झूठे वक्तव्य, कांग्रेस को निंदित व अपमानित करने के लिये छपाये, उनकी वास्तविकता जनता के आगे रख दूँ। यह सभी को ज्ञात है कि उन दिनों पत्रों में, यहां तक कि राष्ट्रीय पत्रों में भी आन्दोलन पर कुछ लिखना व छाप देना भयकर कार्य था।"

"अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ऐतिहासिक बैठक के कुछ दिनों पूर्व अर्थात् ८ अगस्त के पूर्व, मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से समाचार पत्रों के जरिये प्रार्थना की थी कि दया करके प्रस्ताव में से "भारत छोड़ो" प्रस्ताव छोड़ दिया जाय। और मेहरबानी करके इस "भारत छोड़ो" प्रस्ताव से विद्यार्थियों को दूर ही रखा जावे। इस अपील में मैंने इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार प्रकाशित किये थे। इन्डो ब्रिटिश कामन वेल्थ की जबरदस्त प्रतिनिधि मिसेज बीसेन्ट ने कहा है—"कि वह भारतवर्ष की उच्छृंखल और अस्त व्यस्त दशा में देखना बहुत ही पसन्द करती हैं बनिस्बत इसके कि वह पराये शासकों के हाथ में निर्माल्य बना रहे।"

यद्यपि मैंने उक्त प्रस्ताव के अस्वीकार करने के लिये प्रार्थना की थी फिर भी यह अवश्य ही दिग्दर्शित कर दिया था कि 'भारत छोड़ो" प्रस्ताव चाहे निराशा जन्म और क्रोध के आवेश में तैयार किया गया प्रस्ताव ही है किन्तु यह श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री जी के १९३० वाले प्रस्ताव "भारत को

अपने भाग्य पर छोड़ो, और जो ले जा सको लेकर चलते बनो" का ही सशोधित और परिवर्तित सूत्र रूप है। इस प्रकार मैंने अपने मत की मनोवैज्ञानिक पुष्टि भी की थी।"

१६४२ की सितम्बर में मुझे चर्चिल की भारतीय पालिसी पर भी एक वक्तव्य प्रकाशित कराने को बाध्य होना पड़ा था। जिसमें मैंने लिखा था कि "चर्चिल की स्पीच से यह स्पष्ट है कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समस्या और भारतीय समस्या को समझने की उनमें योग्यता नहीं है।" इसकी पुष्टि के लिये मैंने १६२३ की H. G. wells की ज्वलंत राय भी पेश की थी कि 'एमरी और चर्चिल को किसी किस्म के ऐसे स्थान पर रखना चाहिये जहाँ कि मानवी जीवन से खिलवाड़ करने के बजाय शान्ति से अपने दिन बितायें।"

"१६४२ की सितम्बर की पार्लियामेन्ट की बहस में हाउस आफ कामन्स में भाषण करते हुए एमरी ने कहा था कि "गांधी जी ने सशस्त्र क्रान्ति की चुनौती दी है। मि० मैक्स्टन के रोकने पर एमरी ने पुनः कहा कि गांधी जी ने स्वयं ही अपने पत्र में यह वक्तव्य अपने हाथों लिखकर प्रकाशित करवाया है।" १६४२ २८ जून के "हरिजन" में से आवश्यक उद्धरण पेश करते हुए मैंने साबित किया था कि कल्पना की किसी भी सीमा में प्रवेश करते हुए गांधी जी के वक्तव्यों का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि वे हिंसात्मक क्रान्ति की चुनौती दे रहे हैं। मैंने "हरिजन" में से एमरी और क्रिप्स के हाउस आफ कामन्स में दिये गये सितम्बर १६४२ के वक्तव्यों द्वारा यह भी साबित किया कि गांधी जी के बीच में पड़ने से ही क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये।"

"सितम्बर १६४२ में काउन्सिल आफ स्टेट के अध्यक्ष की हैसियत से सरकार की पालिसी की पुष्टि करते हुए सर महम्मद उसमान ने कहा था कि "हमें चर्चिल का धन्यवाद स्वीकार करना चाहिये कि उन्हें यह बहुत समय पर घोषित कर देने की कृपा की, कि कांग्रेस समस्त भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती और यह पूंजी पतियों और धनियों द्वारा पोषित पार्टी मात्र है।" डग्लस रोड की" A. Prophet at home" का एक

उद्धरण भी मैंने प्रकाशित करवाया था कि "ब्रिटेन के शासक जो सरकारी श्रोहदों तथा उसी के समान ऊँची जगहों पर कार्य कर रहे हैं उनमें से दो चार ही ऐसे हैं जो लन्दन के प्रसिद्ध पब्लिक स्कूलों में पढ़े हों। प्रायः सभी की शिक्षा ऐसे दकियानूस स्कूलों में हुई है जिनके सहायकों और संस्थापकों को ध्येय ही यह था कि विशेप धन सम्पन्न अयोग्य व्यक्ति को ही ऊँची जगहें दी जाँय और योग्यतम निर्धन व्यक्ति को शासन चक्र में घुसने ही नहीं दिया जाय।"

"एमरी के इंडिया आफिस को तोड़ देने की नेक माँग का उत्तर देते हुए मैंने 'प्रसिद्ध नाइन्टीन' के १६१५ वाले मैमोरेन्डम का हवाला देते हुए बताया था कि "वाइसराय की एक्जीक्यूटिव काउंसिल के भारतीय मेम्बरों का चुनाव वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसल में से ही किया जाना चाहिये।" आगे चलकर मैंने काउंसिल आफ स्टेट में दिये गये सर जोगेन्द्रसिंह के भाषण की सत्यता का भी पर्दा फाश किया था। सर जोगेन्द्र सिंह ने कहा था कि "लार्ड लिनलिथगो ने एक्जीक्यूटिव काउंसिल में जबरदस्त भारतीय बहुमत का सम्पादन कर लिया है जब कि जबरदस्त उदारदली जान मोर ले एक भी भारतीय का तैनात नहीं कर सके।" इसका उत्तर देते हुए मैंने अधिकारपूर्ण स्रोतों द्वारा यह प्रकाशित किया था कि "मोरले ने तो एक्जी क्यूटिव काउंसिल में लार्ड सिन्हा को नियुक्त किया था और मि० जोगेन्द्रसिंह के तथ्य निर्मूल हैं।"

"१६४३ की दिसम्बर में चर्चिल द्वारा दिये गये भाषण की ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया था जिसमें चर्चिल ने कहा था कि "गाँधी जी तथा दूसरे प्रमुख नेता जब तक आन्दोलन खत्म नहीं हो जाता तब तक हानि प्रद पथ से दूर ही रखे जायँगे।" इसका उत्तर देते हुए मैंने लिखा था कि चर्चिल को अपने स्वयं शब्दों को पूरा करने का अब समय आ गया है क्योंकि खुद चर्चिल ने ही हाउस आफ कामन्स में कहा कि अब आन्दोलन खत्म हो चुका है।"

काँग्रेस ने अपने बलिदान और निस्वार्थ सेवा के भरपूर इतिहास द्वारा बुद्धि सम्पन्न जनता में अपूर्व जागृति पैदा कर दी है। ऐसी अधिकारी एवं

योग्य तर्म संस्था' को इस समय अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिये। महज रचनात्मक कार्यक्रम से तो देश की उन्नति रत्ती भर भी नहीं होगी और साथ ही पार्लिमैन्टरी प्रोग्राम भी इसे जबरदस्त खतरे में डाल देगा। शिमला कान्फरेन्स के आरम्भ में ही मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को तार दिया था "प्रार्थना करता हूँ कि रचनात्मक राजनीतिज्ञता का परिचय देते हुए शासन की बागडोर को संभालिये। भारत फिर भूल न कर जाय।"

"परमात्मा कॉंग्रेस को शक्ति दे कि वह ऐसे खतरनाक समय में भारत के भाग्य का वास्तविक निर्णय हा करे।"

दक्षिण के अन्य स्थान

मैसूर रियासत में शङ्करप्पा की शहादत ?

१६१६ से लेकर आज तक मैसोर रियासत ने हमेशा ही स्वतंत्रता की लड़ाई में आश्चर्य जनक भाग लिया है। दूसरी कोई भी भारतीय रियासत इस बात का दावा नहीं कर सकती, न इसका गर्व ही कर सकती है। १६४२ में जब विश्व की सर्वोच्च चेतन शक्ति मय अपने सहायकों के जेल में बन्द कर दी गई, तब भारत के दूसरे भागों की तरह यहाँ के विद्यार्थियों ने सरकार के जुल्म और ज्यादतियों के विरुद्ध सिर ऊँचा किया। १६४२ का वर्ष युवकों के वास्तविक अवसर का ही समय था।

मैसूर रियासत के तमाम स्कूल और कालेजों का बायकाट हो गया। ६० दिन तक बराबर हड़ताल सफलता पूर्वक जारी रही। इसी बीच ५०० विद्यार्थी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिये। उनमें से ३०० मैसूर सिटी जेल में रखे गये। शंकरप्पा उनमें से एक था।

लेकिन पत्थर की दीवारों को ही जेल नहीं कहा जा सकता। जेल की चहारदीवारियों में स्वतंत्र आत्मा आबद्ध नहीं हुआ करती। वरन बन्धन के कारण और भी उत्तेजित और उन्नत एव पुत हो जाती है। इस उत्तेजन को सरकार भला कैसे बरदाश्त कर सकती थी ? जेल में विद्यार्थियों ने हड़ताल करने का निश्चय किया।

विद्यार्थियों ने २७ अक्टोबर की आधी रात को हड़ताल आरम्भ कर दी। इस पर ४५० पुलिस के जवान लाठियों और बन्दूकों को लेकर अहिंसक ३०० विद्यार्थियों पर चढ़ आये। जिस ब्लाक में ये ३०० निहत्थे विद्यार्थी थे वह क्षेत्रफल में १ फरलांग से ज्यादा नहीं था। ठीक आधी रात का सुनसान वक्त था और हमला ४५ मिनिट जारी रहा।

उनमें से ७२ व्यक्तियों को अस्पताल भेजा गया। उन सब में शंकरप्पा ही सबसे ज्यादा घायल हुआ था। वह ऊँचा और हमेशा हंसमुख, सुन्दर और बलिष्ट, मितभाषी और अथक परिश्रमी था। शंकरप्पा को देखकर स्पार्टन वीर की याद आ जाती है। इस माजरा के हो जाने पर भी एक भी शब्द उसकी जबान से नहीं निकला। एक भी शिकायत उसने किसी को नहीं की। आधे का तो उसके चेहरे पर चिन्ह भी नहीं था।

बेहद जख्मी हो जाने पर दूसरे ही दिन उसे अस्पताल में भरती कर दिया गया। जिस समय उसे स्ट्रेचर पर रख कर अस्पताल भेजा रहा था, उस समय भी वह मुस्करा रहा था। वह मुस्कराहट एक सत्याग्रही की मुस्कराहट थी उसके ६ घन्टे बाद ही वह चल बसा।

उसके मरने के साथ ही स्वतंत्रता के संग्राम में मैसूर रियासत की मोहर लग गई। स्वतंत्रता के दुर्ग में ऐसी हजारों हड्डियों की नींव देना ही पड़ती है और पानी की जगह नींव को रक्त से सींचना पड़ता है।

उसकी मृत्यु के बाद विद्यार्थियों की कई संस्थाएँ अनुशासित ढङ्ग पर खुलीं। और आज बहादुर शहीद शंकरप्पा की प्रेरणा से दिन दूनी और रात चौगुनी फल फूल रही हैं।

—: ० :—

कोल्हापुर और मिरज का स्वाधीनता के संग्राम में महत्वपूर्ण भाग

१ – कोल्हापुर

महात्मा गांधी तथा दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार ज्यों ही कोल्हापुर पहुँचा त्योंहि तमाम जनता ने एक दम हड़ताल कर दी। नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कई सभाएँ और जुलूस निकाले गये। हजारों लड़कों और मजदूरों ने सभाओं में बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया।

२०००० व्यक्तियों की सभा में कोल्हापुर की स्टेट पीपल्स कान्फरेन्स ने १३ अगस्त १६४२ का जिम्मेदाराना हुकूमत का शीघ्र ही माँग की। इस घोषणा के २४ घन्टे के अन्दर ही प्रजापरिषद के प्रधान माधवराव बागल और २० अन्य कार्यकर्त्ता फौरन ही गिरफ्तार कर लिये गये इसके अलावा कई विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के भी वारन्ट जारी हो गये। इसके अलावा गाँवों और शहर में बराबर जुलूस और सभाएँ होती ही रहीं। इसके बाद एक डेप्यूटेशन कोल्हापुर की महारानी से भी शीघ्र ही मिला और महारानी को बताया गया कि जनता के सिपुर्द जिम्मेदाराना हुकूमत कर दी जाय। लेकिन महारानी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रजा परिषद की कार्य कारिणी ने इसके परिणाम स्वरूप १८ अक्टूबर १६४२ को यह निश्चय किया कि स्वाधीनता का संग्राम आरम्भ किया जाय। विद्यार्थियों की भी प्रजा परिषद को पूरी सहायता प्राप्त था। ५० व्यक्तियों ने आन्दोलन आरम्भ कर दिया। ज्योंही यह आन्दोलन आरम्भ हुआ कि कोल्हापुर की सरकार ने जुलूसों तथा सभाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिये। इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिये स्पेशल अदालत भी तैनात कर दी। किन्तु ब्रिटिश भारत में जब इस तरह की अदालतें नाजायज करार दी गईं तो कोल्हापुर में भी यह अदालत बन्द कर दी गई। इस अदालत के बन्द होते

शासक पर क्या प्रभाव होना था ? जब शासक ने कोई भी उत्तर नहीं दिया तब प्रजा परिषद ने सत्याग्रह आन्दोलन जारी करने की घोषणा के बाद २२ अगस्त १९४२ को दक्षिणी रियासतों के स्टेट पीपल्स कान्फरेन्स के जनरल सेक्रेटरी तथा पुराने मंजे हुए राजनीतिज्ञ मि० B. V. शिखरे तथा मि० C. A. पाटील गिरफ्तार कर लिये गये। इसके बाद श्रीमती शेटे तथा नरहरि शिराल कर भी नजर बन्द कर दिये गये। इसके बाद मि० माधवराव कुलकर्णी, मि० एम० ए० चिवटे, मि० G. S. लखाटे मिरज से व मि० रामभाऊ सुतार, मि० एस० जां० सावन्त, हुले, शङ्कर घमने, भूपाल माली आदि कुल १० कार्यकर्त्ता मालगाँव से गिरफ्तार कर लिये गये। इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मिरज की स्टेट पीपल्स कान्फरेन्स और मिरज सरकार में समझौता हुआ। मिरज सरकार एक कमेटी नियुक्त कर देने पर राजी हो गई। जिसका कार्य यह था कि वह मिरज रियासत की जनता के हितार्थ एक विधान का मसौदा तैयार करे। लेकिन प्रजापरिषद का यह कहना था कि पहिले ब्रिटिश सरकार से रियासत को सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिये।

इस अस्थायी समझौते के परिणाम स्वरूप मि० B. V. शिखारे के सिवाय सभी व्यक्ति मुक्त कर दिये गये। मि० शिखारे जिनको नजर बन्द ही रखा गया था, उन्होंने मिरज सिटीजेल में १५ दिन के उपवास की घोषणा कर दी। मि० शिखारे ने शासक से दो मांगें की थीं—

१—गरीबों और निर्धनों के लिये अनाज सस्ता कर दिया जावे।

२—कम तनख्वाह पाने वाले सरकारी नौकरों को मंहगाई का भत्ता दिया जावे।

सरकार ने मि० शिखारे की इन दोनों मांगों को ठुकरा दिया। किन्तु कुछ ही महीनों बाद सरकारी नौकरों को मंहगाई का भत्ता स्वीकार कर दिया। इसके बाद ही शिखारे को मिरज से नासिक जेल में भेज दिया था। और वहाँ से छः महीने बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

मि० रामभाऊ सुतार बरसी लाइट रेलवे को जलाने के अभियोग में पकड़े गये थे, और रिहा हो जाने से करान जेल में भर गये। मि० रामचन्द्र

गड़वे, देसाई और पाटिल डिग्रास मेल बाग के लूटने के मामले में गिरफ़तार हुए थे। अब वे चारों पैरोल पर छोड़ दिये गये हैं। मि० J. C. पाटील बम्बई में गिरफ्तार हुए और उनको ३ महीने का दण्ड व २५) रु० जुर्माना हुआ। मि० C A पाटील को मिरज रेलवे पुलिस ने दुबारा गिरफ्तार कर लिया किन्तु उनके विरुद्ध कोई भी सुबूत न मिलने से उन्हें करीब १ माह बाद छोड़ दिया गया। मि० J. D पाटील की कुपवाड़ की तमाम जायदाद जब्त कर ली गई। मि० भाऊ बिरोजे और कृष्ण तोदकार जो मालगाँव के थे, आज भी फरार हैं। मि० बिरोजे का मकान व जायदाद सभी सरकार ने जब्त कर लिये। मि० जिरगाले, यशवन्त कुलकर्णी, नागू शिराल कर आज भी कोल्हापुर जेल में अपनी सजाएँ पूरी कर रहे हैं।

मालगाँव में बम भी फूटा। मिरज से मालगाँव जाने आने वाले टाक के पैसे दो बार लूटे गये। मि० के० डी० आप्टे प्रमुख जरनिस्ट भी गिरफ्तार कर लिये गये किन्तु उन पर जो अभियोग लगाया गया था वह साबित न हो सका, इसलिये मुक्त कर दिये गये।

सतारा में पुलिस ने दमन में नाजियों को भी मात कर दिया !

६ अगस्त की सुबह ही सतारा की जनता को अपने नेताओं की गिरफ्तारी के समाचार मिल गये। दूसरी जगह तो स्थानीय नेताओं के घर लौटने पर उनकी सलाह से जनताने आन्दोलन में भाग लिया पर सतारा में तो स्थानीय नेतागण लौट भी नहीं पाये इसके पूर्व ही तूफान सा आ गया। सतारा की जनता इसी बात पर बेहद क्रुद्ध थी कि सरकार ने भारतीय नेताओं को समझौता करने तक मौका न देकर धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बल्कि उनको यह भी शिकायत थी कि नेताओं को इतना भी अवसर नहीं दिया गया कि वे "भारत छोड़ो"—प्रस्ताव की उचित व्याख्या ही कर देते। नेताओं की गिरफ्तारी युद्ध की जबरदस्त चुनौती मानी गई और सतारा की जनता इसका उचित उत्तर देने से पीछे कैसे रह सकती थी ? ११ अगस्त के बाद ही स्थानीय नेताओं ने हर गाँव में जाकर सभाएँ की और जनता ने भी सभाओं में हजारों की संख्या में भाग लेकर अपनी पूर्ण स्वीकृति जाहिर की। किर्लोस्कर ब्रदर्श के लोहे के कारखाने में जबरदस्त हड़ताल हो गई। हजार कोशिशों के बाद भी कारखाना एक महीने के लिए बन्द ही कर देना पड़ा। जब नेतागण बम्बई से लौटे तो जनता पागलों की तरह नाना प्रकार के सवाल उनसे करने लगी।

जनता ने तालुके की कचहरियों पर शान्त धावा बोला और हर कचहरी पर कांग्रेसी झण्डा फहराया गया। सभी जगह अगस्त प्रस्ताव पढ़ा गया। एक प्रदर्शन में पुलिस अफसर ने प्रदर्शनकारियों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और मोड़ पर सशस्त्र पुलिस टूट पड़ी। श्री पांडुरंग देशमुख पुलिस को संगीन से घायल हो गये। जनता पुलिस के इस कुकृत्य से पागल हो उठी। देशमुख ने जनता को जोर से कहा—

"हमारा काम सफल हो गया, हम विजयी हो गये, अब आप लोग घर जाइये। मैं जानता हूँ कि इस समय हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम गिरफ्तार करनेवालों को भी गिरफ्तार कर सकते हैं किन्तु हमारा यह उद्देश्य नहीं है। गांधी जी ने हमसे "करो या मरो" यही संदेश कहा है। किन्तु उन्होंने अहिंसा पालन करने पर बहुत ही जोर दिया है। यदि आप हिंसात्मक कार्य करेंगे तो महात्मा जी दुखी होंगे। इसलिए आप शान्तिपूर्वक घर चले जाइये।"

—सभी लोग शान्तिपूर्वक अपने अपने घर चले गये। यह कराड़ की बात है। इसके बाद पाटन का धावा हुआ जो कतई अहिंसात्मक था।

३ सितम्बर को तास गाँव के किसानों ने गाँव की कचहरी पर धावा बोल दिया। ४ हजार प्रदर्शनकारी थे। उस समय सभी जान रहे थे ब्रिटिश शासन का अंत हो गया है और जनता का राज्य स्थापित होने वाला है। उस समय प्रदर्शनकारी बेहद सशक्त थे। वे जो चाहते कर सकते थे। किन्तु वे जानते थे कि हिंसात्मक कार्य करने से गांधी जी के दिल को दुख होगा। इसलिये झण्डा वादन करके वे लौट गये।

१५०० आदमियों का जुलूस वाहुज नामक गाँव में निकला। उसके नेता थे श्री परशुराम धर्गे। वे बाड़गाँव के थे। ३५ वर्ष का यह नवयुवक १९४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिये गांधी जी द्वारा निर्णीत हुआ था किन्तु परिवार में किसी अन्तरंग की बीमारी के कारण वे उस समय सत्याग्रह नहीं कर सके थे। ६ सितम्बर को वे बैलगाड़ी द्वारा वाहुज गये और प्रदर्शन में शामिल हुए। वे उस समय स्वयं बीमार थे। थोड़ी ही दूरी पर पुलिस ने जुलूस रोक दिया। धर्गे के हाथ में तिरंगा झण्डा था। पुलिस ने गोलीबारी की। धर्गे को ३ गोली सीने में लगीं और वे वहीं शहीद हो गये।

१० सितम्बर को इस्लामपुर में जनता और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। प्रदर्शनकारियों के नेता श्री पांडुरंग मास्टर थे। वे वहीं से फरार हो गये हैं और उनको पकड़ने के लिये हजारों का इनाम घोषित हुआ है। फरारी के पूर्व मास्टर साहब को एक पुलिस अफसर के सामने बेतों से पीटा गया। उनकी गिरफ्तारी के लिये भीड़ को तितर बितर कर देना पड़ा। पर जब

लोग नहीं हटे तो गोली चार्ज शुरू कर दिया गया। इसी संघर्ष में मास्टर साहब गायब हो गये। उस गोलीबारी में किर्लोस्कर कारखाने के इंजीनियर श्री पंड्या तथा कन्धूबारा पाटे नामक किसान वहीं मारे गये। कई व्यक्ति घायल हुए। इस गोलीकांड के परिणाम स्वरूप जनता बहुत ही क्रुद्ध हो गई। इन इस्लामपुर और बाहुज के गोलीकांडों में डेढ़ हजार से ज्यादा आदमी गिरफ्तार किये गये। सौ से भी ज्यादा व्यक्ति फरार घोषित हुए। उनकी गिरफ्तारी के लिये हजारों के इनाम घोषित किये गये।

कराद और बहादुर ताल्लुके की हवालातों में जनता को जो मुसीबतें दी गई वैसी तो शायद नरक में भी नसीब न होंगी। नमक मिलाये पानी में भिगोकर लोगों को बेंत मारे जाते थे। इस प्रयोग को सुन्दरी प्रयोग कहा जाता था। धुएँ और गर्म पानी का भी प्रयोग जारी रहा। कराद के श्री पांडुरंग विष्णु पाटिल पर खुली सड़क में सुन्दरी प्रयोग हुआ। काटेवाड़ी के चार वृद्धों को एक पंक्ति में बैठाकर उनके सिर पर पत्थर की एक शिला रख दी गई और चार लड़कों को इस शिला पर चलाया गया। काटेवाड़ी के ८-८ साल के बच्चों श्री शिवराम थोर्दे तथा श्री गणपत थोर्दे को पुलिस ने मारते मारते बेहोश कर दिया। यहाँ सोचने योग्य बात यही कि ये जुल्म उन मराठों पर हुए जिन्होंने इस महायुद्ध में अंग्रेजों के दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिये थे।

सतारा में पुलिस ने जैसे भयानक अत्याचार निरपराधों पर हुए वैसे अत्याचार तो सभ्य देशों में कभी सुने भी नहीं गये। पाटला वाला ने अपने एक लेख में बताया था कि पुलिस गाँवों में आधी रात को घुसती और फरार व्यक्तियों की बहिनों और स्त्रियों को पकड़ कर गाँव के बाहर जंगल में ले जाती। उनके साथ दुर्व्यवहार करती और उनके पतियों भाई के पते पूछती। उनका सतीत्व तक भी नहीं बच सका। पाटली वाला ने ऐसे दो उदाहरण दिये हैं जिनमें फरार व्यक्तियों की स्त्रियों और बहनों पर बलात्कार किये गये थे। १. कराद ताल्लुके के फरार श्री ज्ञानदेव पटेल की स्त्री श्रीमती [illegible]बाई ने पुलिस अफसर के अमानुषिक अत्याचारों से लज्जित होकर

सतारा में फरार व्यक्तियो की स्त्रियों और बहिनों पर पुलिस ने बलात्कार किया !

कुए में कूदने तक का प्रयास किया। स्त्रियाँ जब वापिस घर लौटतीं तो दर्द से कराहतीं और बुरी तरह रोती हुई आती थीं।

सतारा में पुलिस को यदि परिचित अपराधी ही दिखाई दे जाते तो वह उन्हें पीटना आरम्भ कर देती थी। बाटली वाला ने चार पाँच ऐसे उदाहरण देकर बताया है कि पाँच व्यक्तियों को मारते मारते पुलिस ने अधमरा कर दिया फिर भी पुलिस को उनसे कुछ भी ज्ञात न हो सका। एक व्यक्ति के तो बेहोशी में ही प्राण छूट गये। शेष तीन चार दिन तक करवटें भी बदल नहीं सके।

सतारा से पुलिस अफसर इस कदर नाराज थे कि वहाँ हर गाँव पर बीस हजार रुपये तक सामूहिक जुर्माना किया गया। वसूली के लिए सिपाही लोगों या घरों को घेर कर बैठ जाते और घर वालों से कह दिया जाता कि इतने घन्टों में रकम नहीं दी तो बाहर भी नहीं निकल सकते। देहाती मकानों में पाखाने नहीं होते, तथा ढोरों के लिये चारा भी बाहर से लाना जरूरी होता है पर सैनिक स्त्रियों को भी बाहर नहीं जाने देते थे। पुलिस ने केदरों को बेचकर रुपया लाने भर की इजाजत दी। सुपान गाँव से एक घन्टे में दस हजार रुपये वसूल किये गये।

सतारा में जैसे जुल्म नौकर शाही ने किये वैसे जुल्म सिर्फ संयुक्तप्रान्त के कुछ जिलों में ही हुए हैं पर भारत के दूसरे प्रान्तों में सतारा का सानी नहीं मिल सकता।

———

सीमाप्रान्त में दमन का दौरदौरा !!!

सीमाप्रान्त राष्ट्रवादी भारत का प्रहरी है। आम खयाल यह था कि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह प्रान्त उदासीन ही रहा। किन्तु जेल से रिहा होने के बाद जब सीमान्त गाँधी खान अब्दुल गफ्फारखाँ उत्तर भारत आये तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इधर के लोगों को तो सीमाप्रान्त के आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछ पता ही नहीं। वस्तुतः सरकारी सेन्सर की मेहरबानी थी कि शेष भारत को सीमाप्रान्त की सच्ची खबरों से वंचित रखा। सीमान्त गाँधी के कथनानुसार नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सीमाप्रान्त के नेताओं ने लोगों को अहिंसात्मक आन्दोलन करने का आदेश दिया। फलस्वरूप खुदाई खिदमतगार स्वयं सेवकों ने अपने नेताओं के नेतृत्व में सरकारी कचहरियों और अदालतों पर धरने दिये। इसी में हो काफी खुदाई खिदमतगार और कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिये। सीमा के लोगों का आन्दोलन अन्तिम दम तक अहिंसात्मक रहा।

"भारतवर्ष के प्रान्तों में पंजाब ही एक ऐसा प्रान्त था जहाँ १९४२ की क्रान्ति का बहुत ही कम प्रभाव पड़ा। वैसे इस प्रान्त में भी काफी तादाद में हड़तालें हुई। सीमान्त प्रदेश प्रायः सम्पूर्णतया मुस्लिम प्रांत है लेकिन भारतवर्ष के अन्य प्रांतों की अपेक्षा इसकी स्थिति एक दम भिन्न थी। दूसरे प्रांतों की तरह सरकार ने इस प्रांत में न तो कोई उत्तेजनात्मक दमन कार्य ही किये और न सामुहिक गिरफ्तारियाँ ही। इसका एक कारण तो शायद यह भी हो रहा हो कि सरकार की नजर में इस प्रांत के निवासी आग के पुतले माने जाते हैं या शायद सरकार लोगों को यह दिखाने का स्वांग करती हो कि इस क्रांति से मुसलमान कतई अलग हैं। लेकिन जब सीमांत प्रदेश में देश में होने वाली घटनाओं की खबर पहुँची तो लोगों ने सरकार के विरुद्ध कई उत्तेजनात्मक चुनौती से भरे हुए

प्रदर्शन किये। सरकार ने इन कार्रवाइयों के दमन के लिये व जनता की उत्तेजना को कुचल डालने के लिये गोली व लाठी चार्ज खुलकर किये। कई हजार व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये यहाँ तक कि महान पठान नेता बादशाह खान को—जिन्हें भारतीय अब्दुल गफ्फारखाँ के नाम से जानते हैं—पुलिस ने इतना मारा कि वे बुरी तरह घायल हो गये। बादशाह खान के प्रति पुलिस के इस व्यवहार ने जनता के दिलों में जैसे आग भड़का दी। परन्तु महान आश्चर्य तो इस बात का है कि बादशाह खान ने अपने प्रांत की जनता में इतना जबरदस्त अनुशासन स्थापित कर दिया है कि भारत के दूसरे प्रांतों की तरह वहाँ कोई भी हिंसात्मक प्रदर्शन नाम लेने तक को भी नहीं होने पाया।"[1]

1—Discovery of India—Jawaharlal Nehru
Pages 590—591.

दिल्ली शहर में दमन चक्र !!!

दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी है। अगस्त आन्दोलन में यहाँ की जनता ने पूरा-पूरा पार्ट अदा किया। नेताओं की गिरफ्तारी के एक दिन बाद दिल्ली की जनता ने अपना विरोध प्रदर्शन करना आरम्भ किया। घंटा घर के पास निहत्थी जनता ने पुलिस की गोलियों का मुकाबला किया। १२ अगस्त को रेलवे एकाउन्टस क्लीयरिंग विभाग का दफ्तर जो पोली कोठी के नाम से प्रसिद्ध था, फूंक दिया गया। इनकमटैक्स के दफ्तर, पोस्ट आफिस व रेलवे स्टेशनों को भी भस्म कर दिया गया। जनता का रोष दिन दूना—रात चौगुना बढ़ने लगा। स्थिति पुलिस अधिकारियों के कब्जे से बाहर हो चुकी थी। इसलिये गोरा पल्टन बुलवाई गई। उसने जो अंधाधुन्ध गोली वर्षा की, उससे समूचा दिल्ली नगर थर्रा उठा। अनेक कांग्रेस कर्मियों ने फरार रहकर महीनों दिल्ली सरकार का मुकाबला किया। कितने ही व्यक्ति जेलों में डाल दिये गये। दिल्ली की शेरनी—श्रीमती सत्यदेवी—को जेल में भेज दिया गया।

१९४२ के विप्लव में जेलों में भयंकर दमन !
कैदियों की कहानी उनकी जबानी !!

[१]

राजनैतिक राजबन्दी श्री रामनन्दन मिश्र ने पंजाब सरकार के पास एक पत्र भेजा था। यह पत्र ६ अक्टूबर १९४३ को कासूर सब जेल से पंजाब के प्रधान मंत्री तथा मंत्रियों के नाम लिखा गया था। पत्र में श्री रामनन्दन मिश्र ने बताया कि वह २८ अगस्त १९४३ से कासूर सब जेल में नजर बन्द हैं। उन्होंने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि वह बिहार प्रांत के जमींदार हैं। तीस हजार से ज्यादा प्रति वर्ष आय-कर देते हैं। बनारस के वर्तमान महाराज उनकी बहिन के पुत्र हैं। काशी विद्यापीठ से ग्रेज्यूएट होकर वे १९२८ से कांग्रेस में शामिल हैं। पहिले वे तथा उनकी पत्नी गांधी आश्रम में थे। कुछ समय तक वे बिहार में अपना आश्रम चलाते थे। सन् १९३५ में मिश्र जी काँग्रेस सोशिलिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गये। अगस्त आन्दोलन में गिरफ्तार किया जाकर उन्हें हजारी बाग जेल में रखा गया। लेकिन वे वहाँ से श्री जयप्रकाश नारायण के साथ फरार हो गये। १९४३ फरवरी तक मिश्र जी फरार रहे। उन्हें लाहौर जेल में पहिले रखा गया था। उन्होंने कासूर जेल से जो पत्र लिखा था उसमें बताया गया है कि किस प्रकार उनसे प्रश्न किये जाते थे। इन प्रश्नों का उद्देश्य यह था कि किसी भी प्रकार से उनसे कुछ बातें मालूम हों। वे लिखते हैं—"खुफिया मुझसे कहलवाना चाहती थी कि महात्मा गांधी जापानियों के समर्थक हैं और कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी ने ६ अगस्त १९४२ के पूर्व ही हिंसात्मक आन्दोलन करने की योजना तैयार करली थी। इन प्रश्नों के उत्तर न देने का परीणाम यह हुआ कि मुझे सताया जाने लगा और दुर्व्यवहार बढ़ गया। मुझसे जब ऐसे प्रश्न किये जाते थे तो मुझे ठोकरें मारी जातीं,

थप्पड़ लगाये जाते। कई बार तो मुझे मारा भी गया। सब मिलाकर २० बार मुझ पर मार पड़ी। एक बार तो मेरे चूतड़ों को कम्बल से ढक कर मारा गया जिससे दाग न उभर आवें। एक बार मैं बेहोश हो गया। इस तरह मार से मैं कई बार बेहोश हो गया। मेरा नजरबंदी की अवस्था में गंदी से गंदी गालियाँ देना तो सहज बात थी। यहाँ तक कि गांधी जी और पण्डित जवाहर लाल जी को भी गंदी गालियाँ दी जातीं। जब तक मुझे लाहौर के किले में रखा गया, काल कोठरी में ही रखा गया। मिलने जुलने तक न दिया जाता। गिरफ्तारी के समय मैं जो कपड़े पहिने था, वे ही ठेठ तक पहिने रहा। दूसरे कपड़े नहीं दिये गये। मार पड़ने तथा उससे बेहोश हो जाने की बातें मैंने डाक्टर से भी कहीं और एक बार तो डाक्टर के सामने भी मैं बेहोश हो गया। न तो मुझे अपनी पत्नी या परिवार वालों को ही पत्र लिखने दिया गया और न पंजाब के प्रधान मंत्री को ही पत्र लिखने की अनुमति मिली। जब मैंने अनशन करने का निश्चय किया तो डाक्टर के अफसरों से मिलने पर मुझे इस जेल में लाया गया। मेरा वजन १६२ पौंड से ६६ पौंड कम हो गया था। हालत नाजुक हो गयी। जब मुझे २३ फरवरी १९४३ को एक अफसर के सामने पेश किया गया तो मैंने सारी बातें बताई और पंजाब के प्रधान मंत्री को पत्र तथा हाईकोर्ट में दरख्वास्त देने की मांग की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब खुफिया विभाग के सुपरिन्टेंडेंट रॉबिनसन (Robinson) के साथ गृहमंत्री मि० मैकडोनेल्ड जेल का निरीक्षण करने आये तो मैंने उनसे अपने वकील मि० कपूर से मिलने का इजाजत माँगी, हाईकोर्ट में दरख्वास्त देने की इच्छा प्रगट की, पर उन्होंने इन सब बातों से इंकार कर दिया और खुफिया द्वारा मेरे साथ नृशंस व्यवहार किये जाने की शिकायत तक नहीं सुनी। इस तरह का नृशंस व्यवहार पंजाब के अन्य भागों में भी हुआ है। डाक्टर जयचंद्र विद्यालंकार के साथ भी ऐसा ही क्रूर व्यवहार हुआ है।"

इस "पत्र के लिखने का उद्देश्य मिश्र जी का यह था कि पंजाब के प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रीगण समझ लें कि लाहौर जेल में कैसा

अमानुषिक व्यवहार होता है। वे शासन सूत्र धारियों तक आवाज पहुँचाना चाहते हैं, खुफिया इसमें बाधक होती है।

[२]

पजाब कांग्रेस सोशिलिस्ट पार्टी के भूतपूर्व मंत्री श्री पूरनचंद आजाद ने लाहौर किले में अपने प्रति किये गये निकृष्ट कोटि के अत्याचारों के सम्बन्ध में सनसनी खेज अभियोग लगाते हुए कहा कि "खुफिया विभाग को यह ज्ञात है कि महात्मा गांधी ने ही सुभाष बोस को जापान भेजा। इस बात की पुष्टि करने के लिये मुझसे कहा गया कि गांधी जी ने ही भारत पर जापानी आक्रमण के समय श्री राजगोपालाचार्य को जापानियों से समझौता करने के लिये नियुक्त किया था।" श्री पूरनचन्द आजाद ने बताया है कि इस प्रकार के प्रश्न उनसे घंटों तक पूछे जाते और खुफिया पुलिस के प्रधान अफसर के सामने ही उन्हें दो हृष्ट पुष्ट आदमी घसीटते रहते। उन्होंने कहा कि कभी कभी वे इस प्रकार लगभग १०-१० घंटे तक घसीटे जाते और उन्हे गर्मी के दिनों मे पानी तक पीने के लिये नहीं दिया जाता था तथा उन्हें शौच तक करने के लिये इजाजत नहीं दी जाती थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनसे यह भी पूछा गया कि क्या वायसराय की शासन परिषद के तत्कालीन सदस्य श्री० एम० एस० अणे वास्तव में कांग्रेस के आदमी हैं जो कांग्रेस हाई कमाण्ड का सरकार के भेद बताते हैं? श्रीपूरनचन्द जी ने हाई कमाण्ड से प्रार्थना की है कि वह लाहौर जेल में राजनीतिक बन्दियों के साथ किये गये दुर्व्यवहार और अत्याचार की जाँच के लिये एक जांच कमेटी नियुक्त करे तथा इस बात का प्रयत्न भी करे कि 'अत्याचार का यह घर' हमेशा को बंद कर दिया जावे।

[३]

श्री० बाबूलाल पालीवाल ने जेल जीवन पर प्रकाश डालते हुए लिखा है —

"मैं लखनऊ जिला जेल से ता० १६ सितम्बर १६४५ को रिहा हुआ। उस जेल के अस्पताल में मरीजों की कोई भी परवाह नहीं की जाती। मेरी आँखें ११० दिन के अनशन के कारण बहुत ही कमजोर हो गई थी जिनकी

जाँच सेन्ट्रल जेल के डाक्टर ने की थी और ता० २० को मेडिकल कालेज लखनऊ में भी मैंने जाँच करवाई। इस जाँच में आँखें बहुत ही कमजोर साबित हुईं। इसके अलावा दिल की धड़कन अनशन के पहिले से ही कैंप जेल में शुरू हो गई थी और आज भी बदस्तूर जारी है। करीब चार महीने से दाढ़ व दाँत में दर्द हो रहा है। कई बार डाक्टर से कहा गया लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। बल्कि बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन के पूछने पर यह रिपोर्ट उन्हें भेजी गयी कि मेरी हालत अच्छी है। मैं इस समय भी १६ पौंड कम हूँ। इसी तरह प्रतापनारायण निगम की आँखें खराब हो रही हैं। उनके मित्रों ने कई बार सरकार और इंस्पेक्टर जनरल जेल को उनकी आँखों की जाँच कराने को लिखा किन्तु अभी तक जाँच नहीं की गई है। निगम जी ने अपनी आँखों की जाँच अपने निजी डाक्टर से कराने की आज्ञा चाही लेकिन उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। स्वामी बलराम कृष्ण—देवकली आश्रम शाहजहाँपुर—की कमर में बात से दर्द होता है और दाँतों में पायरिया के कारण पीड़ा रहती है तथा वे कमजोर भी हो गये हैं लेकिन फिर भी उन्हें नाश्ते के लिये चने ही दिये जाते हैं हालाँ कि वे नहीं लेते। उक्त जेल में खाना भी अच्छा नहीं दिया जाता है जिससे "सी" क्लास के बंदियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। ता० ६ को "बी" क्लास के बंदी श्री सूरजनारायण पाडेय गोरखपुर ने खाना खाने के बाद कै की तथा आज भी उनकी हालत बहुत ही खराब है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। "बी" श्रेणी के बंदी कैलाशपति गुप्ता M. A. गोरखपुर एवं श्री रघुनाथ गुप्ता की तन्दुरुस्ती गिरी हुई है। सरदार हंसराज के कान बहिरे हो गये हैं। श्री शिब्बनलाल सक्सेना एम० एल० ए० और काकोरी व लखनऊ षड्यंत्र के बंदी श्री योगेशचंद्र चटर्जी की आँखें कमजोर हैं परन्तु इन सब लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है बल्कि जेल की चहारदीवारी और भी ऊँची की जा रही है जिससे इन "बी" क्लास के बंदियों को जो तादाद में तेईस हैं, स्वच्छ वायु तक न मिल सकेगी।"

[४]

प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना अपनी जेल जीवनी का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

"२६ महीनों तक मुझे फाँसी की कोठरी में रखा गया। २४ घंटे में मैं २३ घंटे बंद रखा जाता था। फाँसी घर के सामने संगीनें लिये ५ सिपाही हर समय पहरा देते थे। सरकारी कर्मचारियों को विश्वास नहीं होता था और वे स्वयं दिन में आकर ताला हिला कर एक बार देख ही लेते थे। फिर भी मेरे पास सारे प्रांत के आन्दोलन की सूचनाएँ आती थीं और गोरखपुर जिले का रोज रोज का हाल चाल मालूम हो ही जाता था। सरकार ने तो मुझे मरवा डालने का ही प्रयत्न किया था किन्तु मैं जिन्दा पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने मुझे फांसी की सजा दिलाने की चेष्टा की मगर वह भी व्यर्थ रही। आखिर तंग आकर अधिकारियों ने मुझको लखनऊ जेल में भेज दिया। यहाँ जेल की दीवारें १८ फीट से २४ फीट ऊँची कर दी गयीं। मुझ पर हैलेट साहब—तत्कालीन गवर्नर संयुक्त प्रांत की इतनी कृपा थी कि वे मुझको प्रांत का विद्रोही नं० १ कहते थे। जज महोदय ने मुझको १० साल की सजा दी थी पर आप लोगों के प्रेम के बल पर मैं आज बाहर हूँ। यदि आप महात्मा गांधी और कांग्रेस के आदेशों के अनुसार कार्य नहीं करते तो मुझको आज भी जेल में ही बंद रहना पड़ता। किसानों और मजदूरों पर किये गये जुल्मों में एक एक का बदला जब तक नहीं ले लूँगा, चैन नहीं लूँगा। महाराज गञ्ज थाने में बांसों के फट्टे चार चीर कर चार वालंटियरों को इस बुरी तरह पीटा गया कि सुखई नामक वालंटियर इस मार के कारण मर ही गया।"

[५]

—भाषण, घुघली ग्राम गोरखपुर जिला २ मई १९४६ प्रसिद्ध समाजवादी नेता तथा अगस्त आन्दोलन के कर्णधारों में से एक डाक्टर राममनोहर लोहिया ने इङ्गलैण्ड मजदूर दल के सभापति प्रोफेसर हेराल्ड लास्की को आगरा सेन्ट्रल जेल से लिखा था। उसमें जेल यातनाओं का जिक्र करते हुए डाक्टर लोहिया कहते हैं—"मैं यहाँ यह लिख दूँ कि इस दरख्वास्त में मैंने आपकी बीती का पूरा वर्णन नहीं किया है। अव्वल तो मैंने भद्दी बातों का उल्लेख ही छोड़ दिया है दूसरे अदालती दरख्वास्त का जरा सा दायरा और मेरी अल्प प्रतिमा के अनुसार यदि मैं उन निष्ठुरताओं का वर्णन करता

जो मुझे बर्दास्त करनी पड़ी हैं तो वह कुछ नाटक सा लगने लगता। आशा थी कि अदालत में मेरी सुनवाई के समय मैं उनका वर्णन करता। मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ कि चार महीने से अधिक समय तक एक न एक तरीके से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। कई दिन और कई रातों तक मैं जागता रखा गया। लगातार जगाये रहने की सब से लम्बी अवधि १० दिन की था। पुलिस द्वारा मुझे खड़े रखने के प्रयत्नों का जब मैं विरोध करता तब चटाई बिछी फर्श पर मुझे, मेरे हथकड़ी लगे हाथों और घुटनों के बल डाल दिया जाता यह सच है कि मैं पीटा नहीं गया, न मेरे पाँव के अगूठों के नाखूनों में आलपीनें चुभाई गईं। मैं तुलना करना नहीं चाहता। पश्चिम के देश खासकर यूरोपीयन, मानव शरीर के आपेक्षाकृत अधिक ज्ञान के कारण, यदि आतंक से मनुष्य हत चेतन न बन गया हो तो समझ सकता है कि मुझ पर क्या बीती होगी। किन्तु मार मार कर और लाठियों से पीट कर मुर्दा या अधमरा बना देते और मुँह में गंदी चीजें जबरदस्ती ठूँसने को ही यदि अत्याचार समझा जाय तो यह सब कुछ तथा इससे भी बुरी बातें हुई हैं। एक या दो उदाहरण, जो इस समय मुझे याद आ गये दे रहा हूँ। बम्बई प्रान्त के पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने जहर खा लिया और एक आदमी युक्त प्रान्त की जेल के कूए में कूद पड़ा। गिरफ्तारी के बाद पिटाई के कारण अथवा दूसरे प्रकार के अत्याचारों से जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाये, उनका इसके सिवाय और लेखा जोखा नहीं है कि इस देश के ३०० से अधिक जेलों में से उड़ीसा के एक ही जेल में मरे हुए लोगों की संख्या २६ या ३६ तक मुझे ठीक याद नहीं—पहुँच चुकी थी। मेरे पिता जो दो हफ्ते पहिले, बस में मर गये, धरासना के नमक डिपो के शांति मय हमले में पीट पीट कर बेहोश कर दिये गये थे।''

[६]

सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता तथा अगस्त आन्दोलन के सर्वोपरि कमान्डर इन चीफ बाबू जयप्रकाश नारायण लिखते हैं—

"लाहौर फोर्ट को भारत सरकार का 'अत्याचार गृह" कहना चाहिये।

मुझे १६ महीनों तक निरन्तर वहां काल कोठरी में रखा गया। इस अवधि में किसी से मिलने अथवा बातें करने की अनुमति नहीं मिली। विभिन्न प्रान्तों से खुफिया पुलिस के खास खास अफसर लाये गये थे जिन्होंने ५० दिनों तक मारे प्रश्नों के मुझे परेशान कर दिया। प्रतिदिन १२ से २४ घण्टे तक मुझसे प्रश्न पूछे जाते थे। उन्होंने मुझे तथा कांग्रेस नेताओं को भद्दी गालियाँ दीं। अन्तिम दस दिनों में मुझे रात दिन कभी १ मिनिट के लिये भी सोने न दिया गया। निबटने जाने के अतिरिक्त और कभी एक स्थान से हिलने डुलने तक न दिया। जब मैंने उसका प्रतिवाद किया कि मुझे स्वच्छ हवा में कसरत करने की आज्ञा मिले, तो बड़ी कठिनाइयों के बाद कसरत करने का सुविधा मिली। किन्तु उस समय भी मेरे हाथ बँधे रहते थे। इसके प्रतिवाद में मैंने भूख हड़ताल की धमकी दी तब मुझे लाहौर फोर्ट से स्थानान्तरित कर दिया गया। लेकिन शारीरिक आक्रमण एवं बर्फ के टुकड़ों पर मेरे बैठाये जाने की रिपोर्ट कतई गलत है।"

[७]

बैरिस्टर पुरुषोत्तम दास त्रीकम दास बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने अपने जेल के अनुभवों का वर्णन करते हुए लिखा है।

"मुझे सबसे पहिले आठ मास तक पञ्जाब की एक जेल में बिलकुल अन्धेरी काठरी में रखा गया था। जब मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते तो हथकड़ियाँ डाली जाती थीं। इसके बाद मुझे बदनाम लाहौर के किले में बन्द कर दिया गया।"

"बम्बई सरकार की आज्ञा से मैं १६ नवम्बर १६४२ में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मुझे सैन्टाक्रूज पुलिस की हवालात में २ हफ्ते रखा गया। इसके बाद मुझे सशस्त्र पुलिस की निगरानी में लाहौर सैन्ट्रल जेल भेजा गया। मैं लाहौर सेन्ट्रल जेल में ५ दिसम्बर को दाखिल हुआ था। एक हफ्ते वहाँ रख कर कसूर जेल भेज दिया गया। कसूर जेल लाहौर से ३० मील दूर है। जब मुझे एक जेल से दूसरा जेल ले जाने लगे तो मैंने हथकड़ियाँ पहिनने से इनकार कर दिया। आखिर पुलिस की हाँ दबना

पड़ा। कसूर जेल में कुल १६ बैरक हैं। जिस बैरक में मुझे जगह दी गई वहाँ मैं, एक आफीसर और एक नौकर ही थे, इसके अलावा कोई भी नहीं था। इस प्रकार मुझे वहाँ एकान्त में पूरे ८ माह रखा गया। कायदे के अनुसार मुझे एक माह में दो मुलाकातों का हक था परन्तु वास्तव में श्री० के० एम० मुन्शी को ही मुलाकात करने में बड़ी कठिनाई पड़ी फिर भी उनसे मुलाकात न हो सकी इसके बाद मुझे यरवदा जेल भेज दिया गया जहाँ से मैं मुक्त हुआ।"

"जेल में कैदियों के साथ पशुओं जैसा बर्ताव किया जाता है। जेल में ६६ फी सदी ऐसे ही आफीसर तैनात किये जाते हैं जो व्यभिचार तथा दूसरे अवगुणों में खूब प्रसिद्ध पा चुके हैं। इन जालिमों के हाथों कैदियों को साधारण सी बातों पर कष्ट झेलने पड़ते हैं। जेलों में दवाई की कोई भी व्यय स्थान नहीं है। यदि कैदी अपने ही पैसे से दवादारू का प्रबन्ध कराना चाहे तो वह भी नहीं करने दिया जाता। जेल के दवाखाने में मामूली से मामूली भी दवाएँ नहीं मिल पातीं।"

"वैसे तो बम्बई की पुलिस ही जनता को जेल में सताने के लिये किसी से पीछे नहीं है पर लाहौर तो जीता जागता नरक ही है। जब के० एम० मुन्शी ने जेल सुपरिन्टेन्डेंट से मेरे मिलने की इजाजत चाही तो उसने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी।"

"हमने बेलसन कैम्प—Belsen Camp—के जानवरों का हाल सुना है पर लाहौर जेल बेलसन कैम्प से किसी बात में पीछे नहीं। लाहौर जेल का एक आफीसर अपने सहायकों के साथ नयी नयी तर्जों से राजनीतिक कैदियों को सताने के लिये प्रसिद्ध ही है। मुझे वहाँ कई पीड़ित कैदी और नजरबंद मिले। उनमें से एक बिहार के प्रमुख कांग्रेसी पंडित रामनंदन मिश्र जी थे। उन्हें लाहौर किले में ६ मास तक रखा गया। उन्हें छः माह तक एक ही कमीज और पाजामे में रखा गया था। मिश्र जी ने उन पर जो जो जुल्म हुए थे उनका वर्णन किया। उनको सुनकर कठोर से कठोर व्यक्ति के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।"

[८]

पंडित देवकीनंदन जी दीक्षित बनारस जिला कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। आप अभी-अभी जेल से मुक्त हुए हैं वे अपने जेल जीवन का वर्णन करते हुए लिखते हैं —"मैं १४ जुलाई १९४२ को गिरफ्तार किया गया और ७ वर्ष कैद एवं नजरबंदी की सजा दी गई। मजिस्ट्रेट ने मुझे B क्लास दिया, किंतु एक वर्ष के बाद में बिना किसी अपराध के 'बी" से 'सी" में बदल दिया गया। साथ ही तन्हाई में रहने की आज्ञा हुई। बनारस सेंट्रल जेल के सुपरिन्टेन्डेंट श्री हाम्सवर्थ ने सरकार से लिखकर मेरा क्लास तुड़वाया। उक्त आज्ञा का मैंने विरोध किया। फल स्वरूप मेरा तबादला फतेहगढ सेंट्रल जेल में कर दिया गया। जब मैं फतेहगढ़ जेल पहुँचा तो मुझे वहाँ के सुपरिन्टेन्डेन्ट फरोडम साहब के सामने पेश किया गया। उसने गाली देते हुए मेरा स्वागत किया। मैंने इस पर आपत्ति की तो उसने मुझे "कुत्ताघर" नामक एक सेल में बन्द करा दिया और तीन महीने के लिये मुझे डंडा बेड़ी दे दी। इसके बाद हथकड़ी भी लगा दी। जो केवल खाने के समय खुलती थी। सुपरिन्टेन्टेन्ट के उक्त व्यवहार से क्षुब्ध होकर हमारे ७ और साथियों ने एक दिन विरोध प्रदर्शन किया, फलस्वरूप उन्हें चक्की की सजा मिली। उन्होंने चक्की पीसने से इनकार किया और अनशन कर दिया। यह अनशन ७ दिनों चला। इसके बाद हम सभी अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिये गये।"

"इस निरंकुशता से क्षुब्ध होकर हमने यह निश्चय किया कि अपने से न हम गाड़ी पर चढ़ेंगे और न कोई काम करेंगे। फलस्वरूप हम दोनों को रस्सों से बाँधकर प्लेटफार्म पर घसीटा गया और ट्रेन में चढ़ाया गया।"

"लखनऊ जेल में हम दोनों ही तनहाई में बन्द कर दिये गये। तन्हाई के जीवन के प्रथम दिन हमारे उसमें आने के दो घन्टे बाद तन्हाई का दरवाजा खुला और नम्बरदार घुस गये। उन्होंने मेरा सर पैर के बीच बाँध दिया और मारना शुरू किया। इसी तरह तीन दिन तक प्रातःकाल दोपहर और सायंकाल हमें शिक्षा देने के लिये ये नम्बरदार मारते थे, इसके एवज में मुझसे "हजूर सरकार" कहलवाना चाहते। लेकिन वे जब इस प्रयत्न में

असफल रहे तो चौथे दिन सरदारा लाल "बुल डॉग" लेकर आया और मुझ पर छोड़ दिया। वह मुझे गिराकर सीने पर बैठ गया और गला पकड़ने लगा फलस्वरूप मैं बेहोश हो गया मुझे अस्पताल भेज दिया गया। वहाँ पर मुझे मालूम हुआ कि सरदारी लाल ने इस बुलडॉग को कै दिनों के भयभीत करने को ही पाल रखा है।"

"७ मई १९४५ को फतेहगढ़ जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने मुझे बुलाया और कहा कि आपका तबादला यहाँ से लखनऊ जेल में हो गया है, मेरे साथ श्री राधाकृष्ण का भी तबादला हुआ। तबादला हुक्म के बाद खुफिया विभाग के इन्स्पेक्टर श्री शर्मा ने हमसे कहा कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की आज्ञा है कि आपको रस्सा बाँधकर एवं हथकड़ी बेड़ी लगाकर लखनऊ भेजा जाय। मैंने कहा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। इतना कहा था कि ३० नम्बरदारों ने हम दोनों को चारों तरफ से घेर लिया और मारना आरम्भ किया। फलस्वरूप हम बेहोश हो गये। जब हम लोग होश में आये तब हम लोगों ने अपने को स्टेशन पर रस्सा एवम् बेड़ी मुक्त पाया डाक्टर भी हमारे साथ था।"

[६]

श्री रामेन्द्रवर्मा नामक एक भूतपूर्व नज़र बन्द ने "अमृत बाजार पत्रिका" के प्रतिनिधि को मुलाकात देते हुए कहा—

"कोई साढ़े चार साल पहिले मुझे गिरफ़्तार किया गया और प्रिजनर की तरह लखनऊ में नजरबन्द कर दिया गया। उस समय मैं प्रान्तीय किसान संघ का संगठन मंत्री था। मैंने कई बार यह जानने की चेष्टा की मेरा आखिर कुसूर क्या है? परन्तु अधिकारियों ने कभी भी कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे सरकार ने सैकड़ों दूसरे मामले फ़र्ज़ी तैयार कर लिये थे, वैसा ही मेरा भी मामला था। मेरा भी ऐसा ही मामला था जो शुरू से आखिर तक फ़र्ज़ी था। जब बिना अपराध बताये या मुकदमा चलाये लोग नजर बन्द किये गये तो भारतीय प्रेस में खूब हलचल मची आखिर मन समझाने को सरकार ने मि० मर्फी बम्बई हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज, तथा मि० हरपाल—संयुक्त प्रान्त के रेवेन्यू बोर्ड के एक सदस्य—की एक कमेटी

बनाई और उसने नजर बन्दों के मामलों, उनकी जायदाद आदि की जाँच करके सरकार को रिपोर्ट को पर नतीजा कुछ भ बरामद नहीं हुआ। यह जाँच कमेटी जब बैठी उस समय में फतेहगढ़ नजर बन्द कैम्प में पहुँचा दिया गया था। यह याद रखने योग्य बात है कि महायुद्ध के आरम्भ होते ही देवली—जो अजमेर से ४० मील दूर है—में नजर बन्द कैम्प कायम किया गया। यह कैम्प दुनिया की तमाम हलचलों से दूर—हर तरह से कटा हुआ भाग था। सरकार को इसमें सफलता भी मिली। मेरा भाई कामरेड वीरेन्द्र वर्मा, जो महायुद्ध के आरम्भ होते ही पकड़ लिया गया था दूसरे संयुक्तप्रान्त के साथियों के साथ देवली कैम्प में ही भेजा गया। मेरे नाम की भी देवली भेजे देने के निमित्त सिफारिश हुई; देवली भेजने की प्रस्तावना का आरम्भ करते हुए मुझे पहिले लखनऊ सेन्ट्रल जेल पहिला मुकाम करार दिया गया था।

आगरा सेन्ट्रल जेल में मुझे ३० अन्य नजर बन्दों के साथ ऐसी बैरक में रखा गया जहाँ दूसरे लोगों का बिलकुल भी आमदरफ्त नहीं था। मेरे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेशी विभाग के इञ्चार्ज डाक्टर केमकर, राजकुमार सिंह —भूतपूर्व काकोरी के कैदी, मन्मथ नाथ गुप्त, विजय कुमार सिंह —लाहौर षड़यन्त्र केस के अभियुक्त डाक्टर ब्रह्मानन्द जो १५ वर्षों विदेश में रह चुके थे—ये पर एक ही बैरक के दूसरे भाग में रहते हुए भी हम एक दूसरे से बोल नहीं सकते थे। उस समय वहाँ श्री मलखान सिंह M. L. A. के साथ आचार्य नरेन्द्र देव भी थे जो यूरोपीयन बैरक में रखे गये थे।

"आचार्य नरेन्द्र के छूटने के बाद उन्होंने हमारी कष्ट कहानी अखबारों में भी प्रकाशित कराई पर कोई लाभ नहीं हुआ।"

"हमको देवली भेजा जाने वाला ही था कि देवली में आम हड़ताल हो गई। यहाँ तक कि महात्मा गाँधी को बहुत ही जोरदार शब्दों में उस कैम्प के खिलाफ लिखना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि देवली कैम्प सरकार ने बन्द हो कर दिया। देवली कैम्प के टूटते ही सभी कैदियों को अपने अपने प्रान्तों में रवाना कर दिया गया। यू० पी० में इसके परिणाम स्वरूप

दो कैम्प सरकार को नये कायम करने पड़े क्योंकि जो देवली भेजे जाने वाले थे, वे तथा देवली में जो पहिले से विद्यमान थे उन सभी का प्रबन्ध आवश्यक था। इस तरह फतेहगढ़ कैम्प और बरेली कैम्प का उद्घाटन हुआ। इन कैम्पों के खुलते ही युक्त प्रान्त के तमाम खतरनाक कैदी यहाँ एकत्रित किये जाने लगे।"

"बरेली कैम्प में वे ही नजर बन्द रखे गये जो सरकार की नजर में वास्तविक कम्यूनिस्ट थे। इसी समय कम्यूनिस्टों के संगठन ने "जनता का युद्ध" का नारा बुलंद किया। फतेहगढ़ कैम्प में वे लोग रखे गये थे जिन्हें सरकार "जनता के युद्ध" की श्रेणी से बाहर समझती थी। कौन सच्चा कम्यूनिस्ट है और कौन नहीं?—इस बारे में सरकार ने बहुत ही गलत धारणा बना रखी थी। इसीलिये फतेहगढ़ में फार्वर्डब्लॉक, रायटिस्ट तथा दूसरे उग्रदल के लोगों को रखा गया था। बरेली जेल में भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो "People's war" में विश्वास नहीं करते थे। इसका सीधा मतलब यही है कि सरकार ने नजर बन्दों के वर्गीकरण के लिये जो भी धारणा बना ली वही सही थी।"

"बरेली और फतेहगढ़ कैम्प ने दो तीन साल का अपना स्वतः इतिहास निर्माण किया है। फतेहगढ़ बहुत पहिले से ही भारतवर्ष का काला पानी कहलाता है। जो फतेहगढ़ जेल में रहे हैं वे जानते हैं कि यह जेल भी एक अच्छा खासा नरक है। यहाँ की बात भी किसी प्रकार बाहर नहीं जा सकती। "सी क्लास के कैदियों के साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण १० साल पहिले इसी जेल में यतीन्द्र नाथ बैनर्जी नाम के एक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी ने यहाँ विरोध स्वरूप अनशन किया था। उन्हें किसी भी प्रकार की डाक्टरी मदद नहीं दी गई। इस कारण वे यहाँ शहीद हुए थे। यह बात कई महीनों तक जनता को मालूम नहीं हो सकी थी।"

"यह सौभाग्य की बात है कि इस पर बरेली कैम्प का रिकार्ड बिगड़ा नहीं। इस बार यहाँ पर कोई मृत्यु नहीं हुई। १९४५ में सिर्फ एक मृत्यु श्री रोशन सिंह की हुई। बरेली जेल जितना मृत्यु के लिये बदनाम नहीं है

उससे ज्यादा वह अत्याचारों जुल्मों और पाशविक क्रूरों के लिये नरक से भी बदतर माना गया है।"

"फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल में एक दिन हमें जाँच कमेटी का फैसला सुनाया गया। हमें बताया गया कि हम क्यों नजरबंद किये गये हैं। मुझ पर जो चार्ज लगाये गये वे निम्न हैं—

१—मैं कम्यूनिस्ट संघ का मेम्बर हूँ।
२—मैं फारवर्ड ब्लॉक का मेम्बर हूँ।
३—मैं R. S. P का मेम्बर हूँ।
और ४—मैं युवक संघ का मेम्बर।

मुझे अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर नहीं दिया गया। यह तो बच्चा भी जान सकता है कि एक ही व्यक्ति किसी भी एक संस्था का सदस्य हो सकता है। एक ही व्यक्ति चार संस्थाओं का मेम्बर नहीं रह सकता। हाँ यह भी ठीक है कि एक व्यक्ति जो युवक संघ का मेम्बर है वह शेष तीनों संस्थाओं में से किसी एक का सदस्य हो सकता है क्योंकि युवक संघ कोई पार्टी नहीं महज अपने विचार प्रगट करने के लिये एक प्लेटफार्म भर है। सरकार की सी० आई० डी० भी कितनी जाहिल है कि वह उक्त चारों संस्थाओं की नीति, कार्य प्रणाली एवं ध्येयों को रत्ती भर भी नहीं जानती। जानती है तो सिर्फ इतना ही कि ये चारों संस्थाएँ खतरनाक हैं। सरकार के सी० आई० डी० की नजर में चारों संस्थाओं के सदस्य अवश्य ही भयानक कीटाणु हैं। एक एक करके सभी को उनके अजीबो गरीब अपराध सुना दिये गये हममें से सिर्फ मन्मथनाथ गुप्त नहीं बुलाये गये क्योंकि इन संस्थाओं से सम्बद्ध होने के साथ साथ वे जेल एक्ट की ५२ दफा के अन्तरगत अपराधी थे।"

[१०]

१९४२ के आन्दोलन में आचार्य श्री रामचरणसिंह "सारथी" साहित्य शास्त्री, पटना कैम्प जेल में बन्द थे। उन्होंने वहाँ की हाहाकारमयी गाथा इस प्रकार लिखी है—

"पटना कैम्प जेल में जितने भी वार्ड हैं उन सभी में—हवा के लिये कहीं भी खिड़की नहीं हैं जंगली जानवर भी अक्सर 'हवादार" पिंजड़े में ही बंद किये जाते हैं। लेकिन वहाँ तो एक छोटे से वार्ड एक सौ तक बंदी लाठी के बल पर बंद कर दिये जाते थे। लाख विरोध करने पर भी कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती थी। जिस वार्ड में कठिनाई से B और A क्लास के २० बीस बंदी रह सकते हैं, उसमें एक सौ अभागों को बंद कर देना एक अनोखी घटना ही है। लोगों को लाठी के बल पर ही बंद किया जाता था। और सब डर के मारे बंद भी हो जाते थे। लाठियों के सामने उन अभागे बंदियों का आत्मा मर गई थी। स्वाभिमान विनष्ट हो चुका था। सज्जन तो थे ही नहीं कि उनके लिये यथेष्ठ वार्ड का प्रबन्ध किया जाता। जेठ की चिलचिलाती लू में उस टीन के बने वार्ड में लोग बे मौत मरते रहते थे।"

"तीन महीने में एक बार कैदी कार्ड लिख सकता था और एक ही कार्ड अपने सगे सम्बन्धियों से पा सकता था और एक ही बार अपने सगे सम्बन्धियों से मिल सकता था। लोग छपरा, चम्पारन, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, हजारी बाग, राँची; सिंह भूमि और मानभूमि से कंधे में साग सत्तू लेकर अपने भाइयों, पुत्रों तथा मित्रों से मिलने आते थे उन्हें भी बहुत तकलीफ दी जाती थी। कभी कभी ६-६ माह के लिये कार्ड और मुलाकातें रोक दी जाती थीं। इसका परिणाम यह होता कि दूर दूर से आये हुए लोगों को व्यर्थ में परेशान होना पड़ता था। "सी" श्रेणी के बंदी को हमेशा ही कटचा कीर्ण परिस्थिति से हमेशा संघर्ष करते रहना पड़ता था।"

'लाठी चार्ज की गाथा भी बहुत ही कारुणिक एवं दयनीय है, एक तो अहिंसावादियों को जंगली और बनैले पशुओं की तरह पीटना मानवता के साथ विद्रोह करना है। कोई भी सरकार इस तरह के अमानवीय कार्य आज भी अपने देश के राज बंदियों के साथ नहीं कर सकती और न कर पाती है। फिर पवित्र त्योहार के अवसर पर तो ऐसा करना और भी घातक एवं पाप है पटना कैम्प जेल में रविवार को लाठी चार्ज होना नियम सा हो गया था। रविवार को लोग उपवास करते और एक समय जरा स्वाद और स्वास्थ्य

को ठीक करने के लिये बिना नमक के भोजन करते। और उस दिन का हलवा कैम्प जेल भर में विख्यात हो चुका है। वार्डरों की गृद्ध दृष्टि उस हलवे पर जा बैठती थी। लाठी चार्ज करने से बंदियों को तो भूखा रहना पड़ता और वार्डरों से उसे स्वाहा करने में सरलता और सुगमता हो जाती। इधर लाठी और उधर लूट दोनों एक ही साथ। फिर तीन चार बार तो इतनी निर्दयता के साथ लाठियाँ चली है जिसके समक्ष मानवता बेचारी सिसक सिसक कर सिर्फ रो भर सकती है। हमारे तो शरीर के रोएँ आज भी खड़े हो उठते हैं। उफ! इतनी निर्दयता के साथ कहीं मानव पर लाठियों की वर्षा हो सकती है। एक बार ननकूसिंह नामक कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में भेजना था। बहुत दिनों तक वहीं रहने से उसने उस जेल को छोड़ना उचित नहीं समझा। इसलिए उन्हें बल पूर्वक अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस बुलाकर पटना कैम्प जेल छोड़ने को बाध्य किया गया। और उस दिन इतनी लाठी चली कि लोग उस अमानुषिक बर्ताव से खीज कर गोलियों से मरना अधिक श्रेयस्कर समझने लगे। हजारों की संख्या में धोड़े दौड़े लोग फाटक की ओर चल पड़े और अपनी-अपनी छाती खोल दी। उस दिन उस अत्याचार के प्रतिरोध में लोगों ने भोजन करना भी पाप समझा। दुबारा २६ जनवरी १९४३ को लाठियों की वर्षा हुई जिसमें हिन्दी विद्यापीठ के सम्मानित अध्यापक पंडित पंचानन जी मिश्र बुरी तरह पीटे गये। रात्रि में वार्ड में घुसकर बंदियों पर लाठियाँ चलीं। होली के अवसर पर भी इसी तरह लाठियाँ चली हैं जिनका शिकार इन पंक्तियों के लेखक को भी होना पड़ा। अगर उस दिन दैनिक "आज" के सहकारी सम्पादक के पास नहीं आ गये होते तो हमारे तो प्राण ही निकल गये होते। करीब-करीब उस रात्रि में दो सौ व्यक्ति पीटे गये। और एक बार जब खाने में लोगों को चार छटाँक चावल दिया जाने लगा तो लोगों ने उसका एक स्वर से विरोध किया और कहा कि इतने कम चावल में हम लोगों का पूरा भोजन नहीं हो सकेगा। इसके लिये भी लाठी चली। उस दिन भी लोगों को इतना पीटा गया कि कसाई भी किसी पशु को इस बेरहमी के साथ नहीं पीट सकता।"

"ऐसी भी घटनाएँ हुई हैं जिनमें फुलर साहब को और उनके अंग रक्षकों बेंतों और जूतों का प्रहार करना पड़ा है। पटना कैम्प जेल में जब जेल के अधिकारी से कुछ कहना होता था तब उसके लिये सप्ताह में एक बार "फाइल" लगाया जाता था जिसमें बंदियों को जेल अधिकारी की प्रतिष्ठा के उद्देश्य से उठकर खड़ा हो जाना पड़ता था। नई दुनिया के दूसरे और चौथे वार्ड में जब फुलर साहब पहुँचे तो दो नम्बर के बच्चों ने खड़े होकर उनका सम्मान नहीं किया। फलतः फुलर साहब का पारा गर्म हो उठा। और स्वयं उन्होंने मासूम और सुकुमार बच्चों को बुरी तरह से बेंतों से पीटा। चार नम्बर में तो हमारा ही वार्ड था जिसमें श्री अवधविहारी सिंह को इतना पीटा गया कि उनका शरीर छलनी हो गया जिससे खून की अजस्र धारा प्रवाहित होने लगी और फुलर साहब के अङ्ग-रक्षकों ने चन्देश्वर नामक युवक को जूतों से पीटा। वह युवक हँसता रहा और वार्डर उसे पीटते रहे। हमारी इच्छा हुई कि ....! किन्तु फुलर साहब की बेंत पीठ पर। रमण बाबू को भी बेंतों या लाठी से बहुत पीटा गया। लातों और तमाचों का प्रयोग तो एक साधारण-सी घटना थी। यदि मेरी बातों में थोड़ा-सा भी असत्य हो तो मुझ पर मुकदमा चलाया जा सकता है। हमारा दावा है कि इस तरह के कुकृत्य सिर्फ सी श्रेणी के बंदियों के साथ ही किये जाते हैं।"

"कुछ बन्दियों को मैंने यह भी देखा कि उनके पाँवों को पशु की तरह लोहे के छड़ों से बाँध दिया गया था जिससे चलने में, कपड़े बदलने में असीम पीड़ा होती थी। सोने में करवटें लेते वक्त तो उनके दुःख को देखा ही नहीं जा सकता था। एक सन्यासी को जेल कर्मचारियों की निन्दा करने के कारण दो सप्ताह तक तन्हाई में पाँव को लोहे के छड़ों से बाँध कर छोड़ दिया गया था। पचासों बंदियों के साथ ऐसे कुकर्म हुए।"

"काम करने पर ही किसी को अधिक भोजन मिलता था। जिन्हें पूरा भोजन करने को नहीं मिलता था उन सभी के पेट भरने के लिये "मकड़ी का घाट" का निर्माण कर लिया था जहाँ जाकर लोग सिर्फ माँड़ पीते थे।

गजाधर नामक किसान नेता ने तो प्रतिदिन अपने वार्ड के लिये दो बाल्टी मांड सुरक्षित रखना धर्म ही मान लिया था !"

"एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिये पास-पोर्ट की आवश्यकता थी। श्री शिवशंकर सहाय जी सिर्फ फुलर साहब से एक कार्ड मांगने पर बेतों से पीटे गये थे। २६ जनवरी के लाठीचार्ज में वे बुरी तरह पीटे गये। वे इस कदर घायल हो गये थे कि उन्हें बाद में कई दिनों तक अस्पताल सेवन करना पड़ा।"

बलिया के अमर शहीदों की नामावली

नाम	उम्र	गाँव	विवरण
श्री चन्द्रदीपसिंह	२५	आरीपुर	सीमर गोली काड में मारा गया
,, अवतार भर	३२	टंगुनियाँ	,, ,,
,, शिवशंकरसिंह	२४	चरौवाँ	मशीन गन से मारा गया
,, मंगलासिंह	५०	,,	,, ,,
,, सखा बियार	३०	,,	,, ,,
श्रीमती रहलाल माली	५४	,,	,, ,,
श्री गनपत नोनिया	२४	कोलवर नगरा	गोली काड में मारा गया
,, श्रीकृष्ण मिश्र	५७	मलप नगरा	,,
,, हरी चमार	२३	सुलतानपुर	,,
,, विश्वनाथ हलवाई	२८	रसड़ा	,,
,, सहदेव सिंह	६०	जवापुरा	जेल में मर गया
,, रुन्दा तिवारी	३२	चितबड़ा गाँव	गोली से मारा गया
,, शिवदहिन भर	३२	दरियापुर	थानेदार की गोली से मारा गया

नाम	उम्र	गाँव	विवरण
श्री भुवनेश्वर राय	३०	गुरदा	फरारी में मृत्यु
,, हरिद्वार राम	४०	नारायणपुर	जेल में मार गया
,, गणेश पांडेय	४१	तुर्तीपार	,,
,, मुरलीमिश्र	१६	मिश्रौली	बलिया गोली कांड में मारा गया
,, रामनगीनासिंह	३२	बाँसडीह	बाँसडीह गोली कांड में मारा गया
,, रामनदारथा भर	२५	,,	बन्दूक के कुन्दों से मारा गया
,, रामाधार राय	१८	भरौली	मार से मर गया
,, केला सुनार	३२	नेवरी	बलिया गोली कांड में
,, रामकिशन माली	३०	बाँसडीह	गोली से मारा गया
,, रामसुभग चमार	३४	दवनी	गोली कांड में मारा गया
,, महावीर कोइरी	२८	छावा	,,
,, रामलक्ष्मण कोइरी	२४	श्रादनौरा	फरारी में मृत्यु
,, मोहिनलाल	६०	कारो	गोली से मारा गया
,, रामसागर राम	२८	फेफना	,,
शङ्कर भर	३०	बाँसडीह	गोली से मारा गया
शिवमङ्गलराम	३८	भरतपुरा	,,
रघुनाथ अहीर	३६	जीरावस्ती	,,
गौरी सुनार	१८	सुखपुरा	,,
चंडीप्रसाद लाल	४२	,,	,,
जमुनाराम	३८	किशोर	,,
श्रीकृष्ण तिवारी	४४	महूलानपार	जेल में मरा
रामधनी राय	३८	किशोर	,,
गनपत पांडेय	२८	गोपालपुर	गोली से मारा गया
राजकुमार राम बाघ	४०	सीसोटार	जेल में मरा
रामरेखा शर्मा	५८	गङ्गापुर	,,
यमुनासिंह	२८	चितपिसाव	,,
बालेश्वरसिंह	३२	जिगनी	,,

नाम	उम्र	गाँव	विवरण
सूरजलाल	१८	बलिया	गोली से मारा गया
कौशल्याकुमार सिंह	३५	नारायणगढ़	बैरिया गोली कांड में मारा गया
बसंत कोहरी	३८	गोन्डिया छपरा	"
निर्भयकुमार राम	१६	"	"
भीम अहीर	२२	भगवानपुर	"
छट्टूराम	१८	बैरिया	"
रामवृक्षराय	३८	"	"
नगीनाराम सुनार	१८	"	"
मुक्तिनाथ तिवारी	२५	बहुआरा	"
शिवराम तिवारी	२०	मुरार पट्टी	"
धर्मदेव मिश्र	१८	शुमनथवी	"
रामप्रसाद उपाध्याय	२६	चाँदपुर	"
विद्यापति गोंड	२४	मिल्की	"
मैनेजरसिंह	३८	गुदरीराय का टोला	"
भिखीराम	१९	श्रीपालपुर	"
रामदेव कुम्हार	१६	सोनबरसा	जेल में मरा
गदाधर पांडेय	३०	दयाबसरा	"
कुमारी जानकी	१३	चकवा	"
रामनगीना शर्मा	४०	किशार	बीमारी में हो जेल से छूटने पर गोली से मारा गया
शीतलराम	२६	चौबे छपरा	"
ईधन हलवाई	४८	नरही	गोली से मारा गया

—:o:—